लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहव लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1998/1920(शक)]

अंक 17, मंगलवार, 7 जुलाई, 1998/16 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 302 से 305	1–43
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 306 से 321	44–79
अतारांकित प्रश्न संख्या 3036 से 3225	79–358
सभा पटल पर रखे गए पत्र	358–364
राज्य सभा से सन्देश	364–365
विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां—एक समीक्षा	365
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	365
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	365
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
तैंतीसवां प्रतिवेदन	366
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
तिरपनवां और चौवनवां प्रतिवेदन	366
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन	368
नियम 377 के अधीन मामले	424–428
(एक) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में चीनी मिल स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र	424
(दो) मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	425

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(तीन)	मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों में टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री शिवराज सिंह चौहान	426
(चार)	सोलन जिले में नदियों द्वारा हो रहे व्यापक भूमि कटाव को रोकने की दृष्टि से नदियों से नहर निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री के.डी. सुल्तानपुरी	426
(पांच)	प्राइवेट अस्पतालों को सरकार द्वारा दी गई रियायतों के बदले में इन अस्पतालों द्वारा गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	डा. बीट्रिक्स डिसूजा	427
(छह)	यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाले राज्यों को जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के कारण नुकसान न हो	
	डा. सुगुण कुमारी चलामेला	427
(सात)	दरभंगा और फारबिसगंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	428
कार्य मंत्रणा समिति		
	तीसरा प्रतिवेदन	428
बजट (रेल) 1998-99 और अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1998-99		428-563
	श्री पी.सी. चाक्को	431-441
	कटौती प्रस्ताव	441-471
	श्री राजवीर सिंह	471-476
	श्री रूपचन्द पाल	476-484
	श्री शैलेन्द्र कुमार	483-487
	डा. रणजीत कुमार पांजा	487-490
	श्रीमती लक्ष्मी पनबाक	491-493
	श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या	493-496
	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)	496-499
	श्री कांची पन्नीरसेल्वम	499-505
	श्रीमती गीता मुखर्जी	505-508
	श्री रामदास आठवले	508-510

विषय	कालम
श्री प्रभात कुमार सामन्तराय	510–514
श्री सी. कुप्पुसामी	514–516
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया	517–518
प्रो. सैफुद्दीन सोज	518–522
श्री फ्रांसिस्को सारदीना	522–525
श्री प्रमथेस मुखर्जी	525–528
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	528–529
श्री लालू प्रसाद	529–530
श्री वैको	530–532
श्री वारकला राधाकृष्णन	532–536
श्रीमती सूर्यकांता पाटील	536–539
श्री बी.एम. मेनसिंकाई	539–540
श्री के. नटवर सिंह	541
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	541–543
श्री मित्रसेन यादव	546
श्री कांतिलाल भूरिया	546–547
श्री हरपाल सिंह साथी	547–548
प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े	548–549
श्री हीरा लाल राय	549–550
डा. रवि मल्लू	550–551
डा. रवि प्रकाश वर्मा	551–552
श्री भगवान शंकर रावत	552
श्री लाल मुनी चौबे	553
श्री मोतीलाल वोरा	553–554
श्री नीतीश कुमार	555–563
विनियोग (रेलवे) संख्यांक 3 विधेयक	565–576
विचार करने के लिए प्रस्ताव	566
श्री नीतीश कुमार	565, 570–576
श्री बसुदेव आचार्य	566–569
श्री लालू प्रसाद	570
खंड 2, 3 और 1	576
पारित करने के लिए प्रस्ताव	576

लोक सभा

मंगलवार, 7 जुलाई, 1998/16 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन

*302. श्री चिन्ता मोहन:
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अनेक प्रोत्साहन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-1997 और 1997-98 के दौरान देश से कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितना-कितना निवेश किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विकास तथा संवर्धनात्मक कार्यों के लिए प्रचार, बाजार संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण आदि हेतु वित्तीय सहायता देती है। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की आम नीति के अनुसार शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थापित यूनिटों को वर्तमान में लागू निर्यात और आयात नीति के अनुसार आयातित पूंजीगत माल, इन्टरमीडिएट्स, संघटकों और कच्चे माल पर पूर्ण सीमाशुल्क छूट प्राप्त है। इस पॉलिसी के तहत शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित यूनिट अपना 50 प्रतिशत उत्पादन घरेलू बाजार में बेच सकती है। इसके अलावा निर्यात से होने वाली बिक्री पर मिलने वाले लाभों पर कार्पोरेट कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन सालों में सरकार द्वारा निम्नलिखित पूंजी निवेशों को मंजूरी दी गई है:

वर्ष	निवेश (करोड़ रु.)
1995-96	7496
1996-97	8365
1997-98	7263

इन तीन वर्षों के दौरान शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए क्रमश: 1271 करोड़ रु., 570 करोड़ रु. और 592 करोड़ रु. के पूंजी निवेश की मंजूरी दी जाएगी।

विवरण

प्रसंस्कृत खाद्यों का निर्यात

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उत्पाद	1995-96	1996-97	1997-98*
1	2	3	4	5
1.	प्रसंस्कृत फल और सब्जियां	491.59	473.78	745.00
2.	पशु उत्पाद	682.58	803.59	910.00

1	2	3	4	5
3.	समुद्री उत्पाद	3501.11	4121.36	4642.93
4.	चावल			
	(क) बासमती चावल	850.67	1247.63	1600.00
	(ख) गैर-बासमती चावल	3717.41	1924.72	1674.00
5.	अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	1171.97	1835.92	1492.00
	(क) मूंगफली			
	(ख) ग्वार गम			
	(ग) गुड़ और मिष्ठान			
	(घ) कोको उत्पाद			
	(ङ) अनाज से तैयार वस्तुएं			
	(च) अल्कोहल पेय			
	(छ) अन्य तैयार उत्पाद			
	(ज) मशीन पर तैयार किए गए उत्पाद			
	कुल	10415.33	10407.00	11000.93

*अनन्तिम

[अनुवाद]

श्री चिन्ता मोहन: अध्यक्ष महोदय, हम निर्यातकों को कुछ प्रोत्साहन भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी निर्यात नहीं बढ़ रहा है। यह विशेषकर आमों, झींगा मछली, गैर-बासमती चावल, प्याज, अंगूर आदि उत्पादों के मामले में है जिनका उत्पादन आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों और अन्य स्थानों में होता है। एक ओर तो हम निर्यातकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और दूसरी ओर उत्पादक लाभकारी मूल्य चाहते हैं। निर्यात घराने दिन-रात काम कर रहे हैं। तथापि 1980 की तुलना में विद्यमान निर्यात में तेजी से गिरावट आयी है। निर्यात में इस गिरावट के वास्तविक कारण क्या हैं। क्या मंत्री स्थिति में सुधार लाने हेतु विभाग में कोई विशेष अभियान चलाना चाहेंगे?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं कि निर्यात में गिरावट आयी है। इसके ठीक विपरीत 1991-92 से निर्यात में पूर्ण विकास परिलक्षित होता है। निर्यात में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता दर निम्न प्रकार है। 1991-92 से प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री और साब्जियों के निर्यात में प्रतिवर्ष 31 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। पशु उत्पाद के मामले में यह वृद्धि दर प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत है; गैर-बासमती चावल की वृद्धि दर 156 प्रतिशत है; अन्य प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री की दर 61 प्रतिशत है और समुद्री उत्पाद वृद्धि दर प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत है। इसलिए, यह परिकल्पना करना सही नहीं है कि निर्यात विकास दर में गिरावट आयी है।

लेकिन, गैर-बासमती चावल के मामले में 1995-96 से इसमें कमी आयी है और इसका कारण वर्ष 1994-95 में 340 करोड़

रुपये की तुलना में उस वर्ष 3717 करोड़ रुपए का असामान्य रूप से किया गया उच्च निर्यात है। यह चावल निर्यात करने वाले देशों में खराब फसल के कारण हुआ। ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: रुपयों के संदर्भ में कहने से आपका क्या तात्पर्य है? आप यह बताइये कि डालर के संदर्भ में निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? ...*(व्यवधान)* जब रुपये का अवमूल्यन हो रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री सोमपाल: मैं प्रतिशतता की बात कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: मुझे खेद है। आप डालरों के संदर्भ में बताइये। मैं मात्रा के बारे में जानना नहीं चहता। जब रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, तो रुपयों के संदर्भ कहने का क्या लाभ है?

अध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन: प्रधान मंत्री जी, मैं आपसे इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। यह सभा को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह तरीका नहीं है।

श्री सोमपाल: मैं श्री चिन्ता मोहन द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मुझे उत्तर पूरा करने दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर जारी रखिए।

श्री सोमपाल: ये विकास दरें देखी गई हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का संबंध है कि निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी और साथ ही घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत उपायों सहित अनेक उपाय कर रहे हैं। इसकी पहचान प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप मे की गयी है।

इसके अतिरिक्त, हम वित्तीय सहायता, पैकेजिंग सहायता, गुणवत्ता प्रबन्धन, कोल्ड चेन की स्थापना और उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से फ्रीजर वेसल्स और फ्रीजर वैनस सहित फ्रीजिंग स्पेश को निर्यात और आयात जोनों में तथ्य आयात करने वाले देशों में उपलब्ध कराने जैसी समुचित सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, हमने ये कदम उठाये हैं। यह उन कदमों की एक सूची है जो हम पहले ही उठा चुके हैं और अब उठाने जा रहे हैं।

श्री चिन्ता मोहन: मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। वह वही बातें दोहरा रहे हैं जो उन्होंने अपने उत्तर में कही थी।

महोदय, विदेशों में हमारे देश के कार्यालय स्थित हैं। विदेशों में स्थित कार्यालयों में कार्यरत अधिकांश अधिकारी बेकार बैठे हुए हैं। वे केवल प्रोटोकोल संबंधी कार्य देख रहे हैं। वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री सभा में उपस्थित हैं। क्या हम भारत के लिए निर्यात में और अधिक वृद्धि के लिए इन अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं? क्या इन अधिकारियों और निर्यात घरानों की बैठक बुलाना सम्भव है? उत्पादक भी और अधिक लाभकारी मूल्य चाहते हैं। क्या हम इन सभी एजेंसियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसके लिए कोई व्यापक क्रियाविधि अपनाई जाए।

श्री सोमपाल: इस संबंध में उत्पादकों, खाद्य प्रसंस्करण एककों और विदेशों में स्थित हमारे वाणिज्यिक और अन्य प्रतिष्ठानों जिसमें "एजेंडा सहित निर्यात कार्य की देखरेख करने वाली हमारी एजेसियाँ भी शामिल हैं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच निरन्तर और नियमित रूप से विचार विनिमय होता रहता है। लेकिन इसमें सुधार की सदैव गुंजाइश रही है। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में कुछ विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो मैं उस पर विचार करूंगा लेकिन इस संबंध में सतत पारस्परिक तालमेल और विकास से पता चलता है कि हम इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में माना है कि सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए हैं जिनमें उनको लोन भी दिए गए, टैक्स माफ किया गया, बिजली के कनैक्शन भी प्रियार्टी पर दिए गए, जमीन भी सस्ती दर पर दी गई, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन इंडस्ट्रीज ने प्रदेश और देश की सरकारों के साथ जो कमिटमेंट्स किए थे, क्या

उन्होंने वे पूरे किए? उदाहरण के लिए मैं पंजाब की एक मिसाल देना चाहता हूं वहां पैप्सी ने टोमैटो जूस, टोमैटो सूप, ग्रेप्स आदि को प्रोसैस करने के लिए अनेक कमिटमेंट वहां की सरकार के साथ किए, लेकिन वह आजकल कुछ भी नहीं कर रही है। जिन किसानों ने ज्यादा पैदावार की, उनके टमाटर और अंगूर पहले की तरह ही सड़-गल कर खराब हो रहे हैं जिससे उनको बहुत घाटा हो रहा है। क्या कारण है कि जो कमिटमेंट उस उद्योग ने किए थे, वे पूरे क्यों नहीं हुए? क्या सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन लिया?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल शुगर इंडस्ट्री में बहुत मंदा आया हुआ है। पैदावार बहुत बढ़ गई है, ग्लट आ गया है, हमारी चीनी मिलों में चीनी भरी पड़ी है और गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बहुत धन बकाया है। चीनी की अधिकता और विक्रय में कमी के कारण चीनी मिल और गन्ना किसान दोनों ही सफर कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार शुगर को एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब किसान परेशान है, तो चीनी का निर्यात क्यों नहीं किया जा रहा है और इस संबंध में आपकी क्या पालिसी है?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, प्रो. चन्दूमाजरा ने जानना चाहा है कि जिन इकाइयों ने निर्यात करने के लिए कुछ वायदे किए थे, वे उन्होंने पूरे किए या नहीं और यदि पूरे नहीं किए तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। यह काम फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री नहीं करती, यह वाणिज्य मंत्रालय का काम है। हमारे वरिष्ठ साथी माननीय हेगड़े जी यहां बैठे हैं और इस संबंध में फिलहाल मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन किन-किन इकाइयों ने निर्यात करने के लिए कितने-कितने वायदे किए थे, वे उन्होंने पूरे किए अथवा नहीं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, ये सारी सूचनाएं वाणिज्य मंत्रालय से लेकर माननीय सदस्य को भेज दी जाएंगी। जहां तक उनका कथन है कि पंजाब में फलों के उत्पादन का बहुत जोरदार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, यह बात सही है। पर गत वर्षों में अंगूर और कीनू के बहुत बड़े क्षेत्र में जो बाग लगे हुए थे, उनको उखाड़ना पड़ा क्योंकि वहां प्रसंस्करण की इकाइयां, जिस आशा से किसानों ने बाग लगाए थे, नहीं आई और उनको मार्केटिंग डैम्प होती चली गई। यह बहुत ही चिन्ताजनक व दुखद बात है। वहां इन इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए थी।

पेप्सीको के बारे में जो विशेष जानकारी उन्होंने चाही है, वह मैं लेकर दे दूंगा परन्तु उस संबंध में उन क्षेत्रों में कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। जहां तक चीनी का संबंध है, चीनी खाद्य मंत्रालय का विषय है। मेरी जानकारी के अनुसार चीनी के निर्यात का फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई स्कोप नजर नहीं आता क्योंकि सभी देशों में चीनी का उत्पादन अधिक है, हमारे देश में भी अधिक उत्पादन है। जहां तक किसानों के भुगतान की बात है, वह खाद्य मंत्रालय का विषय है। इस संबंध में उनकी चिन्ता को मैं खाद्य मंत्रालय तक पहुंचाने का काम अवश्य करूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी: चूंकि निर्यातोन्मुख एककों को भारी रियायतें दी गई हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में सरकार ने निवेश हेतु कितनी विदेशी कम्पनियों को और कितनी भारतीय कम्पनियों को स्वीकृति प्रदान की।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि निर्यात के क्षेत्र में उनका निष्पादन कैसा है।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल: पिछले वर्षों में कितनी विदेशी इकाइयों या विदेशी निवेश को यहाँ अनुमति दी गई, इसकी जानकारी लेकर मैं माननीय सदस्य को भेज दूँगा।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी: महोदय, काफी रियायतें दी गयी हैं और मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी देंगे।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अनुमानित आंकड़े निकलवाए हैं कि हमारे पैरीशेबल प्रोडक्ट्स का कितना भाग नष्ट हो जाता है? लगभग 25-30 प्रतिशत नष्ट होने का मेरा अनुमान है जबकि बाहर की डैवलप्ड कंट्रीज में सिर्फ 2-3 प्रतिशत भाग नष्ट होता है। हमारे यहां भारी नुकसान होता है। आपने कहा कि हम कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए क्या आपने अनुबंध किए हैं? उसके लिए कुछ राशि रखी है या नहीं और जिस प्रकार का इस बार बजट आया है, उसमें एक्सपोर्ट और फूड प्रोसैसिंग यूनिट्स को प्रोत्साहन

के बजाए हतोत्साहित किया गया है। उसके मुतल्लिक क्या आपको कुछ ज्ञात है, आप सोचकर बताएं?

जब तक फूड इंडस्ट्री में ग्रेडिंग, पैकेजिंग, फारवर्डिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसैसिंग नहीं होगी तब तक भारत को बाहर के मुकाबले बहुत नुकसान होगा, यह मेरा अनुमान है। इसलिए हमने एक चेष्टा की थी—ऐग्रीकल्चर या हार्टीकल्चर के मद में सातवें प्लान में जो 24 करोड़ रुपये रखे गये थे उसके बजाए मैंने 1000 करोड़ रुपए रखवाए थे और एक करोड़ रुपये तक चार प्रतिशत ब्याज के हिसाब से देते थे। उस हिसाब से क्या नई चीजें हुई हैं या नहीं? क्यों कमी आई, किस प्रकार से आई, यह देखने की आवश्यकता है। किसान जो पैदा करता है वह नष्ट हो जाता है। ज्यादा पैदा करता है तब भी मारा जाता है और कम पैदा करता है तब भी मारा जाता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने स्टोरेज के लिए क्या किया है? पिछले साल आलू में नुकसान हुआ, ज्यादा था नष्ट हो गया, कम हुआ तो खाने वालों को न क स ा न हुआ। इसी तरह प्याज का हाल हुआ। हमारे पास स्टोरेज की कमी है।

उसके लिए मैं नहीं कहता कि आपने दो महीने में कुछ कर दिया होगा, लेकिन आगे के लिए आपने क्या अनुबंध किया है, आप उस पर कुछ सोचिएगा। प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, यह आवश्यक है, इसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। अभी आपने कहा कि हम बाहर नहीं भेज सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मैंने कल अखबार में पढ़ा कि आप चीनी का आयात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* जरा इसका विस्तारपूर्वक विश्लेषण कीजिए।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फलों और सब्जियों के बहुत बड़ी मात्रा में खराब होने का प्रश्न है, यह वास्तव में एक बहुत बड़ा सवाल है, पर इसके मोटे-मोटे अनुमान उपलब्ध हैं। कभी भी भारत में इसका बहुत विशद या कोई नियमित अध्ययन नहीं किया गया कि कितनी वास्तव में वेस्टेज होती है। प्राय: कहा जाता है कि 30 से 40 प्रतिशत तक इसका अनुमान है, लेकिन कोई विशेष अध्ययन इसके लिए नहीं हुआ, परन्तु किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि 30-40 प्रतिशत में से आधा भी बचा लिया जाये तो उसका अर्थ होगा कि हमने 20 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा लिया। जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर, शीत भण्डारों और दूसरे भण्डारों की स्थापना का सवाल है, मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि इसका सतत प्रयास किया जा रहा है। जहां-जहां आवश्यकता है, चूंकि यह संसाधन से संबंधित सवाल है, कितना इसके लिए बजट का प्रावधान किया है, यह मैं तुरन्त बताने की स्थिति में नहीं हूं, परन्तु यह आंकड़ा लेकर माननीय सदस्य को बताया जा सकता है। जहां तक आपका कहना है कि इन सब चीजों के निर्यात के लिए जितना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, जिसमें कोल्ड चेंस भी है, प्रोसेसिंग भी है, सबसे बड़ी कठिनाई फलों सब्जियों के निर्यात में यह आ रही है कि जो प्रोसेसेबल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको मशीन हैंडल कर सकती है, जिनका यूनीफार्म साइज हो, एक निर्धारित आकार की वे चीजे हों और उसी क्वालिटी की हों, उनका उत्पादन अभी भारत में उतना नहीं हो पाया। उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए, उस प्रकार के बोज और किस्मों का विकास करने के लिए और उनके लिए उपयुक्त मशीनरी का निर्माण करने के लिए प्रयत्न जारी हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उसमें प्रगति हो रही है। माननीय सदस्य, जो पहले कृषि मंत्री रहे हैं, इन्हें जानकारी है। दूसरे जो सवाल इन्होंने किये, वे बागवानी के विकास से संबंधित हैं। यह केवल प्रोसेस्ड फूड के निर्यात का सवाल है, इसलिए इसमें इसका उत्तर देना सम्भव नहीं होगा।

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष जी, एक प्रश्न पूछने दीजिए। महंगाई का कारण तो यही है, हमें पूछने नहीं दे रहे हैं।

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से सिंचाई परियोजना को सहायता

***303. श्रीमती सूर्यकांता पाटील: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की कुछ मंझोली और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.), जापान से अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं की प्रगति की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) इनमें से राज्य-वार कितनी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और उनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी होने के अंतिम चरण में हैं; और

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय से पीछे चल रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विदेशी आर्थिक सहायता निधि, (ओ ई सी एफ), जापान ने देश में अब तक मात्र पांच वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए 44544 मिलियन येन की सहायता दी है। इन वृहद सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति नीचे दी गई है:

क्र. सं	परियोजना का नाम	राज्य	सहायता की राशि (येन मिलियन)	समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि/ऋण समापन तिथि	4/98 तक संवितरण (येन मिलियन)
1.	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	3769	15.12.1988/ 20.7.1998	2700.902
2.	अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	3744	15.12.1988/ 20.01.1999	3045.466
3.	रेंगाली सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	7760	12.12.1997/ 05.02.2003	141.536
4.	कुरनूल कुड्डापह नहर का आधुनिकीकरण	आंध्र प्रदेश	16049	25.01.1996/ 26.03.2003	000.000
5.	राजघाट नहर परियोजना	मध्य प्रदेश	13222	25.02.1997/ 25.02.2002	225.00

(ग) और (घ) अब तक ओ.ई.सी.एफ. की सहायता से चल रही कोई परियोजना पूरी नहीं हुई है। उड़ीसा में अपर कोलाब सिंचाई परियोजना और अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि क्रमश: 20.7.98 और 20.1.1999 है और ये परियोजनाएं पूरा होने के अंतिम चरणों में हैं और आंध्र प्रदेश में ''करनूल कड्डापह नहर का आधुनिकीकरण'' नामक परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद हाल ही में शुरू किया गया है।

श्री सोमपाल: विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के अंतर्गत जापान सरकार द्वारा भारत को फिलहाल केवल पांच परियोजनाओं के लिए 54544 मिलियन येन का ऋण दिया गया है, जिनमें से तीन उड़ीसा में हैं, एक आंध्र प्रदेश में है और एक मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी प्रगति, जिस प्रकार से पहले कार्यक्रम बनाया गया था, उनके अनुसार हो रही है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ओ.ई.सी.एफ., जापान द्वारा इस देश की पांच सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो ऋण दिया गया था, पोखरण के विस्फोटों के बाद इस देश में उपस्थित परिस्थिति के अनुसार जापान ने आर्थिक व्यवस्था पर जो प्रतिबंध लगाये थे, क्या इन परियोजनाओं की पूरी राशि अभी भी दी जायेगी या यह राशि न देने के बारे में जापान ने सूचित किया है?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन पांचों परियोजनाओं का संबंध है, जापान द्वारा इनमें से किसी भी राशि के ऊपर रोक नहीं लगाई गई है और ये सारी राशियां पूर्ववत् उपलब्ध रहेंगी।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि उड़ीसा की अपर कोलाब सिंचाई परियोजना के लिए 1988 में हस्ताक्षर किये गये थे और उसकी समापन तिथि 20.07.98 निर्धारित की गई थी। उसकी वित्तीय सहायता के लिए 2700.902 मिलियन येन का प्रावधान किया था। क्या यह परियोजना 20.07.1998 तक पूरी हो जायेगी?

अगर इसको वास्तविक समय 1998 तक पूरा नहीं होना है तो निर्धारित तिथि कौन सी होगी? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इस परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है और अगर वृद्धि होती है तो यह किस तरह से पूरी की जाएगी?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस योजना के पूरी होने की अंतिम तिथि इसी महीने की 20 तारीख है। जैसा पहले कार्यक्रम बनाया गया था, उसी के अनुसार उसके ऊपर काम चल रहा है। 95 प्रतिशत भौतिक कार्यों में प्रगति हो चुकी है और 72 प्रतिशत वित्तीय मामलों में व्यय हो चुका है। यह परियोजना अपनी निर्धारित तिथि के ऊपर पूरी हो जाएगी।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी सप्लीमेंटरी का उत्तर नहीं आया है।

श्री शरद पवार: इन्होंने दूसरी सप्लीमेंटरी में पूछा है कि किस तारीख को यह योजना पूरी हो जाएगी? क्या इसमें कास्ट एस्केलेशन हो रहा है?

श्री सोमपाल: इसमें कॉस्ट एसक्लेशन नहीं हो रहा है, उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: कुछ योजनाएं जो 1997 में पूरी होनी थीं, उनमें से कुछ 2002 में या 2003 में पूरी होंगी। मैं यह पूछना चाहती हूं कि इन बढ़े हुए सालों में उनकी कास्ट में क्या वृद्धि होगी ही नहीं, क्या उसी दरों पर काम किया जाएगा, जिन पर 1997 में होना था? इसकी परिपाटी क्या है? 1997 में पूरी होने वाली अपर कोलाब योजना 2003 में अगर पूरी होती है, तो क्या सरकार यह कहना चाहती है कि इन बढ़े हुए सालों में उसकी कास्ट में वृद्धि नहीं होगी और तय दरों पर ही इस परियोजना को पूरा किया जाएगा? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको नहीं बुलाया है। कृपया अपनी सीट पर बैठिये। यह चर्चा नहीं है। यह प्रश्नकाल है।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल जापान की विदेशी सहकारिता निधि के अंतर्गत ऋण से संबंधित है। उस ऋण का उपयोग और अब तक कार्यों के ऊपर प्रगति पूर्व में बनाए कार्यक्रम के अनुसार चल रही है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: यह रटा-रटाया उत्तर है। मैं आपका संरक्षण चाहती हूं। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न था कि दरों में वृद्धि होगी या नहीं?

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ?

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर बैठिये। वह उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सोमपाल: मैं सभा को पहले ही सूचित कर चुका हूं। उड़ीसा सरकार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो जायेंगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: अध्यक्ष महोदय, मुझे न्याय नहीं दिया जा रहा है, उत्तर नहीं मिला।

[अनुवाद]

मैं वृद्धि के बारे में बातें कर रही हूँ।

श्री राजेश पायलट: वह एक पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री सोमपाल: पूरक प्रश्न भी प्रश्न की ही सीमाओं के भीतर होना चाहिए। यह ऐसा नहीं हो सकता।

श्री राजेश पायलट: मंत्री महोदय, आप यह कह सकते हैं कि आपके पास संबंधित जानकारी नहीं है।

श्री सोमपाल: यह प्रश्न परियोजना के केवल ओ ई सी एफ घटक से संबंधित हैं। यह कार्यक्रमानुसार प्रगति पर है। सभी घटक निश्चित तारीख तक पूरे हो जायेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराज भाई चिखलिया: अध्यक्ष महोदय, गुजरात में नर्मदा योजना है। गुजरात की लाइफ लाइन है इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी, हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और सभी पक्षों के नेताओं ने माना था कि नर्मदा परियोजना को जल्दी से पूरा करना है। क्या इसमें सहयोग के लिए जापान से कोई वार्ता हुई थी? अगर हुई थी, तो कितनी राशि मिली? अगर नहीं हुई थी, तो उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय ओ ई सी एफ ने केवल पाँच परियोजनाओं के लिए ऋण दिया था, मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ। यह प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता है, इसके लिए अलग से नोटिस की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया: महोदय, मुख्य प्रश्न ओ ई सी एफ द्वारा प्रदान की गई सहायता के संबंध में है। केवल ओ ई सी एफ ही नहीं है, बल्कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अन्य एजेंसियां भी हैं जो विभिन्न राज्यों को ऋण दे रही हैं। मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या राज्यों द्वारा ऋण लिए जाने के संबंध में भारत सरकार के कोई समग्र दिशा निर्देश हैं अथवा राज्यों को इन एजेंसियों के पास जाने और उनसे सम्पर्क करने अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने और अन्य देशों से धन प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में क्या सिद्धांत हैं। वस्तुत:, आज कुछ राज्य अपने योजना व्यय की अपेक्षा ऋण सेवाओं हेतु अधिक धन दे रहे हैं। आने वाले कुछ वर्षों में योजना का आकार और छोटा हो जायेगा और ऋण सेवा में और वृद्धि हो जायेगी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहूँगा कि भारत सरकार का समग्र दृष्टिकोण क्या है?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल ओ ई सी एफ के जापानी घटक से संबंधित है और इसके लिए निश्चित दिशानिर्देश हैं। राज्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास जाने हेतु स्वतंत्र हैं। लेकिन यह सब केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के परामर्श से किया जाता है और विदेशी एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता के ये प्रस्ताव केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। इस बारे में निश्चित दिशा-निर्देश हैं और इन दिशा निर्देशों की उपेक्षा करके अन्य देश से सहायता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जो पांच सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनमें मध्य प्रदेश की परियोजना के लिए कितनी धनराशि मिली और मध्य प्रदेश की परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? अभी तक जो प्रगति हो रही है, 1998 बीतता जा रहा है, ऐसा लगता है कि सन् 2002 तक भी इस परियोजना की पूर्ति की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, कितना ऋण दिया गया था और उस ऋण का कितना उपयोग हुआ है? दूसरा प्रश्न है, इस परियोजना के पूर्ण होने की अंतिम अवधि क्या है और ऋण पर कितना ब्याज देना होगा?

श्री सोमपाल: अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की राजघाट परियोजना के लिए 13,222 मिलियन येन की सहायता इस कार्यक्रम के अंतर्गत आई है। 25 फरवरी, 1997 को इसके अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए थे और 25 फरवरी, 2002 तक इसके पूरा होने की तिथि है। जहां तक इसकी प्रगति का सवाल है, इसमें 1.7 प्रतिशत वित्तीय प्रगति अभी तक हुई है।

[अनुवाद]

प्रारम्भिक कार्य के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं: नहर के बायीं ओर के सिविल कार्य दतिया कैरियर नहर, दतिया सिंचाई नहर और भांदेर नहर का पुनर्निर्माण

[हिन्दी]

इसका प्रिलिमिनरी वर्क आलरैडी टेकअप किया जा चुका है। इसकी प्रगति के लिए जो शैड्युल बनाया गया था, उसके अनुसार योजना चल रही है। जहां तक इसमें ब्याज का सवाल है, इसमें 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से उनको ब्याज दिया जाएगा। बीस वर्ष इसका रिपेमेंट पीरियड है और दस साल इसका ग्रेस पीरियड है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, विदेशी आर्थिक मदद से बनी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर में एक किशनपुर पम्प नहर योजना है, जो इन तीन जिलों से

होकर निकलती है। इस परियोजना का पानी आज तक रेल्व माइनर तक नहीं पहुंच रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित जो गुरीली मैदपुर परियोजना है, इसका कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, यह प्रश्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए ओ.ई.सी.एफ. सहायता से संबंधित है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: यदि नहीं है तो उत्तर प्रदेश में जो परियोजना है उसे कब तक लागू कर लिया जाएगा? क्या इस पंचवर्षीय योजना में उस पर कोई धन खर्च करने का प्रावधान है?

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत द्वारा दूसरा पोखरण परमाणु विस्फोट किये जाने के पश्चात उसके विरुद्ध लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्धों को देखते हुए ओ ई सी एफ की सहायता पहले की तरह जारी रहने की आशा की जा सकती है।

दूसरे, येन का, विदेशी मूल्य की दृष्टि से, बहुत अधिक अवमूल्यन हो गया है। मैं यह जान सकता हूँ कि क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि यदि सहायता राशि जारी रहती है तो इन सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कितना प्रभाव पड़ेगा।

श्री सोमपाल: माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का उत्तर पहले ही दे दिया गया है। जहाँ तक दूसरे भाग का संबंध है तो इसमें निर्धारित विनिमय अनुपात है जो इस प्रकार के मामलों में प्रयोग किया जाता है और यथास्थिति बनाये रखने में यह जारी रहेगा। इसलिए इन परियोजनाओं पर अवमूल्यन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाकिस्तान का वार्ता हेतु निमंत्रण

***304. श्री आनन्द रत्न मौर्य:**
श्री माधव राव सिंधिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कुछ देशों ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) 14 जून, 1998 को प्रधान मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच शान्तिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने और सहयोग की एक स्थायी संरचना को विकसित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को पत्र लिखा। प्रधान मंत्री ने अपने पत्र में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से यह भी कहा कि सार्क शिखर सम्मेलन के लिए कोलम्बो में उनकी उपस्थिति परस्पर हित के सभी मसलों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श करने तथा यह निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगी कि बातचीत की प्रक्रिया को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने 23 जून, 1998 के अपने उत्तर में कोलंबों में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बातचीत करने के हमारे प्रधान मंत्री के सुझाव पर सहमति व्यक्त की है। यह बैठक भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच इस प्रकार की द्विपक्षीय बैठकों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए होगी।

भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की किसी भी प्रकार की भागीदारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यह बात राजनीतिक और राजनयिक स्तरों पर सरकारी वक्तव्यों तथा बातचीत के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को बता दी गई है।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य: अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो, शांति की वार्ता हो, यह बात समझ में आती है, लेकिन साथ-साथ बोर्डर पर पाकिस्तान द्वारा भारत की तरफ गोली चलाना, युद्ध जैसा वातावरण बनाना और समाचार-पत्रों में भारत के प्रति बहुत ही अनर्गल प्रलाप करना तथा उसके विरोध में बोलना निरंतर जारी है। उसके बावजूद द्विपक्षीय वार्ता हो, यह विश्वशांति के लिए अच्छी बात है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और सदन भी जानना चाहता है कि यदि

द्विपक्षीय वार्ता होगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता करेंगे तो क्या भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार करेगा, जबकि पाकिस्तान द्वारा रोज कहा जा रहा है कि बिना मध्यस्थता के हम बात नहीं करेंगे। भारत की इस संबंध में स्पष्ट नीति क्या है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे: इसका जवाब मैंने अपने उत्तर में पहले ही दे दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बाइलेटरल बात ही होगी। इसमें किसी अन्य देश की मध्यस्थता के लिए कोई जगह नहीं है।

श्री आनन्द रत्न मौर्य: अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यदि वार्ता हुई, तो क्या वार्ता में अधिकृत कश्मीर का मामला भी आएगा और अगर वार्ता होती है तो क्या शिमला समझौते की तर्ज पर होगी या उससे कुछ इतर होगी, यह स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे: महोदय, जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है, दो देशों के बीच अभी पूरी वार्ता नहीं हुई है। दोनों देशों के प्रधान मंत्री दक्षेस सम्मेलन में मिलेंगे। यह वार्ता का एक भाग है और इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला जायेगा। मेरा विचार है कि हमें वार्ता आरम्भ होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया।

श्री ए.सी. जोस: अध्यक्ष महोदय, यह सिंधिया परिवार का मामला है।

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह मामला सिंधिया परिवार का हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से संघ परिवार का नहीं।

महोदय, प्रत्येक प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र को यह अधिकार है कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को ध्यान में रखकर पर्याप्त कदम उठाये और इस कार्य के लिए हमने पोखरण-दो को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपने वैज्ञानिकों डा. अब्दुल कलाम और डा. चिदम्बरम को अद्भुत प्रौद्योगिकीय उपलब्धि की प्रशंसा की है। लेकिन पोखरण विस्फोट के पश्चात उत्पन्न स्थिति से सरकार ने जिस प्रकार से निपटा है उससे घोर अदूरदर्शिता का पता चलता है और कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने अत्यधिक उग्र भाषा का इस्तेमाल किया है। जिससे कभी-कभी सरकार की गलत छवि बनती है। क्योंकि सरकार द्वारा सामूहिक दायित्व से किये गये कार्य से सर्वत्र इस धारणा की पुष्टि होनी चाहिए कि भारत एक परिपक्व संयमशील और गहन चिन्तनशील देश है तथा उसके पास विलक्षण क्षमतायें हैं। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है इसे राजनैतिक मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने विलम्ब से सही किन्तु अब इस दिशा में प्रयास आरम्भ कर दिये हैं और इस संबंध में मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा अपने स्तर पर किये जा रहे कठिन प्रयासों की प्रशंसा करता हूं तथा उनका विश्व भ्रमण इस दिशा में काफी प्रभावी सिद्ध हुआ है। इसलिए व्यापक परमाणु विस्फोट के संदर्भ में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत विशेष रूप से परमाणु दृष्टि से परमाणु युद्ध की संभावनाओं को न्यूनतम करने के लिए तैयार रहेगा। तथापि, हम एशिया की चारों परमाणु शक्तियों का एक शिखर सम्मेलन बुलायें जिसमें 'कोई भी पहले परमाणु युद्ध आरम्भ नहीं करेगा' संबंधी करार जैसा कि डा. के. सुब्रमण्यम ने सिफारिश की है, किया जाये।

दूसरा, चूंकि पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है। मेरे विचार से हम सभी जो सामान्य परिवेश में रह रहे हैं इस बात को जानते हैं और एक असुरक्षा की भावना नागरिकों में घर करती जा रही है, यह पाकिस्तान में भी हो सकती है लेकिन निश्चित रूप से यह भारत में है क्योंकि वे ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि दोनों ही युद्ध के द्वार पर खड़े हैं और विनाश और गुमनामी से कुछ ही क्षण दूर हैं। इसलिए, इस संदर्भ में, मेरे विचार से विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि शीत युद्ध के दौरान कई आकस्मिक युद्ध के दौरान, कमांड और नियंत्रण ढांचा का बहुत महत्व है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से उनके अस्पष्ट उत्तरों के कारण जानना चाहूँगा कि क्या सरकार परमाणु बटन हेतु इस प्रकार के कमांड और नियंत्रण प्रक्रिया के निर्माण शीघ्रता से लागू करने के प्रति गम्भीर है जैसाकि प्रत्येक परमाणु सम्पन्न राष्ट्र को होना चाहिए और एक व्यापक संदर्भ में भी क्या बातचीत में इसे एक सुझाव के रूप में लिया जायेगा।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर, जो मेरा जन्म स्थान है, वहां से निर्वाचित माननीय सदस्य ने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। मैं यह स्वीकार नहीं करता कि कूटनीतिक अभियान चलाने में विलम्ब हुआ है। हमने अपना पक्ष बड़े सबल और तर्कपूर्ण ढंग से दूसरे देशों के सामने रखा। वे देश जो न्यूक्लियर क्लब बनाए बैठे हैं, यह नहीं चाहते कि उसमें कोई और प्रविष्ट हो। उनकी ओर से विरोध होना स्वाभविक था, लेकिन जब हमने सारी स्थिति जी-5 के महादेशों को स्पष्ट की, मैं उन्हें इसलिए महादेश कह रहा हूं क्योंकि वे परमाणु अस्त्रों से सम्पन्न हैं, तो उनके रवैये में परिवर्तन आया है। हमने जो भी कदम

उठाया, वह आत्मरक्षा के लिए उठाया। हमने आक्रमण और युद्ध के लिए यह कदम नहीं उठाया। हमने सचमुच युद्ध रोकने के लिए कदम उठाया। उसके साथ हमने कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिए। हमने कहा कि भारत भविष्य में अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की दो टूक घोषणा हो। उन्होंने कुछ घोषणा की थी, लेकिन बाद में अगर मगर लगा कर उसे स्पष्ट नहीं रहने दिया। माननीय सदस्य का सुझाव है कि कुछ देशों का सम्मेलन बुलाया जाए और नो फर्स्ट यूज के बारे में एक संकल्प किया जाए, इस बारे में भी भारत पहल कर चुका है। हम यह घोषित कर चुके हैं कि हम परमाणु अस्त्रों का पहले उपयोग नहीं करेंगे। यह स्थिति अगर पाकिस्तान को भी स्वीकार हो और पकिस्तान इस तरह की घोषणा करे तो कॉनफिडेंस बिल्डिंग मेजर में एक चीज और जुड़ती है। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान इस मामले में हमारा साथ देगा। जो कोलम्बो में वार्ता होगी, उनमें और कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उनके बारे में हम खुल कर चर्चा करेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते। हम भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारना चाहते हैं। संबंधों को सुधारने के लिए ही वार्ता हो रही है। मुझे भरोसा है कि कोलम्बो की वार्ता अच्छे परिणाम निकालेगी।

श्री माधवराव सिंधिया: कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर क्या कोई विचार चल रहा है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। किसी तरह की दुर्घटना की सम्भावना नहीं है। हम उसे लगातार देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसकी संतोषजनक व्यवस्था होगी।

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न में जो बात पूछी है, उसके जवाब में बताया गया है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने सार्वजनिक बयान भी दिया कि भारत पाकिस्तान से बात करना चाहता है। इस बारे में पाकिस्तान का कोई रिस्पौंस आया? मध्यस्थता के सवाल पर चीन को जोड़ने की बात हमें देखने और पढ़ने को मिली जो कि हमें स्वीकार्य नहीं है। यह बात किसी को भी स्वीकार नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि भारत के पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसियों के साथ संबंध सुधरें। प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। पाकिस्तान से बातचीत करने की कोई तारीख निर्धारित हुई या नहीं हुई या हम ऐसे ही तनाव में या द्वंद में फंसे रहेंगे? *...(व्यवधान)*

क्या भारत और पकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच वार्ता की कोई डेट निर्धारित हुई है?

दूसरे, फार्मर, प्राइम मिनिस्टर श्री इन्द्र कुमार गुजराल को कौन सा मिशन देकर बाहर भेजा गया है, यह हम जानना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, भारत और पाकिस्तान की वार्ता की तिथि तय हो गई है। कोलम्बो सम्मेलन में यह वार्ता पुन: आरम्भ होगी। भविष्य में यह वार्ता चलती रहे, इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया क्या हो, कौन-कौन से विषय लिये जायें, इसके बारे में भी कई महीनों से विवाद है। हम आशा करते हैं कि यह विवाद कोलम्बो में हल हो जायेगा। गुजराल साहब, हमारे पूर्व विदेश मंत्री हैं। वे प्रधानमंत्री थे।

श्री लालू प्रसाद: अनुभवी भी हैं।

श्री चमन लाल गुप्त: लालू जी, अभी तो आप हैं। आप उनको ख्वामखाह में मिला रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद: अनुभवी बोला है, भावी नहीं बोला।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: वे अपने ढंग से कुछ प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों का हम स्वागत करते हैं।

श्री चमन लाल गुप्त: माननीय अध्यक्ष जी, आज से लगभग तीन वर्ष पहले इस ऑगस्ट हाउस ने एक प्रस्ताव पास किया था कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वह भारत का अटूट अंग है परन्तु देखने को यहां मिल रहा है कि उसके उपरांत लगातार पिछले आठ वर्षों से उसी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर विदेशी लोग हैं, उनको ट्रेंड करने के अड्डे बने हुए हैं। जम्मू-कश्मीर से लोगों को वहां ले जाकर ट्रेंड किया जा रहा है और आज तक लाखों लोग वहां से पार गये और वापस भी आये हैं। इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर के चार लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है। हजारों लोग मारे गये हैं, कितनी ही मां-बहिनों की इज्जत लूटी गई। इन सारी गतिविधियों का सैंटर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बना हुआ है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा हूं कि कोलम्बो में होने वाली वार्ता में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को खाली करवाने के लिए और भारत के साथ, क्योंकि वह हमेशा से भारत का अटूट अंग है, उसको जोड़ने के लिए कोई प्रयास किया जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, यह कहना ठीक है कि पाक अधिकृत कश्मीर से बड़े पैमाने पर शस्त्रों की शिक्षा लेकर घुसपैठियों के रूप में हमारे यहां आतंकवादी प्रविष्ट कराये जा रहे हैं। हाल में जो आतंकवादी पकड़े गये हैं या मुठभेड़

में मारे गये हैं, उनसे पता लगता है कि वे जम्मू-कश्मीर या लद्दाख के उस भाग से संबंधित नहीं हैं, जो भाग इस समय भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोलम्बो में चर्चा होगी तो पूरी चर्चा होगी। कोलम्बो में पाकिस्तान इस बात पर बल दे रहा है कि कश्मीर को प्राथमिकता दी जाये। हमारा कहना है कि घुसपैठियों का मामला, आतंकवाद का मामला, सीमा के उस पार से बड़ी संख्या में लोगों को शस्त्र तथा ट्रेनिंग देकर भारत के भीतर भेजने का मामला, यह भी गंभीर मामला है, जो शान्ति से संबंधित है; सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इन सब प्रश्नों पर भी चर्चा होनी चाहिए और यह चर्चा होगी।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक: अध्यक्ष महोदय, समाचारों से यह पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रधानमंत्री के विशेष दूत योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने वहां के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है कि भारत विद्यमान नियंत्रण रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मानने पर वार्ता के लिए तैयार है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से बनाना चाहता हूं कि क्या यह प्रस्ताव प्रधान मंत्री के विशेष दूत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के समक्ष रखा और क्या इस प्रकार के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत होगी। भारत सरकार का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है?

समाचार-पत्रों में इस प्रकार में समाचारों के कारण लोग चिंतित हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह प्रश्न पूछ लिया गया, क्योंकि इसमें मैं श्री चमन लाल गुप्त द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर भी जोड़ दूँगा।

पूरे जम्मू-कश्मीर का राज्य भारत का अभिन्न अंग है। भारत की संसद इस संबंध में एक प्रस्ताव पास कर चुकी है। अभी तक युद्ध विराम रेखा के आधार पर कोई समझौता हो, इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्ता: लेकिन फारुख अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लाइन आफ ऐक्चुअल कंडोल पर समझौता हो जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं प्रधान मंत्री से उनके द्वारा किये गये प्रस्ताव 'पहले हम प्रयोग नहीं करेंगे' जैसे बहुचर्चित प्रश्नन के बारे में जानना चाहती हूं। हम जानते हैं कि हम पहले प्रयोग नहीं करेगे। के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने बहुत आपत्तियों के पश्चात् स्वीकार किया और इसका उत्तर नहीं दिया है। अब हमें यह समझना है कि उन्होंने इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त की है इसका कारण यह है कि पाकिस्तान असुरक्षा की भावना यह महसूस करता हूं। वे सोचते हैं कि दोनों देशों के बीच में परम्परागत युद्ध पद्धति में असंतुलन है। यही कारण है कि उन्होंने यह विस्फोट किया। अब वे यह विकल्प रखना चाहते हैं। यही कारण यह है कि वे सोचते हैं कि यदि परम्परागत युद्ध आरम्भ होता है तो बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए, वे यह परमाणु विकल्प अपने पास रखना चाहते हैं। यही कारण है कि 'हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे' के समझौते पर उन्हें आपत्ति है। मेरे विचार से उन्होंने हमारे साथ 'कोई आक्रमण' नहीं जैसा समझौते का प्रस्ताव किया है। मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहूंगी कि यदि पाकिस्तान आपको सकारात्मक उत्तर देता है तो इससे यह भी पहले प्रयोग नहीं प्रस्ताव का भी समर्थन करेगा जैसाकि हमने पहले किया है और इससे शांतिपूर्ण इरादों के बारे में विश्व के अन्य राष्ट्रों में एक अच्छा संदेश पहुँचेगा कि हम अपनी परमाणु शक्ति के प्रति संयम बरत रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली में भाषण करते हुए नॉन ऐग्रेशन पैक्ट की बात कही थी। लेकिन उन्होंने अधिकृत रूप से हमारे पास कोई सुझाव नहीं भेजा है, कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। यह सोचना गलत है कि पाकिस्तान असुरक्षा की भावना से पीड़ित है और इसीलिए वह 'नो फर्स्ट यूज' के प्रस्ताव को नहीं मान रहा है। हमारा 50 साल का अनुभव क्या है— आक्रमण का शिकार हम हुए हैं। एक तिहाई जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। घुसपैठिये जितनी बड़ी संख्या में वहां भेज जा रहे हैं, वह इस बात का संकेत नहीं है कि पाकिस्तान अपने को असुरक्षित महसूस करता है। पाकिस्तान को अपनी नीति में परिवर्तित करना होगा और 'नो फर्स्ट यूज' को स्वीकार करने में पाकिस्तान को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां: मैं वही प्रश्न पूछना चाहता हूँ जैसाकि श्री मुकुल वासनिक ने पूछा था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आधे घंटे से अधिक समय तक इस प्रश्न की अनुमति दी है। कृपया मुझे सहयोग दीजिए।

विदेशी जेलों में कैद भारतीय

*305. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:**
श्री डी.एस. अहीरे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी संख्या में भारतीय सैनिक तथा नागरिक विदेशी जेलों में लंबे समय से कैद हैं;

(ख) यदि हां, तो विदेशी जेलों में अभी भी देश-वार कितने भारतीय सैनिक तथा नागरिक कैद हैं;

(ग) उन्हें शीघ्र रिहा कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप विदेशी जेलों से कितने भारतीय सैनिक तथा नागरिक रिहा किए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार की सूचना के अनुसार इस समय 54 भारतीय सैनिक तथा 5062 अन्य नागरिक विभिन्न देशों की कैद में हैं। हिरासत में रह रहे इन भारतीय राष्ट्रिकों तथा विदेशी जेलों से अभी तक रिहा हुए कैदियों का देशवार विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

जैसे ही किसी भारतीय राजनयिक मिशन/केन्द्र को किसी भारतीय राष्ट्रिक की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे ही मेजबान सरकार से कोंसली हस्तक्षेप करने का् तुरंत अनुरोध किया जाता है। मिशन/पोस्ट का अधिकारी बन्दी व्यक्ति के पास जाता है और गिरफ्तारी की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास करता है। जहां जरूरी होता है वहां मिशन/केन्द्र शीघ्र एवं निष्पक्ष सुनवाई करने तथा सजा की समीक्षा करने के लिए भी मेजबान सरकार के साथ मामले को उठाता है। कैदियों को प्राय: उनकी सजा पूरी होने पर ही रिहा किया जाता है। तथापि, कुछ जायज मामलों में सजाओं की पुन: सुनवाई करवाने में हमारे मिशन/केन्द्र कामयाब हुए हैं।

अनुबंध

विदेशी जेलों में भारतीय

देश	इस समय विदेशी जेलों में भारतीय		1997-98 के दौरान (आज तक) छोड़े गए भारतीय सैनिक/असैनिक जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों
	सैनिक	असैनिक	
1	2	3	4
अल्जीरिया	शून्य	शून्य	शून्य
अंगोला	शून्य	शून्य	शून्य
अर्जेन्टीना	शून्य	शून्य	शून्य
आस्ट्रेलिया	शून्य	25	शून्य

1	2	3	4
आस्ट्रिया	शून्य	26	शून्य
बहरीन	शून्य	120	शून्य
बंगलादेश	शून्य	500	133 (जुलाई 1997 से जून 1998)
बेलारूस	शून्य	50	205
बेल्जियम	शून्य	1	शून्य
भूटान	शून्य	32	62 (सित. 97 से मार्च 98)
बोत्स्वाना	शून्य	1	शून्य
ब्राजील	शून्य	शून्य	शून्य
ब्रूनी	शून्य	2	16 (पिछले एक साल के दौरान)
बुल्गारिया	शून्य	शून्य	शून्य
कम्बोडिया	शून्य	शून्य	शून्य
कनाडा	सूचना उपलब्ध नहीं है।		
चिली	शून्य	शून्य	शून्य
चीन	शून्य	2	शून्य
कोलम्बिया	शून्य	शून्य	शून्य
क्यूबा	शून्य	शून्य	शून्य
साईप्रस	सूचना उपलब्ध नहीं है।		

1	2	3	4
चेक गणराज्य	शून्य	3	शून्य
डेनमार्क	शून्य	शून्य	शून्य
मिस्र	शून्य	12	1
इथोपिया	शून्य	शून्य	शून्य
फिनलैंड	शून्य	शून्य	शून्य
फ्रांस	शून्य	शून्य	शून्य
जर्मनी	शून्य	7	4
घाना	शून्य	शून्य	शून्य
यूनान	शून्य	68	45
गयाना	शून्य	शून्य	8
हांगकांग	शून्य	16	15 (1998 में)
हंगरी	शून्य	शून्य	शून्य
इंडोनेशिया	शून्य	6	शून्य
ईरान	शून्य	13	18 (पिछले 3 साल में)
इराक	शून्य	शून्य	1
आयरलैंड	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4
इजराइल	शून्य	शून्य	शून्य
इटली	शून्य	14	शून्य
आइवरी कोस्ट	शून्य	शून्य	शून्य
जमैका	शून्य	3	शून्य
जापान	शून्य	4	7 (पिछले 6 साल के दौरान)
जार्डेन	शून्य	4	24 (पिछले 5 साल के दौरान)
कजाकस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
कोनिया	सूचना उपलब्ध नहीं है।		
डी.पी.आर. कोरिया	शून्य	शून्य	शून्य
कोरिया गणराज्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुवैत	शून्य	68	शून्य
किर्गीजिस्तान	शून्य	शून्य	5
लाओस	सूचना उपलब्ध नहीं है।		
लेबनान	शून्य	16	52 (1996 से आज तक)
लीबिया	सूचना उपलब्ध नहीं है।		

1	2	3	4
मेडागास्कर	शून्य	शून्य	शून्य
मलेशिया	शून्य	422	577
मालदीव	शून्य	1	1
माल्टा	शून्य	शून्य	शून्य
मारीशस	शून्य	50	शून्य
मेक्सिको	शून्य	शून्य	शून्य
मंगोलिया	शून्य	शून्य	शून्य
मोरक्को	शून्य	शून्य	1
मोजाम्बीक	शून्य	शून्य	शून्य
म्यांमा	शून्य	56	16
नेपाल	सूचना उपलब्ध नहीं		
नीदरलैंड	शून्य	शून्य	शून्य
नामीबिया	शून्य	शून्य	शून्य
न्यूजीलैंड	शून्य	शून्य	शून्य
नाइजीरिया	शून्य	2	शून्य
नार्वे	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4
ओमान सल्तनत	शून्य	226	2
बुर्किना फासो	शून्य	शून्य	शून्य
पाकिस्तान	54	1314	740 (1991 तक)
पनामा	शून्य	शून्य	10
पेरू और बोलीबिया	शून्य	शून्य	शून्य
फिलिपीन्स	शून्य	3	शून्य
पोलैंड	शून्य	शून्य	शून्य
पुर्तगाल	शून्य	शून्य	शून्य
[illegible]	शून्य	58	700 (1998 में)
रोमानिया	शून्य	8	156 (पिछले 5 साल से)
रूसी परिसंघ	शून्य	6	4
सऊदी अरब	शून्य	83	1773
सेनेगल	शून्य	शून्य	शून्य
सेशेल्स	शून्य	शून्य	शून्य
सिंगापुर	शून्य	555	2980

1	2	3	4
दक्षिण अफ्रीका	शून्य	10	10 (पिछले 3 साल से)
स्पेन	शून्य	5	शून्य
श्रीलंका	शून्य	32	3
सूडान	शून्य	शून्य	शून्य
सूरीनाम	शून्य	शून्य	शून्य
स्वीडन	शून्य	शून्य	शून्य
स्विटजरलैंड	शून्य	2	शून्य
सीरियाई अरब गणराज्य	शून्य	1	शून्य
तंजानिया	शून्य	शून्य	शून्य
ताजिकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
थाईलैंड	शून्य	26	142 (जून 1997 से मई 1998)
ट्रिनीडाड और टुबैगो	शून्य	शून्य	शून्य
ट्यूनिशया	शून्य	शून्य	शून्य
तुर्की	शून्य	2	शून्य
तुर्कमेनिस्तान	सूचना उपलब्ध नहीं है।		
उगांडा, रवांडा, बरूंडी	सूचना उपलब्ध नहीं है।		

1	2	3	4
उक्रेन	शून्य	2	शून्य
संयुक्त अरब अमीरात	शून्य	850	510 (पिछले साल के दौरान)
यू.के.	शून्य	300	1617
संयुक्त राज्य अमरीका	शून्य	49	133
उजबेकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य
वेनेजुएला	शून्य	शून्य	शून्य
वियतनाम	शून्य	1	शून्य
यमन अरब गणराज्य	शून्य	शून्य	10 (पिछले 5 साल से)
युगोस्लाविया	शून्य	शून्य	शून्य
जाम्बिया	शून्य	शून्य	शून्य
जिम्बाब्वे	शून्य	2	शून्य
क्रोएशिया	शून्य	शून्य	शून्य
फिलीस्तीन	शून्य	शून्य	शून्य
पपुआ न्यू गिनी	शून्य	1	1
स्लोवाक गणराज्य	शून्य	3	शून्य
योग		5062	

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधान मंत्री से यह पूछा था कि हमारे देश के भारतीय नागरिक या भारतीय सैनिक अभी तक विदेशों में किस-किस देश में कैद हैं? अभी तक उनको छोड़ने के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय किये हैं। उत्तर में दिया गया है कि पाकिस्तान में 54 भारतीय सैनिक कैद थे, लेकिन छोड़े गये सैनिकों के कालम में 740 लिखा है। इसी प्रकार 5062 भारतीय नागरिक विभिन्न देशों में कैद बताये गये हैं, परंतु उनके छोड़े जाने के कालम में 9600 का आंकड़ा लिखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान में 54 भारतीय नागरिक कैद थे तो छोड़े गये नागरिकों के कालम में 740 संख्या कैसे बताई गई है? क्या यह सही है या गलत? अन्य देशों में जो 5062 भारतीय नागरिक कैद थे उसमें छोड़े गये नागरिकों के कालम में 9600 नागरिकों का आंकड़ा कैसे दिखाया गया है। इसका विवरण मुझे अभी तक मिला नहीं है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो भारतीय सैनिक और भारतीय नागरिक कैद हैं उनको छुड़ाने के बारे में अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे: महोदय, माननीय सदस्य ने पाकिस्तान के जेलों में कैद लोगों के बारे में पूछा है पहले कालम में सैनिकों की संख्या 54 है।

कुमारी ममता बनर्जी: एक हजार सैनिक हैं *...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसका उत्तर हिन्दी में दें क्योंकि उन्होंने प्रश्न हिन्दी में पूछा है।

[हिन्दी]

श्रीमती वसुन्धरा राजे: दूसरे कालम में जो सिविलियन्स की बात लिखी है वे 1314 है और 740 की जो आप बात कर रहे हैं वे 740 सिविलियंस की बात कर रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। इन सिविलियंस में से 740 रिलीज कर दिये गये हैं, यह एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपने अपने प्रश्न में 54 सैनिकों को छुड़ाने की बात कही है, हम जानते हैं कि यह बहुत ही ट्रैजिक और अनुफॉर्चुनेट बात है और ह्यूमैन प्लाइंट ऑफ व्यू से बड़ी दुखद सिचुएशन है। हम इसे जोरदार ढंग से परस्यू कर रहे हैं। यह दुखद बात है कि पाकिस्तान सरकार ने हमें पूरी तरह से कोआपरेट नहीं किया है। हम इस चीज को बार-बार रेज करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी जो बाइलेटरल मीटिंग्स होती हैं उनमें भी हम इसे रेज करते रहेंगे। हमें विश्वास है कि कभी न कभी हमें इसका उत्तर जरूर मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार की ओर से इस मामले में कोई कसर छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत: अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि 54 भारतीय सैनिक किस साल कैद किये गये थे और उनको रिहा कराने में अभी कितना समय और लगेगा। साथ ही इन 54 सैनिकों में से कितने मारे गये हैं, क्या इसकी जानकारी प्रधान मंत्री जी या भारत सरकार के पास है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे: जो 54 मिसिंग डिफेंस पर्सोनेल है, यह माना जाता है कि 1971 में जो इंडो-पाक कंफ्लिक्ट हुआ था, वे उस समय से कैद हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी अपने जवाब में बताया कि पाकिस्तान सरकार से बार-बार जवाब मांगने के बाद भी हमें उनको कोई उपर्युक्त रिप्लाई नहीं मिल रहा है। *...(व्यवधान)* हम महसूस करते हैं कि यह लगभग 1971 है। लेकिन हम अपनी सरकार की तरफ से उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत: अध्यक्ष महोदय, मेरा सैकिंड सप्लीमेंट था *...(व्यवधान)* मेरे प्रश्न का अभी जवाब नहीं आया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. पी.जे. कुरियन।

...(व्यवधान)

श्री माणिकराव होडल्या गावीत: महोदय, मुझे दूसरा पूरक प्रश्न पूछना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही प्रो. पी.जे. कुरियन का नाम बुला चुका हूँ। समय बर्बाद मत करो। केवल एक मिनट शेष है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, काफी संख्या में भारतीय खाड़ी देशों की जेलों में कैद हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

वे अधिकांश श्रमिक हैं। वे इसलिए गिरफ्तार किये गये हैं क्योंकि उनको उस देश के कानून के बारे में जानकारी नहीं है। यह समस्या वास्तविक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि 54 में से कितने जीवित हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: खाड़ी देशों की जेलों में कितने श्रमिक बंद हैं? क्या आप उन लोगों को कोई कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने पर विचार कर रहे हैं। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया कि जो मंत्री महोदया ने 54 सैनिकों की संख्या बताई है उनमें से कितने मर गए हैं?

श्रीमती वसुंधरा राजे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका मैंने यह जवाब दिया है कि पाकिस्तान से बार-बार बात करने के बावजूद वहां से सैटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है। हमने बहुत कोशिश की है। हमें पाकिस्तान से ह्यूमैनेटेरियन ग्राउंड पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: वहाँ कितने सैनिक हैं?

श्रीमती वसुन्धरा राजे: हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस बारे में हमें नहीं बताया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बेरोजगारी की स्थिति का मूल्यांकन

***306. श्री मोहन रावले:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आठवीं योजनावधि के अंत में देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए;

(घ) नौवीं योजनावधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) नौवीं योजनावधि के दौरान नौकरी चाहने वाले अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या नीति बनाई गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सामान्य प्रमुख स्थिति (यू पी एस) के अनुसार, देश में बेरोजगारी का अनुमान 1 जनवरी, 1994 को 9.0 मिलियन लगाया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में 8 से 9 मिलियन की वार्षिक वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। वर्ष 1987-88 से 1993-94 के दौरान रोजगार में वृद्धि सामान्य प्रमुख स्थिति के आधार पर 43.91 मिलियन हुई थी। इससे प्रतिवर्ष 7.3 मिलियन रोजगार अवसरों की औसत वृद्धि का पता चलता है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) नौवीं योजना के दृष्टिकोण में उत्पादक रोजगार को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार किया गया है, जो बेरोजगारी और

अल्प रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में श्रम सघन क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास की प्रक्रिया में स्वयं ही सृजित होंगे।

विलम्ब से चल रही परियोजनाएं

*307. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की साठ प्रतिशत वृहत परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनकी लागत में 35 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हो गई है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में बढ़ी हुई लागत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली 45 मेगा परियोजनाओं में से 25 परियोजनाएं जो कि परियोजनाओं की कुल संख्या का 55.5 प्रतिशत है, समय सीमा से पीछे चल रही हैं।

(ख) और (घ) संलग्न विवरण के क्रमश: कॉलम 1 और 2 में ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) विलंब से चल रही 25 परियोजनाओं में उनके लिए स्वीकृत अद्यतन लागत के संदर्भ में कुल लागत वृद्धि 21.9 प्रतिशत तक है।

(ङ) इस विभाग द्वारा सप्लायरों, विक्रेताओं द्वारा विलंब रोकने हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध विभाग के सचिवों का सहयोग लेते हुए मासिक तथा तिमाही प्रबोधन करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि प्रबोधन का कार्य संबद्ध विभागीय सचिवों द्वारा भी उन परियोजनाओं के संदर्भ में किया जाता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा करवाए जाते हैं। इस मामले में लगातार प्रयास किया जा रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा संबद्ध विभागीय सचिवों के सहयोग से तथा प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुख्य सेक्टरों के बारे में अवधि विशेष पर समीक्षाएं करवाई गई हैं। जो मामले राज्य सरकारों से संबंद्ध हैं उनके संबंध में जब भी आवश्यकता होती है, परियोजना अधिकारियों को समन्वय और सहयोग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। सुझाए गए सुधारात्मक उपायों से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब को रोका जा सकता है।

विवरण

विलंबित मेगा परियोजनाओं का विवरण (16.98 तक)

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य/अधिकरण	लागत करोड़ रु. में		अद्यतन लागत के संदर्भ में लागत वृद्धि का %	शुरू करने की तारीख		लागत वृद्धि के कारण	परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित/उठाए गए कदम
		अद्यतन अनुमोदित	प्रत्याशित		अद्यतन अनुमोदित (वर्ष/महीना)	प्रत्याशित (वर्ष/महीना)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना, एनपीसी, राज.	2107.00	2107.00	0.0	1997/05	2000/06	लागत वृद्धि नहीं हुई	विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को शेष सामग्री भेजने हेतु जोर दिया जा रहा है।
2.	कैगा परमाणु शक्ति एनपीसी, कर्नाटक	2275.00	2275.00	0.0	1998/11	1999/10	लागत वृद्धि नहीं हुई	विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को शेष सामग्री भेजने हेतु जोर दिया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	दुधीचुआ ओसी चरण-1 एन.सी.एल. म.प्र./उ.प्र.	868.93	1149.04	32.2	1998/03	2001/03	वन भूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण सामान्य वृद्धि	विश्व बैंक से ऋण लेने में शीघ्रता म.प्र./उ.प्र. की सरकारों पर शेष वन भूमि का विमोचन करने हेतु जोर डाला जा रहा है।
4.	खान-1 का विस्तार एन.एल.सी. त.ना.	1336.93	1406.84	5.2	1996/10	2000/04	सामान्य लागत वृद्धि उपकरणों की लागत में वृद्धि इत्यादि	कोयला, वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग को स्थानीय संसाधन कठिनाईयों के समाधान हेतु कहा गया है।
5.	ताप विद्युत स्टेशन-1 विस्तार एन.एन.सी. त.ना.	1590.58	1618.68	1.8	2001/03	2002/03	सामान्य वृद्धि	लिग्नाईट कार्पोरेशन को मुख्य एवं अन्य पैकेजों के लिए ठेके प्रदान करने के कार्य जल्दी करने को कहा गया है। रेल मंत्रालय को मार्ग के निर्धारण हेतु कहा गया है।
6.	इस्पात संयंत्र का आधु-निकीकरण दुर्गापर सेल, प.बं.	2667.60	4867.03	82.4	1993/04	1998/03	सामान्य लागत वृद्धि विनिमय दर में परिवर्तन सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में परिवर्तन अधिकल्प में आशोधन	परियोजना पूरी हो चुकी है।
7.	इस्पात संयंत्र का आधु-निकीकरण, राउरकेला	3954.00	5112.13	29.3	1995/12	1998/10	सामान्य लागत वृद्धि विनिमय दर में परि-वर्तन सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क में परि-वर्तन अधिकल्प में आशोधन	हॉट स्ट्रिप मैटल शॉप की शेष सामग्री की आपूर्ति में शीघ्रता।
8.	बोकारो इस्पात-1 का आधु-निकीकरण, धनबाद, बिहार, सेल	1792.90	2235.45	24.7	1997/07	1999/03	सामान्य लागत वृद्धि विनिमय दर में परि-वर्तन, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में परि-वर्तन, अधिकल्प में आशोधन।	शेष उपकरणों का आयात तथा देशीय आपूर्ति में शीघ्रता।
9.	गंधार पैट्रो रसायन भरूच, गुजरात	3484.37	3505.00	0.6	1996/10	1998/12	सामान्य वृद्धि	आईपीसीएल से सी-2/सी-3 प्रोसेसिंग संयंत्र की कठिनाईयों को दूर करने के लिए कहा गया है।
10.	य.पी. पैट्रोरसायन औरिया, उ.प्र., गैल	2941.48	2590.23	-11.9	1996/12	1998/06	लागत में बचत	आपूर्ति में हो रहे विलंबों को दूर किया जा रहा है।
11.	एच.बी.जे. पाईप लाईन का उन्नयन	2376.00	2376.00	0.0	1997/07	1998/03	कोई लागत वृद्धि नहीं	परियोजना काफी हद तक पूरी की जा चुकी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	विशाख रिफाइनरी विस्तार एच.पी.सी.एल. आं.प्र.	999.26	1138.02	13.9	1998/12	1999/09	अपर्याप्त लागत अनुमान एवं सामान्य वृद्धि।	उपस्करों के आपूर्तिकर्ताओं पर जोर डाला जा रहा है तथा शेष मदों का ठेका दिया जा रहा है।
13.	कांडला भटिंडा, पाईप लाइन आई.ओ.सी., गुजरात-राजस्थान	917.55	2391.84	160.7	1995/06	1998/06	सामान्य वृद्धि एवं विनिर्देशों में परिवर्तन इत्यादि।	परियोजना पूरी होने वाली है।
14.	पानीपत रिफाइनरी परियोजना आई.ओ.सी., हरि.	3868.00	3694.20	4.5	1997/08	1998/10	लागत वृद्धि नहीं।	व्यतिक्रमी विक्रेताओं एवं ठेकेदारों का पता लगाया जा रहा है।
15.	मथुरा रिफाइनरी सैके. संसाधन आई.ओ.सी., उ.प्र.	1041.00	1041.00	0.0	1999/12	2000/02	लागत वृद्धि नहीं।	शुरू में विलंबित ठेकों के कार्य में तेजी लाई जा रही है।
16.	नुमालीगढ़ में तेल रिफाइनरी एन.आर.एल., असम	1830.00	2497.40	36.5	1997/10	1998/12	कार्य देने में विलंब, विनिर्देशों में परिवर्तन तथा सामान्य वृद्धि।	कार्य प्रदान करने एवं आपूर्ति में तेजी।
17.	द्वितीय बेसिन हजीरा पाईप लाइन ओ.एन.जी.सी., गुजरात	2864.72	2864.72	0.0	1996/07	1998/03	लागत वृद्धि नहीं।	परियोजना काफी हद तक पूरी कर कर ली गई है।
18.	गंधार विकास फेज-2 ओ.एन.जी.सी., गुजरात	1245.62	1441.82	15.8	1996/05	1998/06	सामान्य वृद्धि, उत्पाद एवं सीमा शुल्क में वृद्धि।	परियोजना पूरी होने वाली है।
19.	मेजिया टी.पी.पी., डी वी सी, बांकुरा, पश्चिम बंगाल	1989.14	1989.14	0.0	1998/03	1998/09	आगे कोई लागत वृद्धि नहीं।	ईकाई-3 के शोध कार्य में तेजी लाई जा रही है।
20.	कथलगुड़ी, जी.बी.सी.सी. पी पी, नीपको, असम	1347.57	1347.57	0.0	1998/03	1998/07	वास्तविक व्यय अनुमोदित लागत से कुछ आगे बढ़ गया है।	एसटी-3 के शेष कार्य में तेजी लाई जा रही है।
21.	रंगगाढी एच ई पी नीपको, अरुणाचल प्रदेश	675.74	1024.10	51.6	1997/07	2000/09	भूमि अधिग्रहण एवं वर्षा तथा बाढ़ से नुकसान के कारण विलंबित।	चिन्ताजनक कार्यों (जैसे एचआरटी बांध इत्यादि का गहन प्रबोधन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	धौलीगंगा, ज.वि.प.-1 एन एच पी पी, उ.प्र.	601.98	1881.49	212.6	1998/10	2004/09	धन की कमी एवं भूमि से बेदखल लोगों द्वारा उपद्रवों के कारण शुरू करने में देरी।	निधियां उपलब्ध हैं तथा कार्य प्रगति पर है।
23.	टेहरी बांध एच पी पी एच डी सी एल, उ.प्र.	2963.66	2963.66	0.0	1999/03	2000/09	लागत में वृद्धि की कोई सूचना नहीं	पुनर्वास पर आई एम सी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।
24.	नाथपा झाकरी, एच ई पी एन जे पी सी, हि.प्र.	4337.95	7217.05	66.4	1998/12	2002/03	भूमि की अनुपलब्धता, चट्टानों के गिरने, भूखंडीय कठिनाईयां एवं बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण कार्य शुरू करने में देरी	प्रगति की दर का कड़ा प्रबोधन किया जा रहा है।
25.	नाथपा झाकरी पारेषण प्रणाली (टीआर सिस्टम) पी.जी.सी.आई.एल.एच.पी.	889.95	1347.43	51.4	1996/04	1999/10	एच ई पी के साथ चलाने हेतु विलंब हुआ	उत्पादन परियोजनाओं के साथ चलाने हेतु पारेषण कार्य में विलंब हो रहा है।

संक्षिप्त शब्द (लीजीण्ड)

आर.ई.एफ.	-	परिष्करणशाला कुल	टी.पी.पी.	-	तापीय विद्युत परियोजना
एच.ई.पी.	-	जल विद्युत परियोजना	माडर्न	-	आधुनिकीकरण
			आई.एम.सी.	-	अंतर मंत्रालयीय समन्वय

[हिन्दी]

पनचक्कियां

***308. प्रो. रीता वर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संवर्धनात्मक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित की गई पनचक्कियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या ये पनचक्कियां काम कर रही हैं और अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन कर रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ऐसी कितनी पनचक्कियां बंद कर दी गई हैं और इन्हें बंद करने के क्या कारण हैं; और

(च) निजी क्षेत्र में पनचक्कियां स्थापित करने के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के पास पन-चक्कियों के विकास/उन्नयन के लिए दो कार्यक्रम हैं:

(i) यू एन डी पी/जी ई एफ पहाड़ी क्षेत्र पन-बिजली परियोजना के अंतर्गत प्रदर्शन कार्यक्रम।

(ii) संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन योजना, 1997।

अब तक 17 प्रदर्शन पन-चक्कियां उत्तर प्रदेश (13); हिमाचल प्रदेश (2) और जम्मू एवं कश्मीर (2) में स्थापित/उन्नयन की गई हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय द्वारा लगभग 4 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई।

वर्तमान में 16 पन-चक्कियां चल रही हैं। केवल दो पन चक्कियां विद्युत का उत्पादन करने वाली पनचक्कियां हैं जो प्रत्येक 5 किवा. क्षमता से विद्युत का उत्पादन कर रही हैं।

(घ) और (ङ) घर्षण पत्थर के टूट जाने के कारण केवल एक पन-चक्की अस्थायी तौर पर कार्य नहीं कर रही है।

(च) सभी 17 पन-चक्कियां निजी क्षेत्र में हैं।

पनधारा क्षेत्र विकास परियोजना

*309. **श्री विठ्ठल तुपे:**
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्षा सिंचित क्षेत्र योजना के लिए राष्ट्रीय पनधारा क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत विशेषरूप से महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के विभिन्न जिलों में प्राप्त की गई उपलब्धियों का पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अब तक कितनी कृषि योग्य भूमि को वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पनधारा क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत लाया गया है; और

(ग) इस संबंध में भावी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना 25 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई थी। इस परियोजना के अधीन, पांच वर्ष की अवधि के लिए पनधारा को चरणबद्ध ढंग से संतृप्त (पूर्णतया परिशोधित किया जाता है) किया जाता है। आठवीं योजना के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना की राज्यवार वास्तविक उपलब्धियां और महाराष्ट्र और गुजरात के मामले में जिलावार उपलब्धियां तथा नौवीं योजना के प्रथम वर्ष (1997-98) के दौरान परिशोधित क्षेत्र का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I, II, III में दिया गया है।

(ग) वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में जारी रखा जा रहा है। नौवीं योजना के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना का परिव्यय 1100 करोड़ रु. है। वर्ष 1997-98 में परियोजना का बचत आवंटन 155 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 1998-99 में बढ़ाकर 270 करोड़ रुपये कर दिया गया है। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई 25 वर्षीय संदर्शी योजना के अनुसार नौवीं योजनावधि के दौरान पनधारा विकास, जिसमें वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना शामिल हैं, के जरिये वर्षा सिंचित क्षेत्रों के कवरेज के लिए 5000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

विवरण I

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अधीन आठवीं योजना और नौवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान राज्यवार संचयी वास्तविक उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्र है. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आठवीं योजना के दौरान वास्तविक उपलब्धि	नौवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	176939	29001
2.	अरूणाचल प्रदेश	1970	120

1	2	3	4
3.	असम	70221	17587
4.	बिहार	23189	7976
5.	गोवा	2100	49*
6.	गुजरात	292579	17901
7.	हरियाणा	20272	158
8.	हिमाचल प्रदेश	34309	11900
9.	जम्मू एवं कश्मीर	14044	462*
10.	कर्नाटक	485109	60000
11.	केरल	88276	11000
12.	मध्य प्रदेश	660202	10470*
13.	महाराष्ट्र	847522	9240
14.	मणिपुर	8682	150*
15.	मेघालय	2877	1000
16.	मिजोरम	18198	2820
17.	नागालैण्ड	14510	821
18.	उड़ीसा	295000	28000

1	2	3	4
19.	पंजाब	18035	706*
20.	राजस्थान	547931	2850
21.	सिक्किम	7626	2000
22.	तमिलनाडु	172657	25145
23.	त्रिपुरा	7694	2286*
24.	उत्तर प्रदेश	303683	20311
25.	पश्चिम बंगाल	131000*	13176
26.	दादरा व नागर हवेली	84	28*
27.	अण्डमान व निकोबार	1785	513
	योग	4278858	289181

*अनुमानित आंकड़ें

विवरण II

आठवीं योजना और नौवीं योजना के वर्ष 1997-98 के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अधीन महाराष्ट्र राज्य में जिलावार वास्तविक उपलब्धि

(क्षेत्र है. में)

क्र.सं.	जिले का नाम	आठवीं योजना के दौरान वास्तविक उपलब्धि	नौवीं योजना के वर्ष 1997-98 के दौरान वास्तविक उपलब्धि
1	2	3	4
1.	थाणे	19842	184
2.	रायगढ़	37577	412
3.	रत्नागिरी	22433	222

1	2	3	4
4.	सिन्धुदुर्ग	20507	153
5.	नासिक	54575	668
6.	धुले	28465	211
7.	जलगांव	28711	229
8.	अहमदनगर	26645	288
9.	पुणे	40222	425
10.	सोलापुर	35641	414
11.	सतारा	45638	335
12.	सांगली	35777	332
13.	कोल्हापुर	39887	224
14.	औरंगाबाद	18046	280
15.	जालना	11642	223
16.	बीड़	20061	488
17.	लातूर	18049	241
18.	उस्मानाबाद	22084	198
19.	नान्देड़	19375	567
20.	प्रभानी	27700	459

1	2	3	4
21.	बुलधाना	34268	570
22.	अकोला	30955	304
23.	अमरावती	38107	368
24.	यावतमल	34079	696
25.	वर्धा	34510	90
26.	नागपुर	42874	209
27.	भांद्रा	17992	48
28.	चन्द्रपुर	19558	156
29.	गडचिरोली	22302	246
	जोड़	847522	9240

विवरण III

आठवीं योजना और नौवीं योजना के वर्ष 1997-98 के दौरान वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अधीन गुजरात राज्य में जिलावार वास्तविक उपलब्धि

(क्षेत्र है. में)

क्र.सं.	जिले का नाम	आठवीं योजना के दौरान वास्तविक उपलब्धि	नौवीं योजना के वर्ष 1997-98 के दौरान वास्तविक उपलब्धि
1	2	3	4
1	बनासकांठा	31427.940	1620.210
2.	मेहसाना	19306.780	1343.330

1	2	3	4
3.	साबरकांठा	10665.890	430.000
4.	अहमदाबाद	20564.760	1100.000
5.	खेड़	30264.210	1396.000
6.	पंचमहल	7500.000	435.000
7.	बड़ोदरा	10886.720	1486.000
8.	भरूच	10387.000	161.000
9.	सूरत	7798.000	936.000
10.	वालसाड़	4625.000	1009.000
11.	कूच	10989.200	0.000
12.	सुर. नगर	24597.790	2375.960
13.	राजकोट	15806.770	950.000
14.	जामनगर	14181.960	2963.000
15.	जूनागढ़	39261.730	193.500
16.	भावनगर	18249.380	932.000
17.	अमरेली	15166.000	570.000
18.	गांधीनगर	742.610	0.000
19.	डांग	157.000	0.000
	जोड़	292578.740	17901.000

[अनुवाद]

विदेश नीति में परिवर्तन

*310. **श्री अनूप लाल यादव:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद से सरकार की विदेश नीति में कोई परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परमाणु परीक्षणों के पश्चात् पड़ौसी देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कौन से नए उपाय किए गए हैं/जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाल के सप्ताहों में दिए गए अपने वक्तव्यों में हमने इस बात पर बल दिया है कि भारत अपने सभी पड़ौसी देशों के साथ मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। परीक्षणों के बाद हमने विश्वास पैदा करने और शान्ति तथा स्थायित्व के लिए उल्लेखनीय प्रस्ताव रखे हैं जिनमें पाकिस्तान तथा अन्य देशों के साथ भी 'प्रथम उपयोग न करने से सम्बद्ध करार' पर अपनी इच्छुकता को दोहराया है। अभी हाल में हमने पाकिस्तान के विदेश सचिव के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल को नई दिल्ली आने का आमंत्रण दिया है ताकि विगत सितम्बर में नई दिल्ली में स्थगित विदेश सचिव स्तरीय वार्ता को पुन: आरंभ किया जा सके। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को भी एक पत्र भेजा गया है। हमने यह भी कहा है कि चीन के साथ भारत ऐसे संबंध चाहता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की हित-चिन्ताओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखें। बंगलादेश की प्रधान मंत्री ने परीक्षणों के बाद भारत की यात्रा की और आपसी हित के सभी मामलों पर बातचीत हुई। संबंधों में सुधार और परस्पर लाभप्रद रूप में अन्योन्य क्रियाओं के क्षेत्र विस्तार के लिए सरकार अपने पड़ोसियों के साथ निरन्तर ठोस बातचीत करती रहेगी।

[हिन्दी]

कृषि संबंधी राष्ट्रीय नीति

*311. **श्री रामपाल सिंह:**
श्री आदित्यनाथ:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने और किसानों की समस्याओं को हल करने की दृष्टि से तत्काल कोई कृषि संबंधी नई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की सम्भावना है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) एक व्यापक राष्ट्रीय कृषि नीति का मसौदा तैयारी के अंतिम चरणों में है तथा राज्यों के साथ परामर्श से इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है।

इस नीति का लक्ष्य भूमि और जल संसाधनों के सतत प्रबन्ध के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन आधार का प्रबन्धन और संरक्षण करना है। यह कृषि के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों में पर्यावरणीय तौर पर नष्ट न होने वाले, तकनीकी दृष्टि से उत्तम, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, तथा सामाजिक तौर पर स्वीकार्य सुधार लाने का प्रयास करेगी। इस नीति में छोटे और सीमांत किसानों की क्षमता का लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि सुधार जैसे उपायों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

इस प्रयोजन के लिए यह नीति निम्नलिखित को हासिल करने की कोशिश करेगी:

(1) भूमि और जल संसाधनों के सतत प्रबन्धन तथा जैव विविधता के रक्षण और संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधन आधार का अनुरक्षण।

(2) खाद्य में आत्मनिर्भरता बनाए रखना।

(3) अधिक रोजगार सृजन, अधिक घरेलू आय तथा कृषि प्रणालियों के विविधीकरण के जरिये गरीबी कम करना।

(4) वर्षा सिंचित खेती पर अधिक जोर देकर तथा जिन क्षेत्रों की क्षमता का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है उनके विकास के जरिये क्षेत्रीय असंतुलन कम करना।

(5) आदानों का कुशल उपयोग।

(6) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश के जरिये ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार।

(7) विपणन संस्थानों तथा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाकर और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल आर्थिक वातावरण सृजित करके कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना।

(8) कृषि प्रसंस्करण और कटाई उपरान्त की बेहतर सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादों का मूल्य समर्थन।

(9) ग्रामीण ऋण संस्थानों को सुदृढ़ बनाना ताकि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु ऋण की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके।

(10) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करना।

(11) कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना ताकि इसे मांग पर आधारित और किसानों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।

(12) अधिक कृषि निर्यात तथा भारतीय जिंस बाजार को विश्व मंडियों के साथ जोड़ना।

(13) किसानों तथा कृषि प्रसंस्करणकर्त्ताओं में गुणवत्ता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

(14) कृषि क्षेत्र को उद्योग के बराबर लाभ सुनिश्चित करना।

(15) प्रयोक्ता समुदायों की अधिक सहभागिता।

(16) महिलाओं तथा ग्रामीण समुदायों के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना।

(17) भूमि सुधार जिसके फलस्वरूप, इक्विटी से जुड़े विचारणीय पहलुओं को प्रभावित किए बिना उत्पादकता बढ़ सके।

इस नीति में किसानों पर कार्य करने वाले मुख्य व्यक्तियों तथा कृषि विकास के लाभानुभोगियों दोनों के रूप में मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

इस नीति से केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कृषि प्रबन्ध में नए दृष्टिकोण को अपनाने तथा विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जायेगा।

[अनुवाद]

परमाणु परीक्षणों के संबंध में भारत का दृष्टिकोण

***312. श्री चेतन चौहान:**
श्री नरेश पुगलीया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने गई, 1998 में पोखरण, राजस्थान में किए गए परमाणु परीक्षणों के संबंध में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए अन्य देशों की राजधानियों में अनेक दूत भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो इन दूतों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने किन-किन देशों की राजधानियों की यात्रा की और जिन विशिष्ट व्यक्तियों से उनकी मुलाकात हुई, उनका ब्यौरा क्या है और इससे उनकी क्या धारणाएं बनी; और

(ग) उनकी यात्राओं के अन्ततः क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) परमाणु परीक्षण करने के भारत के निर्णय करने की तार्किकता को स्पष्ट करने तथा कुछ देशों द्वारा जतायी गई चिन्ताओं का समाधान करने के वर्तमान प्रयास के एक भाग के रूप में सरकार विभिन्न देशों के प्रमुख संभाषियों को एक ठोस वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल कर रही है। नशीली दवाओं पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र के संबंध में न्यूयार्क की अपनी यात्रा के समय योजना आयोग के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह ने अनिवासी भारतीयों, मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों तथा परिषद सदस्यों के साथ बातचीत करके अवसर का उपयोग किया। वे कार्यकारी अमरीकी विदेश मंत्री श्री स्ट्रोब टेलबोट तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान से भी मिले। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने हनोई, मनीला तथा सिंगापुर की यात्रा की। श्रीमती वसुंधरा राजे ने मनीला में राष्ट्रपति इस्ट्राडा तथा विदेश मंत्री सिआजोन के साथ, सिंगापुर में राजदूत टॉमी कोह तथा विदेश मंत्री जयकुमार के साथ

बैठक की, तथा उप प्रधान मंत्री (विदेश मंत्री) गुयेन मन कैम के साथ हनोई में एक महत्वपूर्ण बैठक की। प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मिश्र ने पेरिस, लन्दन तथा मास्को की यात्रा की। श्री मिश्र ने लन्दन में प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर, पेरिस में राष्ट्रपति जैक शिराक तथा मास्को में प्रधान मंत्री किरियेन्को से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री नरेश्वर दयाल ने आबू धाबी, ओमान, कतर, कुवैत तथा बहरीन की यात्रा की। जिन राजधानियों की उन्होंने यात्री की वहाँ उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी स्तरों पर बैठकें कीं।

(ग) प्रधान मंत्री के विशेष दूत का सभी राजधानियों में उच्च स्तरों पर स्वागत किया गया। हालांकि सुरक्षा के संबंध में भारत की स्थिति को स्वीकार किया गया, चिन्ताएं भी व्यक्त की गई, विशेषकर पश्चिमी देशों के द्वारा जिन्होंने इन परीक्षणों को एक सार्वभौमिक अप्रसार व्यवस्था स्थापित करने के प्रयासों पर एक आघात के रूप में देखा। प्रधान मंत्री के विशेष दूत की यात्राओं से परमाणु परीक्षण करने के पीछे भारत की तर्कसंगतता के प्रति बेहतर समझबूझ सुनिश्चित हुई तथा इन परीक्षणों के आलोक में सरकार द्वारा घोषित विभिन्न पहल को स्पष्ट करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है।

मछुआरों का कल्याण

*313. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मछुआरों के हितार्थ कुछ कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान मछुआरों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुल कितना परिव्यय नियत किया गया था;

(घ) इन योजनाओं के लिए योजना-वार और राज्यवार विशेषकर गुजरात के लिए कितनी राशि आबंटित की गई थी; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान मछुआरों के आदर्श गांवों हेतु राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) भारत सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के निम्नलिखित तीन घटक हैं:-

1. सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा,

2. आदर्श मछुआरा गांवों का विकास, और

3. समुद्री मछुआरों के लिए बचत-व-राहत।

(ग) 1997-98 के संशोधित प्राक्कलन में राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के लिए 1529 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया था।

(घ) इस योजना के लिए राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं तथा किसी भी राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश को जारी की जाने वाली राशि का निर्धारण, राज्य बजट में निधियों की उपलब्धता और पिछले वर्षों में जारी की गई धनराशि में से राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के पास उपलब्ध बची हुई धनराशि के आधार पर किया जाता है।

(ङ) 1997-98 के दौरान, संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों को 5,42,87,999 रुपये की राशि जारी की गई थी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत मकानों, ट्यूबवैलों, तथा सामुदायिक भवनों की संख्या	केन्द्रीय शेयर के रूप में जारी की गई राशि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1460 घर	1,02,20,000	–
2.	गुजरात	106 घर, 3 ट्यूबवैल व 1 सामुदायिक भवन	19,55,000	–

1	2	3	4	5
3.	महाराष्ट्र	–	23,42,500	वर्ष 1995-96 के लिए वचनबद्ध देयता के प्रति।
4.	उत्तर प्रदेश	699 घर एवं 35 ट्यूबवैल	72,52,500	–
5.	कर्नाटक	650 घर	1,47,39,000	वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए वचनबद्धता देयता के प्रति 62,39,000 रुपए सहित।
6.	पश्चिम बंगाल	586 घर, 28 ट्यूबवैल एवं 6 सामुदायिक भवन	36,00,000	–
7.	त्रिपुरा	60 घर एवं 3 ट्यूबवैल	10,72,500	–
8.	पांडिचेरी	–	26,85,194	वर्ष 1996-97 के लिए वचनबद्ध देयता के प्रति।
9.	जम्मू एवं कश्मीर	200 घर	15,00,000	–
10.	तमिलनाडु	300 घर, 15 ट्यूबवैल, एवं 4 सामुदायिक भवन	40,00,000	–
11.	बिहार	200 घर एवं 10 ट्यूबवैल	5,00,000	–
12.	केरल	300 घर	44,21,305	–
	कुल	4561 घर, 94 ट्यूबवैल और 11 सामुदायिक भवन	5,42,87,999	

केसरी दाल

*314. **श्री रंजीब बिस्वाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केसरी दाल के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिबंध लगाने के बावजूद कुछ राज्यों में अब भी इसका उत्पादन किया जा रहा है और बिक्री की जा रही है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) केन्द्र सरकार ने खेसारी दाल के उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

तथापि, खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध नियम, 1955 के अधीन, किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति उस तिथि से खेसारी दाल नहीं बेचेगा जिसे इस संदर्भ में राज्य सरकार अपने राजकीय राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

(ख) मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खेसारी दाल की किसी भी रूप में बिक्री पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। चूंकि इसके उत्पादन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अत: खेसारी दाल कुछ राज्यों में उगायी जा रही है।

(ग) केन्द्र सरकार खेसारी दाल उगाने वाले राज्यों को इसकी खेती को निरुत्साहित करने की पहले ही सलाह दे चुकी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कम टांक्सिन युक्त कम बी ओ ए ए मात्रा वाली किस्मों के विकास पर कार्य कर रही है एवं अब 1997 में उन्होंने बी आई ओ-एल-212 नामक एक किस्म जारी की है जिसमें टॉक्सिन मात्रा (0.05%) बहुत कम है। केन्द्र सरकार ने महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया है जो खेसारी दाल खाने वाली जनसंख्या में गठिया के प्रकोप एवं खेसारी दाल के उपभोग के संबंध की जांच करेगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है।

[हिन्दी]

गुजरात में चक्रवात

***315. श्री महेश कनोडिया:**
श्री के.एस. राव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और राजस्थान में हाल ही में आये चक्रवातों के कारण हुई जान माल, पशुधन आदि की क्षति का कोई आकलन केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने कुछ केन्द्रीय मंत्रियों और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को वहां की स्थिति का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए भेजा था;

(घ) यदि हां, तो उनकी धारणा, क्षति का आकलन और राहत के लिए दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से चक्रवात की स्थिति से निपटने और प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मांगी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को इस आशय की जानकारी मिली है कि चक्रवात की समय रहते सूचना मिलने के बावजूद राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) चक्रवात पीड़ित क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 9.6.1998 को आए एक भयानक चक्रवात से गुजरात राज्य के 12 जिले विभिन्न स्तरों पर प्रभावित हुए, जिसमें 1178 लोगों की जानें गई 12747 पशु मारे गये, 2.61 लाख मकान एवं झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और सार्वजनिक सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। राजस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार चक्रवात से 12 जानें गयी और 51295 पशु मारे गए एवं 14603 मकान/झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।

(ग) और (घ) हुए नुकसान और किए जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों का मौका पर जायजा लेने के लिए गृह मंत्री जी ने 11.6.1998 को वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल के साथ गुजरात के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उनका मत था कि जानमाल तथा निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति जैसे मकानों, झोपड़ियों, बिजली की लाइनों, दूरसंचार लाइनों, काण्डला पत्तन तथा कुछ रेलवे अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार बचाव तथा पुनर्निर्माण के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कार्रवाई शुरू कराने और उसमें तेजी लाने के लिए अन्य मंत्रियों एवं केन्द्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राज्य का दौरा किया।

(ङ) और (च) प्रभावित लोगों को राहत तथा उनके पुनर्वास हेतु गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 500 करोड़ रु. की अतिरिक्त सहायता देने के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(छ) और (ज) जी, नहीं। राजस्थान सरकार ने व्यापक तैयारी के उपाय समय पर कर लिए थे।

(झ) आपदा आने के तुरंत बाद, राज्य सरकार को राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए 1998-99 के लिए आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश को 29.03 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त गुजरात सरकार को 10.6.1998 को अग्रिम रूप से जारी कर दी गयी। वर्ष 1998-99 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की 37.23 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त राजस्थान सरकार को 1.7.1998 को जारी कर दी गयी।

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के बारे में गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए, वहां हुए नुकसान और अपेक्षित सहायता राशि का जायजा लेने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने राज्य में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता जारी करने हेतु आगे कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

बाढ़ नियंत्रण

***316. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचा देश प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका का सामना करता है;

(ख) क्या सरकार नदियों के तल को गहरा बनाने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है ताकि देश में बाढ़ को टाला जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का ऐसी बाढ़ से किस प्रकार बचाव करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) प्रति वर्ष देश के कुछ भागों में भिन्न-भिन्न मात्रा में बाढ़ आती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बाढ़ सुरक्षा कार्यों की आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। वर्षों से राज्य सरकारें चुनिंदा बहुउद्देशीय जलाशयों में बाढ़ के जल का भंडारण करने के अलावा तटबंधों और जल-निकास चैनलों के निर्माण, कटावरोधी कार्यों आदि जैसे विभिन्न बाढ़ प्रबन्धन उपाय कर रही हैं। उपर्युक्त संरचनात्मक उपायों के अलावा, बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ मैदान जोनिंग और बाढ़ प्रूफिंग जैसे गैर-संरचनात्मक उपाय भी किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार देश की सभी महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों पर बाढ़ पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान कर रही है।

[अनुवाद]

गंगा जल का बंटवारा

***317. कुमारी ममता बनर्जी: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बंगलादेश के साथ गंगा जल बंटवारा संधि की समीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में

***318. श्री आर. साम्बासिवा राव:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक अधिक उपज देने वाले गेहूं की किस्मों के बारे में कार्य कर रहे हैं, जिससे वर्तमान सर्वश्रेष्ठ किस्मों के गेहूं के मुकाबले अधिक पैदावार मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गेहूं की इन किस्मों को किसानों तक कब तक पहुंचा दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) अधिक उपज देने वाली गेहूं की बेहतर किस्मों (कल्टिवर्स) को विकसित करने के लिए गहन अनुसंधान प्रयास किए जा रहे हैं। गेहूं प्रजनन में एक तीन आयामी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

(1) बेहतर उपज गुणों से युक्त श्रेष्ठ जीन प्ररूपों का विकास करना।

(2) संकर गेहूं का विकास करना।

(3) अधिक उपज के साथ गुणवत्ता संबंधी विशेषताओं को जोड़ने के लिए आण्विक जीव विज्ञान का प्रयोग करना तथा मार्कर की सहायता से चयन करना।

(ग) अधिक उपज और जैविक तथा अजैविक दबावों के प्रति प्रतिरोधिता जैसे वांछित गुणों के लिए फसल में सुधार करना एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसी नई उन्नत किस्में हर वर्ष जारी की जाती हैं। लेकिन मात्रा के रूप में इसमें अगले 5-10 वर्षों में वृद्धि होने की आशा है।

कृषि अनुसंधान

*319. **श्री माधवराव पाटील:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उनके कृषि अनुसंधान संस्थानों के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) इस अवधि के दौरान ऐसी संस्थाओं की उपलब्धियां क्या रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के केन्द्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में प्रायोजना निदेशालयों तथा राज्य सरकारों के तहत चल रहे कुछ दूसरे अनुसंधान केन्द्रों के लिए आबंटित कुल निधि 353.84 करोड़ रुपये के लगभग है।

(ग) ये संस्थाएं अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित प्रायोजना निदेशालयों के केन्द्र हैं तथा राज्यों में चल रहे कुछ अन्य केन्द्र हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में ये किस्म/नस्ल संबंधी सुधार के बारे में किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों में उल्लेखनीय योगदान करते हैं साथ ही अनेक स्थानों पर होने वाले परीक्षणों में भी सहायता देते हैं।

इस अवधि के दौरान अनेक अधिक उपज देने वाली और आशाजनक किस्मों और संकरों का विकास करके उन्हें जारी किया गया है। विकसित की गई ये किस्में खाद्य फसलों, चारा फसलों, दलहनों, तिलहनों, व्यावसायिक फसलों, बागवानी फसलों (फल, सब्जियां, रोपण फसलें, खुम्बी, फूल) की हैं। समेकित नाशी कीट प्रबंध, समेकित पोषण प्रबंध, निवेश उपयोग कुशलता, मृदा एवं जल प्रबंध, फसल प्रणालियों, जिनमें फसल चक्र, कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, छोटे फार्म उपकरण व औजार शामिल हैं, के लिए तकनीकें विकसित की गई हैं। मवेशियों, मुर्गीपालन, भेड़-बकरी और दूसरे पशुओं आदि के मामले में भी अधिक उत्पादन देने वाली नस्लों का विकास किया गया है।

राष्ट्रीय किस्म/नस्ल सुधार और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं की समेकित उपलब्धियों का ब्यौरा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और यह रिपोर्ट हर वर्ष संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता

*320. **श्री वैको:**
श्री कमल नाथ:

(क) क्या यह सच है कि भारत ने हाल में किए गए अपने परमाणु परीक्षणों के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदरयता पाने का अवसर लगभग खो दिया है;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अबाध प्रवेश कार्यदल में विचार-विमर्श हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में कोई भी विस्तार होने के समय स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी वहां बराबर बनी हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार अपने लक्ष्यों के संवर्धन के लिए प्रयास करती रहेगी।

लो-लेवल रेडियोधर्मिता

*321. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी:**
डा. सरोजा वी.:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद कोई लो-लेवल में परमाणु रेडियोधर्मिता उत्पन्न हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप देश में विशेषकर पोखरण के आसपास के क्षेत्रों में तापमान बढ़ गया था;

(घ) क्या परमाणु ऊर्जा सुरक्षा विनियामक बोर्ड का विचार पोखरण के आसपास के क्षेत्रों में लो-लेवल रेडियोधर्मिता के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) विस्फोट स्थलों पर भूमि की ऊपरी सतह पर कोई विकिरण सक्रियता नहीं है। पूरी विकिरण सक्रियता भूमि के अंदर ही संशोधित है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) के विशेषज्ञों ने चूंकि उस स्थल का दौरा कर लिया है और प्रमाणित कर दिया है कि उस क्षेत्र में कोई विकिरण सक्रियता उन्मुक्त नहीं हुई है, इसलिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र

3036. **श्री एम. राजैया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मास्को स्थित भारतीय दूतावास में जवाहर लाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र की क्या-क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) वहां कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वहां कितने विदेशियों और भारतीयों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों के संबंध में भारत से कितने समूहों/दलों ने मास्को का दौरा किया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मास्को में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र की कार्य-प्रणाली ने रूस के साथ भारत के पहले से ही घनिष्ठ और बहुफलकीय सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करने में योगदान दिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, जवाहर लाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, पैनल और गोल मेज विचार-विमर्श, विभिन्न विशेष स्वर्ण जयन्ती समारोहों के लिए कार्यक्रमों, रूस के विभिन्न भागों में भारतीय सांस्कृतिक मंडलियों की यात्राओं और रूसी विद्वानों द्वारा भारत की यात्राओं, भारतीय नृत्य, संगीत, हिन्दी और योग की नियमित कक्षाओं, निबन्ध और चित्रकारी प्रतियोगिताओं, फिल्म शो, पुस्तकों के प्रकाशन इत्यादि का आयोजन किया है।

(ख) जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है:

* भारत-अस्थानी कर्मचारी-6 जिसमें एक निदेशक, 4 अध्यापक (हिन्दी, योग, नृत्य और तबला) और निदेशक का वैयक्तिक सहायक शामिल है।

* रूसी कर्मचारी 7 तथा 1 अंशकालिक कर्मचारी जिसमें सचिव/दुभाषया, 1 कम्प्यूटर सहायक, 1 प्रशासनिक सहायक, 1 घरेलू नौकर, 1 ड्राईवर, 1 कूरियर, वॉयरलमैन, 1 माली (केवल ग्रीष्मकालीन मास के दौरान) शामिल हैं।

(ग) जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विदेशियों और भारतीयों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

(i) योग-665 (620 विदेशी और 45 भारतीय), (ii) नृत्य-485 (425 विदेशी और 60 भारतीय), (iii) तबला-350 (320 विदेशी और 30 भारतीय) और (iv) हिन्दी-160 (सभी विदेशी)

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से कई सांस्कृतिक मंडलियों ने रूस की यात्रा की। इन प्रमुख मंडलियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* एशिया प्रशान्त देशों के लिए क्रास्नोयार्कस में सम्पन्न संगीत तथा नृत्य के द्वितीय उत्सव में भाग लेने के लिए जुलाई 1995 में 12 सदस्यीय कोहिनूर लंगा मण्डली की यात्रा।

* सितम्बर, 1996 में दो सप्ताह की अवधि के लिए रूस में आयोजित डेज ऑफ इंडियन कल्चर के लिए और 12 रूसी शहरों को शामिल करते हुए 143 भारतीय कलाकारों और अन्य व्यक्तियों की यात्रा।

* मास्को में 850वीं जयन्ती समारोहों के लिए सितम्बर, 1997 में 12 सदस्यीय लोक नृत्य और संगीत मंडली की यात्रा।

केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं

3037. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वर्तमान मूल्य पर केन्द्रीय क्षेत्र की 233 अधूरी परियोजनाओं में कुल कितनी राशि फंसी हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): मार्च 1998 तक, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रबोधन पर 20 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक लागत वाली 454 परियोजनाओं में से 234 परियोजनाओं को उनकी मूल अनुसूची के अनुसार मार्च 1998 तक पूरा किया जाना था परंतु वह पूरी न हो सकीं। इन 234 परियोजनाओं की अद्यतन अनुमानित लागत 94,042.5 करोड़ रुपए है।

केन्द्रीय भण्डार

3038. **श्री जंगबहादुर सिंह पटेल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. को सरकारी विभागों को स्टेशनरी आदि मदों की आपूर्ति के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव सुपर बाजार/एन.सी.सी.एफ./केन्द्रीय भण्डार में स्टेशनरी की मदों की कीमतों पर निगरानी रखने और समस्त विभागों को मूल्य सूची परिचालित करने हेतु समिति गठित करने का है;

(ग) क्या इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कोई मार्ग-निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा दिनांक 14.07.1981 को जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, ऐसी वस्तुओं की कीमतें एक समिति द्वारा नियत की जानी अपेक्षित थी जिनकी सरकारी विभागों इत्यादि द्वारा सामान्यत: केन्द्रीय भण्डार से मांग की जाती है। उपर्युक्त समिति में पूर्ति-विभाग, निर्माण तथा आवासन (अब शहरी मामलात और रोजगार) विभाग तथा केन्द्रीय सरकार-कर्मचारी उपभोक्ता-सहकारी समिति (केन्द्रीय भण्डार) का एक-एक प्रतिनिधि होता है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा अपेक्षित लेखन-सामग्री तथा अन्य मदों की स्थानीय खरीद के बारे में, बाद में उपर्युक्त अनुदेश सुपर बाज़ार और एन.सी.सी.एफ. के संबंध में लागू कर दिए गए, लेकिन ऐसी समिति के गठन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। बाज़ार की कीमतों इत्यादि में बार-बार उतार-चढ़ाव होते रहने के कारण, समिति द्वारा कीमत नियत किए जाने की प्रणाली कारगर नहीं रही। केन्द्रीय भण्डार द्वारा केन्द्र-सरकार के कार्यालयों को मुहैया करवाई जा रही वस्तुओं की कीमतें एक समिति के माध्यम से नियत किए जाने की अपेक्षा समाप्त करने की दृष्टि से, 13.07.1981 के अनुदेश संशोधित कर दिए गए हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कि, केन्द्रीय भण्डार द्वारा उचित दामों पर मुहैया करवाई जा रही वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं हो, विभिन्न उपभोक्ता-मंत्रालयों/विभागों को मुहैया करवाई जा रही वस्तुओं के संबंध में संतुष्टि के बारे में केन्द्रीय भण्डार को वार्षिक आधार पर सर्वेक्षण करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ-साथ ही, सुपर बाज़ार और एन.सी.सी.एफ. के प्रशासनिक मंत्रालय, खाद्य और उपभोक्ता-मामलात-मंत्रालय से सुपर बाज़ार तथा एन.सी.सी.एफ. के संबंध में भी उपर्युक्त सर्वेक्षण प्रणाली लागू करने के बारे में विचार करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कार्य

3039. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां चालू वर्ष में भारत के असैनिक तथा सैनिक अधिकारी शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भेजे गए हैं;

(ख) प्रत्येक देश में भेजे गए भारतीय अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या विदेशों में उनके रहने का खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है अथवा संबंधित देश की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा; और

(घ) विदेश भेजे गए कितने भारतीय अधिकारी ड्यूटी के दौरान मारे गए तथा मरणोपरांत उनके परिवारजनों को भारत सरकार अथवा अन्य देशों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशनों में प्रतिनियुक्त भारतीय सैनिक एवं पुलिस पर्यवेक्षकों ठहरने का खर्च संयुक्त राष्ट्र वहन करता है।

(घ) एक भारतीय सिविल पुलिस पर्यवेक्षक श्री अरूण बंसल, उप निरीक्षक, बोस्निया एवं हर्जेगोविना में संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए मारा गया और उसके परिवार को संयुक्त राष्ट्र तथा भारत सरकार के संबद्ध नियमों के अंतर्गत अनुमत सहायता दी जाएगी।

विवरण

विदेश मंत्रालय

संयुक्त राष्ट्र प्रभाग

संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना आरेशनों में भाग लेने के लिए जिन देशों में भारतीय असैनिक और सैनिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता रहा है उन देशों के नाम और 1998 के दौरान प्रत्येक देश को भेजे गए अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण:

सैनिक कार्मिकों से संबद्ध सूचना

चालू वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भारतीय दस्तों में सभी रैंकों की भागीदारी का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	देश का नाम	सं.रा. मिशन	कार्मिकों की संख्या
(1)	अंगोला	एम ओ एन यू ए	192 159 अभी तैनात हैं। शेष को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।
(2)	कुवैत/इराक	यू एन आई के ओ एम	05
(3)	बोस्निया/हर्जेगोविना	यू एन एमसी ए	01
(4)	सियरा लोन	मिल लायसन यूनिट	01
(5)	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क	01

पुलिस कार्मिकों से संबद्ध सूचना

इसके अलावा चालू वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना आपरेशन में तैनात किए गए सिविल पुलिस अधिकारियों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है--

	देश का नाम	1.1.98 की स्थिति के अनुसार मिशन में अधिकारियों की संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए
1.	बोस्निया हर्जेगोविना	142 (20 कार्मिक मई 1998 में वापस आये और 122 कार्मिक जुलाई 1998 में वापस आने हैं)	20 कार्मिक मई 98 में भेजे गए। 87 कार्मिक जुलाई 98 में भेजे जाने हैं।
2.	हैती	5 (दो 1998 में वापस आ गए)	शून्य
3.	अंगोला	22 (एक वापस आ गया)	1 (एक)
4.	पश्चिमी सहारा	10	शून्य

[अनुवाद]

विदेशी मॉनीटर संबंधी शुल्क कम करना

3040. श्री कृष्ण लाल शर्मा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी मॉनीटर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में बहुत सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इसके बढ़ते आयात और उपलब्धता से स्वदेशी उद्योग को काफी हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलर मॉनीटर के लिए डाटा/ग्राफिक्स डिस्प्ले ट्यूब पर आयात शुल्क को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) घरेलू मॉनीटर उद्योग प्रतिस्पर्धी है। मॉनीटरों पर आयात शुल्क की दर 20 प्रतिशत (मौलिक) है जबकि मॉनीटरों के पुर्जों पर मौलिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत है जो आवश्यक गति प्रदान करता है। इसके अलावा, विशेष आयात लाइसेंस (एसआईएल) के अंतर्गत केवल ऐसे मॉनीटरों का आयात किया जा सकता है जिनका लागत बीमा भाड़ा मूल्य 7500 रु. से अधिक नहीं है।

(ग) घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 1998-99 के बजट में डेटा/ग्राफिक प्रदर्श ट्यूब (रंगीन) पर आयात शुल्क पहले ही 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (मौलिक) कर दिया गया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बादानल्ला सिंचाई परियोजना

3041. श्री गिरिधर गमांग: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के बादानल्ला सिंचाई परियोजना के मुख्य संघटकों का काम पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य नहरों और परियोजना से संबंधित अन्य कार्यों के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना की लागत वृद्धि और समयवृद्धि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य जैसे बांध, डाइकों, स्पिलवे, मुख्य नहर के हेड रेस और रेडियल द्वारा 8 का निर्माण और स्थापना कार्य पूरा कर लिया गया है। मुख्य नहर का 80% खुदाई कार्य और वितरिकाओं और माइनरों का 50% कार्य भी पूरा कर लिया गया है। 11.39 करोड़ रुपये की इस परियोजना का अनुमोदन 1980 में किया गया था और इसे 1989-90 में पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम था। जनवरी, 97 को परियोजना के शेष कार्य की लागत परियोजना की नवीनतम लागत अर्थात 105.88 करोड़ रुपए की तुलना में 25.85 करोड़ रुपए है। यह परियोजना अब मार्च, 1999 तक पूरी कर ली जाएगी।

पासपोर्ट प्राप्ति केन्द्र

3042. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कालीकट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को नए पासपोर्ट जारी करने और नवीकरण हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने आवेदन-पत्रों का निपटान किया गया, कितने पासपोर्ट जारी किए गए, कितने पासपोर्टों का नवीकरण किया गया और कितने आवेदन-पत्र लंबित रहे;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के मालापुरम जिले से कालीकट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पर अधिक कार्यभार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले विशेषरूप से तिरूर में एक पासपोर्ट प्राप्ति केन्द्र खोलने का विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार के विचारार्थ फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) मालापुरम जिले से आवेदन-पत्रों की भारी तादाद के बावजूद कोजीकोड स्थित पासपोर्ट कार्यालय इस क्षेत्र के आवेदकों की आवश्यकताओं की सन्तोषजनक पूर्ति के लिए सक्षम है।

विवरण

पासपोर्ट कार्यालय, कोजीकोड में प्राप्त आवेदन-पत्र और जारी किए गए पासपोर्ट

वर्ष	नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्रों की संख्या	निपटाए गए आवेदन-पत्रों की संख्या जिसमें जारी किए गए और नवीकरण किए गए पासपोर्ट शामिल हैं	लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या
1995-96	1,23,210	11,733	1,27,445	7,498
1996-97	1,18,878	23,365	1,35,344	5,899
1997-98	1,22,155	26,862	1,42,109	5,908

[हिन्दी]

जल भराव

3043. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में, जहां नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, जल भराव की समस्या हल करने के लिए कोई उपयुक्त तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो इस तकनीक का कितना उपयोग किया गया है; और

(ग) देश में उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो जल भराव की समस्या से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां। नहर सिंचित क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या का सामना करने के लिए बचाव और सुधारात्मक दोनों तकनीकों को विकसित किया गया है।

(ख) समस्याओं की किस्म और आकार के अनुसार विभिन्न राज्यों में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित कार्य दल (वर्ष 1991) द्वारा आकलन किया गया था कि देश में 24.56 हेक्टे. क्षेत्र जल जमाव की समस्या से ग्रसित है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश में जल ग्रसित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

(इकाई '000 हैक्टे.)

क्र.सं.	राज्य	जल ग्रसित क्षेत्र
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	266.40
2.	असम	–
3.	बिहार	619.70
4.	गुजरात	172.59
5.	हरियाणा	249.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.20
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1.50
8.	कर्नाटक	24.54
9.	केरल	11.61
10.	मध्य प्रदेश	73.12
11.	महाराष्ट्र	15.35
12.	उड़ीसा	196.26
13.	पंजाब	200.00
14.	राजस्थान	179.50
15.	तमिलनाडु	16.19
16.	उत्तर प्रदेश	430.00
	कुल	2455.96 (24.56 लाख हैक्टे.)

बिहार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता

3044. श्री राम टहल चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार द्वारा कुल कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को वर्षवार तथा योजनावार कितना आवंटन किया गया था;

(ग) राज्य सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता को पूर्णतया उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मांगी गई वित्तीय सहायता चालू वर्ष में प्रदान कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत निर्धारित मानदंड के अनुसार मुहैया कराई जाती है। बिहार को केवल वर्ष 1995-96 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। स्कीमवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

	स्कीम का नाम	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)
1.	हजारी बाग, बिहार के विनोवा भावे विश्वविद्यालय में पुस्तकालय परिसर बनाने के लिए	1.00
2.	तेनुघाट विद्युत परियोजना	15.00
3.	गंगा (बिहार) की निरंजना नदी के ऊपर पुल का निर्माण	4.75
4.	भोजपुर जिले के पूर्वोत्तर हिस्से को जोड़ने के लिए केशोपुर पुल का निर्माण	0.6784
5.	बिहार के बेगूसराय जिले के अंतर्गत औद्योगिक काम्प्लेक्स का बाढ़ नियंत्रण	1.2767
	जोड़	22.7051

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

काजू का उत्पादन

3045. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98 के दौरान काजू की घरेलू खपत और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यवार काजू का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान काजू की खेती के अंतर्गत कितने और क्षेत्र को लाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) वर्ष 1997-98 के दौरान, काजू का घरेलू उपभोग 68000 मी. टन था एवं 76323 मी. टन का निर्यात किया गया।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान 37300 है. अतिरिक्त क्षेत्र को काजू की खेती के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है।

विवरण

1997-98 के दौरान काजू उत्पादन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन (टन में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	50,000
2.	गोवा	25,000
3.	कर्नाटक	35,000
4.	केरल	1,000
5.	महाराष्ट्र	60,000
6.	उड़ीसा	45,000
7.	तमिलनाडु	30,000
8.	पश्चिम बंगाल	6,000
9.	अन्य	1,000
	योग	3,60,000

झींगा फार्म

3046. श्री बिक्रम देव केशरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में वर्तमान में झींगा मछली के फार्मों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उड़ीसा में झींगा मछली उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1996, 1997 और 1998 के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) उड़ीसा राज्य में मौजूदा प्रॉन फार्मों की कुल संख्या 6526 है जो लगभग 11694 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में प्रॉन उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्रॉन उत्पादन (मीटरी टन)
1995-96	6957.33
1996-97	6626.79
1997-98	4872.70

प्रॉन उत्पादन में कमी, समुद्र तटीय क्षेत्रों में झींगा मछली पालन से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय की वजह से हुई है।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ प्रॉन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं:-

(1) खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों/मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से वैज्ञानिक झींगा पालन का विकास और प्रॉन पालकों को तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार सहायता प्रदान करना;

(2) सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में एकीकृत झींगा फार्मों की स्थापना तथा बीज हैचरियों, आहार मिलों आदि जैसी सहायक सुविधाओं को प्रोत्साहन देना;

(3) प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करके मानव संसाधन विकास; तथा

(4) ऐसे दिशा-निर्देश जारी करना जिनमें सतत खारा जल जलकृषि प्रणाली आदि के विकास तथा प्रबंधन के लिए उपाय निर्दिष्ट किए गए हों।

नारियल गिरी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

3047. श्री टी. गोविन्दन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार की ओर से उनके मंत्रालय द्वारा घोषित नारियल गिरी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुई है और साथ ही नारियल गिरी की खरीद के लिए ''नेफेड'' को प्राधिकृत करने का आग्रह किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 1998 के लिए दिनांक 10 जून, 1998 को अच्छी औसत क्वालिटी के मिलिंग कोपरा के लिए 2900 रु. प्रति क्विंटल तथा बॉल कोपरा के लिए 3125 रु. प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मिलिंग कोपरा और बाल कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले साल की तुलना में 200 रु. की वृद्धि की गयी है। इसमें वर्ष 1998 मौसम के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत न्यूनतम समर्थन मूल्य से मिलिंग कोपरा के लिए 40 रु. तथा बाल कोपरा के लिए 25 रु. अधिक की वृद्धि की गयी है।

भारत सरकार को 10 जून, 1998 को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार ने नैफेड की न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है। 30 जून, 98 तक नैफेड ने केरल और तमिलनाडु राज्यों में 199 मी. टन मिलिंग कोपरा की खरीद की है बाल कोपरा की खरीद आवश्यक नहीं है क्योंकि इसका बाजार मूल्य न्यूनतम मूल्य से अधिक है।

[हिन्दी]

पशुओं का टीकाकरण

3048. श्री रामानंद सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को पशुओं में फैली ''मुंहखुरी'' बीमारी के लिए टीकाकरण हेतु कोई अनुदान राशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रदान की गई अनुदान राशि की सीमा क्या थी;

(ग) पशुओं में फैली ''मुंहखुरी'' बीमारी के टीकाकरण के लिए पशुपालकों से एकत्रित की गई प्रति पुश राशि कितनी है;

(घ) क्या बहुत से गरीब किसानों को इस टीके को खरीदने में कठिनाई होती है जबकि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार टीके की पूरी राशि देने के लिए विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) 1997-98 के दौरान राज्य को 57.57 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। 1996-97 के दौरान राज्य को कोई राशि जारी नहीं की गई थी।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद्

3049. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 100 से अधिक सांसदों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से पृथक कर भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद् और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) क्या अमरीकी प्रजाति की तुलना में स्वदेशी प्रजाति की उत्पादकता काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो तुलनात्मक आंकड़े और स्वदेशी प्रजातियों को सुधारने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) सरकार भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद् के गठन के प्रस्ताव की जांच कर रही है। राष्ट्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) 1992-93 के दौरान स्वदेशी गोपशुओं से अनुमानित औसत वार्षिक उत्पादन लागत 672 किलोग्राम था जबकि इसी अवधि के दौरान यू.एस.ए. का आंकड़ा 6999 किलोग्राम था।

स्वदेशी नस्लों के सुधार के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों की स्थापना तथा केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना का क्रियान्वयन।

(2) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं—हिमित वीर्य, प्रौद्योगिकी का विस्तार, संतति परीक्षण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

(3) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, गोपशु परियोजना निदेशालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों में अनुसंधान कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

पीतामहल और कांसबहल बांध

3050. श्री जुआल उराम: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा में पीतामहल तथा कांसबहल बांध परियोजनाओं के कुप्रबंधन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जल संसाधन मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

3051. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों की क्षमता तथा ऊर्जा स्रोतों के दोहन के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या थे तथा बोर्ड ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ग) बोर्ड के गठन के पश्चात् इसे बजट से प्रतिवर्ष कितना आवंटन मिला है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बाढ़ नियंत्रण आधुनिकीकरण, जल निकास संकुलता दूर करने, कटाव को रोकने, जल विद्युत उत्पादन और नौवहन के लिए ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में सभी प्रमुख नदियों और इनकी सहायक नदियों के जल संसाधनों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से मास्टर योजनाओं को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण किया है। ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने मास्टर योजनाओं में अभिज्ञात तेरह बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते अन्वेषण कार्य शुरू किया है। बोर्ड द्वारा दो वृहद स्कीमों अर्थात् पागलादिया और तिपाईमुख परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है।

(ग) वर्ष 1981-82 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की शुरुआत से वित्तीय वर्ष 1997-98 की समाप्ति तक इस बोर्ड को वर्षवार उपलब्ध कराई गई कुल अनुदान सहायता करोड़ रुपए में क्रमश: इस प्रकार हैं: 0.10, 2.00, 10.20, 6.50, 8.00, 7.00, 5.75, 5.00, 6.65, 4.82, 9.02, 8.08, 8.15, 6.20, 9.26, 9.15, 12.65 ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

3052. श्री एस.एस. ओवेसी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कुल कितने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के लोगों को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों से बहुत लम्बे समय से अपने पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में कुल कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(ङ) सरकार ने इन आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी नहीं। हैदराबाद तथा विशाखापट्टनम स्थित पासपोर्ट कार्यालय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से औसतन 35 दिनों में पासपोर्ट जारी कर रहे हैं।

(घ) 30.6.98 की स्थिति के अनुसार हैदराबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय में बकाया आवेदनों की संख्या 21307 तथा विशाखापट्टम स्थित पासपोर्ट कार्यालय में बकाया आवेदनों की संख्या 4745 है।

(ङ) सरकार ऐसे बकाया आवेदनों की संख्या कम रखने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है ताकि जनसाधारण को सक्षम सेवा प्रदान की जा सके। पासपोर्ट आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए उठाए गए कदमों में प्रक्रमण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण, तात्कालिकता की परिस्थितियां जांच प्रमाण पत्रों के आधार पर थोड़े समय के लिए वैध पासपोर्ट जारी करना, पुलिस जांच प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा नियत करना, नए पासपोर्ट कार्यालय तथा संग्रहण केन्द्र खोलना, पासपोर्ट की वैधता अवधि 20 वर्ष तक बढ़ाना, जहाँ कहीं व्यावहारिक हो पासपोर्ट स्पीड पोस्ट से प्रेषित करना आदि शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	अवस्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद विशाखापट्टनम
2.	असम	गुवाहाटी
3.	बिहार	पटना
4.	गोवा	पणजी
5.	गुजरात	अहमदाबाद
6.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू श्री नगर
7.	कर्नाटक	बंगलौर
8.	केरल	कोचीन कोडीकोड त्रिवेन्द्रम
9.	मध्य प्रदेश	भोपाल
10.	महाराष्ट्र	मुम्बई नागपुर थाणे
11.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
12.	पंजाब	जालंधर
13.	राजस्थान	जयपुर
14.	तमिलनाडु	मद्रास त्रिची
15.	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	चण्डीगढ़
16.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत	नई दिल्ली
17.	उत्तर प्रदेश	बरेली, गाजियाबाद लखनऊ
18.	पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता

उड़ीसा में कानपुर पनबिजली परियोजना बांध

3053. श्री उपेन्द्र नाथ नायक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के क्योंझर जिले में बसुदेवपुर के समीप बैतरणी नदी पर कानपुर पनबिजली परियोजना/बांध का निर्माण कार्य आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए कितनी राशि अपेक्षित है; और

(ग) इस परियोजना/बांध के निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने क्योंझर जिले में बैतरणी नदी पर कानपुर सिंचाई परियोजना/बांध का कार्य शुरू कर दिया है। परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 318.91 करोड़ रुपए है। नौवीं योजना के दौरान मुख्य कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है और शेष कार्य दसवीं योजना में ले जायी जायेगी।

आरक्षण नीति

3054. श्री बची सिंह रावत ''बचदा'': क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन न किए जाने के संबंध में निदेश जारी किए हैं यद्यपि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार यह आदेश केवल आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार अपने समूह ''क'' और सिविल विंग में आरक्षण नीति के समुचित कार्यान्वयन के लिए इस आयोग द्वारा जारी आदेशों का पालन नहीं कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन आदेशों का ब्यौरा क्या है और इन आदेशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से अवगत करवा दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को अस्थायी अथवा स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई अधिकारी नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप उपयुक्त आयोग को, सरकार द्वारा जारी किसी भी आदेश का लागू किया जाना रोकने के संबंध में निदेश देने का अधिकार नहीं है।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना के अनुसार, उक्त विभाग द्वारा सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है।

फसल बीमा योजना

3055. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान समय में कार्यान्वित की गई फसल बीमा योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में पालघाट जिला देश में धान उगाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है; और

(ग) केरल के धान उगाने वाले किसानों को फसल बीमा योजना में शामिल न किए जाने के क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) देश में 1985 से एक विस्तृत फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इसमें उन सभी किसानों को शामिल किया गया है जो गेहूं, धान, कादन्न (मक्का सहित), दलहन तथा तिलहनी फसलों की खेती करते हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थानों की फसल ऋण संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। बीमा की गई राशि वितरित फसल ऋण के बराबर है जो प्रति कृषक 10,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है। बीमा प्रभार बीमा की गई राशि का 2% (गेहूं, धान तथा कदन्न के लिए) तथा 1% (तिलहनी तथा दलहनी फसलों के लिए) है। छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा देय बीमा प्रभार का 50% राजसहायता के तौर पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच प्रीमियम तथा दावों का वहन 2 : 1 के अनुपात में किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) विस्तृत फसल बीमा योजना केरल (पालघाट जिला सहित) में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें केवल धान की अधिसूचित फसल है। विस्तृत फसल बीमा योजना का स्वरूप स्वैच्छिक होने की वजह से मौसम दर मौसम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से क्षेत्र तथा फसलें अधिसूचित की जाती हैं।

तकनीकी अधिकारी

3056. श्री सनत कुमार मंडल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने कृषि विभाग में तकनीकी अधिकारियों के लिए प्रोन्नति के अवसरों के सृजन के लिए केन्द्रीय कृषि सेवा की सिफारिश की है;

(ख) क्या उनके विभाग ने इस सिफारिश के कार्यान्वयन का पक्ष लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां। पांचवें वेतन आयोग ने विभाग तथा इसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह "क" के सभी पदों को शामिल करते हुए केन्द्रीय कृषि सेवा के गठन की सिफारिश की है।

(ख) से (घ) विभाग के विचारों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

समुद्री कटाव

3057. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामदास आठवले:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री जयसिंहजी चौहान:
श्री एन. डेनिस:
श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समुद्री कटाव को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री कटाव को रोकने हेतु तटवर्ती क्षेत्रों की राज्य सरकारों को वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहायता से सभी समुद्रतटीय राज्यों में राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) समुद्री कटावरोधी कार्यों की आयोजना, अन्वेषण, निष्पादन और रख-रखाव का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार ने समुद्र कटावरोधी उपायों सहित तटीय समस्याओं के प्रभावी और किफायती समाधानों के संबंध में तटीय राज्यों को सलाह देने के लिए तटीय सुरक्षा और विकास सलाहकार समिति (सी पी डी ए सी) का गठन किया है।

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के लिए तटीय राज्यों के संबंध में बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए जिसमें समुद्र कटाव रोधी कार्य भी शामिल हैं आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) तटीय सुरक्षा और विकास सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा सभी तटवर्ती राज्यों से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की जा रही राष्ट्रीय तटवर्ती सुरक्षा परियोजना में शामिल करने के लिए संबंधित राज्यों से तट के कमजोर हिस्से की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। केरल, कर्नाटक और गुजरात से अपेक्षित सूचना सहित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए किसी अभिकरण की पहचान नहीं की है। सभी तटवर्ती राज्यों से समेकित परियोजना आमेलन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने तथा वित्तपोषण अभिज्ञात स्रोत होने के बाद ही पूरा होने का समय तय किया जायेगा।

विवरण

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए बाढ़ नियंत्रण उप क्षेत्र (समुद्र कटाव सहित) के संबंध में अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र का नाम	कार्य के लिए अनुमोदित परिव्यय		
		1995-96	1996-97	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	30.00	22.00	17.00
2.	गोवा	0.30	0.80	0.84
3.	गुजरात	1.60	1.60	5.00
4.	कर्नाटक	9.72	10.00	7.47
5.	केरल	21.00	35.50	25.50
6.	महाराष्ट्र	0.55	1.27	6.37
7.	उड़ीसा	8.80	0.00	5.00
8.	तमिलनाडु	3.49	1.59	2.03
9.	पश्चिम बंगाल	43.00	66.35	70.23
10.	पांडिचेरी	3.50	3.50	3.00

परमाणु परीक्षण

3058. श्री मुकुल वासनिक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु परीक्षण स्थल "पोखरन" एक प्रतिबंधित क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1998 के "हिन्दुस्तान टाइम्स", नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार "मेमोरियल प्लांट एट पोखरन" की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस विषय पर मीडिया की रिपोर्टें देखी हैं जो सरकार से बाहर के स्रोतों की वजह से हैं।

क्रायोजेनिक इंजिन का विकास

3059. श्री संदीपान थोरात: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित क्रायोजेनिक इंजिन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में हाल ही में की गई समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी प्रौद्योगिकी के विकास को अंतिम रूप देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का ब्यौरा क्या है और अभी तक कितनी सफलता प्राप्त की गई है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए इसकी कार्य योजना क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) रूस की मैसर्स ग्लेवकॉस्मास के साथ भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा दिसम्बर 1993 में निष्पादित ठेके से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की धारा के परित्याग के बाद, सरकार ने अप्रैल 1994 में स्वदेशी क्रायोजनिक ऊपरी चरण (सी.यू.एस.) परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी।

इंजिन के डिजाइन, चरण और जांच सुविधाओं, इंजिन के अवयवों के संविरचन, चरण संविरचन का प्रारंभ और सुविधाओं की स्थापना करके पिछले चार वर्षों में इस परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इंजिन और चरण के लिए विस्तृत डिजाइन समीक्षा, विकासात्मक प्रयास एवं क्रांतिक उपप्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की सॉफ्टवेयर मॉडलिंग का कार्य प्रगति में है। एक टन वाले एक दाब भारित क्रायो इंजिन का सफलतापूर्व विकास किया गया है, जिससे बृहत्तर इंजिन के निर्माण के लिए आत्मविश्वास प्राप्त होता है। आशा की जाती है कि सफलता पर आधारित अनुसूची के आधार पर प्रथम स्वदेशी चरण वर्ष 2000 की समाप्ति तक उपलब्ध हो जायेगा।

(ग) सी.यू.एस. परियोजना के अंतर्गत क्रायोजेनिक इंजिन का विकास पूर्णरूपेण एक स्वदेशी प्रयास है तथा इसमें किसी प्रकार का विदेशी सहयोग नहीं लिया गया है।

(घ) वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान सी.यू.एस. परियोजना के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट परिव्यय की राशि 45.35 करोड़ रुपये है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, संविरचन, प्रोसेसिंग, समुच्चय और जांच सुविधाओं की स्थापना तथा इंजिन एवं चरण उपस्करों के लिए हार्डवेयर की प्राप्ति की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

कॉटन मोनोपली स्कीम

3060. श्री जयसिंह राव गायकवाड़ पाटिल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से किसानों के हित में चलाये जा रहे ''कॉटन मोनोपली स्कीम'' को विनियमित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कल्याणकारी योजना को स्थायी मान्यता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कल्याणकारी योजना को मान्यता कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) कपड़ा मंत्रालय को महाराष्ट्र की कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

विशेष भर्ती अभियान

3061. प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक विशेष भर्ती अभियान के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया पदों और वर्तमान पदों को भरने के बारे में 29 अगस्त, 1997 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री दादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी दुष्प्रचार

3062. श्री दत्ता मेघे:
श्री तारिक अनवर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोखरन नाभिकीय परीक्षण के बाद पाकिस्तान सरकार भारत के विरुद्ध अनेक वक्तव्य जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन वक्तव्यों का खण्डन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार ने पोखरण नाभिकीय परीक्षण के उपरान्त पाकिस्तान की सरकार तथा पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिए गए बहुत से भारत विरोधी वक्तव्य देखे हैं।

(ख) और (ग) सरकार गहरा खेद व्यक्त करती है कि पाकिस्तान ऐसे शत्रुतापूर्ण वक्तव्य दे रहा है। उनका मत है कि ऐसे वक्तव्य उस समझौते के प्रतिकूल हैं कि दोनों देश एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण प्रचार करने से बचेंगे। इस समझौते का पालन करते हुए सरकार ने इन वक्तव्यों में निहित प्रचार का प्रभावी तौर पर खुलासा किया है तथा सार्वजनिक तौर पर सही स्थिति उजागर की है।

[अनुवाद]

टिटेनियम उत्पाद

3063. श्री ए.सी. जोस: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल खनिज और धातु लिमिटेड तथा त्रावणकोर टिटेनियम उत्पाद लिमिटेड के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केरल खनिज और धातु लिमिटेड (के एम एम एल) जोकि केरल सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, से 425 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर एक खनिज पृथक्करण संयंत्र, एक स्थैतिक विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और के.एम.एम.एल. के मौजूदा टाइटेनियम डाई-आक्साइड संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसमें भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.) के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ निवेश में सहभागिता करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है। इस प्रस्ताव में इस प्रकार काफी अधिक निवेश करना शामिल है। आई.आर.ई.एल. के पास उपलब्ध संसाधन और परमाणु ऊर्जा विभाग को सूचित 9वीं योजना के परिव्यय सीमित हैं। अत:, के.एम.एम.एल. की उक्त परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रावधान पर विचार करना संभव नहीं हो सका है।

[हिन्दी]

बांध का निर्माण

3064. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को झबुआ जिले में मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में पानी की आपूर्ति हेतु मध्य प्रदेश सरकार से अनास नदी पर बांध के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बांध का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जल संसाधन मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सदर्न वाटर ग्रिड

3065. श्री फ्रांसिस्को सारदीना: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गोवा में सदर्न वाटर ग्रिड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) गोवा में दक्षिणी जल ग्रिड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिदृश्य योजना तैयार की है। जिसमें देश में जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का स्थानान्तरण करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्विपीय नदियों तथा हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

अपर कृष्णा परियोजना

3066. श्री एच.जी. रामुलू: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक में अपर कृष्णा परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) 1997-98 के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा उस पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण के रूप में अपर कृष्णा परियोजना चरण-I के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। जिसमें से अग्रिम के रूप में 50 करोड़ (50%) रुपये जारी किये गये थे जिनका राज्य सरकार द्वारा पूर्ण उपयोग किया गया है।

कैगा विद्युत संयंत्र

3067. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विद्युत संयंत्र कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) कैगा परियोजना के निर्माण-कार्यों की कुल मिलाकर अब तक की प्रगति लगभग 88% है। रिएक्टर भवन-2 के गुम्बद जिसकी ढुलाई का कार्य मार्च 1998 में पूरा कर लिया गया था, के लिए पूर्व प्रतिबलन कार्य प्रगति पर है। पाइपिंग और पुनर्बलन सहित अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

(ग) यद्यपि कैगा-2 के अप्रैल, 1999 के दौरान क्रांतिक होने की योजना बनाई गई है, तथापि कैगा-1 के बाद में किसी भी समय क्रान्तिक होने की संभावना है।

कीनू का उत्पादन

3068. इंजीनियर शंकर पन्नू: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कीनू का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) जी हां, सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण तथा शुष्क अंचलीय फलों के विकास से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति पुराने बगीचों का पुनरुद्धार, किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रमुख रूप से क्षेत्र विस्तार जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से किन्नू सहित फलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

3069. श्री सत्यपाल जैन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से कितनी परियोजनाओं की सिफारिश की गई है;

(ख) मंजूर की गई, चल रही तथा पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक परियोजना पर अलग-अलग किनती राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार को इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों से 118 परियोजनाएं अनुशंसित की गई हैं जिनमें से 56 परियोजनाएं निष्पादित करवाने के लिए स्वीकृत हैं; 14 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा 6 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। स्कीम दर स्कीम खर्च की गई राशि का विवरण जिला प्रशासन के पास रहता है।

(ग) और (घ) जिला प्रशासन ने भी यह सूचना दी है कि निर्माण कार्यों के निष्पादन में कुछ देरी हो रही है जो निष्पादन अभिकरणों द्वारा लागत अनुमान प्रस्तुत करने में हो रहे विलंब के कारण है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उन अभिकरणों को सलाह दी गई है कि लागत अनुमान शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करे।

[हिन्दी]

पशु लोक बैराज

3070. श्री जगतवीर सिंह द्रोण: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश में पशुलोक स्थित बांध के द्वार संख्या 4 ने हाल ही में काम करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस द्वार के टूटने से किनता नुकसान हुआ है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटना न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय विदेश सेवा

3071. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री आदित्यनाथ:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों को भारतीय संस्कृति के मुख्य पहलुओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण हेतु कुल कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या निर्धारित किया गया उक्त समय प्रशिक्षण के लिए अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रशिक्षण के लिए समय बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लगभग आठ दिन के कार्यक्रम में औसतन पांच घंटे प्रतिदिन भारतीय संस्कृति के मुख्य पहलुओं पर प्रदर्शन और विचार-विमर्श परिचय कराया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यापक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान प्राचीन भारत की सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आदि उपलब्धियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी बताया जाता है।

(ख) प्रशिक्षण के लिए उक्त नियत समय पर्याप्त है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गोवा में सिंचाई परियोजनाएं

3072. श्री रवि सीताराम नायक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा में एक दशक से पहले शुरू की गई अनेक सिंचाई परियोजनाएं धनाभाव के कारण अब तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) जी, हां। विवरण निम्नवत् है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू की गई	नवीनतम अनुमानित लागत	3/97 तक अनुमानित लागत (प्रत्याशित)
	वृहद			
1.	सलौली	IV	153.00	108.49
2.	तिलारी	V	525.59	150.16
	मध्यम			
1.	मांडोवी	V	40.00	2.40

(घ) उपरोक्त सभी परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा पहले ही निवेश स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

[हिन्दी]

सुपारी उत्पादक

3073. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपारी उत्पादकों की दशा में सुधार लाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सुपारी उत्पादकों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) भारत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पान की बेल के विकास से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन किया था। यह योजना अब रोक दी गई है।

(ग) पान की बेल मौजूदा विस्तृत फसल बीमा योजना में शामिल नहीं है क्योंकि इसके पैदावार के संबंध में विगत अपेक्षित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है तथा इस फसल की प्रकृति बहुत समयों पर फल देने की है।

बिहार में मृदा क्षरण

3074. श्री राजो सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार की उन नदियों का ब्यौरा क्या है जिनसे अत्यधिक मृदा क्षरण हो रहा है;

(ख) इसके कारण कुल कितनी भूमि प्रभावित हुई है; और

(ग) इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों अर्थात् गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला-बलान, अधवारा नदी समूह, कोसी और महानन्दा के कारण अत्यधिक भूमि कटाव होता है। मुख्य गंगा की

पहुंच बक्सर से करागोला (मनिहार-घाट) से भी गंभीर कटाव होता है।

(ख) भूमि कटाव से प्रभावित क्षेत्र रिकार्ड का रखरखाव केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(ग) कटाव रोधी उपायों सहित बाढ़ प्रबंधन कार्यों की आयोजना और कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने बिहार से होकर गुजरने वाली तथा गंगा बेसिन की सभी 23 उप-बेसिनों के बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार की हैं और विस्तृत योजनाएं तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को भेजी हैं। इन विस्तृत योजनाओं में नदी तट कटाव नियंत्रण करने के विभिन्न उपायों के सुझाव शामिल हैं। राज्य सरकारों ने स्परों, स्टड्स, तलारोड, पलस्तरण, तट प्रस्तरण तथा स्क्रीन पाइल्स के रूप में विभिन्न उपाय किये हैं।

असिंचित भूमि

3075. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव** (जहानाबाद): क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 70 प्रतिशत से अधिक कृषि अभी भी असिंचित है; और

(ख) देश में नदी जल बंटवारे के विवादों के कारण किस हद तक हमारी सिंचाई क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं। वर्ष 1994-95 (अद्यतन), के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भू-उपयोग आंकड़ों के आधार पर देश में निवल बुवाई क्षेत्र 142.7 मिलियन हेक्टेयर में से 52.9 मिलियन हेक्टेयर निवल सिंचित क्षेत्र है जो करीब 37 प्रतिशत होता है।

(ख) अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद के कारण अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता का आकलन नहीं किया गया है।

राहत कार्यों में अनियमितता

3076. **श्री दादा बाबूराव परांजपे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जबलपुर में 22 मई, 1997 को आए विनाशकारी भूकम्प के पश्चात् किए गए बचाव और राहत कार्यों के संबंध में ग्वालियर में महालेखाकार के कार्यालय द्वारा कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) मई, 1997 में जबलपुर में आये भूकम्प के बाद चलाये गये बचाव और राहत कार्यों में अनियमितता बरते जाने की कोई रिपोर्ट महालेखाकार, ग्वालियर से प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, महालेखाकार, ग्वालियर से आवश्यक सूचना देने के लिए अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

कश्मीर मुद्दा

3077. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:**
श्री गुरूदास कामत:
श्री मोहन सिंह:
श्री के.एस. राव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परमाणु परीक्षणों के पश्चात कश्मीर समस्या के संबंध में कितने देशों ने मध्यस्थता करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे प्रस्तावों पर कोई प्रतिक्रिया की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सरकार पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने और सभी अनसुलझे मसलों को सीधे द्विपक्षीय विचार-विमर्श एवं बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के लिए कोई स्थान नहीं है। इस दृष्टिकोण की जानकारी राजनयिक और राजनीतिक स्तरों पर सरकारी वक्तव्यों तथा बातचीत के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को दे दी गई है।

[हिन्दी]

कैलाश मानसरोवर यात्रा

3078. **श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि की सहायता दी गई;

(घ) क्या सरकार का इस सहायता राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) चीन के साथ द्विपक्षीय करार के अंतर्गत कैलाश और मानसरोवर की तीर्थ यात्रा 1982 में शुरू हुई थी, यह यात्रा प्रत्येक वर्ष जून और सितम्बर के मध्य होती है। यह यात्रा लिपुलेख दर्रे (उत्तर प्रदेश) से होकर गुजरती है।

विदेश मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार/रेल मंत्रालय, और गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, कुमायुं मण्डल विकास निगम और भारतीय रिजर्व बैंक जैसी राज्य सरकारी एजेंसियों की सहायता से यह यात्रा आयोजित करता है।

इस यात्रा में भाग लेने के लिए प्रत्येक वर्ष समाचार पत्रों, टेलीविजन तथा रेडियो पर विज्ञापन देकर भारतीय राष्ट्रिकों के आवेदन मंगाए जाते हैं। आवेदनों को "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर पंजीकृत किया जाता है। सभी आवेदकों को शारीरिक तथा चिकित्सकीय तौर पर फिट होना अपेक्षित है तथा यात्रा शुरू करने की अनुमति दिए जाने से पूर्व उन्हें नई दिल्ली तथा गुन्जी (उत्तर प्रदेश) में चिकित्सकीय जांच करानी होती है।

सरकार तीर्थयात्रियों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है उनमें चिकित्सा सहायता, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की सहायता से सुरक्षा तथा मार्ग रक्षा, दिल्ली तथा भारतीय पक्ष तथा चीन में यात्रा मार्ग में पड़ने वाले स्थानों के बीच संचार संपर्क, यात्रा प्रचार की लागत और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की आंशिक लागत, भारतीय सीमा में संभारतंत्र तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं। सरकार आपातकालीन परिस्थितियों में तीर्थ यात्रियों को हवाई मार्ग से निकालने पर आने वाला खर्च भी वहन करती है। तीर्थ यात्रियों के प्रत्येक दस्ते के साथ सरकार एक सम्पर्क अधिकारी भेजती है।

(ग) यात्रा के प्रबंधों के लिए सरकार कुमायुं मंडल विकास निगम को 1996 से प्रत्येक वर्ष तीन हजार दो सौ पच्चास रुपये (3250/-) प्रति तीर्थ यात्री की दर से प्रदान कर रही है।

(घ) इस राशि को बढ़ाए जाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण

3079. श्री भर्तृहरि मेहताब: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने उड़ीसा सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरी हो जाने के पश्चात् राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल को लाभ होगा;

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना दिनांक 5.1.1995 के समझौते के तहत 270.587 मिलियन अमेरिकी डालर की आई.डी.ए. ऋण सहायता के साथ कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना 31.1.1996 को शुरू की गई थी और मई, 1998 तक 74.993 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का उपयोग किया गया है।

(ग) इस परियोजना के पूरा होने पर 3,29,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लाभान्वित होने की आशा है।

(घ) इस परियोजना के सितम्बर, 2002 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

(ङ) भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच 5 जनवरी, 1995 को एस.डी.आर. 194,800,00 (270.587 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर) के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे।

[हिन्दी]

लाभकारी मूल्य/समर्थन मूल्य

3080. डा. प्रभा ठाकुर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को उनके फसल का लाभकारी मूल्य समय पर दिलाने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति के किस समय तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है तथा अलग-अलग फसलों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए किन मापदंडों को अपनाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कृषि उत्पाद के लिए पहले से अनुसरण की जा रही सरकारी मूल्य निर्धारण नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना है ताकि अधिक निवेश और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और सार्वजनिक तथा सहकारी अभिकरणों के माध्यम से क्रय प्रचालन का आयोजन करती है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार तथा अन्य संगत कारकों पर ध्यान देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों का रूपान्वयन करते हुए कृषि लागत और मूल्य आयोग निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हैं:

(1) उत्पादन की लागत

(2) आदान के मूल्यों में परिवर्तन

(3) आदान/उत्पादन मूल्य की समानता

(4) बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति

(5) मांग और पूर्ति की स्थिति

(6) अंत:फसल मूल्य की समानता

(7) औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव

(8) सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव

(9) जीवन निर्वाह लागत पर प्रभाव

(10) अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मूल्य स्थिति

(11) किसानों द्वारा दिए गए मूल्य और प्राप्त किए गए मूल्य में समानता (व्यापार की शर्तें)।

[अनुवाद]

कृषि आदान लागत

3081. डा. उल्हास वासुदेव पाटील: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न कृषि आदान लागतों का आंकलन करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीजों और कीटनाशकों का बिक्री मूल्य उत्पादन की वास्तविक लागत के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का बीजों और कीटनाशकों के मूल्य की अपेक्षित स्तर तक नियंत्रित और नियमित करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत का अनुमान लगाने की प्रक्रिया प्रमुख फसलों की खेती की लागत के अध्ययन संबंधी योजना के अंतर्गत आती है। बीज, उर्वरक तथा कीटनाशियों जैसे आदानों की लागत निम्नलिखित फसलों के लिए आंकी जाती है; धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, अरहर, मूंग, उड़द, चना, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, रेपसीड/सरसों, तोरिया, कुसुम, खोपरा, तिल, रामतिल, कपास, पटसन, तम्बाकू तथा गन्ना।

(ग) से (ङ) उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य पर सांविधिक नियंत्रण लगाने एवं बीजों और कीटनाशियों के बीच संबंध स्थापित करने के बारे में कोई नीति नहीं है।

सहकारी संस्थाएं

3082. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1998 के ''द हिन्दू'' में प्रकाशित समाचार ''इन्वोल्व वीकर सेक्शन्स इन कोआपरेटिव सेक्टर'' की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पंचायती राज की भांति सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को योजना तथा गैर-योजना धनराशि के लिए मान्यता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सहकारिता क्षेत्र की उपेक्षा के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) सरकार इस विचार से सहमत है कि ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता को समाप्त करने के लिए सहकारिता क्षेत्र को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। कमजोर वर्ग सहकारिता आन्दोलन में भाग ले रहे हैं। तथापि उनकी भागीदारी को सुदृढ़ एवं अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है। सहकारिताओं में उचित वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उनमें अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की आवश्यकता है। सरकार विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारिताओं को प्रोत्साहन दे रही है ताकि विभिन्न सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वे एक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

(ग) सहकारिताएं स्वैच्छिक संस्थाएं हैं एवं पंचायती राज संस्थाओं की तरह उन्हें संवैधानिक सुरक्षा देना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) और (ङ) सरकारी व्यय का योजना एवं गैर-योजना के रूप में वर्तमान वर्गीकरण कुछ कारकों पर आधारित है एवं इस प्रकार के वर्गीकरण से सहकारिताओं की वित्तीय आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं होती।

बिहार में मक्का के उपयोग के लिए उद्योग

3083. **श्री राजवंशी महतो:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में मक्का के उत्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या राज्य में मक्का के उपयोग के लिए कोई उद्योग नहीं है जिसके परिणामस्वरूप राज्य के किसानों को मक्का के अपने उत्पादन को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी मूल्य से नीचे बेचना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार की बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में मक्का आधारित उद्योग स्थापित करने की कोई योजना/कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कहां पर स्थापित किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी वाणिज्यिक सेवा कार्यालय

3084. **श्री चन्दूलाल अजमीरा:**
श्री जी. गंगा रेड्डी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में अमेरिकी तथा विदेशी वाणिज्यिक सेवा कार्यालय स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो जल्द मंजूरी दिए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हाँ।

(ख) अमरीका की सरकार ने हैदराबाद सहित कुछ भारतीय नगरों में विदेश वाणिज्यिक सेवा कार्यालय खोलने का अनुरोध किया था। बंगलौर, पुणे और अहमदाबाद में इस प्रकार के कार्यालय खोलने के बारे में निर्णयों से पहले ही अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

कृषि लागत तथा मूल्य आयोग

3085. श्री दरोगा प्रसाद सरोज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्नों के मूल्य-निर्धारण में कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की क्या भूमिका है;

(ख) क्या आयोग की सिफारिशों का सरकार द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किसानों को लाभकारी मूल्य देने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य सरकार को कृषि जिंसों की मूल्य नीति के बारे में सलाह देना है ताकि अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जरूरतों की दृष्टि से एक संतुलित और समेकित मूल्य संरचना का विकास किया जा सके और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों पर पूरा ध्यान दिया जा सके।

(ख) और (ग) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशें ज्यादातर स्वीकार कर लेती है। हालांकि, रिपोर्ट के आ जाने के बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों में सुधार कर सकती है।

(घ) सरकार की कृषि उत्पादों की मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है ताकि उनको और ज्यादा निवेश और उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उपयुक्त कीमतों पर आपूर्ति उपलब्ध करा कर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जा सके। सरकार हर मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और सार्वजनिक और सहकारी अभिकरणों जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जूट निगम, भारतीय कपास निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और तम्बाकू बोर्ड आदि के माध्यम से खरीद करती है इसके अलावा राज्य सरकारें भी अन्य अभिकरणों को इस कार्य के लिए नियुक्त करती है।

[अनुवाद]

आम अनुसंधान केन्द्र

3086. श्री पी. उपेन्द्र: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आमों के विपणन और निर्यात के लिए सरकार का आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नुजविद में सभी सुविधाओं से युक्त एक आम अनुसंधान केन्द्र और आम बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आंध्र प्रदेश में आम पर अनुसंधान के बारे में, आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद के फल अनुसंधान केन्द्र, सांगारेड्डी में अपनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत 1971 से सहायता दी जा रही है। इस केन्द्र में नुजविद क्षेत्र में आम के बारे में अनुसंधान का कार्य भी किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वीड पार्थेनियम

3087. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "वीड पार्थेनियम हिस्टरोफॉम्स" (जिसे हिन्दी में "चटक" तथा मराठी में "गजर गनात" कहा जाता है) के कारण विभिन्न इलाकों में रह रहे लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है तथा इससे कृषि विकास में भी बाधा आ रही है;

(ख) क्या कृषि वैज्ञानिकों का विचार इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को सहायता देने का है; और

(ग) इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों से परामर्श लेते हुये पार्थिनियम हिस्टरोफोम्स खर-पतवार पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं-

1. खर-पतवार पर नियंत्रण करने के लिए बहुत से उपायों की सिफारिश की गई है। इनमें ये शामिल हैं:-

   - मानसून आने के तत्काल बाद खर-पतवार को उखाड़ना।
   - 15% साधारण नमक के घोल का पत्तियों पर छिड़काव, 2, 4-डी का छोटे पौधों पर छिड़काव तथा पैराक्वेट का परिपक्व पौधों पर छिड़काव।
   - खर-पतवारों की पैदावार को रोकने के लिए पैराक्वेट तथा डाईयूरान/अट्राजाइन का पूरे पौधे पर छिड़काव।
   - सामुदायिक प्रयास जुटाना।

(2) खर-पतवार नियंत्रण के उपायों के संबंध में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार तथा खर-पतवार नियंत्रण के संबंध में साहित्य का वितरण।

(3) खर-पतवार संबंधी प्रबंध की बेहतर पद्धतियां विकसित करने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

[हिन्दी]

बागवानी संबंधी योजनाएं

3088. श्री बलीराम कश्यप: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में उन्नत कृषि के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई बागवानी संबंधी योजनाओं को धन के अभाव के कारण बंद करने का खतरा पैदा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं का पुन: उत्थान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में धनराशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की आशा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश में फलों, सब्जियों, कन्द एवं मूल फसलों, पुष्पकृषि, खुम्भी, कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग, चिकित्सकीय एवं सुगंधित पौधे, काजू एवं मसालों के समेकित विकास के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन कर रहा है। स्कीमों के अंतर्गत आवंटन मध्य प्रदेश सरकार को दी जाती है। राज्य सरकार आवश्यकता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर जिलावार आवंटन करती है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 297.66 लाख रु. जारी किए हैं। 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार के पास 204.19 लाख रु. की अव्ययित शेष राशि है। तथापि चालू वर्ष के लिए 665.18 लाख रु. का नया आवंटन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा धन के उपयोग के आधार पर उसे जारी किया जाएगा।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

3089. श्री कल्लाप्पा आवाडे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कताई मिलों तथा सहकारी चीनी मिलों की अंशदान तथा कार्यशील पूंजी के लिए कोई वित्तीय प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है तथा इस प्रावधान के अंतर्गत किन-किन मिलों को धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मंजूर की गई धनराशि जारी किया जाना अभी बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई धनराशि को जल्द से जल्द जारी किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी कताई और चीनी मिलों की इक्विटी में सहभागिता के लिए राज्य सरकारों को निवेश

ऋण सहायता देता है। नए मिलों हेतु निवेश ऋण तथा वर्तमान मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधीकरण के लिए आवधिक ऋण देने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सहकारी कताई और चीनी मिलों की सहायता करने के लिए क्रमशः 32.00 करोड़ रु. और 98.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1998-99 में अब तक किसी सहकारी कताई मिल को धन नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कार्यकारी पूंजी सहायता नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने चीनी मिलों की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को तथा तीन वर्तमान चीनी मिलों के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को 19.6.1998 को निवेश ऋण सहायता मंजूर की है। इस संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	मिल का नाम	करोड़ रुपये में मंजूर की गई रकम
1.	रयातार (कर्नाटक)	8.92
2.	जय अम्बिका (महाराष्ट्र)	1.17
3.	हुतात्मा (महाराष्ट्र)	1.17
4.	शिवाजीराव (महाराष्ट्र)	0.90
	कुल	12.16

(ग) चीनी मिलों के लिए महाराष्ट्र सरकार को 4 मिलों के लिए वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान स्वीकृत 20.18 करोड़ रुपये अभी जारी करने हैं।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम महाराष्ट्र राज्य सरकार से मामले पर कार्यवाही करने हेतु आग्रह कर रहा है।

[अनुवाद]

लू

3090. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती जयन्ती पटनायक:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष भारत में लू से सर्वाधिक मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 से लू से होने वाली मौतों का राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिन्हें समय पर और पर्याप्त चिकित्सा द्वारा बचा लिया गया;

(घ) उन राज्यों में सहायता और पुनर्वास संबंधी उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मांगी गई और उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान की सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष गर्म हवा/लू से 1714 जानें गयीं।

(ख) पिछले वर्षों में लू से हुई मौतों के आंकड़े तुरन्त सुलभ नहीं हैं।

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि 1224 लोगों को अस्पतालों में दाखिल किया गया था। अन्य किसी राज्य से ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) सूचना के मुताबिक उड़ीसा सरकार ने शोकग्रस्त परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 50.00 लाख रुपये तथा कमी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करने के लिए 3.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की राजस्थान सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 6.00 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं ऐसी सूचना मिली है।

(ङ) किसी भी राज्य ने अभी तक केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा

3091. श्री देवेन्द्र बहादुर राय: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बिजली की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) सौर ऊर्जा के छोटे पैमाने पर उपयोग के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा उन संयंत्रों की लागत तथा दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, देश में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि के लिए अपारंपरिक उर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने हेतु बहुत सारे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन कार्यक्रमों में शामिल हैं:-

(1) ग्रिड में आपूर्ति करने तथा बैटरी चार्ज करने के लिए पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन।

(2) लघु पन बिजली।

(3) खोई आधारित सह-उत्पादन।

(4) बायोमास गैसीकरण तथा दहन से विद्युत।

(5) रोशनी, पंपन, ग्रामीण स्तर विद्युत आपूर्ति तथा ग्रिड में विद्युत आपूर्ति के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां।

(6) इलेक्ट्रिक गीजरों के लिए प्रति स्थापक के रूप में सौर जल तापन प्रणालियां।

(7) शहरी व औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति।

(ख) सौर ऊर्जा के छोटे पैमाने पर उपयोग के लिए विभिन्न युक्तियों तथा प्रणालियों पर विभिन्न योजनाओं, अनुमानित लागत व आर्थिक राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न सौर ऊर्जा युक्तियों तथा प्रणालियों पर लागत तथा आर्थिक राजसहायता

युक्तियां/ प्रणालियां	लागत (रु./इकाई)	आर्थिक राजसहायता (रु./इकाई)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम			
सौर लालटेन	4,200	1,500	
घरेलू रोशनी प्रणाली	12,000	6,000*	
सड़क रोशनी प्रणालियां	20,000	12,000*	आर्थिक राजसहायता केवल सामुदायिक उपयोग के लिए न कि व्यक्तिगत अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए
विद्युत संयंत्र	4,00,000	2,00,000*	आर्थिक राजसहायता केवल सामुदायिक उपयोग के लिए न कि व्यक्तिगत अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए
एस.पी.वी. जल पंपन कार्यक्रम			
सौर पंपन प्रणालियां	लगभग 300 रु. प्रति पीक वाट	125 प्रति पीक वाट	आर्थिक राजसहायता अधिकतम 2,00,000 रु. प्रति प्रणाली के अध्यधीन है।

1	2	3	4
सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम			
सौर जल तापक प्रणालियां	120-150 प्रति लीटर	शून्य	ब्याज आर्थिक राजसहायता भारतीय अक्षय उर्जा, उर्जा विकास संस्था तथा कुछ वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋणों पर दी जा रही है।
सौर कुकर कार्यक्रम			
सौर कुकर	850-2,000	शून्य	ब्याज आर्थिक राजसहायता भारतीय अक्षय उर्जा, उर्जा विकास संस्था तथा कुछ वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋणों पर दी जा रही है।

*अथवा प्रणाली की लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो।

अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम

3092. श्री भगवान शंकर रावत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके सहयोग से इस समय हमारा अंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम चल रहा है;

(ख) क्या भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका में अध्ययन केन्द्र स्थापित किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम.आर. जनार्दनन): (क) भारत, जिन देशों के साथ अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम में सहभागीदारी कर रहा है वे हैं: जर्मनी, इटली, अर्जेन्टीना एवं पेरू।

(ख) और (ग) भारत ने अंटार्कटिक में कोई अध्ययन केन्द्र स्थापित नहीं किया है। हालांकि विभाग द्वारा हाल ही में गोवा में अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ध्रुवीय विज्ञान एवं संभारतंत्र में समन्वय हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। अंटार्कटिक विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए इसमें विशिष्ट प्रयोगशालाएं भी होंगी।

सेवाओं में श्रेणीवार प्रतिनिधित्व

3093. श्री रामदास आठवले:
श्री टी.आर. बालू:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का श्रेणीवार प्रतिशत क्या है;

(ख) इन श्रेणियों के कितने अधिकारी आज की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव तथा इनसे उच्च पदों पर अलग-अलग कार्यरत हैं;

(ग) 31 दिसंबर, 1996 तथा 1997 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त श्रेणियों के लिए विभिन्न विभागों में राज्यवार रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) 01.01.1995 की स्थिति के अनुसार, सफाई कर्मचारियों को छोड़कर, अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का श्रेणीवार प्रतिशत क्रमशः 17.43 और 5.78 था। 01.01.1995 की स्थिति के अनुसार, 08.09.1993 से भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 0.2 प्रतिशत था।

(ख) दिनांक 01.07.1998 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र में संयुक्त सचिव और उससे उच्चतर पदों पर कार्यरत 25 अधिकारी अनुसूचित जाति के और 22 अधिकारी अनुसूचित जनजाति के थे। अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्चतर पदों पर कार्यरत होने के बारे में कोई रिकार्ड नहीं है क्योंकि ये अधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किए जाने के बहुत पहले से ही सामान्य उम्मीदवारों के रूप में भर्ती किए गए थे।

(ग) इस बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

3094. श्रीमती जयन्ती पटनायक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण उड़ीसा में कुछ बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हेतु राज्य को कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3095. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में, विशेषरूप से बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं; और

(घ) नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने और उन्हें सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा नियम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) मंत्रालय ने बिहार समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए और इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के सृजन हेतु अनेक कदम उठाए हैं। जुलाई, 1991 से मार्च, 1998 तक बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 2630 करोड़ रुपये के निवेश वाले और 2870 लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले 33 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। इसी अवधि के दौरान सरकार ने बिहार राज्य में संयुक्त उद्यम/शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के वास्ते 6 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की, जिनमें एक करोड़ रु. के विदेशी निवेश सहित 33 करोड़ रु. का निवेश शामिल है और इससे 593 लोगों को रोजगार मिलेगा।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी विभाग) द्वारा प्रकाशित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1994-95 के अनुसार देश में खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 29407 फैक्टरियां स्थित थीं। फैक्टरियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I के रूप में दी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों खासतौर पर फल और सब्जी क्षेत्र से संबंधित उद्योगों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत लागू फल उत्पाद आदेश के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। जनवरी, 98 तक फल उत्पाद आदेश के तहत 4932 फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को लाइसेंस दिए गए हैं। उनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंसमुक्त हैं। लाइसेंसमुक्त उद्योगों के मामले में केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश करना होता है। संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग/शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, निजी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

विवरण I

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (1994-95) के अनुसार फैक्टरी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	फैक्टरियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10183
2.	असम	734
3.	बिहार	433
4.	गोवा	34
5.	गुजरात	1270
6.	हरियाणा	600
7.	हिमाचल प्रदेश	46
8.	जम्मू और कश्मीर	69
9.	कर्नाटक	1221
10.	केरल	1170
11.	भध्य प्रदेश	1302
12.	महाराष्ट्र	2420
13.	मणिपुर	9
14.	मेघालय	3
15.	नागालैंड	5
16.	उड़ीसा	425
17.	पंजाब	1196
18.	राजस्थान	515
19.	तमिलनाडु	3792
20.	त्रिपुरा	22
21.	उत्तर प्रदेश	2652
22.	पश्चिम बंगाल	1089
23.	चंडीगढ़	36
24.	दमण तथा दीव	5
25.	दिल्ली	125
26.	पांडिचेरी	42
27.	अन्य	9
	कुल	29407

विवरण II

फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत फल और सब्जी यूनिटों का राज्यवार विभाजन

क्र.सं.	राज्य का नाम	फैक्टरियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	300
2.	असम	25
3.	बिहार	58
4.	गुजरात	260
5.	हरियाणा	151
6.	हिमाचल प्रदेश	90
7.	जम्मू और कश्मीर	83
8.	कर्नाटक	253
9.	केरल	387
10.	मध्य प्रदेश	103
11.	महाराष्ट्र	931
12.	मेघालय	14
13.	मणिपुर	9
14.	नागालैंड	5
15.	उड़ीसा	43
16.	पंजाब	309
17.	राजस्थान	110
18.	सिक्किम	3
19.	तमिलनाडु	452
20.	त्रिपुरा	4
21.	उत्तर प्रदेश	494
22.	प. बंगाल	296
23.	अंडमान और निकोबार	3
24.	अरुणाचल प्रदेश	3
25.	चंडीगढ़	54
26.	दादर तथा नागर हवेली	7
27.	दिल्ली	302
28.	गोवा, दमन और दीयू	160
29.	मिजोरम	3
30.	पांडिचेरी	14
	कुल	4932

[अनुवाद]

पौध संरक्षण

3096. श्री अजय कुमार एस. सरनायक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में पौध संरक्षण के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत देश में राज्यवार शुरू किए गए कीट नियंत्रक उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) सरकार पौध संरक्षण हेतु निम्नलिखित केन्द्रीय स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:-

(1) समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्र;

(2) टिड्डी नियंत्रण एवं अनुसंधान;

(3) कीटनाशी अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन;

(4) भारत में पौध संगरोध सुविधाओं का विस्तार; तथा

(5) पौध संरक्षण में प्रशिक्षण।

ये सभी स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं। समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्रों से संबंधित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को केवल जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए ही धनराशि निर्मुक्त की जाती है। पौध संगरोध प्रशिक्षण एवं टिड्डी नियंत्रण संबंधी अन्य स्कीमों का कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान संबंधित योजनाओं के बारे में पौध संरक्षण उपायों से संबंधित वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों का राज्यवार विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है, जो इस प्रकार है:-

(1) समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों से संबंधित स्कीम के अंतर्गत जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु राज्यों को दी गई धनराशि (विवरण I)

(2) समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्रों से संबंधित स्कीम के अंतर्गत नमूना टोही सर्वेक्षणों के तहत लाया गया क्षेत्र (विवरण II)

(3) समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्रों से संबंधित स्कीम के अंतर्गत खेतों में छोड़े गए जैव नियंत्रक जीव (विवरण III)

(4) समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों से संबंधित स्कीम के अंतर्गत फार्मर्स फील्ड स्कूल (विवरण IV)

(5) कीटनाशी अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना के तहत परीक्षित कीटनाशी नमूनों की संख्या विवरण V)

विवरण I

समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों से संबंधित स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये राज्यों को निर्गमित धनराशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.00	20.00	-
2.	आंध्र प्रदेश	-	17.50	17.50
3.	असम	-	37.50	-

1	2	3	4	5
4.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	20.00	–
5.	बिहार	–	–	30.00
6.	गोआ	–	–	20.00
7.	गुजरात	–	10.00	–
8.	हरियाणा	15.00	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	10.00	–	17.50
10.	जम्मू और कश्मीर	5.00	–	–
11.	कर्नाटक	10.00	20.00	–
12.	केरल	10.00	–	17.50
13.	लक्ष्यद्वीप	25.00	20.00	–
14.	महाराष्ट्र	–	–	12.50
15.	मध्य प्रदेश	10.00	–	–
16.	मणिपुर	20.00	20.00	–
17.	मेघालय	20.00	20.00	–
18.	मिजोरम	20.00	20.00	–
19.	नागालैंड	20.00	20.00	–

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	10.00	–	20.00
21.	पाण्डिचेरी	25.00	25.00	–
22.	पंजाब	5.00	25.00	–
23.	राजस्थान	5.00	25.00	–
24.	सिक्किम	20.00	20.00	–
25.	तमिलनाडु	17.50	–	–
26.	त्रिपुरा	–	40.00	–
27.	उत्तर प्रदेश (दो)	–	–	30.00
28.	पश्चिम बंगाल	–	10.00	–
	कुल	287.50	370.00	165.00

विवरण II

समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों से संबंधित स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान नमूना टोही सर्वेक्षणों के अंतर्गत शामिल क्षेत्र

(लाख है.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नमूना टोही सर्वेक्षण		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.039	0.038	0.251
2.	आंध्र प्रदेश	0.845	0.705	0.629

1	2	3	4	5
3.	असम	0.260	0.200	0.253
4.	बिहार	0.505	0.465	0.347
5.	गोआ	0.072	0.051	0.056
6.	गुजरात	0.520	0.444	0.473
7.	हरियाणा	0.555	0.505	0.534
8.	हिमाचल प्रदेश	0.083	0.083	0.492
9.	जम्मू और कश्मीर	0.110	0.097	0.134
10.	कर्नाटक	0.335	0.275	0.312
11.	केरल	0.220	0.200	0.025
12.	महाराष्ट्र	0.265	0.210	0.273
13.	मध्य प्रदेश	0.552	0.466	0.587
14.	मिजोरम	0.058	0.036	0.042
15.	नागालैंड	0.052	0.036	0.042
16.	उड़ीसा	0.235	0.236	0.287
17.	पंजाब	0.259	0.227	0.322

1	2	3	4	5
18.	राजस्थान	0.347	0.264	0.345
19.	सिक्किम	0.054	0.033	0.027
20.	तमिलनाडु	0.220	0.213	0.255
21.	उत्तर प्रदेश	0.779	0.699	0.851
22.	पश्चिम बंगाल	0.301	0.285	0.309
	कुल	6.653	5.770	7.150

विवरण III

समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्रों से संबंधित स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान खेतों में छोड़े गये जैव नियंत्रक एजेन्ट

(मिलियन)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छोड़े गये जैव नियंत्रण एजेन्ट		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	8.40
2.	आन्ध्र प्रदेश	156.45	159.75	173.20
3.	असम	4.15	5.25	47.50
4.	बिहार	28.75	28.85	47.70
5.	गोआ	5.60	4.98	8.50

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	178.60	128.00	60.95
7.	हरियाणा	149.85	151.80	134.05
8.	हिमाचल प्रदेश	53.44	52.59	94.65
9.	जम्मू और कश्मीर	50.05	49.25	56.10
10.	कर्नाटक	173.50	173.95	154.10
11.	केरल	3.55	4.05	13.80
12.	महाराष्ट्र	63.90	62.05	150.45
13.	मध्य प्रदेश	183.55	185.15	153.50
14.	मिजोरम	–	–	8.40
15.	नागालैंड	5.44	4.99	14.40
16.	उड़ीसा	157.55	136.55	151.50
17.	पंजाब	38.15	40.30	80.75
18.	राजस्थान	117.63	117.95	84.50
19.	सिक्किम	4.64	4.59	13.85
20.	तमिलनाडु	4.00	4.65	46.90
21.	उत्तर प्रदेश	154.54	148.15	231.40
22.	पश्चिम बंगाल	134.65	132.70	72.10
	कुल	1629.20	1603.50	1803.00

विवरण IV

समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों से संबंधित स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आयोजित फार्मर्स फील्ड स्कूल

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	फार्मर्स फील्ड स्कूलों की संख्या		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	10	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	152	100	48
3.	असम	104	100	22
4.	अरुणाचल प्रदेश	8	–	–
5.	बिहार	68	100	24
6.	गोआ	8	6	4
7.	गुजरात	80	100	20
8.	हरियाणा	72	84	24
9.	हिमाचल प्रदेश	20	24	24
10.	जम्मू और कश्मीर	32	24	16
11.	कर्नाटक	100	128	32
12.	केरल	20	32	8

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	288	260	32
14.	मध्य प्रदेश	112	32	44
15.	मणिपुर	16	–	–
16.	मिजोरम	16	14	12
17.	नागालैंड	16	16	4
18.	उड़ीसा	32	14	24
19.	पांडिचेरी	12	–	–
20.	पंजाब	108	100	32
21.	राजस्थान	96	100	24
22.	सिक्किम	–	–	8
23.	तमिलनाडु	36	100	21
24.	उत्तर प्रदेश	144	64	64
25.	पश्चिम बंगाल	72	28	13
	कुल	1616	1436	504

विवरण V

कीटनाशी अधिनियम 1968 के कार्यान्वयन संबंधी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान परीक्षण किये गये कीटनाशी नमूनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला में विश्लेषित नमूने		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	166	191	121
2.	असम	4	–	–
3.	बिहार	12	25	3
4.	दिल्ली	26	51	12
5.	गुजरात	22	16	–
6.	हरियाणा	108	142	149
7.	हिमाचल प्रदेश	2	–	–
8.	जम्मू व कश्मीर	6	–	79
9.	कर्नाटक	1	–	5
10.	केरल	2	–	–
11.	महाराष्ट्र	22	21	36
12.	मध्य प्रदेश	180	300	19

1	2	3	4	5
13.	नागालैंड	1	–	–
14.	उड़ीसा	22	10	1
15.	पांडिचेरी	2	–	3
16.	पंजाब	199	178	277
17.	राजस्थान	32	36	36
18.	तमिलनाडु	1	–	6
19.	उत्तर प्रदेश	99	87	98
20.	पश्चिम बंगाल	81	21	–
	योग	978	1078	845

कीटनाशी अधिनियम 1968 के कार्यान्वयन संबंधी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषित कीटनाशी नमूनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषित नमूने		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	19	113
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	3	15
3.	असम	–	2	–

1	2	3	4	5
4.	बिहार	28	10	25
5.	चंडीगढ़	–	–	3
6.	दिल्ली	75	166	29
7.	हरियाणा	–	53	108
8.	हिमाचल प्रदेश	25	17	51
9.	जम्मू व कश्मीर	–	1	25
10.	मध्य प्रदेश	–	425	596
11.	मणिपुर	1	2	16
12.	मेघालय	7	15	8
13.	नागालैंड	–	–	1
14.	पंजाब	46	101	82
15.	राजस्थान	1	3	50
16.	सिक्किम	–	4	7
17.	त्रिपुरा	51	79	82
18.	उत्तर प्रदेश	14	–	–
19.	पश्चिम बंगाल	65	183	146
	योग	613	1083	1362

धान का समर्थन मूल्य

3097. श्री के. येरननायडू:
श्री मोहन सिंह:
श्री सी.पी. राधाकृष्णन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान धान के कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जापान या चीन की प्रति हेक्टेयर धान के उत्पादन के बराबर भारत में भी उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई विशेष योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जल भराव वाले क्षेत्रों में धान के बीजों की गुणवत्ता के प्रसंस्करण तथा सुधार के लिए कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) चावल का उत्पादन 1996-97 के 81.31 मिलियन टन के मुकाबले वर्ष 1997-98 के दौरान 83.52 मिलियन टन आंका गया है।

(ख) और (ग) देश में चावल सहित अनाज फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई सी डी पी-चावल, आई सी डी पी-गेहूं तथा आई सी डी पी-मोटे अनाज) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा चावल की नई किस्मों को खेती शुरू करने/लोकप्रिय बनाने के लिए एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित "चावल बीज मिनिकिट" कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहरहाल धान का प्रति हैक्टेअर उत्पादन बढ़ाकर जापान अथवा चीन के बराबर करने के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) जलमग्न स्थितियों में धान की उन्नत किस्मों/बीजों के लिए केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, आई.सी.ए.आर., कटक तथा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान केन्द्रों में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। चावल अनुसंधान निदेशालय, आई.सी.ए.आर., हैदराबाद के अंतर्गत अखिल भारतीय चावल उन्नयन परियोजना द्वारा समन्वित परीक्षण भी किये जा रहे हैं।

(च) से (ज) चालू वर्ष के दौरान धान की रिकार्ड खरीद के मद्देनजर धान के लिए 1997-98 के मौसम हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलादेश के साथ बातचीत

3098. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को बंगलादेश के साथ सिंचाई आर्थिक सीमा और अन्य मुद्दों से संबंधित बातचीत की विभिन्न अवस्थाओं में संलग्न रखने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) बंगलादेश की सरकार के साथ बहुत से मसलों पर बातचीत के विभिन्न स्तरों पर भारत सरकार से पश्चिमी बंगाल की सरकार को भी शामिल किया है। पश्चिमी बंगाल की सरकार के प्रतिनिधियों ने गंगा जल बंटवारे के संबंध में बंगलादेश के साथ वार्ता में, संयुक्त नदी आयोग की बैठकों में, सीस्ता नदी पर बातचीत में तथा मोटर वाहन करार पर बातचीत में भाग लिया है।

[हिन्दी]

शाह नहर

3099. **श्री सुरेश चंदेल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1995 में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच शाह नहर के संबंध में निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्णय के अनुसार पंजाब द्वारा हिमाचल प्रदेश को कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब द्वारा हिमाचल प्रदेश को भुगतान की गयी राशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) पंचाट के अनुसार इस परियोजना की पक्की नहर की संयुक्त क्षमता 10.30 क्यूमेक्स (364 क्यूसेक्स) होगी और 7.08 क्यूमेक्स (250 क्यूसेक्स) नहर क्षमता के लिए लागत 4 अगस्त, 1983 के समझौते के अनुसार पंजाब और हिमाचल प्रदेश द्वारा वहन की जाएगी। 10.30 क्यूमेक्स (364 क्यूसेक्स) और 7.08 क्यूमेक्स (250 क्यूसेक्स) के बीच की क्षमता के अंतर की शेष लागत अर्थात 3.22 क्यूमेक्स (114 क्यूसेक्स) हिमाचल प्रदेश द्वारा वहन की जाएगी। तथापि, पंजाब और हिमाचल प्रदेश द्वारा भुगतान किये जाने वाले लागत हिस्से को पंचाट में रुपयों में नहीं दर्शाया गया है।

(ग) पंजाब ने अभी तक अपने बकायों का भुगतान नहीं किया है।

इलेक्ट्रानिक मेल में हिन्दी का प्रयोग

3100. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटर पर विभिन्न कार्यों को हिन्दी में करने की प्रणाली का विकास हो जाने पर इलेक्ट्रॉनिक मेल में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार के द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) इन्टरनेट बेब ब्राउजिंग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए तथा हिन्दी में इलेक्ट्रॉनिक मेल को सम्भव बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे (इलेक्ट्रानिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था) में संयुक्त रूप से एक ऐसे सर्वर सॉफ्टवेयर के विकास की परियोजना शुरू की है जिसके माध्यम से हिन्दी में इलेक्ट्रॉनिकी डाक भेजना/प्राप्त करना संभव होगा। इस परियोजना में भारतीय भाषाओं में बेब पृष्ठों के सृजन, सम्पादन एवं परस्पर सक्रिय रूप से उसकी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करना भी शामिल है।

[अनुवाद]

संस्कृति विभाग

3101. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने भारतीय दूतावासों में अलग से संस्कृति विभाग हैं;

(ख) इन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम अर्हता क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करने का है जिससे भारतीय मूल के बालक भारत के प्रति लगाव रख सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारतीय मिशनों को सौंपी गई महत्वपूर्ण, जिम्मेदारियों में एक यह है कि सम्बद्ध देशों में भारतीय संस्कृति के प्रति समझबूझ बढ़ाई जाए और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाया जाए। यह हमारे मिशनों और केन्द्रों की कार्य-प्रणाली का अभिन्न अंग है और भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व है। अनेक मिशनों और केन्द्रों में यह ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें केवल सांस्कृतिक कार्य ही सौंपा गया होता है और अन्य मिशनों में ऐसे अधिकारी यह कार्य करते हैं जो अपने समग्र कार्यों के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सांस्कृतिक कार्य देखते हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी परिवीक्षा अवधि के समय से ही सांस्कृतिक कार्य के लिए आवश्यक योग्यता को विकसित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। सांस्कृतिक क्रिया-कलाप और सांस्कृतिक राजनयता विदेश सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण का अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के विश्व के विभिन्न भागों में 14 भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र हैं जिन्हें संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ग) और (घ) हमारे विदेश स्थित मिशनों के घनिष्ठ सहयोग से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् भारतीय मूल के बच्चों और

अन्य इच्छुक छात्रों के लिए नृत्य, संगीत और भारतीय भाषाओं जैसी भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं पर अनुदेश देती है। परिषद विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है और पुस्तकालयों का रख-रखाव भी करता है जहां कला और संस्कृति पर भारतीय समुदाय के उपयोग के लिए पुस्तकें और श्रृव्य-दृश्य सामग्री उपलब्ध होती है।

विवरण

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के निम्न देशों में 14 भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र हैं

1. अल्माती, कजाकस्तान
2. बर्लिन, जर्मनी
3. काहिरा, मिस्र
4. कोलम्बो, श्रीलंका
5. डर्बन, दक्षिण अफ्रीका
6. जार्ज टाऊन, गयाना
7. जकार्ता, इण्डोनेशिया
8. जोहन्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका
9. लन्दन, यू.के.
10. मास्को, रूस
11. पारामारिबो, सूरीनाम
12. पोर्ट लुई, मारीशस
13. पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनीडाड और टोबेगो
14. ताशकन्द, उज़बेकिस्तान

[अनुवाद]

कश्मीर का मुद्दा

3102. श्री गुरुदास कामत: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उपमहाद्वीप में हाल ही में किए गए परमाणु परीक्षणों से कश्मीर समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक विकसित देशों का यह कहना है कि कश्मीर एक विवादास्पद मुद्दा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) जिनेवा में 4 जून, 1998 को सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों के सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति 6 जून, 1998 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प सं. एस/1172/1998, और 12 जून, 1998 को लन्दन में सम्पन्न जी-8 विदेश मंत्रियों की बैठक के संयुक्त वक्तव्य में जम्मू तथा कश्मीर का उल्लेख किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प में किए गए जम्मू तथा कश्मीर के जिक्र के उत्तर में प्रधान मंत्री ने 8 जून, 1998 को इस सम्माननीय सदन को यह बताया था कि "माननीय सदस्यों ने कश्मीर मुद्दे के अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों के प्रति घोर आपत्तियां व्यक्त की। ऐसे अन्तर्राष्ट्रीयकरण को भारत द्वारा कभी भी स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने अपने संकल्प में कश्मीर का उल्लेख किया है। यह अस्वीकार्य है और इससे इस वास्तविकता में हुई परिवर्तन नहीं होता है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें इस संकल्प में कश्मीर का जिक्र हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने यह स्वीकार किया कि भारत-पाकिस्तान संबंधों का आधार द्विपक्षीय बातचीत होना चाहिए और कश्मीर सहित अन्य अनसुलझे मसलों के लिए परस्पर स्वीकार्य समाधान निकाला जाना चाहिए। यह हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है।

भारत-पाक संबंध

3103. श्री तारिक अनवर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत-पाक और चीन-भारत संबंध खराब हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबंधों को पुन: बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग)

भारत-पाक संबंध:

भारत पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण संबंध एवं स्थायी सहयोग कायम करना चाहता है। हमने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है और इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिसमें इस उद्देश्य को ध्यान में न रखा गया हो। तथापि, पाकिस्तान का उद्देश्य जम्मू तथा कश्मीर और अन्यत्र आतंकवाद को बढ़ावा देने तथा उसे समर्थन के जरिए, और उच्च स्तर का दुष्प्रचार करने के द्वारा, जिसमें हमारे परीक्षणों के बाद अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है, भारत को नुकसान पहुंचाने का रहा है। हम पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मसलों का समाधान निकालने के लिए वार्ता में लगे रहने के अपने सफल प्रयास जारी रखेंगे।

भारत-चीन संबंध:

चीन ने 11 मई और 13 मई के हमारे परीक्षणों की घोर निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने 12 मई तथा 14 मई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा दिए गए प्रेस वक्तव्य के हवाले से यह कहा है कि उन्हें इससे गहरा धक्का लगा है; हमारी कार्रवाई की घोर निन्दा की है; भारत पर, आधिपत्य चाहने के लिए, दक्षिण एशिया में नाभिकीय हथियारों की दौड़ में शामिल होने का आरोप लगाया है; इस बात से इंकार किया है कि भारत को चीन से कोई नाभिकीय खतरा है और कहा है कि नाभिकीय हथियार विकसित करने का यह एक बहाना है; तथा उसने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि वह अपने नाभिकीय हथियार कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए भारत पर दबाव डाले।

हमने 16 मई के अपने प्रेस वक्तव्य में कहा है कि चीन का यह आरोप निराधार और अनुचित है कि भारत आधिपत्य की कामना करता है, इससे केवल तनाव को कम करने की प्रक्रिया तथा क्षेत्रीय सहयोग के जरिए शान्ति और स्थिरता को बढ़ावा देने में बाधा उत्पन्न होगी।

हम अपने सबसे बड़े पड़ोसी देश चीन सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि भारत और चीन द्वारा संयुक्त रूप से घोषित शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत हमारे दोनों देशों के संबंधों के विकास के लिए आज भी प्रासंगिक हैं।

अपनी ओर से हम चीन के साथ कोई विवाद नहीं चाहते हैं। हम ऐसे संबंध चाहते हैं जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे की हित-चिन्ताओं के प्रति उत्तरदायी हों। हम अनसुलझे विवादों के समाधान और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण, सहयोगी, अच्छे पड़ोसी के तथा परस्पर लाभकारी संबंध विकसित करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया के प्रति बचनबद्ध हैं।

[हिन्दी]

पेंशन संबंधी मामले

3104. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार पेंशन का भुगतान करने संबंधी कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पेंशन संबंधी मामलों का निपटान करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन): (क) से (ग) पेंशन की स्वीकृति तथा इसके भुगतान की प्रणाली विकेन्द्रीकृत आधार पर चलती है। अत: जिस प्रकार से तारीखों का विवरण चाहा गया है, वह उपलब्ध नहीं है। पेंशन की स्वीकृति में कम से कम विलम्ब होने देने की दृष्टि से जनवरी, 1987 में अनुदेश जारी करके विभागों/कार्यालयों के अध्यक्षों को अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर सेवा-निवृत्ति की तारीख तक-अनन्तिम अथवा अंतिम-तथा निवृत्ति उपदान के संबंध में प्राधिकरण पत्र का जारी किया जाना सुनिश्चित करने के बारे में जारी किए गए सरकार के आदेशों के कड़ाई से पालन हेतु जवाबदेह बनाया गया है। अधिवर्षिता पर, सेवा-निवृत्ति की तारीख को, अनन्तिम अथवा अंतिम पेंशन की संस्वीकृति का जारी किया जाना सुनिश्चित करने के बारे में जारी किए गए सरकार के अनुदेश समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाए जाते हैं।

[अनुवाद]

राजस्थान में भूमिगत जल

3105. **कर्नल सोनाराम चौधरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान के कुछ सूखा प्रवण जिलों में भूमिगत जल का स्तर तेजी से गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में उन मुख्य जलापूर्ति योजनाओं की पहचान कर ली है जो निष्क्रिय हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा इन जिलों में भूमिगत जल के गिरते स्तर को रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को इस प्रयोजन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालिक प्रेक्षणों से पता चलता है कि पश्चिमी राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर और उदयपुर जैसे सूखा प्रवण जिलों में भूजल के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है।

(ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार ने राज्य में ऐसी किसी भी मुख्य जल आपूर्ति स्कीम की पहचान नहीं की है जो निष्क्रिय हो गई है।

(घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रवण जिलों सहित देश में भूजल के स्तर में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं:

(1) भूजल प्रबन्धन और विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन।

(2) राजस्थान सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को एक माडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के निगमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(3) सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मैनुअल परिचालित करना ताकि वे भूजल स्तरों में होने वाली गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशेषीकृत कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें बना सकें।

(ङ) राजस्थान राज्य में बीस हजार (वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार) से कम जनसंख्या वाले नगरों पर लागू होने योग्य केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 1 : 1 के अनुपात में वित्तपोषित 20 जल आपूर्ति स्कीमों को 1792.64 लाख रु. की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया है। केन्द्र सरकार ने इन स्कीमों के लिए अपने हिस्से के रूप में 975.21 लाख रु. जारी किए हैं।

प्रति हेक्टेयर उपज

3106. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के उत्तरी भागों की तुलना में पूर्वी भागों में प्रति हेक्टेयर चावल की उपज और उर्वरकों का प्रयोग काफी कम है; और

(ख) यदि हां, तो इस असंतुलन को दूर करके खेती को लाभकारी तथा आकर्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से विशेष कदम उठाए गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) चावल की प्रति हैक्टेअर उपज और कुल फसल क्षेत्रों में प्रति हैक्टेअर उर्वरकों के परयोग के बारे में उत्तर पूर्वी क्षेत्र समेत पूर्वी राज्यों की उत्तरी राज्यों से तुलना संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ख) देश के पूर्वी क्षेत्र में चावल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए चावल पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से किसानों को चावल के प्रमाणिक बीजों, उन्नत कृषि उपस्करों, स्प्रिकलर सिंचाई सेटों और पावर टिलरों पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि उन्हें उन्नत अनाज/चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा प्रौद्योगिकी के कारगर अंतरण के लिए, खेतों में प्रदर्शनी और किसानों के लिए, प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि को लाभकारी और आकर्षक बनाने के लिए सरकार किसानों को मूल्य और मंडी समर्थन दे रही है।

कार्बनिक खाद और जैव उर्वरकों के साथ मिलाकर उर्वरकों का मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग करने में सुधार लाने की दृष्टि से भारत सरकार उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित प्रयोग नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम चला रही है। "पूर्वी भारत

के विशेष सन्दर्भ में कम खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग में सुधार नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाने का प्रस्ताव है ताकि उर्वरकों की खपत में सुधार हो सके जिससे फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो।

आदान संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलनों में राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रभावित किया जाता है कि वे उन क्षेत्रों में जहां उर्वरकों की उपलब्धता में कठिनाई आ रही है, फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्र खोल कर उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा दें। भारत सरकार स्वदेशी (डी.ए.पी. (3500/- रु.) आयातित डी.ए.पी. (2,000 रु.) एम.ओ.पी. (2000 रु.) और एस.एस.पी. पर (600 रु.) प्रतिटन के हिसाब से सब्सीडी भी दे रही है।

नियंत्रण मुक्त उर्वरकों के आवागमन में आने वाली समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से तथा उनकी सही समय पर पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिससे खपत बढ़ जाएगी और उससे उत्पादन भी बढ़ेगा, भारत सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों में इन उर्वरकों के परिवहन पर निर्देशित रेलवे स्टेशनों से अतिरिक्त किराया सहायता दे रही है यथा असम (175 रु./मी. टन) अरुणाचल प्रदेश (250 रु./मी. टन) मणिपुर (450 रु./मी. टन), मेघालय (250 रु./मी. टन), मिजोरम (450 रु./मी. टन), नागालैंड (150 रु./मी. टन) सिक्किम (400 रु./मी. टन) और त्रिपुरा (450 रु./मी. टन)

विवरण

पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में चावल की प्रति हैक्टेअर उपज और उर्वरकों की प्रति हैक्टेअर खपत–1996–97

क्षेत्र	राज्य	चावल की उपज कि.ग्रा./है.	उर्वरकों की खपत फसली क्षेत्र में कि.ग्रा./है.
1	2	3	4
पूर्वी			
	असम	1336	14.62
	अरुणाचल प्रदेश	1146	2.11
	बिहार	1427	80.61
	मणिपुर	2211	66.24
	मिजोरम	1719	3.62
	मेघालय	1137	14.41
	उड़ीसा	981	25.73
	सिक्किम	1381	5.99

1	2	3	4
	त्रिपुरा	2104	18.76
	पश्चिम बंगाल	2179	103.24
उत्तरी			
	जम्मू व कश्मीर	1567	40.12
	हिमाचल प्रदेश	1329	35.33
	हरियाणा	2968	130.95
	पंजाब	3397	158.43
	उत्तर प्रदेश	2121	108.39

केन्द्रीय भण्डार की शेयर पूंजी

3107. **डा. विजय सोनकर शास्त्री:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार की मूल योजना के अनुसार सरकार की शेयर पूंजी अभिदत्त पूंजी के आधे से अधिक नहीं हो सकती;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडार की शेयर पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक शेयर पूंजी को निकालने का है ताकि उसकी शेयर पूंजी अभिदत्त पूंजी के आधे से अधिक न हो जाए; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष, 1996-97 तक केन्द्रीय भण्डार की शेयर-पूंजी का ब्यौरा निम्नानुसार रहा है:

शेयर-पूँजी

सरकार	68.18* लाख रुपये
अन्य (सदस्यों सहित)	9.60 लाख रुपये

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय भण्डार, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभ हेतु, एक कल्याण-कारी उपाय के रूप में गठित किया गया था। केन्द्रीय भण्डार में सरकार का हित ध्यान में रखते हुए उसमें (केन्द्रीय भण्डार में) सरकार की अधिक शेयर-पूँजी को घटा करके केन्द्रीय भण्डार की अभिदत्त शेयर पूँजी के 50% तक किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पासपोर्ट कार्यालय

3108. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान केरल के कालीकट, कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम स्थित पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा निपटाए गए पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) 31 मई, 1998 की स्थिति के अनुसार कितने आवेदन पत्र इस समय लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) क्या इन पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है; और

(घ) आवेदन पत्रों के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) कोडीकोड, कोचीन और त्रिवेन्द्रम पासपोर्ट कार्यालयों में अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के दौरान जिन पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई, उनकी संख्या नीचे दी गई है:

कोजीकोड	–	1,42,109
कोचीन	–	1,08,240
त्रिवेंद्रम	–	82,879

(ख) 31.5.1998 की स्थिति के अनुसार इन कार्यालयों में लम्बित आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:

कोजीकोड	–	22,574
कोचीन	–	10,617
त्रिवेंद्रम	–	10,528

(ग) कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में कमी को अनियत कामगारों की भर्ती द्वारा आंशिक रूप से पूरी कर दी गई है।

(घ) सरकार इस प्रकार के लंबित आवेदनों की संख्या को कम से कम करने का बराबर प्रयास करती है ताकि जन साधारण को सक्षम सेवा प्रदान की जा सके। पासपोर्ट के आवेदनों पर की जाने वाली कार्रवाई में तेजी लाने के लिए जो उपाय किए हैं उनमें प्रक्रमण कार्य विधि का कम्प्यूटरीकरण, आपात स्थितियों में सत्यापन प्रमाणपत्रों के आधार पर लघु अवधि के लिए वैध पासपोर्ट जारी करना, पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना, नए पासपोर्ट कार्यालय और संग्रहण केन्द्र खोलना, पासपोर्ट की वैधता अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष करना, जहां व्यवहार्य हो, वहां पासपोर्ट को स्पीडपोस्ट से भेजना, पिछले बकाया मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

तंजानिया में खाद्यान्नों की कमी

3109. श्री चन्द्रशेखर साहू: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने गत वर्ष अपने तंजानिया के दौरे के दौरान वहां पर चावल की अत्यधिक कमी को देखते हुए 1,000 टन चावल देने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो समय पर चावल नहीं भेजने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अप्रैल, 1998 में भेजे गए चावल तंजानिया सरकार द्वारा नहीं स्वीकार किए गए क्योंकि यह सड़े हुए थे तथा उनके स्वास्थ्य विभाग ने इसे जानवरों के लिए भी उपयुक्त नहीं पाया;

(घ) क्या भारत के इस गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की तंजानिया के समाचार पत्रों में कड़ी आलोचना की गई तथा यदि हां तो इसका इन दो देशों के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच कराने तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों को सजा दिलाने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हां।

(ख) घोषणा सितम्बर, 1997 में की गई थी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात् 20 नवम्बर, 1997 को एम.एम.टी.सी. को फर्म आदेश दिया गया था। एम.एम.टी.सी. फरवरी, 1998 के प्रथम सप्ताह में चावल प्राप्त कर पाई थी और परेषण 4 मार्च, 1998 को भेजा गया था।

(ग) अप्रैल, 1998 में भेजा गया चावल तन्जानिया की सरकार ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि आपूर्ति किए गए चावल तन्जानिया में मानवीय उपयोग के अपेक्षित मानदण्डों के अनुरूप नहीं थे।

(घ) जी नहीं। इसका दोनों देशों के बीच के संबंधों पर कोई स्थायी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि खराब चावलों की रिपोर्ट छापने वाले अखबारों ने यह रिपोर्ट भी छापी थी कि भारत सरकार इन चावलों के बदले में और चावल भेजेगी। तन्जानिया के कृषि और सहकारी मंत्री का भारत के कार्यवाहक हाई कमिश्नर के नाम 22 अप्रैल, 1998 का धन्यवाद सन्देश नीचे दिए अनुसार हैं:-

यह निर्णय आपकी सरकार और भारत के लोगों की उस वचन को पूरा करने की वचनबद्धता का प्रमाण है जो आपके भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने हमारे राष्ट्रपति बेंजामिन विलियम म्कापा की गत वर्ष आपके देश की यात्रा के दौरान खाद्य सहायता के लिए की गई अपील पर दिया गया था।

(ङ) एम.एम.टी.सी. मामले की छानबीन के लिए जांच कर रही है।

[अनुवाद]

अपर भदरा प्रोजेक्ट

3110. **श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में अपर भदरा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना के कब तक चालू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) तकनीकी आर्थिक अनुमोदन के लिए ऊपरी भंडर सिंचाई परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में नहीं प्राप्त की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कमान क्षेत्रों के विकास हेतु निधि

3111. **श्री नृपेन गोस्वामी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास परियोजना के अतर्गत असम सरकार को राज्य में कमान क्षेत्रों के विकास हेतु जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत असम सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपये)

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई राशि
1.	1995-96	62.00
2.	1996-97	-
3.	1997-98	124.00
	जोड़ :	186.00

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए ऑन-फार्म विकास कार्यों के संबंध में असम सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(यूनिट हैक्टर)

का मद	1995-96		1996-97		1997-98	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
फील्ड चैनल	4563	598	3050	162	1700	428
फील्ड ड्रेनज	3767	175	2050	178	2858	520
वाराबैंडी	2500	70	800	0	1850	815

लोकायुक्त

3112. **श्री रामेश्वर पाटीदार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें लोकायुक्त कार्यरत हैं और वे कब से कार्यरत हैं; और

(ख) लोकायुक्तों ने पिछले तीन वर्ष के दौरान पृथकत: कितने और किस तरह के मामलों पर विचार किया और आज की स्थिति के अनुसार उनके पास कितने मामले लंबित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, लोकायुक्त की संस्था 13 राज्यों में कार्य कर रही है। उनके नाम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती क्योंकि यह संबंधित राज्य-सरकार का सरोकार है।

विवरण

उन राज्यों के नाम जहां लोकायुक्त की संस्था कार्य कर रही है

क्र.सं.	राज्य
1	2
1.	असम
2.	आन्ध्र-प्रदेश
3.	बिहार
4.	गुजरात
5.	हिमाचल प्रदेश
6.	कर्नाटक
7.	मध्य प्रदेश
8.	महाराष्ट्र
9.	उड़ीसा
10.	पंजाब (लोकपाल की नामावली सहित)
11.	राजस्थान
12.	उत्तर प्रदेश
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

3113. **प्रो. अजित कुमार मेहता:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लेखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा काफी लम्बे समय से लेखा परीक्षा नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 28 के अधीन बनाए गए प्रावधानों के अनुसार उन लेखा परीक्षकों द्वारा की जा रही है जो कम्पनी अधिनियम के अधीन कम्पनियों के लेखा परीक्षक की हैसियत से अर्हक हैं और इनकी नियुक्ति तथा इनको दिया जाने वाला पारिश्रमिक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन है।

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के अनुरोध पर केन्द्र सरकार के दिनांक 6.6.1997 के आदेश द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बारे

में सूचित किया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14(2) के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के वर्ष 1988-89 से 1995-96 तक के लेखों की लेखा परीक्षा की जाए। तथापि, उक्त आदेश को जारी करने के बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा उठाए गए कुछ कानूनी मसलों की जांच पड़ताल होने तक सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से अनुरोध किया कि वे इन मसलों की जांच पड़ताल और समाधान होने तक लेखा परीक्षा न करें। मामले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दिनांक 6.6.1997 के आदेश के क्रियान्वयन के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

इटहई बेराज

3114. श्री था. चौबा सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोकटक पनबिजली परियोजना के निर्माण के उपरान्त लोकटक झील के निकटवर्ती हजारों हेक्टेयर धान के खेत जलमग्न हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है जिनके खेत जलमग्न हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) लोकटक झील प्राकृतिक झील होने के कारण, लोकटक जल-विद्युत परियोजना के इथाई बैराज के निर्माण को ध्यान में रखते हुए लोकटक झील के चारों ओर फैले धान के खेत जलमग्न नहीं हुए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

3115. श्री चमनलाल गुप्त: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्यवार राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के रुग्ण एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में इन रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एन पी सी सी) सार्वजनिक क्षेत्र का एक रुग्ण उपक्रम है जिसमें 142 इकाईयां हैं। किसी इकाई को रुग्ण इकाई वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्र-राज्यों के फार्म

3116. श्री आर.एस. गवई: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत केन्द्र-राज्यों के फार्मों का राज्यवार विवरण क्या है;

(ख) क्या ये फार्म लाभ में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान इन फार्मों में पैदा की गई विभिन्न खाद्यान्नों की कुल मात्रा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन फार्मों के कार्यकरण में सुधार लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) यह धारणा है कि केन्द्र-राज्य फार्म का मतलब केन्द्रीय राज्य फार्म होता है। भारतीय राज्य फार्म निगम के अंतर्गत 12 केन्द्रीय राज्य फार्म है जो विभिन्न राज्यों में अवस्थित हैं। इन्हें विवरण-I में दिखाया गया है।

(ख) और (ग) स्थिति विवरण-II में दी गई है।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान इन फार्मों के कुल उत्पादन का विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) फार्मों के कार्यकरण में सुधार के लिए प्रयास किए गए हैं एवं किये जाते रहेंगे। राष्ट्रीय बीज परियोजना-III के अंतर्गत, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना में निगम की फार्मों की व्यावहार्यता में सुधार लाने के लिए संरचनात्मक सुधार लाने के लिए सहायता दी गई। इसके परिणामस्वरूप निवल हानि 1992-93 के 603.88 लाख रु. से घटकर 1996-97 में 297.62 लाख रु. रह गई।

विवरण-I

क्र.सं.	फार्म का नाम	जिला	राज्य
1.	के.रा. फार्म सूरतगढ़	श्रीगंगानगर	राजस्थान
2.	के.रा. फार्म सरदारगढ़	-तदैव-	-तदैव-
3.	के.रा. फार्म जेतसर	-तदैव-	-तदैव-
4.	के.रा. फार्म हिसार	हिसार	हरियाणा
5.	के.रा. फार्म लाधोवाल	लुधियाना	पंजाब
6.	के.रा. फार्म बेहराइच	बेहराइच	उत्तर प्रदेश
7.	के.रा. फार्म रायबरेली	रायबरेली	उत्तर प्रदेश
8.	के.रा. फार्म कोकिलाबाड़ी	बारापेटा	असम
9.	के.रा. फार्म बारापेटा	-तदैव-	-तदैव-
10.	के.रा. फार्म रायचूर	रायचूर	कर्नाटक
11.	के.रा. फार्म चेगांम	टीवीएम समबूवारायर	तमिलनाडु
12.	के.रा. फार्म एरालाम	कन्नूर	केरल

के.रा.फा. : केन्द्रीय राज्य फार्म निगम

विवरण II

(लाख रुपये में)

फार्म का नाम	वर्ष 1996-97 के लिए निवल लाभ (+)/हानि (-)	
के.रा. फार्म, सूरतगढ़	(+)	13.15
के.रा. फार्म, सरदारगढ़	(-)	164.11
के.रा. फार्म, जेतसर	(-)	39.35
के.रा. फार्म, हिसार	(+)	34.34
के.रा. फार्म, लधोवाल	(-)	73.90
के.रा. फार्म, बेहराइच	(+)	42.59
के.रा. फार्म, रायबरेली	(-)	22.26
के.रा. फार्म, रायचूर	(-)	123.86
के.रा. फार्म, चेंगाम	(-)	77.59
के.रा. फार्म, अरलाम	(+)	154.10
के.रा. फार्म, कोकिलाबाड़ी (बारपेटा सहित)	(+)	16.19

विवरण III

(उत्पादन क्विंटल में) (सभी फसल)

क्र.सं.	फार्म का नाम	1995-96
1	2	3
1.	के.रा. फार्म, सूरतगढ़	1,14,248
2.	के.रा. फार्म, सरदारगढ़	39,035
3.	के.रा. फार्म, जेतसर	24,263

1	2	3
4.	के.रा. फार्म, हिसार	1,50,890
5	के.रा. फार्म, लधीवाल	49,173
6.	के.रा. फार्म, बेहराइच	1,68,154
7.	के.रा. फार्म, रायबरेली	2,434
8.	के.रा. फार्म, कोकिलाबाड़ी	21,684
9.	के.रा. फार्म, बारापेटा	803
10.	के.रा. फार्म, रायचूर	4,473
11.	के.रा. फार्म, वेंगाम	2,548
		5,78,005

12. अरलाम : जहां तक अरलाम फार्म का संबंध है, उत्पादन मुख्यत: बागानी फसलों का होता है एवं ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	फसल	1995-96
(क)	नारियल	20.93 लाख सं.
(ख)	काजू	4046 कुन्तल
(ग)	रबर	1280 कुन्तल
(घ)	कोको	12000 कुंतल
(ङ)	काली मिर्च	165 कुन्तल
(च)	सुपारी	761 कुंतल
(छ)	आम	51 कुंतल
(ज)	काफी	9 कुंतल
(झ)	अन्य	-

दिल्ली में चल रही परियोजनाएं

3117. **श्री विजय गोयल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्र सरकार की सहायता से कितनी परियोजनाएं चलायी जा रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाएं समय पर पूरी की गई हैं; और

(ग) उनमें से कितनी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं की जा सकीं और उनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

विदेश सचिव स्तर की वार्ता

3118. **डा. संजय सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निलम्बित विदेश सचिव स्तर की वार्ता, 22 जून, 1998 को नई दिल्ली में पुन: शुरू करने के भारत सरकार के प्रस्ताव को पाकिस्तान सरकार ने ठुकरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) विदेश सचिव स्तर की वार्ता को पुन: प्रारम्भ करने के लिए 22 जून, 1998 को नई दिल्ली की यात्रा के हमारे निमंत्रण के उत्तर में पाकिस्तान ने वार्ता के लिए 20 जून, 1998 को हमारे विदेश सचिव को इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया। पाकिस्तान के उत्तर की विषयवस्तु और उसकी शैली से साफ जाहिर है कि यह कोई गंभीर प्रस्ताव नहीं है केवल प्रचार मात्र है।

[अनुवाद]

"ट्रेटुलिया कोरिडोर" खोलना

3119. **श्रीमती मिनाती सेन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश के साथ "ट्रेटुलिया कोरिडोर" जो कि दोनों देशों के हितों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, खोलने के लिए कोई वार्ता शुरू हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बंगलादेश अपने क्षेत्र से होकर सड़क मार्ग से पारगमन की सुविधा भारत को देने के लिए सहमत नहीं है।

यूरेनियम अयस्क

3120. **श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे स्थित अभारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने "लीचिंग" प्रक्रिया से, निम्न और मध्यम श्रेणी के अयस्कों से शुद्ध यूरेनियम प्राप्त करने में सफलता पाई है;

(ख) क्या वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए ज्ञातव्य यूरेनियम अयस्क की दोगुनी और तीन गुनी मात्रा की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेघालय में अच्छी किस्म के यूरेनियम अयस्क के भण्डार मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो मेघालय में इसके खनन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार की जानकारी में यह आया है कि कुछ स्थानीय समाचार-पत्रों में इस प्रश्न के भाग (क) में यथा-उल्लिखित संस्थान में किए जा रहे कार्य के स्वरूप के बारे में रिपोर्ट छपी है। इसी प्रकार का अनुसंधान-कार्य परमाणु ऊर्जा विभाग की कुछ अनुसंधान और विकास यूनिटों में भी किया जा रहा है।

(ख) देश में यूरेनियम के प्रमाणित संसाधन परमाणु विद्युत उत्पादन के मौजूदा और अनुमोदित कार्यक्रम के लिए पर्याप्त है।

(ग) जी, हां।

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उक्त भंडारों के दोहन हेतु प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

केन्द्रीय विद्यालय

3121. श्री एम. राजैया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मास्को में दूतावास कर्मचारियों को दी गई कतिपय सुविधाएं केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को नहीं दी जाती है जबकि मास्को में उनकी तैनाती के दौरान उन्हें दूतावास के कर्मचारियों के समान माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो आवास आबंटन, मरम्मत और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन कर्मचारियों के साथ मतभेद किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मास्को के केन्द्रीय विद्यालय में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) मास्को स्थित केन्द्रीय विद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक स्वायत्तशासी निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के अंतर्गत आता है। विद्यालय के प्रशासन पर राजदूतावास के कर्मिको पर लागू होने वाले, भारतीय विदेश सेवा (पी.एल. सी.ए.) नियम लागू होते हैं। केन्द्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को राजदूतावास के गैर-राजनयिक कर्मचारियों के समान सभी कोंसली सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन्हें सरकारी पासपोर्ट दिया जाता है और उनके वीजा रूसी विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। राजदूतावास के कर्मचारियों की तरह ही उनके आवासीय मकान ''रशियन डिपार्टमेंट फॉर सर्विसिंग फारेन डिप्लोमेट्स'' के जरिये रियायती दरों पर लिये जाते हैं और उन्हें चिकित्सा उपचार भी ''राजनयिक पोलीक्लीनिक'' से रियायती दरों पर दिया जाता है।

हालांकि मास्को स्थित केन्द्रीय विद्यालय एक स्ववित्तपोषी संस्था है उसकी वित्तीय आवश्यकताएं छात्रों से ली जाने वाली शिक्षण शुल्क से पूरी होती है। विद्यालय के प्राध्यापकों के (व्यय) का वहन मास्को स्थित भारत का राजदूतावास नहीं करता है। उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाएं केन्द्रीय विद्यालय के स्ववित्तपोषी होने के कारण निधियों की उपलब्धता के आधार पर मजबूरन सीमित कर दी जाती है।

(ख) यद्यपि केन्द्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को आवास का आवंटन यू.पी.डी.के. से प्राप्त किया जाता है। रखरखाव, मरम्मत तथा उपस्कर इत्यादि केन्द्रीय विद्यालय के बजट बाहर से मुहैया कराए जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य उपलब्ध निधियों के आधार पर मरम्मत, रखरखाव इत्यादि की प्राथमिकता नियत करते हैं।

(ग) और (घ) जहां तक केन्द्रीय विद्यालय का प्रश्न है इसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन से पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से संबद्ध कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। बहरहाल, केन्द्रीय विद्यालय ने इन दिशानिर्देशों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। इस बीच इन निर्देशों के प्राप्त न होने तक मास्को स्थित भारत के राजदूतावास ने केन्द्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को उनके नए वेतनमानों के अनुसार वेतन देने का निर्णय लिया है और इस निर्णय को क्रियान्वित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

भूमिगत जल

3122. श्री महेश कनोडिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी योजना देश के अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए हैं; और

(ङ) यह योजना कब तक स्वीकृत की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) जी, हाँ। गुजरात सरकार से "गुजरात के अहमदाबाद, बनास्कांथा, गांधी नगर, मेहसाना, पाटन और साबर कांथा के अति दोहित जल वृतों में सतही जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने" के लिए एक परियोजना प्रस्ताव फरवरी, 1998 में ओ ई सी एफ (जापान) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 359.58 करोड़ रुपये है। कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. रोक बांध
2. परिस्रवण तालाब
3. भूमिगत रोक बांध
4. सुरक्षित अवस्था कार्य
5. धारोई कमान क्षेत्र में बाढ़ जलप्रभा ग्राम तालाबों का भरा जाना।
6. प्रसार चैनल
7. पुनर्भरण नलकूप
8. *सरस्वती और बनास नदी में स्रोत कुओं सहित इंजेक्शन* कुओं का निर्माण
9. धारोई कमान क्षेत्र में सतही और भूमि जल का संयुक्त उपयोग संवर्धन कुओं का निर्माण
10. मौजूदा तालाबों को गहरा करना
11. वन रोपन और जल संरक्षण कार्य
12. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार से प्राप्त यह योजना अभी मूल्यांकन की अवस्था में है। इसके संबंध में स्वीकृति और इसके कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फंड (ओ ई सी एफ), जापान को प्रस्तुत की गई योजना के अनुमोदन होने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कृषि विकास हेतु विश्व बैंक से सहायता

3123. श्री आदित्यनाथ:
श्री रामचन्द्र बैंदा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कृषि के व्यापक विकास के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता की राज्य-वार धनराशि कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से कृषि के विकास के लिए प्राप्त राज्यवार/परियोजनावार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि के विकास के लिए राज्यों को विश्व बैंक सहायता के ब्यौरे का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	वर्ष		
			1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6
1.	असम	असम ग्रामीण अवसंरचना एवं कृषि सेवा परियोजना	6.95	7.33	6.23

1	2	3	4	5	6
2.	बिहार	बिहार पठार विकास परियोजना	23.05	20.92	49.99
3.	उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सोडिक भूमि सुधार परियोजना	19.96	37.22	30.43
4.	तमिलनाडु	कृषि विकास परियोजना-तमिलनाडु	68.73	56.68	36.56
5.	राजस्थान	कृषि विकास परियोजना-राजस्थान	54.70	51.83	42.38
6.	गुजरात उड़ीसा और राजस्थान	समेकित पनधारा विकास परियोजना (मैदा)*	26.42	51.60	28.57
7.	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और पंजाब	समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाड़ी)	34.93	28.58	26.79
8.	आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पं. बंगाल	झींगा एवं मत्स्य कृषि परियोजना*	9.58	14.49	00.00
9.	आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एवं पं. बंगाल	राष्ट्रीय बीज परियोजना-III*	128.25	69.90	**

1	2	3	4	5	6
10.	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना II*	24.70	17.80	-**
11.	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III*	15.88	-	-**
12.	आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना*	10.35	11.73	26.71

*ये विश्व बैंक सहायता प्राप्त बहुराज्यीय योजनाएं हैं।
**पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं

मत्स्यन बंदरगाह

3124. **श्री एस.एस. ओवेसी:**
श्री के. कृष्णमूर्ति:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार कुल कितनी राशि मांगी गई और जारी की गई;

(घ) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) से (च) विवरण संलग्न हैं।

विवरण

क. भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत मत्स्यन बंदरगाह प्रस्ताव

क्र. सं.	मत्स्यन बंदरगाह का नाम	संस्वीकृति की तारीख	संस्वीकृत लागत	भारत सरकार का शेयर	जारी की गई राशि	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	मछलीपटनम	3/96	407.88	235.44	100.00	135.44
कर्नाटक						
1.	माल्पे स्टेज-2	2/96	1196.70	598.35	259.30	348.35
2.	करवार स्टेज-2	3/98	130.00	65.00	9.305	55.69
3.	मंगलौर स्टेज-2	9/97	75.00	37.50	–	37.50
उड़ीसा						
1.	धामरा स्टेज-2	3/98	640.00	320.00	100.00	220.00
गुजरात						
1.	जखाऊ	5/93	1143.60	1143.60	440.00	703.60
2.	मंगरौल स्टेज-2	3/94	710.00	350.50	309.50	40.40
महाराष्ट्र						
1.	अग्राव	3/98	414.00	207.00	100.00	107.00

1	2	3	4	5	6	7
केरल						
1.	विझिंजम स्टेज-3	2/87	704.00	352.00	690.50	–
2.	थंगसेरी	10/88	1980.00	990.25	987.00	3.25
3.	चम्बल	1/92	556.00	278.00	370.00	–
4.	कयामकुलम	8/94	624.00	312.00	200.00	112.30
5.	मोप्ला बे	1/92	564.00	282.00	282.00	–
पश्चिम बंगाल						
1.	डिघा स्टेज-2	11/95	492.52	246.26	346.26	–
पांडिचेरी						
1.	पांडिचेरी	4/91	423.00	423.00	310.00	113.00
तमिलनाडु						
1.	चिन्नामुट्टम	1/89	684.00	342.00	342.00	–

ख. मंजूरी के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव

मत्स्यन बंदरगाह का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	मौजूदा स्थिति
1	2	3
केरल		
1. मुथालपोझी	605.00	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे आदर्श अध्ययन शुरू करें जिससे कि तकनीकी आर्थिक संभाव्यता का जायजा लिया जा सके और साथ ही वे उस संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्रस्तुत करें जिसकी राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।
2. पोन्नानी	860.00	
3. थोट्टापल्ली	25.27	

1	2	3
गुजरात		
4. ओखा	2775.00	राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य के शेयर के लिए बजट प्रावधान तैयार करने के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
तमिलनाडु		
5. रामेश्वरम	3830.00	केन्द्रीय समुद्रतटीय मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर को मंत्रालय ने यह निदेश दिया है कि वे परियोजना प्रस्तावों की तकनीकी संभाव्यता का जायजा लेने के लिए प्रस्ताव की जांच करें।
पांडिचेरी		
6. करईकाल	1566.00	

अखरोट का उत्पादन

3125. श्री रंजीव बिस्वाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में अखरोट का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या अखरोट के उत्पादन में सुधार लाने के लिए नई तकनीक शुरू किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखरोट की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वानस्पतिक प्रचार-प्रसार की सिफारिश की गयी है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में ही मौजूद कल्टीवार्स का पता लगाया है। सं. राज्य अमेरिका, कनाडा, बुल्गारिया, फ्रांस, इटली, जापान, पूर्व सोवियत संघ और मंचूरिया से प्राप्त विदेशी कल्टीवार्स भी अपनाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बायोगैस संयंत्र

3126. श्री सुशील चंद्र वर्मा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चल रहे बायोगैस कार्यक्रम को लागू करने के आरंभ से ही अपेक्षित संख्या में बायोगैस संयंत्र नहीं लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक बायोगैस संयंत्र काम नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र में वांछित परिणामों की उपलब्धि के लिए बायोगैस संयंत्रों के स्थान पर कतिपय आधुनिक तकनीकों को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) जी नहीं, देश में केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं नामत: राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ से कुल लगभग 27.12 लाख परिवार आकार के और लगभग 2360 सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के आकार को निर्धारित करने के मुख्य कारण बजटीय सहायता की उपलब्धता तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गई प्राथमिकता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। वर्ष 1996 में एक स्वतंत्र एजेंसी नामत: नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड एकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा 18 राज्यों में किए गए "1992-93 से 1994-95 के

दौरान स्थापित किए गए घरेलू बायोगैस संयंत्रों के मूल्यांकन सर्वेक्षण'' का अध्ययन यह दर्शाता है कि सम्पूर्ण आधार पर, सर्वेक्षण किए गए संयंत्रों के लगभग 87.4 प्रतिशत संयंत्र कार्य करते हुए पाए गए। वर्ष 1992-93 से 1997-98 के दौरान स्थापित किए गए सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों के संबंध में, प्रमुख राज्यों से जून, 1998 में प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि लगभग 78 प्रतिशत संयंत्र संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे थे। प्रमुख राज्यों मे कार्य न कर रहे संयंत्रों के प्रतिशत की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) परंपरागत बायोगैस प्रौद्योगिकी और उन्नत चूल्हा युक्तियों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय, बायोमास गैसीफायरों, सौर जल तापन प्रणालियों, सौर कुकरों, सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी और लालटेन, सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपों, पवन चक्कियों, लघु पन बिजली इत्यादि जैसी आधुनिक तकनीकों से संबंधित अनेक कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण

कार्य नहीं कर रहे बायोगैस संयंत्रों का राज्यवार प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

राज्य	कार्य न कर रहे संयंत्रों की प्रतिशतता	
	1992-93 से 1994-95 के दौरान लगाए गए परिवार आकार के संयंत्रों पर एनसीएईआर का मूल्यांकन अध्ययन	1992-93 से 1997-98 के दौरान लगाए गए सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित संयंत्रों पर राज्य सरकार की रिपोर्ट
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	9.7	23.8
असम	11.5	–
बिहार	33.2	–
गुजरात	5.9	51.8
हरियाणा	10.2	–
हिमाचल प्रदेश	16.2	–
कर्नाटक	6.3	–
केरल	2.1	–

1	2	3
मध्य प्रदेश	6.8	56.9
महाराष्ट्र	13.8	33.3
मेघालय	10.0	–
मिजोरम	5.3	–
उड़ीसा	9.6	–
पंजाब	–	28.1
राजस्थान	48.0	–
सिक्किम	14.3	–
तमिलनाडु	10.5	2.3
उत्तर प्रदेश	10.5	8.2
पश्चिम बंगाल	9.2	–
सम्पूर्ण राष्ट्रीय औसत	12.6	22.0

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो

3127. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी तथा इसके क्या-क्या कार्य हैं;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अत्याधिक कार्य भार को कम करने तथा इसके निर्धारित कार्यों में कमी करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांचाधीन मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) ये मामले कब से लंबित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, भारत-सरकार के दिनांक 01.04.1963 के संकल्प संख्या 4/31/61-टी (संलग्न विवरण) द्वारा स्थापित किया गया था और इसके कार्यों का चार्टर भी उक्त संकल्प में दिया गया था। सरकार द्वारा 1966 में बनाए गए सतर्कता तथा भ्रष्टाचार-निरोधी कार्य संबंधी कार्यक्रम के अनुसार, निवारक सतर्कता के बारे में भी केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को एक भूमिका निभानी होती है।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाता है कि केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा केवल वही मामले हाथ में लिए जाएं जिनमें उसके (उक्त ब्यूरो) द्वारा जाँच की जानी अपेक्षित हो। राजीव गांधी हत्या कांड, पशुपालन घोटाले इत्यादि संबंधी मामलों जैसे बहुत जटिल और वृहत स्वरूप के मामलों में जांच-संबंधी कार्य के लिए, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को अतिरिक्त कार्मिक संबंधी और अन्य आधारभूत सहायता दी गई है। हाल ही में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को पुनर्संगठित किए जाने की योजना के अंतर्गत, वर्ष, 1994 और 1997 में क्रमश: 354 और 221 पद स्वीकृत किए गए।

(ग) और (घ) मई 31, 1998 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के पास जाँच के अधीन कुल 1765 मामले थे। इन मामलों के लंबित रहने की अवधि नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार रही है:

एक वर्ष तक की अवधि से लंबित रहे मामले	848
एक से दो वर्ष के बीच की अवधि से लंबित रहे मामले	547
दो वर्ष से अधिक अवधि से लंबित रहे मामले	370
कुल लंबित रहे मामले	1765

विवरण

संख्या 4/31/61-टी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली-11

दिनांक अप्रैल 1, 1963

संकल्प

इस समय, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा निबटाए जा रहे अपराधों, जिनमें विशेष रूप से भारत रक्षा अधिनियम और नियमों के तहत विशिष्ट रूप से जमाखोरी, काला बाज़ारी और अत्यावश्यक वस्तुओं में ऐसी मुनाफाखोरी, जिसकी प्रतिक्रिया और प्रसार बहुत से राज्यों में हो सकता है, से संबंधित महत्वपूर्ण मामले, कुछ निश्चित प्रकार के अपराधों के संबंध में आसूचना एकत्र करने, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के संबंध में राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो के कार्य में भागीदारी, अपराध संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव और अपराध और अपराधियों के संबंध में सूचना के प्रसार, भारत सरकार के विशेष हित के विशिष्टीकृत अपराधों अथवा अखिल भारतीय या अंतर्राज्यीय विस्तार वाले अपराधों अथवा सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्व के अपराधों का अध्ययन करने, पुलिस-अनुसंधान का संचालन करने, और अपराधों के संबंध में कानूनों और विधियों का समन्वय शामिल है, के अन्वेषण के लिए एक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना का मुद्दा भारत सरकार के विचाराधीन है। उक्त दिशा में पहले कदम के रूप में भारत सरकार ने अप्रैल 01, 1963 से दिल्ली में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय किया है। उपर्युक्त ब्यौरों के निम्नलिखित छ:. प्रभाग भी स्थापित किये जाने तय किए गए अर्थात:-

(1) अन्वेषण तथा भ्रष्टाचार-निरोधी प्रभाग (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

(2) तकनीकी प्रभाग

(3) अपराध रेकॅर्ड और सांख्यिकी प्रभाग

(4) अनुसंधान-प्रभाग

(5) विधि प्रभाग एवं सामान्य प्रभाग

(6) प्रशासन प्रभाग

2. उपर्युक्त प्रभागों के कार्य-कलापों का चार्टर अनुबंध में दर्शाया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सहायता, राज्य पुलिस बलों को भी अन्तर्राज्यीय अपराधों और अन्य जटिल आपराधिक मामलों में अन्वेषण करने, अन्वेषण में मदद करने के लिए, अनुरोध करने पर उपलब्ध होगी।

ह./
(वी. विश्वनाथन)
भारत सरकार के सचिव

संख्या 4/31/61/-टी नई दिल्ली-11, अप्रैल 01, 1963

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों, निदेशक, आसूचना-ब्यूरो, महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, दिल्ली, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सम्प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह०
(वी. विश्वनाथन)
भारत सरकार के सचिव

अन्वेषण और भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

(1) ऐसे मामले जिनमें केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी या तो स्वयं शामिल हों अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों और/या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर शामिल हों।

(2) ऐसे मामले जिनमें केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की किसी परियोजना या उक्त क्षेत्र के किसी उपक्रम या किसी सांविधिक निगम या भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी निकाय के हित शामिल हों।

(3) केन्द्रीय कानूनों के उल्लंघन के ऐसे मामले जिनके प्रवर्तन से भारत सरकार विशेष रूप से संबद्ध है। उदाहरणार्थ–

(क) आयात एवं निर्यात नियंत्रण आदेश का उल्लंघन

(ख) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का गंभीर उल्लंघन

(ग) पासपोर्ट संबंधी धोखाधड़ी

(घ) शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार के कार्यों से संबंधित मामले।

(ङ) भारत रक्षा अधिनियम या नियमावली, के तहत विनिर्दिष्ट श्रेणियों के मामले जिनसे केन्द्र सरकार विशेषत: संबद्ध हो।

(4) रेल अथवा डाक तार विभागों से जुड़े कपट अथवा धोखाधड़ी के गंभीर मामले, विशेष रूप से ऐसे मामले जिनमें, कई राज्यों में पनप रहे व्यावसायिक अपराधी शामिल हों।

(5) महासमुद्रीय अपराध

(6) विमानों में पनपने वाले अपराध

(7) संघ राज्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं गंभीर मामले विशेष रूप से व्यावसायिक अपराधियों द्वारा किये जाने वाले अपराध

(8) सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनियों से जुड़े धोखाधड़ी, ठगी और गबन के गंभीर मामले।

(9) गंभीर स्वरूप के अन्य मामले, जो किसी संगठित गिरोह या व्यावसायिक अपराधियों द्वारा किए गए हों, अथवा संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में फैले हुए अपराध संबंधी मामले, अवैध मादक पदार्थों संबंधी गंभीर मामले, अपहरण के गंभीर मामले, केवल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों के अनुरोध पर ही अथवा उनकी सहमति से ही हाथ में लिए जाएंगे।

(10) लोक-सेवाओं और परियोजनाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पनप रहे भ्रष्टाचार के बारे में आसूचना एकत्र करना।

(11) इस प्रभाग द्वारा जाँचे जा रहे मामलों का अभियोजन।

(12) जांच अधिकारियों के समक्ष ऐसे मामले प्रस्तुत करना जिनमें इस प्रभाग की सिफारिशों पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो।

2. तकनीकी प्रभाग:

(1) ऐसे मामलों की जाँच में तकनीकी सहायता प्रदान करना जो लेखों संबंधी कार्य से जुड़े हों।

(2) ऐसे मामलों में विशिष्ट सहायता प्रदान करना जो रेल तथा डाक संबंधी लेखा के कार्य से जुड़े हों।

(3) ऐसे मामलों में सहावता प्रदान करना जो आयकर, सम्पदा शुल्क आदि के मूल्यांकन संबंधी कार्य से जुड़े हों।

(4) आय के ज्ञात स्रोता से अधिक परिसम्पत्तियां रखने के आरोपों संबंधी मामलों में लेखा तथा परिसम्पत्तियों आदि की जांच।

(5) ब्यूरो द्वारा जाँचे गए ऐसे मामलों की जांच करना जिनमें आयकर के पहलू शामिल हों तथा अपवंचित कर की वसूली के लिए आयकर विभाग को सूचना भेजना।

3. अपराध रेकॅर्ड तथा सांख्यिकीय प्रभाग

(1) अपराधों के अखिल भारतीय आंकड़ों का रखरखाव।

(2) चोरियों तथा क्षतियों तथा अग्नि-शस्त्रों तथा गोला-बारूद एवं जाली नोटों तथा नकली सिक्कों की जब्ती के अखिल भारतीय रुझानों का अध्ययन।

(3) कुख्यात अन्तर-राज्य अपराधियों के बारे में सूचना एकत्र करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना।

(4) भारत में अपराधों से संबंधित रिपोर्टों तथा समीक्षाओं को तैयार करना तथा उनका प्रसार करना।

(5) अपराध के संबंध में आई.सी.पी.ओ., एन.सी.बी., यू.एन.ओ. रिपोर्टर के कार्य में भागीदारी।

4. अनुसंधान-प्रभाग

विशेष अपराधों तथा पुलिस को प्रभावित करने वाली सामान्य प्रकृति की निम्नलिखित समस्याओं का विश्लेषण तथा अध्ययन:

(1) विभिन्न क्षेत्रों में गम्भीर अपराधों का रुख तथा कारण;

(2) निवारक उपाय, उनकी प्रभावोत्पादकता तथा उनकी अपराध के साथ संबंध।

(3) जाँच के तरीकों में सुधार एवं वैज्ञानिक साधनों एवं उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ करने की उपयोगिता एवं उसके परिणाम।

(4) कानूनों की अपर्याप्तता, विभिन्न राज्यों में अपराध से संबंधित कानूनों में समन्वय;

(5) एक से अधिक राज्यों में सक्रिय आपराधिक गिरोह, घुमक्कड़ गिरोह, पूर्व आपराधिक जनजातियों-आदतन अपराधी;

(6) जनजातीय लोगों में अपराध;

(7) नोटों की अन्तर-राज्य जालसाजी तथा नकली नोट बनाना;

(8) अपराधों से जुड़े सामाजिक पहलू;

(9) औद्योगिकीकरण तथा अपराध;

(10) किशोर अपचार;

(11) महिलाओं तथा बच्चों का अपहरण;

5. विधि तथा सामान्य प्रभाग

(क) विधि खण्ड

(1) जाँच तथा भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग द्वारा जाँचे गए मामलों में कानूनी सलाह।

(2) महत्वपूर्ण मामलों में अभियोजन चलाना।

(3) आपराधिक कानून तथा प्रक्रिया से संबंधित न्यायिक निर्णयों की, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो गजट में प्रकाशन के क्रम में समीक्षा।

(4) विधि डाइजैस्ट का संकलन तथा प्रसार।

(5) कानूनों की अपर्याप्तता तथा उनमें संशोधन।

(6) विभिन्न राज्यों में अपराध से संबंधित कानूनों का समन्वय।

(ख) सामान्य खण्ड

(1) संगठन, नीति तथा प्रक्रिया से संबंधित मामले।

(2) अपराध तथा भ्रष्टाचार निरोधी कार्य से संबंधित अन्तर-राज्यीय सम्मेलन।

(3) सरकार के विभिन्न विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार के तरीकों से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्टें।

(4) नीति प्रक्रिया आदि से संबंधित सामान्य विषयों पर मंत्रालयों तथा राज्यों के साथ पत्र व्यवहार।

(5) भ्रष्टाचार निरोधी कार्य में प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम।

(6) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो का गजट।

(7) फोटोग्राफिक अनुभाग।

(6) प्रशासन प्रभाग

सभी संस्थापन तथा लेखा संबंधी मामले।

परमाणु रिएक्टर

3128. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:**
श्री आर. साम्बासिवा राव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस ने तमिलनाडु में कुडानकुलम में 1000 मेगावाट के दो "लाइट वाटर रिएक्टर" के निर्माण के लिए भारत की सहायता करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस संबंध में अमरीका की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस पर भारत सरकार की क्या अनुक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) रूस (सोवियत) की सहायता से तमिलनाडु में कुडानकुलम में 2 × 1000 मेगावाट के वीवीईआर किस्म के परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए नवम्बर, 1988 में भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच एक अन्तर्सरकारी करार (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। जब दोनों पक्ष एक ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने ही वाले थे, तभी अगस्त 1991 में भूतपूर्व यूएसएसआर में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के कारण गतिविधियां रुक गई। रूसी परिसंघ जो यूएसएसआर के विघटित होने के बाद बना था, के साथ लम्बी बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने उस अंतर्सरकारी करार के अनुपूरक पर अब 21.6.1998 को हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) यूएस सरकार ने इस मुद्दे पर भारत से सीधे कोई चर्चा नहीं की है। तथापि, सरकार ने मीडिया में यह रिपोर्टें देखी हैं कि यूएस की तरफ से यह मामला रूसी परिसंघ के साथ उठाया गया है। रूसी परिसंघ ने इस सौदे को जारी रखने में अपनी रुचि के बारे में सूचित कर दिया है।

पाकिस्तान द्वारा भारत को प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा प्रदान करना

3129. **श्री के.एस. राव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने व्यापार के संबंध में पाकिस्तान को प्राथमिकता प्राप्त देश (एस.एफ.एन.) का दर्जा प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने किन कारणों से उपरोक्त विषय के पक्ष में निर्णय लिया है;

(ग) क्या उक्त निर्णय यह मानकर लिया गया था कि परस्पर आधार पर पाकिस्तान सरकार भी भारतीय सामग्रियों को इसी तरह का दर्जा प्रदान करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल की में पाकिस्तान ने भारत को एम.एफ.एन. का दर्जा प्रदान करने से इन्कार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या भारत द्वारा अपने पिछले निर्णय की समीक्षा की जायेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): (क) से (छ) विश्व व्यापार संगठन के प्रति अपने दायित्वों और गैट पर हस्ताक्षर करने के अनुसरण में भारत ने पाकिस्तान को अत्यन्त अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दे दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने विश्व व्यापार संगठन तथा इससे भी पूर्व गैट के बावजूद भारत का अत्यन्त अनुकूल राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया है। सरकार ने कई अवसरों पर पाकिस्तान की सरकार से विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण करने तथा भारत को अत्यन्त अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देने के लिए कहा है। खेद है कि पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा नहीं किया।

पाकिस्तान सरकार के मंत्री भारत को अत्यन्त अनुकूल राष्ट्र का दर्जा प्रदान करने के विषय को समय-समय पर असंगत विषयों से जोड़ते रहे हैं।

हम पाकिस्तान को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बराबर कहते रहेंगे।

[हिन्दी]

प्रशासनिक सुधार

3130. **श्री चिन्ता मोहन:**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आम आदमी की शिकायतों को दूर करने के लिए समूची प्रशासनिक प्रणाली में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) विभिन्न स्तरों पर सरकार का प्रमुख उद्देश्य प्रभावी, संवेदनशील तथा उत्तरकारी प्रशासन और लोक-शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करना है। लोक-शिकायतों की तत्परतापूर्वक निवारण के प्रति प्रशासनिक-तंत्र तथा कर्मचारियों का पुनरभिमुखीकरण सतत् चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

अकलपाड़ा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना

3131. **श्री डी.एस. अहिरे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास अकलपाड़ा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना संबंधी प्रस्ताव मंजूरी हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना अभी किस चरण में है; और

(घ) कब तक परियोजना पूरी कर ली जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) महाराष्ट्र में धुले जिले में अकलपाड़ा गांव के निकट स्थित निचली पंजारा मध्यम सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट वर्ष 1990 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्राप्त की गई। केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1990-94 में रिपोर्ट संशोधित करने संबंधी अपनी टिप्पणी राज्य सरकार को भेज दी है।

(घ) इस परियोजना के पूरा होने का समय राज्य सरकार द्वारा इसको दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

चीन का हस्तक्षेप

3132. **श्री मोहन रावले:**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:
श्री गुरूदास कामत:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमरीकी राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए सुझाव की जानकारी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को हल करने के लिए चीन राजनयिक वार्ता में हस्तक्षेप कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हाँ। 11 जून, 1998 को नेशनल ज्योग्राफिकल सोसायटी के बारे में दिए गए वक्तव्य में अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि "अपने इतिहास के कारण चीन दोनों देशों के साथ इस मसले के किसी अंतिम समाधान का एक भाग हो सकता है।" इसके बाद अमरीका तथा चीन ने दक्षिण एशिया के संबंध में एक संयुक्त् वक्तव्य जारी किया।

(ख) सरकार ने 27.6.98 को जारी किए गए सरकारी प्रवक्ता के वक्तव्य में इस संयुक्त वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए इसको स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग

3133. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बिना किसी निर्यात प्रतिबद्धता के तथा 100 प्रतिशत भागीदारी के साथ देश में उद्योग विशेषकर इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टी.वी. विनिर्माताओं के संघ के प्रतिनिधियों ने इलेक्ट्रानिकी उद्योगों में विदेशी निवेश को बढ़ावा नहीं देने का कोई अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में बनाई गई नीति की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 को सदन के पटल पर रखा गया औद्योगिक नीति से संबंधित विवरण-पत्र विदशी पूँजीनिवेश का स्वागत करता है जो देश के औद्योगिक विकास के हित में है तथा जिससे प्रौद्योगिकी अंतरण, विपणन विशेषज्ञता, नवीन प्रबंधकीय तकनीकों की शुरुआत तथा निर्यात संवर्धन के लिए नई संभावनाएं जैसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं। विदेशी साम्यापूँजी का पूँजीनिवेश नीति में निर्धारित सिद्धांतों तथा सरकार की पूर्व स्वीकृति पर निर्भर करता है। तदनुसार, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में मामले अनुमोदित किए हैं।

(ग) सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

लघु पन बिजली परियोजनाएं

3134. प्रो. रीता वर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु पन बिजली परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं का चरण-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन औपचारिकताओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ग) लघु पन बिजली परियोजनाओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(घ) वर्ष 1996-97 और 1997-98 में कितनी लघु पन बिजली परियोजनाएं आरंभ की गई थी, और

(ङ) पूरी की गई/पूरी की जाने वाली प्रत्येक परियोजना का तिथि-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) लघु पन बिजली परियोजनाओं का अनुमोदन करना राज्य सरकारों का विषय है। लघु पन बिजली परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए अपेक्षित प्रमुख औपचारिकताओं में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना, विद्युत आपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनापत्तियां प्राप्त करना, पर्यावरण एवं वन अनापत्ति प्राप्त करना, सिंचाई अनापत्ति प्राप्त करना आदि शामिल है। अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करते हुए इनमें कुछ भिन्नता हो सकती है।

(ख) इन औपचारिकताओं को पूरा करने में लगने वाला समय प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग हो सकता है।

(ग) एक लघु पन बिजली परियोजना को पूरा करने में लगने वाली समयावधि परियोजना-विशेष की क्षमता, स्थल और अन्य पैरामीटरों पर निर्भर करती हैं और यह समयावधि 2 से 4 वर्ष होने की उम्मीद है।

(घ) और (ङ) सरकारी एजेंसियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निजी क्षेत्र/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य एजेंसियों द्वारा राज्यों में लघु पन बिजली परियोजनाएं आरंभ की जाती हैं। अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय सीधे ही लघु पन बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य हाथ में नहीं लेता है। मंत्रालय की आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 और वर्ष 1997-98 में मंत्रालय की सहायता से कोई नई परियोजना आरंभ नहीं की गई। तथापि मंत्रालय ने यूएनडीपी/जीईएफ पहाड़ी क्षेत्र पन बिजली परियोजना के अंतर्गत 25 प्रदर्शन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को पूरा होने में कम से कम 2 वर्ष लगने की संभावना है।

[अनुवाद]

घाटप्रभा सिंचाई परियोजना

3135. श्री एच.जी. रामुलू: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 1997-98 के दौरान कर्नाटक को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत घाटप्रभा सिंचाई परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और जारी की गई;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए अब तक जारी की गई धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) शेष राशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) घाटप्रभा सिंचाई परियोजना को वर्ष 1997-98 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया था जिसमें से 15 करोड़ रुपए (50 प्रतिशत) राशि की प्रथम किश्त अग्रिम रूप में जारी कर दी गई थी।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना पर वर्ष 1997-98 के दौरान केवल 21.65 करोड़ रुपए व्यय किया है जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मापदण्ड के अनुसार जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (अर्थात् 30 करोड़ रुपए) के दोगुने से 8.35 करोड़ रुपये कम है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिख तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार

3136. श्री चेतन चौहान:
श्री पंकज चौधरी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा पर किए गए सिख तीर्थ यात्रियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सरकार को पाकिस्तान में भारतीय सिख तीर्थयात्रियों की यात्रा के दौरान गुरुद्वारों में की गई भारत-विरोधी गतिविधियों की जानकारी है। इन गतिविधियों से, जो पाकिस्तानी प्राधिकारियों की मिलीभगत से भारत विरोधी तत्वों द्वारा संचालित होती हैं, धार्मिक स्थलों की यात्रा से सम्बद्ध भारत-पाकिस्तान प्रोटोकाल 1974 का उल्लंघन होता है। ये गतिविधियां हमारे तीर्थयात्रियों को डराने-धमकाने और उत्पीड़ित करने की भी कार्यवाहियां होती हैं। सरकार ने इन कार्रवाईयों के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ कई बार कड़े विरोध दर्ज कराए हैं और पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह प्रोटोकोल के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करे। सरकार ने पाकिस्तान से यह भी मांग की है कि वह हमारे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक कदम उठाए।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सिंचित भूमि

3137. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल सिंचित भूमि कितनी है;

(ख) क्या कर्नाटक में सिंचित भूमि का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य में सिंचित भूमि का प्रतिशत बढ़ाने की केन्द्र सरकार की कोई विशेष योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) वर्ष 1994-95 (अद्यतन) के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार, देश में कुल कृष्य क्षेत्र के संबंध में निवल बुवाई क्षेत्र का प्रतिशत लगभग 37 प्रतिशत है। कर्नाटक राज्य का उक्त प्रतिशत लगभग 22.3 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई के अंतर्गत और असिंचित क्षेत्र लाने की कोई विशिष्ट स्कीमें तैयार नहीं की जा रही है। तथापि, चुनिंदाचल रही वृहद और मध्यम सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करके सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने

वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत, राज्यों को उन परियोजनाओं के लिए बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की जा रही है जिनकी लागत 500 करोड़ अथवा उससे अधिक है और दो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर है और निर्माण की उन्नत अवस्था में हैं तथा जिनसे अगले चार कृषि मौसमों में सिंचाई लाभ प्राप्त किये जा सकते है वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कर्नाटक राज्य को ए.आई.वी.पी. के तहत नीचे दिए अनुसार क्रमश: 61.25 करोड़ रुपये और 90.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई थी:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता की राशि		कुल
		1996-97	1997-98	
1.	अपर कृष्णा चरण-1	57.00	50.00	107.00
2.	मालाप्रभा	1.50	12.00	13.50
3.	हिरेहाला	2.75	6.00	8.75
4.	घाटप्रभा	-	15.00	15.00
5.	करंजा	-	7.50	7.50
	कुल	61.25	90.50	151.75

राजस्थान की लम्बित परियोजनाएं

3138. इंजीनियर शंकर पन्नू: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान राज्य से संबंधित कई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो ये कब से लम्बित हैं, और

(ग) इन परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) योजना आयोग में इस समय राजस्थान राज्य से संबंधित कोई भी परियोजना अनुमोदनार्थ लंबित नहीं है।

परमाणु अप्रसार संधि

3139. श्री आर. सम्बासिवा राव:
प्रो. पी.जे. कुरियन:
डा. वाई.एस. राव. राजशेखर रेड्डी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने भेदभावपूर्ण रहित तरीके से विश्वव्यापी तथा समयबद्ध नि:शस्त्रीकरण तथा परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वार्ता शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो यदि भारत के दृष्टिकोण पर विचार किया जाए तो क्या सरकार परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने पर तैयार हो गई है; और

(ग) किस हद तक भारत नि:शस्त्रीकरण पर वार्ता शुरू करने में सफल रहा

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) विगत चालीस वर्ष से नाभिकीय हथियारों के निषेध और विनाश के लिए वार्ताओं का आधार तैयार करने के तर्क के रूप में नाभिकीय परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान करने में अग्रणी होते हुए, भारत सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए आह्वान करने वाला अग्रणी देश रहा है। बाद के वर्षों में, हमने अपने समान दृष्टिकोण वाले अन्य देशों के साथ निजी तौर पर और सामूहिक रूप से एक नाभिकीय हथियार मुक्त विश्व का निर्माण करने के लिए एक कार्य योजना सहित इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल की है। हाल ही 'टुवार्डस ए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड: द नीड फार ए न्यू एजेंडा" शीर्षक से आठ देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा 9 जून, 1998 को जारी संयुक्त घोषणा का भारत ने स्वागत किया है। भारत ने इस पहल के साथ सहयोग करने की अपनी तत्परता दिखाई है जिसका उद्देश्य आने वाले युग में एक नाभिकीय हथियार मुक्त विश्व व्यवस्था स्थापित करने और एक न्याय संगत, भेदभाव रहित, अहिंसक तथा स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था की स्थापना करना है। भारत ने इस बात का बार-बार समर्थन किया है कि नाभिकीय अप्रसार संधि एक भेदभावपूर्ण और त्रुटिपूर्ण संधि है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व नाभिकीय हथियारों से युक्त तथा रहित खेमों में बंट जाएगा। नाभिकीय अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन और बिना शर्त समयावधि बढ़ाने के फलस्वरूप, पांच देशों के पास ही नाभिकीय हथियार रखे जाने को बल मिलेगा। अत: नाभिकीय अप्रसार संधि के प्रति हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कृषि क्षेत्र में निवेश

3140. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितना निवेश किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। फिर भी, बागवानी, मात्स्यिकी, वर्षा सिंचित कृषि, छोटी सिंचाई तथा कटाई पश्चात प्रबन्ध के लिए अवसंरचना का सृजन आदि के विकास के लिए विभिन्न विशिष्ट योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं जिससे उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार आयेगा तथा अन्ततोगत्वा बचत और पूंजी निर्माण होगा। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के तहत एक नये ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की गई है। 1998-99 के केन्द्रीय बजट में आर.आई.डी.एफ. के लिए 500 करोड़ रु. का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम संबंधी एक नई योजना शुरू की गई थी जिसके तहत चयनित बड़ी तथा बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए ऋण के रूप में राज्यों को सहायता देने के लिए 900 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। 1998-99 के केन्द्रीय बजट में पिछले वर्ष की तुलना में ए.आई.बी.पी. के लिए 57% वृद्धि आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पनधारा विकास के लिए वृद्धित आबंटन के परिणामस्वरूप अत्यधिक निवेश प्राप्त होगा।

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान (अद्यतन उपलब्ध) वर्तमान मूल्यों पर राज्यों तथा केन्द्र द्वारा कृषि (सिंचाई) में सकल निर्धारित पूंजी निर्माण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों तथा केन्द्र द्वारा (वर्तमान मूल्यों पर) कृषि (सिंचाई) में सकल निर्धारित पूंजी निर्माण के प्राक्कलन

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	49212	59540	55086
2.	अरुणाचल प्रदेश	365	365	1314
3.	असम	7469	6866	7363
4.	बिहार	24537	17665	20110
5.	गोवा	1590	3168	3337
6.	गुजरात	15530	19976	25684
7.	हरियाणा	8111	31609	9233
8.	हिमाचल प्रदेश	944	1231	1549
9.	जम्मू व कश्मीर	1783	2197	1290
10.	कर्नाटक	68116	71201	70142
11.	केरल	10773	13325	16589
12.	मध्य प्रदेश	39746	41023	36162

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	91305	126074	156359
14.	मणिपुर	2998	3260	3673
15.	मेघालय	583	422	731
16.	मिजोरम	253	138	113
17.	नागालैंड	488	424	312
18.	उड़ीसा	18905	17458	23666
19.	पंजाब	27001	34914	43307
20.	राजस्थान	27732	34578	39532
21.	सिक्किम	120	134	181
22.	तमिलनाडु	9770	11348	8816
23.	त्रिपुरा	737	492	470
24.	उत्तर प्रदेश	31179	30390	34324
25.	पश्चिम बंगाल	804	8872	11294
26.	पांडिचेरी	175	128	199
27.	दिल्ली	213	111	159
	कुल	440439	536909	570995
28.	केन्द्र	197	241	217
	कुल योग	440636	537150	571212

सचिवालय की स्थापना

3141. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'इंडियन ओसेन रिम' देशों के लिए एक साझा बाजार बनाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई सचिवालय स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है;

(ग) क्या भारत का विचार इस सचिवालय को कार्यालय भवन प्रदान करने का है; और

(घ) क्या उपर्युक्त व्यापार गुट को सचिवालय प्रदान करने हेतु व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गोवा के नाम पर विचार किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) 'इंडियन ओसेन रिम' देशों के लिए साझा बाजार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, 14 'इंडियन ओसेन रिम' देशों ने आर्थिक सहयोग पर ध्यान देते हुए क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक इंडियन ओसेन रिम एसोसिएशन का गठन किया है। इसकी गतिविधियों के कार्य-क्षेत्र में व्यापार और निवेश संवर्धन, सरलीकरण और उदारीकरण, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास शामिल है।

(ख) आर्थिक सहयोग के लिए इंडियन ओशेन रिम एसोसिएशन का 'प्रमुख समन्वय तंत्र' मारीशस में है जो उसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नलकूप

3142. श्री रवि सीताराम नायक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा राज्य सरकार ने 10,000 सिंचाई और नलकूप परियोजनाओं संबंधी कोई प्रस्ताव अनुमति हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य में कुल कितनी भूमि की सिंचाई की जाएगी;

(ग) उन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए स्वीकृति दे दी है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की आशा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हीराकुंद बांध

3143. श्री भर्तृहरि मेहताब: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हीराकुंद बांध में कुछ दरारें पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दरारों के कारणों की जांच करने के लिए उड़ीसा सरकार ने इस समस्या को हीराकुंद बांध दरार पुनरीक्षा पैनल तथा बांध सुरक्षा पुनरीक्षा पैनल को भेजा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल नीति

3144. डा. प्रभा ठाकुर:
श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल संकट का सामना कर रहे राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए नदियों से संबंधित राज्य के विषय को अपने क्षेत्राधिकार में लेकर एक प्रभावी नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी पोतों द्वारा मछली पकड़ना

3145. श्री टी. गोविन्दन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के साथ संयुक्त उद्यम के नाम पर विदेशी पोत सम्पूर्ण समुद्र तल से मछलियां पकड़ रहे हैं जिससे केरल में परम्परागत और छोटे उपकरण रखने वाले मछुआरों के मछली पकड़ने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो परम्परागत मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) 1991 की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नई नीति के तहत भारतीय कंपनियों की संयुक्त उद्यम, परीक्षण के तौर पर मछली पकड़ने तथा पट्टे के अंतर्गत भारतीय जल क्षेत्र में गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों के संचालन की अनुमति दी गई थी। तथापि, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति को अब निरस्त कर दिया गया है। इस समय कोची से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाला कोई भी जलयान संयुक्त उद्यम/परीक्षण के तौर पर मछली पकड़ने/पट्टे के अंतर्गत वैध परमिट के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है।

केले का मूल्य

3146. डा. उल्हास वासुदेव पाटील: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केले के प्रत्येक मौसम में केले के मूल्यों में 125 रुपये से 600 रुपये प्रति क्विंटल तक उतार-चढ़ाव आता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपेक्षित मांग के आधार पर केले का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार केला उत्पादक क्षेत्रों में केला आधारित खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो सम्भावित विचारणीय मामले का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केले का निर्यात "नेफेड" के माध्यम से शुरू किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) केले का मूल्य मौसम, स्थान तथा किस्म के अनुसार बदलता रहता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार केले के थोक मूल्य दिसम्बर, 1997 में पटना में 232 रु. प्रति क्विंटल से शिमला में 738 रु. प्रति क्विंटल के बीच थे।

(ग) मौजूदा मूल्य नीति के अनुसार प्रमुख कृषि जिन्सों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत शामिल किया गया है। केले सहित बागवानी उत्पादों जिनका स्थानीय उत्पादन होता है या जो नाशवान प्रकृति के हैं, को मण्डी हस्तक्षेप योजना नामक एक अन्य योजना के तहत शामिल किया गया है जिसे हानि के 50% हिस्से, यदि कोई हो, का वहन करने की इच्छुक संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर क्रियान्वित किया जाता है। केला को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) भारत सरकर केले सहित विभिन्न बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए किसी भी राज्य में प्रत्यक्षत: किसी एकक को स्थापना सामान्यत: नहीं करती है। फिर भी, संसाधित खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी उद्योग तथा अनुसंधान संस्थानों आदि को उदार ऋण तथा अनुदान के रूप में प्लान स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी गई है।

(च) और (छ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ घरेलू तथा निर्यात बाजार में ताजे फलों तथा सब्जियों का विपणन कर रहा है जिसमें फलों में सेब, आम, कीनू, अंगूर आदि तथा सब्जियों में प्याज, आलू तथा लहसुन जैसी मदें शामिल हैं। फिर भी, नैफेड ने अभी तक केले के विपणन तथा निर्यात का काम शुरू नहीं किया है। इसकी गुणवत्ता को ताजे रूप में कायम रखने की प्रौद्योगिकी भारत में अभी पूरी तरह से विकसित नहीं की गई

है ताकि लम्बी अवधि के लिए समुद्री मार्ग के द्वारा दूरस्थ लक्ष्यों तक इसका निर्यात किया जा सके। विशिष्ट आकार के कले का उत्पादन तथा फल पकने के समय धब्बों से मुक्त केले की धार में केलों की संख्या जिसकी समुद्र पारीय बाजारों में मांग है, भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककः

3147. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने के लिए किसानों को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उद्योगों आदि को ग्रामीण इलाकों समेत देश में कहीं भी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए बहुत आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान दिये जाते हैं। दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के मामलों में अधिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इन दुर्गम क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे पहाड़ी राज्य तथा अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र शामिल हैं। मंत्रालय द्वारा हाल में प्रकाशित विज्ञापन में योजना सहायता क्षेत्रों का उल्लेख है। मंत्रालय अनुदान अथवा 4% ब्याज पर बहुत आसान शर्तों पर ऋण जिन परियोजनाओं और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपलब्ध करा रहा है उनमें एक तरह से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सभी पहलू कवर हो जाते हैं।

इन पहलुओं के अलावा मंत्रालय 1992-93 से खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और समर्थन के लिए भी एक स्कीम चला रहा है। इसमें ग्रामीण इलाकों पर अधिक जोर दिया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों का उद्देश्य स्थानीय तौर पर पैदा होने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करके खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना है तथा इन केन्द्रों में "व्यावहारिक" अनुभव उपलब्ध कराना है। केन्द्रों को निम्न प्रकार से अनुदान दिया जाता है:

(1)	एक उत्पाद लाइन के लिए (किसी एक समूह के प्रसंस्करण कार्यों के लिए)	पूंजीगत लागत के रूप में 2 लाख रु. तक और आवर्ती मूल पूंजी के रूप में 1 लाख रु. तक।
(2)	बहुउत्पाद लाइन (एक से अधिक समूहों के प्रसंस्करण कार्यों के लिए)	नियत पूंजी लागत के लिए 7.50 लाख रु. तथा और आवर्ती मूल पूंजी के रूप में 2 लाख रु. तक।
(3)	सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए।	यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता 0.50 लाख रु. तक की एक बार में दी जाने वाली सहायता।

इसके अलावा, मंत्रालय किसानों और खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के बीच बैकवर्ड लिंकेज की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ एक और जहां ठेका किसानों को सारी उपज के लिए पूर्व निर्धारित कीमत पर सुरक्षित बाजार मिल जाता है वहां दूसरी ओर खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को आश्वस्त गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य पर कच्चे माल की आपूर्ति हो जाती है। ये प्रोत्साहन अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इसमें प्रसंस्करणकर्ता को किसी एक वर्ष में की गई कुल खरीद के 5% की प्रतिपूर्ति करनी होती है। अनुदान अधिकतम 3 वर्षों के लिए सालाना 10 लाख रु. दिया जाता है।

कृषि प्रसंस्करण परियोजनाएं

3148. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य-वार क्रियान्वित की गई योजनाओं और सहकारी क्षेत्र की विभिन्न कृषि प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए स्वीकृत/जारी किए गए ऋणों तथा गुजरात के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान वित्त-पोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सहकारी उद्यम के लिए अनुमोदित धनराशि और स्वीकृति के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। वर्ष 1998-99 (30.6.1998 तक) के दौरान सहकारी क्षेत्र में विभिन्न कृषि प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अनुमोदित/दिये गये ऋण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। गुजरात राज्य के लिए वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान सहकारी उद्यमों के लिए तथा 31.3.1998 तक अनुमोदित/ निर्गमित कुल धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV पर दिया गया है। 30 जून, 1998 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा विधिवत् संस्तुत प्रस्तावों, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में मंजूरी के लिए लम्बित हैं, की संख्या 104 है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण V दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा

क. केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. सहकारिता की दृष्टि से कम विकसित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, में सहकारी विपणन प्रसंस्करण तथा भण्डारण कार्यक्रमों के लिए सहायता।
2. सहकारी चीनी मिलों में शेयर पूंजी सहभागिता।
3. सहकारी कताई (उत्पादक) मिलों में शेयर पूंजी सहभागिता।
4. बिहार में ग्रामीण वृद्धि केन्द्रों के विकास के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता।
5. केरल में नारियल विकास परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता।
6. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता।
7. चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं (सब्सिडी)।
8. नई योजनाएं

(क) चुनिन्दा राज्यों में सहकारी समितियों के माध्यम से जलाशय मात्स्यिकी का विकास

(ख) ऊन प्रसंस्करण तथा औद्योगिक सहकारी समितियों का समेकित विकास।

9. चीनी विकास कोष।

ख. निगम द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1. राज्य विपणन संघों (माकेफेड्स) को मार्जिन धनराशि।
2. प्राथमिक/जिला विपणन समितियों के शेयर पूंजी आधार को मजबूत बनाना।
3. प्रसंस्करण इकाईयों को सहायता

(क) चीनी।

(ख) कताई मिलें।

(ग) पावरलूम सहकारी समितियां।

(घ) अन्य प्रसंस्करण इकाईयां।

4. सहकारी भंडारण/शीत भंडारण हेतु सहायता।
5. ग्रामीण क्षेत्रों तथा छात्र उपभोक्ता भंडारों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए सहायता।

6. कृषि सेवाओं के लिए सहायता।

7. चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना (ऋण)।

8. कमजोर वर्गों के लिए सहायता

(क) मात्स्यिकी

(ख) डेरी

(ग) कुक्कुट पालन

(घ) जनजातीय सहकारी समितियां

(ङ) अनुसूचित जाति सहकारी समितियां

(च) हथकरघा

(छ) कॉयर (नारियल जटा)

(ज) रेशमकीट पालन।

9. कम्प्यूटरों के लिए सहायता।

10. उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना।

11. संवर्द्धनात्मक एवं विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता।

विवरण II

वर्ष 1998-99 (30.6.1998 तक) के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कृषि प्रसंस्करण एककों के लिए अनुमोदित/निर्गमित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	निगम द्वारा प्रायोजित योजनाएं	चीनी विकास निधि	कुल
1.	कर्नाटक	0.675	–	0.675
2.	मध्य प्रदेश	96.320	–	96.320
3.	महाराष्ट्र	11.110	619.000	630.110
	कुल	108.105	619.000	727.105

विवरण III

गुजरात राज्य को वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान जारी धनराशि का योजनावार ब्यौरा

(लाख रुपये)

योजना का विवरण	ऋण	सब्सिडी	कुल
1	2	3	4
1996-97			
केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें			
सहकारी चीनी कारखानों में शेयर पूंजी सहभागिता	1699.700	–	1699.700

1	2	3	4
चीनी मिलों का आधुनिकीकरण-सह-विस्तार	-	-	-
चुनिन्दा जिलों के लिए समेकित सहकारी विकास परियोजना	-	1.520	1.520
फल एवं सब्जियां (नई योजना)	-	-	-
गुजरात में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का योग:	1699.700	1.520	1701.220
निगम द्वारा प्रायोजित योजना			
कृषि विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण-मार्कपैड को मार्जिन मनी	492.300	-	492.300
कृषि विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण-प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों को शेयर पूंजी	18.050	-	18.050
विपणन (फल एवं सब्जियां)	9,620	-	9,620
सहकारी कताई मिलों को मार्जिन मनी सहायता	-	-	-
अन्य प्रसंस्करण एकक	-	-	-
कृषि विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण-मार्कफैड्स को मार्जिन मनी	300.000	-	300.000
कृषि सहकारी समितियों का सदृढ़ीकरण-प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों को शेयर पूंजी	0.500	-	0.500

1	2	3	4
विपणन (फल एवं सब्जियां)	11.000	–	11.000
अन्य प्रसंस्करण एकक	133.050	–	133.050
सहकारी भण्डारण	–	–	–
कमजोर वर्गों के लिए सहकारी समिति–मात्स्यिकी सहकारी समिति	310.597	–	310.597
चुनिन्दा राज्यों में समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना	–	0.440	0.440
उपकरण वित्त योजना	–	–	–
चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना	216.311	–	216.311
गुजरात में निगम द्वारा प्रायोजित योजना का योग	971.458	0.440	971.898
चीनी विकास निधि	380.495	–	380.495
गुजरात के लिए कुल	1351.953	13.055	1365.008
ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	–	–	–
कमजोर वर्गों के लिए सहकारी समिति–मात्स्यिकी सहकारी समिति	132.950	–	132.950
चुनिन्दा राज्यों में समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना	–	–	–
कम्प्यूटरों के लिए यंत्रीकरण के अंतर्गत सहायता	–	–	–

1	2	3	4
चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना	68.825	–	68.825
गुजरात में निगम द्वारा प्रायोजित योजना का आयोग	721.745	–	721.745
चीनी विकास निधि	380.495	1.520	2803.460

1997-98

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

सहकारी चीनी कारखानों में शेयर पूंजी सहभागिता	–	–	–
चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना	–	12.615	12.615
गुजरात में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का योग	–	12.615	12.615

विवरण IV

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी उद्यमों को मंजूर/जारी की गई धनराशि का योजनावार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	कार्यकलाप	1997-98 के दौरान जारी धनराशि	31.3.1998 तक संचयी निर्गमन
1	2	3	4
1.	विपणन तथा आदान	47.83	545.96
2.	भण्डारण (कोल्डस्टोरेज सहित)	14.78	686.46

1	2	3	4
3.	कमजोर वर्ग	58.79	504.18
4.	प्रसंस्करण	144.49	2056.74
5.	समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं	54.61	275.32
6.	संवर्द्धनात्मक तथा विकासात्मक कार्यकलाप	1.31	78.27
7.	ग्रामीण उपभोक्ता	1.89	123.04
8.	ऋण	–	17.62
	कुल	323.70	4287.59

विवरण V

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त/संस्वीकृति हेतु लम्बित प्रस्तावों की सं.	कार्यकलाप	निहित अनुमानित ब्लाक लागत	प्रस्तावों की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात	1	प्रसंस्करण (दालमिल)	90.64	मूल्यांकन किया गया है एवं विचाराधीन है।
2.	जम्मू और कश्मीर	1	तिलहन प्रसंस्करण	124.74	राज्य सरकार द्वारा लगभग 9 करोड़ रु. के अतिदेय का भुगतान न होने के कारण लम्बित।

1	2	3	4	5	6
3.	कर्नाटक	9	भात्स्यिकी-1	1500.00	अतिरिक्त जानकारी
			कुक्कुट पालन-1	136.60	मंगाई गई है और उसकी
			वस्त्र उद्योग-2	683.22	जांच की जा रही है।
			(1-नई कताई मिल तथा		राज्य सरकार से जानकारी
			1-जी. एण्ड पी. एकक)		की प्रतीक्षा है।
			पावरलूम-1	122.92	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
			रेशमकीट पालन-2	219.05	-तदैव-
			अनाज-1	1820.00	-तदैव-
			चीनी-1	4500.00	-तदैव-
			(आधुनिकीकरण/विस्तार)		
4.	केरल	20	मात्स्यिकी-1	1150.00	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
			ग्रामीण निर्माण-1	5430.00	4 प्रस्तावों के बारे में अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है। 2 प्रस्तावों की जांच की जा रही है।
			भण्डार-6	89.60	जांच की जा रही है।
			वस्त्र उद्योग-2	532.00	मूल्यांकन पूरा कर लिया
			(कताई मिलों का		गया है। और विचाराधीन
			आधुनिकीकरण)		है।
			हथकरघा-1	92.25	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
			विपणन-1	2.50	जांच की जा रही है।
			नारियल जटा-1	100.00	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
			कम्प्यूटर-1	152.51	जांच की जा रही है।
			चीनी-1	43.00	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
5.	मध्य प्रदेश	7	आदान-1	13.20	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
			कम्प्यूटर-1	6.00	जांच की जा रही है।
			कोल्ड स्टोरेज-2	566.20	जांच की जा रही है।
			चीनी-1	4800.00	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
			तिलहन-1	5822.23	-तदैव-
6.	महाराष्ट्र	27	मात्स्यिकी-7	2618.00	4 समितियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है। 3 समितियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और प्रस्तावों की जांच की जा रही है।
			पावरलूम-2	953.74	राज्य सरकार से विचार-विमर्श हेतु 6 प्रस्ताव लम्बित हैं। 2 प्रस्तावों की जांच की जा रही है। 3 प्रस्तावों के बारे में अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
			हथकरघा-1	36.29	जांच की जा रही है।
			अनाज-1	1500.00	जांच की जा रही है।
			चीनी-7 (6-नई, 1-आधुनिकीकरण)	22383.00	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा आवधिक ऋण की मंजूरी के लिए 6 प्रस्ताव लंबित हैं। आधुनिकीकरण हेतु 1 प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
7.	मणिपुर	2	रेशमकीट पालन-2	18.80	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
8.	नागालैंड	4	विपणन-1	101.25	विचाराधीन।
			रेशमकीट पालन-1	2.50	-तदैव-
			फल एवं सब्जियां-1	28.50	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
			मात्स्यिकी-1	600.00	-तदैव-
9.	उड़ीसा	1	फल एवं सब्जियां-1	11.37	विचाराधीन
10.	राजस्थान	4	आई.सी.डी.पी.-4	4244.77	2 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है और 2 परियोजनाएं संस्वीकृति के अधीन हैं।
11.	तमिलनाडु	7	हथकरघा-4	205.70	2 प्रस्तावों की जांच की जा रही है और 2 प्रस्तावों के बारे में अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
			आदान-2	319.10	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
			कम्प्यूटर-1	49.97	व्यवहारिता अध्ययन किया जाना है।
12.	त्रिपुरा	2	अनाज-2	14.90	अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
13.	उत्तर प्रदेश	11	ग्रामीण निर्माण-2	45.00	-तदैव-
14.	पश्चिम बंगाल	8	मात्स्यिकी-2	954.00	1 प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और 1 प्रस्ताव के बारे में अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
			ग्रामीण निर्माण-2	20.00	विचाराधीन
			भण्डारण-1	2.50	-तदैव-
			विपणन-1	30.00	-तदैव-
			कोल्ड स्टोरेज-2	363.75	1 प्रस्ताव की जांच की जा रही है और 1 प्रस्ताव के बारे में अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है।
कुल		104		62499.80	

परमाणु भंडारों में कमी

3149. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सुरक्षा परिषद में पी-5 की बैठक की पूर्व संध्या पर परमाणु भण्डारों को न्यूनतम करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया था;

(ख) यदि हां, तो परमाणु भण्डारों को कम करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध के तनाव को कम करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट कदम उठाए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) 3 जून, 1998 को राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा था कि अमरीका और रूस शीत युद्ध की भीषण स्थिति के दौरान मौजूद स्तर से अपने-अपने सामरिक नाभिकीय शस्त्रों के भण्डार में 'स्टार्ट-II' के अंतर्गत दो-तिहाई कमी करने की प्रक्रिया में हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन ने नाभिकीय अप्रसार सन्धि के असीमित विस्तार और व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर जैसे विभिन्न नाभिकीय अप्रसार उपायों का भी संक्षेप में उल्लेख किया।

(ख) सार्वभौमिक स्तर पर नाभिकीय शस्त्र रखने वाले राज्यों की ओर से अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि उन्होंने नाभिकीय शस्त्रों पर अपनी आत्म-निर्भरता में कमी लाने और नाभिकीय शस्त्र मुक्त विश्व की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोई निर्णयात्मक और अपरिवर्तनीय कदम उठाए हों।

(ग) उप-महाद्वीप में तनावों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक उपायों की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं:-(1) भारत स्वेच्छा से इन परीक्षणों को स्थगित रखने का अनुपालन करेगा और आगे और परीक्षण नहीं करेगा। भारत इसके लिए भी इच्छुक है कि इस घोषणा की वैध औपचारिकता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तौर-तरीकों का पता लगाएगा, (2) भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप में तथा अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय रूप में यथा सामूहिक मंच पर पहले प्रयोग न करने से सम्बद्ध करार पर चर्चा करने को इच्छुक है, (3) भारत ने जेनेवा में हुए निरस्त्रीकरण सम्मेलन में विखण्डनीय सामग्री कटौती संधि पर बहुपक्षीय बातचीत में शामिल होने की अपनी तत्परता भी जाहिर की है, और (4) नाभिकीय शस्त्रों की दौड़ में शामिल होने की भारत की कोई मंशा नहीं है।

कृषि क्षेत्र में विदेशी सहायता

3150. श्री विक्रम देव केशरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि विकास कार्य में कौन-कौन से देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था शामिल है;

(ख) उन क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां वे कार्यरत हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक देश/संगठन के द्वारा कितनी विदेशी सहायता जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय राजदूतावासों में अतिरिक्त कर्मचारी

3151. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाड़ी देशों के प्रत्येक देश में भारतीय मिशनों, दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मिशनों, दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों में अत्यधिक कार्यभार को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो देश-वार उक्त मिशनों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार रियाद में भारतीय दू[illegible] में अधिक कार्यभार को देखते हुए दमाम में एक अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास खोलने और भौगोलिक कारणों को ध्यान में रखते हुए जेदाह में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की आवश्यकता पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): (क) खाड़ी देशों में भारतीय मिशनों, दूतावासों और कोंसलावासों में कर्मचारियों की देशवार संख्या संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) सरकार ने इस क्षेत्र के विभिन्न मिशनों में हाल ही में 67 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं। मंत्रालय इस क्षेत्र में विदेश सेवा निरीक्षकों के दल नियमित रूप से भेजता है जो मिशन की कार्यप्रणाली और कार्यभार का पर्यवेक्षण करते हैं और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के संबंध में सिफारिशें करते हैं।

(ग) हाल ही में स्वीकृत पदों का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सऊदी अरब सरकार दम्मान में कोंसलावास स्थापित करने की अनुमति नहीं देती है। एक विशेष करार के अंतर्गत 1946 में स्थापित अमेरिकी कोंसलावास एकमात्र अपवाद है। रियाद स्थित हमारा मिशन दम्मान में भारतीय समुदाय को पासपोर्ट और कोंसली सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उस क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह एक कोंसली दल भेजता है राज्य में बड़े समुदायों वाले सभी मिशनों में किए जाने वाला यह साप्ताहिक दौरा जल्दी-जल्दी किए जाने वाला दौरा है।

(छ) जैसाकि ऊपर बताया गया है, अमरीका को छोड़कर किसी भी अन्य देश को दम्माम में कोंसलावास खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

विवरण I

खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों/केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या का विवरण

देश	संयुक्त अरब अमीरात		बहरीन	कतर	सऊदी अरब		कुवैत	ओमान	यमन	ईराक
केन्द्र/मिशन	आबूधाबी	दुबई	बहरीन	दोहा	रियाद	जदाह	कुवैत	मस्कट	साना	बगदाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मंत्री/काउंसलर	2	1 प्रधान कौंसलावास	1	1	3	1 प्रधान कौंसलावास	1	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रथम सचिव/ द्वितीय सचिव	1	6	1	2	6	4	6	4	1	2
दुभाषिया	1	–	1	1	1	1	1	–	–	–
अताशे	6	3	2	3	9	5	4	2	2	2
सहायक/ तैयक्तिक सहायक	9	14	11	10	16	15	13	13	4	9
आशुलिपिक/ लिपिक	7	8	5	6	5	7	5	3	2	3
शोफर/सुरक्षा गार्ड	3	4	1	2	4	4	4	3	2	6
भारत आस्थानी कुल स्टाफ	29	36	22	25	44	40	34	25	11	23
स्थानीय स्टाफ										
दुभाषिया/ लिपिक इत्यादि	12	23	8	4	10	12	21	12	3	9
सोफर/ संदेशवाहक	4	3	4	3	12	12	8	4	3	9
कुल योग	45	62	34	32	66	61	63	41	17	41

विवरण II

खाड़ी क्षेत्र में हाल ही में स्वीकृत पदों का विवरण

देश	ओमान	सऊदी अरब		संयुक्त अरब अमीरात	
केन्द्र/मिशन	मस्कट	रियाद	जद्दाह	आबूधाबी	दुबई
दुभाषिया	1	1	1	1	1
लिपिक	7	33	13	2	2
फराश	–	–	–	1	–
ऑफिस बॉय	–	–	–	–	3
ड्राइवर	–	–	–	–	1
कुल	8	34	14	4	7

अतिरिक्त योजनागत वित्तीय सहायता

3152. श्री के. येरननायडू: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक योजना 1998-99 के लिए मांगी गई अतिरिक्त योजनागत वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1995-96 के लिए राज्य की वार्षिक योजना के लिए मांगी गई 750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त योजनागत वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वार्षिक योजना 1998-99 के लिए अतिरिक्त योजनागत वित्तीय सहायता, जिसके संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है को जारी करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) राज्य सरकार द्वारा अभी वार्षिक योजना 1998-99 प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार की वार्षिक योजना 1995-96 को 3157.00 करोड़ रुपये पर अंतिम रूप दिया गया था। अंतिम रूप दिये जाने के समय 1,000 करोड़ रुपये का संसाधन अंतर था। राज्य सरकार ने अतिरिक्त संसाधन के रूप में 250 करोड़ रुपये जुटाए थे जिससे 750.00 करोड़ रुपये का अंतर रह गया। योजना आयोग ने यह कल्पना की थी कि 750.00 करोड़ रुपये के इस अंतर को दसवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार को दूसरे वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अनुसार पहले ही 846 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पदोन्नति में आरक्षण

3153. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5700/- रुपये (संशोधन-पूर्व) तक मूल वेतन पाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाता है;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि के बाद कोई नये अनुदेश/निदेश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन: (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बीजों की किस्में

3154. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न किस्मों के उन्नत बीजों की कितनी मात्रा में आवश्यकता है तथा देश में इस तरह के बीजों का कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है;

(ख) इस प्रकार के बीजों की कमी को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बीजों का भी आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी किस्म एवं मात्रा कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के वर्षों में बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता राज्य सरकारों द्वारा यथासूचित, इस प्रकार है:-

(मात्रा लाख क्विंटल में)

वर्ष	आवश्यकता	उपलब्धता
1995-96	74.48	84.93
1996-97	75.44	90.72
1997-98	78.55	99.74

(ख) यद्यपि बीजों की उपलब्धता का मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तथापि मांग पूरी करने के लिए समग्र उपलब्धता पर्याप्त है। लेकिन, किस्मों की बेमेल उपलब्धता के मामले में, कमी वाले राज्यों द्वारा फालतू स्टाक वाले राज्यों और बीज उत्पादक संगठनों के साथ सुनिश्चित व्यवस्था की जा रही है।

(ग) और (घ) स्थापित नीति के अनुसार बीजों की एक सीमित मात्रा का ही आयात किया जा रहा है।

वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आयातित विभिन्न बीजों का फसलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बीजों का आयात दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा टन में)

क्र.सं.	फसलें	1995-96 मात्रा	1996-97 मात्रा
1	2	3	4
1.	चुकंदर के बीज	8.250	110.000
2.	अन्य प्रकार के चुकंदर के बीज	2.516	-

1	2	3	4
3.	फूलों के लिए कृष्ट जड़ी बूटी पौधों के बीज	2.943	2.666
4.	बंदगोभी के बीज	13.981	11.017
5.	गोभी के बीज	2.252	2.621
6.	मूली के बीज	20.654	27.601
7.	टमाटर के बीज	00.335	1.546
8.	रोपण हेतु सब्जियों के बीज	258.632	148.451
9.	प्याज के बीज	0.986	2.308
10.	रोपण या बुआई के लिए बीज	13.647	0.620
11.	रोपण हेतु अन्य बीज	29.762	11.904
12.	मटर के बीज	1.975	–
13.	लौंग के बीज	110.000	528.000
14.	लहसुनघास के बीज	–	0.29
15.	अनार के बीज	–	4.020
16.	चारा पौधों के अन्य बीज	1.000	0.604
	योग	466.933	851.387

स्रोत: वाणिज्य महानिदेशक, आसूचना और सांख्यिकी कलकत्ता।

[अनुवाद]

लघु कृषक कृषि व्यापारिक साख संघ

3155. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मंत्रालय द्वारा बनाई गई लघु कृषक कृषि व्यापारिक साख संघ योजना को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू न करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की भूमिका आधुनिक कृषि व्यापार के आर्थिक लाभों को संसाधनहीन किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य की परियोजनाओं को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक अभिकरण की है। 12 जिलों यथा (1) बारपेटा (असम) (2) महबूबनगर (आन्ध्र प्रदेश) (3) वालसाड (गुजरात) (4) धारवाड (कर्नाटक (5) एर्नाकुलम (केरल) (6) जबलपुर (मध्य प्रदेश) (7) गंजम (उड़ीसा) (8) पांडिचेरी (9) बीकानेर (राजस्थान) (10) धरमपुरी (तमिलनाडु) (11) पिथौरागढ़ (उ.प्र.) (12) मिदनापर (पश्चिम बंगाल), के लिए परियोजनाएं तैयार की गई थीं तथा संबंधित राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए सौंपी गई थी। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, केरल को 1997-98 में अनुसंधान विकास के लिए 50.00 लाख रु. दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रागी का उत्पादन

3156. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में रागी का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में रागी के कुल उत्पादन में लगातार कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रागी की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई उपाय किए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान रागी के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1994-95	23.42
1995-96	25.01
1996-97	24.74

(ख) और (ग) रागी का उत्पादन घटता जा रहा है क्योंकि रागी वाले उत्पादन क्षेत्र में अन्य लाभकारी फसलें उगायी जाने लगी हैं।

(घ) और (ङ) रागी समेत सभी अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी लाने के उद्देश्य से गेहूं और चावल के समेकित अनाज विकास कार्यक्रम और मोटे अनाज आधारित फसल क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम मोटे अनाज (आई.सी.डी.पी. चावल, आई.सी.डी.पी.-गेहूं और आई.सी.डी.पी.-मोटे अनाज) चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिये किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों, फार्म उपस्करों, स्प्रिंकल सेटों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि उन्हें संबंधित क्षेत्रों में उन्नत अनाज/रागी उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, कारगर प्रौद्योगिकी का अंतरण किये जाने के लिए किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। नई जारी किस्मों के प्रचार प्रसार के लिए रागी के मिनीकिटों का मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी के प्रसार के अंतर्गत वितरण किया जा रहा है।

इलेक्ट्रानिकी तकनीक का विकास

3157. श्री मुकुल वासनिक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए सरकार का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) जी, हाँ। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अपनी प्रायोजित परियोजनाओं के जरिए मृदा आर्द्रता, लवणता एवं पोषक तत्व, अनाज आर्द्रता, पादप कार्यिकी, बीज परीक्षण एवं स्वचालित निपात सिंचाई प्रणाली जैसे विभिन्न मापदण्डों के प्रयोजन से परिमापन तकनीकों का विकास किया है। इन परियोजनाओं के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र के लिए कम कीमत वाले, प्रयोग में आसान तथा सुदृढ़ उपकरणों का विकास हुआ है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), डेटा बेस प्रबंध प्रणाली (डीबीएमएस) आदि के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रामीण विकास के प्रयोजन से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में किया जा रहा है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

असम की लंबित परियोजनाएं

3158. श्री नृपेन गोस्वामी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के पास यह परियोजना कब से लम्बित है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) योजना आयोग में कोई परियोजना (असम सरकार द्वारा प्रस्तुत) स्वीकृति हेतु लंबित नहीं हैं।

[हिन्दी]

भन्देर अंतर-राज्यीय परियोजना

3159. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भन्देर नदी अन्तर-राज्यीय सिंचाई परियोजना के जल के बटवारे के संबंध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार समझौते के तहत मध्य प्रदेश को जल की आपूर्ति न करके समझौते का उल्लंघन कर रही है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार उपरोक्त समझौते के तहत मध्य प्रदेश को जल की आपूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश को निर्देश देगी; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केन्द्र को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

लोक शिकायतें

3160. श्री रामेश्वर पाटीदार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कब से केन्द्र में लोक शिकायत निदेशालय कार्य कर रहा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त कार्यालय द्वारा कितने तथा किस प्रकार के मामलों पर विचार किया गया तथा आज तक कितने मामले निपटाए गए और कितने लंबित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम.आर. जनार्दनन): (क) लोक-शिकायत-निदेशालय अप्रैल 01, 1998 से मंत्रिमंडल-सचिवालय में काम कर रहा है।

(ख) यह निदेशालय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले 12 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से संबंधित व्यक्तियों के मामले हाथ में लेता है। यह नीतिगत विषय, सेवा संबंधी मामले (सेवा-उपदान,

सामान्य भविष्य-निधि इत्यादि जैसे सेवान्त लाभों को छोड़कर) व्यापारिक संविदाएं, न्यायालयों में न्यायाधीन प्रकरण, उपभोक्ता-फोरा, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार-आयोग (एम आर टी पी सी) तथा रेल-दावा संबंधी मामले नहीं निबटाता। इसके कार्यक्षेत्र में निम्न मंत्रालय/विभाग/संगठन आते हैं:

(1) रेल-मंत्रालय तथा उसके उपक्रम;

(2) डाक विभाग;

(3) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) और विदेश संचार निगम सहित दूर-संचार विभाग;

(4) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित आर्थिक कार्य-विभाग का बैंकिंग प्रभाग;

(5) आर्थिक कार्य विभाग का बीमा प्रभाग तथा राष्ट्रीय बचत योजना प्रभाग जिसमें जीवन बीमा-निगम तथा सामान्य बीमा निगम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा उनकी सहायक कंपनियां शामिल हैं;

(6) दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सम्पदा निदेशालय सहित शहरी मामलात मंत्रालय;

(7) भूतल परिवहन मंत्रालय तथा उसके उपक्रम;

(8) विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया सहित नागर विमानन मंत्रालय;

(9) विदेश मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय पास-पोर्ट प्राधिकरण;

(10) श्रम मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन;

(11) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना; तथा

(12) श्रम मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी) के अस्पताल तथा उनके द्वारा सीधे संचालित औषधालय;

लोक शिकायत निदेशालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आने वाली शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य-सरकारों को अंतरित कर दी जाती हैं।

गत 3 वर्षों के दौरान प्राप्त हुए मामलों, निबटाए गए तथा लंबित-अनिर्णीत रखे मामलों की संख्या निम्नानुसार रही है:-

वर्ष	प्राप्त हुए मामलों की सं.	हाथ में लिए गए मामलों की सं.	अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों को अंतरित कर दिए गए मामलों की सं.	निबटा दिए गए मामलों की सं.	लंबित/ अनिर्णीत रहे, मामलों की सं.
1995-96	4584	1185	3399	1185	0
1996-97	5544	1236	4308	1228	8
1997-98	5010	1683	3327	1292	391

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

3161. श्री राम टहल चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् का विचार विदेशों में स्थापित सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकलापों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की संविधानी निकायों अर्थात शासी निकाय और आम सभा विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के क्रियाकलापों की लगातार जांच करते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं। इस प्रक्रिया के आधार पर ही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् का वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरकों का उपयोग

3162. श्री चन्द्रशेखर साहू: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जा रहे रासायनिक उर्वरक मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) कृषि में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) रासायनिक अवशिष्टों और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों के बारे में अध्ययन कराये गये हैं। निष्कर्ष के रूप में यह नहीं कहा जा सकता है कि कृषि में हो रहे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

(ग) सामान्य तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत में उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1997-98 के दौरान उर्वरक पोषक तत्वों की प्रति हैक्टेयर औसत खपत 86 किलोग्राम है जबकि यह खपत मिस्र में 345 कि.ग्रा., बंगलादेश में 135 कि.ग्रा. जापान में 375 कि.ग्रा. और पाकिस्तान में 113 कि.ग्रा., प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा सरकार ने जैविक खादों और उर्वरकों का समुचित प्रयोग करके समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया है ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जा सके।

[अनुवाद]

चावल अनुसंधान केन्द्र

3163. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में देश में, राज्य-वार विशेष रूप से असम के बारपेटा जिले के धनभंडा में चावल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गौरी प्रक्षेपास्त्र का हस्तांतरण

3164. श्री गुरूदास कामत: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने गुप्त सौदे के अंतर्गत उत्तर कोरिया से गौरी प्रक्षेपास्त्र प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस गुप्त सौदे के बारे में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार ने मीडिया की खबरों को देखा है कि पाकिस्तान की गौरी मिसाइल उत्तरी कोरिया से प्रच्छन्न रूप में प्राप्त की गई डिजाइन पर आधारित है।

(ख) से (घ) सरकार पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम की सभी घटनाओं पर निकट से नजर रखे हुए हैं और इस तथ्य से अवगत है कि पाकिस्तान ने मिसाइल संबंधी तकनीक तथा सामग्रियों को छिपे तौर पर अन्य देशों से प्राप्त किया है।

बंगलादेश के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

3165. डा. संजय सिंह:
श्रीमती जयन्ती पटनायक:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बंगलादेश के प्रधान मंत्री ने भारत की यात्रा की और विभिन्न नेताओं के साथ चर्चा की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने इस बैठक के दौरान भारत-पाकिस्तान बातचीत के लिए मध्यस्थता के लिए पेशकश की; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) बंगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना 16 जून, 1998 को कार्य-यात्रा पर नई दिल्ली आई थी और उन्होंने प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की थी। बातचीत में द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामले शामिल थे।

दोनों पक्ष दोनों पड़ौसी देशों के बीच मौजूदा उत्कृष्ट संबंधों को और तेज करने, संसदीय प्रतिनिधि मण्डलों, छात्रों और सांस्कृतिक ग्रुपों सहित विभिन्न स्तरों पर आदान-प्रदान बढ़ाने और वणिज्यिक तथा आर्थिक अन्योन्य क्रियाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर सहमत हुए थे।

सीमा और सुरक्षा संबंधी मसलों की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने सार्क के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई ताकि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षाओं में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अर्हक अंक

3166. श्री संदीपान थोरात : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 22 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96-स्थापना (अनु.) के तहत लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हक अंकों की छूट तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है;

(ख) क्या 22 जुलाई, 1997 के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वर्ग "क", "ख", "ग" और "घ" पदों को इन समुदायों के उम्मीदवारों से भरा गया है;

(ग) वर्ग "क", "ख", "ग" और "घ" के कितने पदों को इस कारण से नहीं भरा जा सका क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार निर्धारित अर्हक अंक प्राप्त करने असफल रहे; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वर्ग "क", "ख", "ग" और "घ" के कितने रिक्त पदों को स्थायी/अस्थायी तौर पर अनारक्षित करके सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भर लिया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) एस. विनोद कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कार्यान्वित करने के प्रयोजन से, उक्त कार्यालय-ज्ञापन द्वारा पदोन्नति के संबंध में आरक्षण के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के पक्ष में अर्हक अंकों और मूल्यांकन के मानदण्डों में दी जाने वाली ढील समाप्त किए जाने के बारे में अनुदेश जारी किए गए थे।

(ख) से (घ) इस बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

[हिन्दी]

समुद्री प्रदूषण

3167. श्री दत्ता मेघे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुंबई के पास अरब सागर अत्यधिक प्रदूषित हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री

(श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) महासागर विकास विभाग के तटीय समुद्र प्रबोधन एवं भविष्यकथन प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत संग्रहित आंकड़ों से पता चला है कि मुम्बई की संकरी खाड़ी में विशेषरूप से वरसोवा, माहीम एवं उल्हास मुहाने, बहुत अधिक प्रदूषित हैं एवं बस्सेन, धरमतार एवं थाणे की संकरी खाड़ी कम प्रदूषित है। हालांकि यह पाया गया है कि अपतट की ओर प्रदूषकों का स्तर घटता जाता है और 5 कि.मी. की दूरी के बाद समुद्र स्वच्छ पाया गया है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई के तटीय जलक्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) निश्व बैंक की सहायता से अपशिष्ट संग्रह, शोधन एवं निपटान हेतु ग्रेटर मुम्बई नगर निगम द्वारा एक परियोजना का कार्यान्वयन।

(2) मुम्बई के पास अरब सागर में अशोधित औद्योगिक बहि-स्रावों के विसर्जन के नियंत्रण हेतु पिछले दो दशकों से मुम्बई महानगर क्षेत्र में प्रतिबंधक औद्योगिक स्थान नीति का कार्यान्वयन। तदनुसार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को मुम्बई महानगर क्षेत्र के जोन-1 में स्थापित करने की अनुमति नहीं हैं एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की संभावना वाले पहले से ही चल रहे उद्योगों का विस्तार करने की भी अनुमति नहीं है।

(3) छोटे एवं मझले दर्जे के उद्योगों हेतु सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित करने को बढ़ावा देना।

(4) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी 1974 के जल अधिनियम (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) के अंतर्गत उद्योगों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें बहि:स्राव शोधन एवं निपटान हेतु उपयुक्त मानक एवं स्थितियाँ निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य योजना

3168. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भूटान सरकार तथा पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की राज्य सरकारों से परामर्श करके पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी तराई क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्ययोजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने भूटान सरकार और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्यों के परामर्श से पश्चिम-बंगाल के उप-हिमालयी तराई क्षेत्र के लिए बाढ़ नियंत्रण की कोई मास्टर योजना तैयार नहीं की है। तथापि, उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल की चार बड़ी नदियों अर्थात, तीस्ता, तोरसा, रायडक और जलढाका के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इन मास्टर योजनाओं में योजना आयोग द्वारा राज्य बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रक के तहत आवंटित निधियों से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।

आरक्षण का क्रियान्वयन

3169. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा": क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्यालय ज्ञापन सं. 27/2/71/स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के अनुसार वरिष्ठता-सह-स्वस्थता के आधार पर ग्रुप "ए" की प्रोन्नतियों में अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिए आरक्षण होता है;

(ख) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दूरसंचार विभाग को इन आदेशों का क्रियान्वयन भारतीय दूरसंचार सेवा ग्रुप "ए" के सिविल विंग में न करने का आदेश दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो दूरसंचार विभाग द्वारा "कैट" में गलत हलफनामा दायर करने के क्या कारण हैं कि ग्रुप "ए" में कोई भी आरक्षण लागू नहीं है जबकि जे.टी.एस. से एस.टी.एस., एस.टी.एस. से तदर्थ और जे.ए.जी. से एस.जी. (जे.ए.जी.) के मामलों में प्रोन्नतियां वरिष्ठता-सह-स्वस्थता के आधार पर की जाती है; और

(घ) सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन हेतु दूरसंचार विभाग को राजी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है।

(घ) (ख) तथा (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

एम-11 प्रक्षेपास्त्र की तैनाती

3170. श्री रंजीब बिस्वाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान में चीन द्वारा आपूर्ति की गई एम-11 प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एम-11 प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति के लिए किसी देश ने चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार ने मीडिया की उन खबरों को देखा है कि पाकिस्तान द्वारा एम-11 मिसाइलें तैनात की गई हैं।

(ख) सरकार पाकिस्तान के शस्त्रागात में सभी मिसाइलों की संस्थिति तैनाती सहित पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम की सभी घटनाओं पर लगातार निकट दृष्टि रखे हुए है। सरकार भारत के सुरक्षा वातावरण से संबंधित घटनाओं के अपने आंकलन के अनुरूप भारत की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य ने 1991 में तथा पुन: 1993 में कुछ चीनी तत्वों पर प्रतिबंध लगाए थे। उसके उपरान्त इस आशय का द्विपक्षीय आश्वासन दिया गया था कि चीन मिसाइल तकनीक नियंत्रण प्रणाली (300 कि.मी. रेंज तथा 500 कि.ग्रा. पे लोड) के अंतर्गत निर्धारित की गई अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा।

[हिन्दी]

सिलिकन चिपों का उत्पादन

3171. श्री सुशील चन्द्र वर्मा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में सिलिकन चिपों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत में सिलिकन चिपों का उत्पादन करने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार सिलिकन चिप अर्थात सिलिकन के चिप पर एकीकृत परिपथों (आईसी) का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है। सिलिकन चिपों में विविध प्रकार के अति जटिल उत्पाद शामिल हैं जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर (पेन्टियम प्रोसेसर, स्पार्क प्रोसेसर), स्मृति कोश (डाइनेमिक रैन्डम एसैस मैमोरीज), अंकीय संकेत संसाधन आदि। इनका उत्पादन इंटेल, एनईसी, मोटोरोला, हिताची, टेक्सास इन्स्ट्रूमेंट्स तोशिबा, सैमसंग आदि जैसी विश्व की कुछ ही प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) सिलिकल चिप्स द्विध्रुवीय तथा मेटल ऑक्साइड सेमीकण्डक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित सिलिकन चिपों का विनिर्माण देश में सीमित स्तर पर किया जाता है। मेसर्स सेमीकण्डक्टर कॉम्पलेक्स लि. नामक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम दूरसंचार एवं समय पालन अनुप्रयोगों के लिए सिलिकन चिपों तथा सामरिक और नागरिक आवश्यकताओं के लिए अनुप्रयोग विशिष्ट सिलिकन चिपों का विनिर्माण करता है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर के संबंध में सीमा पार बैठक

3172. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 28 मई, 1998 को ब्रिटिश सांसदों द्वारा प्रस्तावित जम्मू और कश्मीर के सीमा पार नेताओं की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारत इस बैठक में भाग लेने पर सहमत हो गया है; और

(घ) जम्मू और कश्मीर सीमा की परिस्थिति पर इसका क्या प्रभाव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हाँ।

(ख) बैठक के आयोजनकर्ताओं ने बैठक को स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इससे जम्मू और कश्मीर सीमा पर परिस्थितियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

[हिन्दी]

समाज का वर्गीकरण

3173. **श्री चिन्ता मोहन:**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा आय के अनुसार समाज का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल जनसंख्या में प्रत्येक वर्ग की प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन वर्गीकरणों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इनका पुन: वर्गीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (च) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा नियमित अंतरालों पर उपभोक्ता व्यय संबंधी सर्वेक्षण किया जाता है। ये सर्वेक्षण प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर लोगों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। आय संबंधी आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते। ये वर्गीकरण व्यापक रूप से स्वीकार किये गये हैं और सरकारों द्वारा प्रयोग किये जाते हैं। वर्ष 1993-94 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक व्यय वर्ग के लोगों का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न व्यय वर्गों के हिसाब से व्यक्तियों का विभाजन

ग्रामीण		शहरी	
व्यय सीमाएं (प्रति व्यक्ति मासिक रुपये)	व्यक्तियों का %	व्यय सीमाएं (प्रति व्यक्ति मासिक रुपये)	व्यक्तियों का %
1	2	3	4
0-120	4.8	0-160	5.0
120-140	5.2	160-190	5.0

1	2	3	4
140-165	9.2	190-230	9.4
165-190	11.1	230-265	9.0
190-210	8.8	265-310	10.9
210-235	10.1	310-355	10.0
235-265	10.6	355-410	10.3
265-300	9.9	410-490	10.6
300-355	10.7	490-605	10.0
355-455	9.8	605-825	10.2
455-560	4.8	825-1055	4.7
560+	5.0	1055+	4.9
सभी वर्ग	100.0	सभी वर्ग	100.0

स्रोत: एन.एस.एस. उपभोग व्यय द्वारा अनुमानित : 50वां दौर।

[अनुवाद]

कृषि योग्य भूमि

3174. **श्री डी.एस. अहिरे:**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि योग्य भूमि लगभग 18.45 करोड़ हैक्टेयर है जबकि इस समय कृषि केवल 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना तैयार की है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना वार्षिक व्यय किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) वर्ष 1994-95 (अद्यतन उपलब्ध) के लिए भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार समस्त देश में कृष्य क्षेत्र, जिसमें बुवाई का निवल क्षेत्र,

परती भूमि (वर्तमान एवं पुरानी) विविध वृक्ष फसलें और बाग तथा कृष्य बंजर भूमि शामिल है, 18.40 करोड़ हे. है, जबकि कुल कृष्य क्षेत्र (बुवाई का निवल क्षेत्र और वर्तमान परती भूमि) 15.64 करोड़ हे. है।

(ख) वर्तमान परती और कृष्य बंजर भूमि के अलावा परती भूमि की श्रेणियों के अधीन की भूमि को बहुत उच्च निवेश से ही खेती के अंतर्गत लाया जा सकता है, भूमि विकास के प्रारंभिक चरणों में उपज कम होगी तथा इसमें जोखिम और अनिश्चितताएं भी निहित हैं।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 64.55 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में धारीय मृदा के सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण

3175. श्री डी.एस. अहिरे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशेष योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जाने वाली योजना स्कीमों में से एक स्कीम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में जनशक्ति का विकास संबंधी स्कीम है। इस स्कीम के संघटक निम्नलिखित हैं:

(1) ग्रामीण क्षेत्रों (खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र) में जनशक्ति का विकास।

(2) अनाज प्रसंस्करण उद्योगों में जनशक्ति का विकास।

(3) मांस प्रसंस्करण में जनशक्ति को प्रशिक्षण।

(4) पारम्परिक मछुआरों को प्रशिक्षण।

इस स्कीम के तहत सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसंधान संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस स्कीम के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग एवं महिलाएं शामिल होते हैं।

यह योजना स्कीम नौवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य समेत सारे देश में कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

आपराधिक मामलों को दर्ज करना

3176. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारत सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय न्यायाधीशों के विरुद्ध भी लागू होता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील की है कि यही निदेश न्यायाधीशों के मामलों में भी लागू हों; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री

(श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) वर्ष, 1993 की रिट याचिका (आपराधिक) सं. 340-343 में विनीत नारायण तथा अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में दिनांक दिसम्बर 18, 1997 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, भारत सरकार के, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों इत्यादि के संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्चतर स्तर के अधिकारियों के संबंध में तलाशी सहित, प्रारम्भिक जाँच अथवा नियमित मामले से संबंधित जांच कार्य आरंभ किए जाने से पहले, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा मंत्रालय/विभाग के संबंधित सचिव से पूर्व मंजूरी ली जानी अपेक्षित नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त मामले में निर्णय देते समय, उच्चतम न्यायालय ने के. वीरास्वामी के मामले में व्यक्त अपने पूर्व मत की पुष्टि की कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कायम रखने की दृष्टि से यह अत्यावश्यक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध तब तक कोई मामला दर्ज न किया जाए जब तक कि इस बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श न कर लिया जाए और ऐसी कार्रवाई किए जाने के प्रति वह अपनी सहमति न दे दें। के. वीरास्वामी (1991 3 सर्वोच्च न्यायालय 655) सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि अभियोजन की मंजूरी दिए जाने के मुद्दे की जांच-पड़ताल करते समय, इसी प्रकार का परामर्श किया जाना चाहिए और यह आवश्यक और उपयुक्त होना चाहिए कि मंजूरी दिए जाने का मुद्दा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार निबटाया जाए।

(घ) सरकार ने दिनांक दिसम्बर 18, 1997 के निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में कोई समावेदन नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नहरों की खुदाई

3177. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में नहरों की खुदाई हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के लिए विदेशी सहायता

3178. **प्रो. रीता वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त विदेशी सहायता की राशि कितनी है;

(ख) उक्त स्रोत कौन-कौन से हैं तथा ये सहायता किन योजनाओं के लिए प्राप्त की गई;

(ग) उक्त राशि में से तकनीकी तथा अन्य स्वरूप में योजना-वार प्राप्त सहायता राशि कितनी है;

(घ) क्या उपरोक्त दोनों वित्त वर्षों के दौरान विदेशी सहायता का पूर्ण उपयोग किया गया;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (च) परियोजना वित्त पोषण के लिए ऋण, अनुदान के रूप में वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान विभिन्न स्रोतों से विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था सहित मंत्रालय द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता का विवरण और तकनीक तथा साथ ही निधियों के उपयोग की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

परियोजना का नाम	कार्यान्वित किया गया	निधि का स्रोत	क्षेत्र (एस)	सहायता 1996-97 रु./ मिलियन	सहायता 1996-97 अमे. डालर/ मिलियन	सहायता 1997-98 रु./ मिलियन	सहायता 1997-98 अमे. डालर/ मिलियन	निधियों के उपयोग की स्थिति
भारतीय अक्षय संसाधन विकास परियोजना	भारतीय अक्षय उर्जा विकास संस्था (इरेडा)	अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था ऋण	पवन	340.34	9.53	0	0	पवन और लघु पन बिजली क्षेत्रों में परियोजनाओं का वित्त पोषण करके उपयोग किये जाने के पश्चात् पुनः अदायगी आधार पर निधियां प्राप्त की गई।
			लघु पन बिजली	181.52	5.09	259.46	6.65	
		जीईएफ अनुदान	सौर प्रकाश वोल्टीय (एसपीवी)	99.63	2.81	22.67	0.63	सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में एस पीवी परियोजनाओं के वित्त पोषण और इसके अलावा क्षमता निर्माण
			तकनीकी सहायता	3.87	0.09	21.44	0.60	के लिए उपयोग किया गया
		स्विस विकास निगम अनुदान	तकनीकी सहायता	4.70	0.15	9.29	0.37	इरेडा में क्षमता निर्माण के लिए उपयोग किया गया।
अक्षय उर्जा परियोजना	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	एशियाई विकास बैंक ऋण	पवन सह-उत्पादन	0	0	101.89	2.59	पेशगी राशि का प्रयोग नहीं किया यह दिसम्बर 1997 में प्राप्त हुई और इसे परियोजना प्रमोटरों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर उपयोग किया जा रहा है।
				0	0	88.12	2.24	
			पेशगी	0	0	590.10	15.00	
उच्च दर बायोमिथेनेशन परियोजना	अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय	यूएनडीपी/ जीईएफ तकनीकी सहायता	बायोमिथेनेशन	0	0.42	0	0.77	वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त की गई निधियों का पूर्ण इस्तेमाल किया गया तथापि वर्ष 1997-98 के दौरान प्राप्त की गई निधियां पूर्ण रूप से इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकी और व्यय न की गई शेष राशि को वर्ष 1998-99 में आगे ले जाया गया।
पर्वतीय क्षेत्र* पन बिजली परियोजना	अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय	यूएनडीपी/ जीईएफ तकनीकी सहायता	पर्वतीय क्षेत्र पन बिजली	24.17	0.34	0	1.66	प्रशिक्षण, संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने आदि जैसे पहचाने गए कार्यकलापों हेतु निधियों का प्रयोग किया गया।
(*कलेन्डर वर्षवार अर्थात् 1996 और 1997 में प्राप्त की गई सहायता)								
सतत ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए भारत-अमेरिकी परियोजना	अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय	अमेरिका के उर्जा विभाग का अंशदान वस्तु के रूप में	एसपीवी	6.00	0	0	0	परियोजना के लिए 6.0 मिलियन का अमेरिकी अंशदान हार्डवेयर अर्थात् प्रकाशवोल्टीय माड्यूल, चार्ज कन्ट्रोलर आदि और प्रशिक्षण के रूप में था।
ग्रामीण भारत के लिए बायोमास के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी	भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर	यूएनडीपी/ जीईएफ परियोजना तैयारी संबंधी अनुदान	बायोमास	0	0	0	0.03	भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर को सीधे ही 5 जनवरी, 1998 को निधियां मंजूर की गई।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

3179. श्री एच.जी. रामुलु: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में कताई मिलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अपनी मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो कताई मिलों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 1996-97 के दौरान कर्नाटक सरकार ने सिर्फ एक सहकारी कताई मिल, यानि, गडग सहकारी वस्त्र मिल लि., हुल्कोटि के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव की ही सिफारिश की थी। एन.सी.डी.सी. से मांगी गई सहायता 805 लाख रु. थी।

(ग) और (घ) एन.सी.डी.सी. ने उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी एवं ऊपर उल्लिखित मिल के आधुनिकीकरण के लिए 805 लाख रु. की ऋण सहायता मंजूर की है। एन.सी.डी.सी. के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मिल के आधुनिकीकरण में कोई प्रगति नहीं हुई ह क्योंकि इस समिति को कर्नाटक सरकार द्वारा धन अभी जारी किया जाना है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी मुरारी समिति

3180. श्री महेश कनोडिया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुरारी समिति ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सिफारिशों को लागू करने के लिए किसी समय सीमा का भी सुझाव दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो संगत टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति की समीक्षा करने संबंधी समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) समिति की विभिन्न सिफारिशों के संबंध में सरकार के निर्णय क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति के संबंध में समीक्षा समिति की सिफारिशें

1. संयुक्त उद्यम/चार्टर/पट्टा/परीक्षण के तौर पर मछली पकड़ने के अंतर्गत मछली पकड़ने के लिए जारी सभी परमिटों को यथा अपेक्षित कानूनी प्रक्रियाओं की शर्त पर तत्काल रद्द कर दिया जाना चाहिए।

2. संयुक्त उद्यम/चार्टर/पट्टा/परीक्षण के तौर पर मछली पकड़ने के जलयानों का मछली पकड़ने के लिए भविष्य में न तो नवीकरण किया जाना चाहिए, न ही उन्हें विस्तार दिया जाना चाहिए और न ही उन्हें नये लाइसेंस/परमिट दिये जाने चाहिए।

3. मछली पकड़ने के लिए सभी लाइसेंसों/परमिटों को सार्वजनिक दस्तावेज बना दिया जाए और उसकी प्रति को निरीक्षण के लिए पंजीकृत प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध कराना चाहिए।

4. 20 मीटर आकार से कम के पारंपरिक यानों अथवा यांत्रिक जलयानों का संचालन करने वाले मछुआरों द्वारा जिन क्षेत्रों का पहले ही उपयोग किया जा रहा है अथवा जिसकी मध्यम काल में उपयोग किया जा सकता है, उनका उपयोग करने के लिए 20 मीटर लम्बाई से ऊपर वाले किसी जलयान को अनुमति नहीं

देनी चाहिए, सिवाय मौजूदा काम कर रहे भारतीय जलयानों के जो सभी एक और सात के अधीन केवल तीन वर्ष के लिए मौजूदा क्षेत्रों में काम कर सकते हैं।

5. चूंकि 20 मीटर आकार से कम की भारतीय यांत्रिक नौकाओं में पश्चिमी तट पर 70-90 मीटर तक की गहराई में मछली पकड़ने की क्षमता होती है अत: 150 मीटर गहराई में अथवा तट से दूर पैरा 4 में उल्लिखित जलयानों को छोड़कर 20 मीटर लम्बाई से अधिक के सभी जलयानों को सीमा से बाहर कर दिया जाना चाहिए। जहां 150 मीटर गहराई क्षेत्र तट से 100 नाविक मील से कम है वहां 100 नाविक मील तक की दूरी 20 मीटर लम्बाई से कम वाले भारतीय जलयानों के लिए आरक्षित कर दी जानी चाहिए। पूर्वी तट पर जो कन्याकुमारी से शुरू होता है 20 मीटर आकार से कम वाले भारतीय जलयान 100 मीटर गहराई तक अथवा तट से 50 नाविक मील तक, जो भी दूर हो, पैरा 4 में उल्लिखित शिथिलता को छोड़कर आ जा सकेंगे। गहराई के क्षेत्रों को समन्वयकों द्वारा परिभाषित किया जाएगा जिसमें तट से दूरी निर्दिष्ट की जाएगी। दूरी का निर्धारण राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय/तट रक्षक/भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण् द्वारा निर्धारित की जाएगी।

6. अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों के संबंध में तट से 50 नाविक मील की दूरी पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधान के साथ 20 मीटर की लंबाई से कम वाले भारतीय जलयानों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित होगी। इसके अलावा यदि आवश्यकता हुई तो, यदि कुछ भाग 50 नाविक मील की सीमा से अधिक दूरी पर भी पड़ता है तो भारतीय जलयानों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित द्वीपसमूहों के बीच जल को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सीमा को परिभाषित किया जाएगा।

7. 20 मीटर लंबाई से ऊपर के जलयानों के लिए खुले क्षेत्र में टूना और टूना जैसी मछलियों, स्किवड और कटल मछली, पैलेविक क्षेत्रों में मध्यम जल अथवा गहरे समुद्र की फिन मछली और सागरीय टूना के लिए संसाधन विशिष्ट जलयानों को टूना तोंगलाईन, टूना पससीलिंग, स्किवड झींगा और मिड वाटर ट्रालिंग द्वारा उपयोग करने के लिए अनुमति दे दी जानी चाहिए बशर्ते कि यह भारतीय स्वामित्व वाले पंजीकृत जलयान हों। भारतीय स्वामियों को कम से कम 51 प्रतिशत ऋण तथा इक्विटी का हिस्सेदार होना चाहिए।

8. अधिकतम सतत उत्पादन तथा संसाधनों के परिरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मात्स्यिकी मैदानों के लिए फलीट आकार तय किया जाए।

9. हमारे जल में मात्स्यिकी संसाधनों को परिरक्षित करने, मछुआरों को संरक्षित करने और समुद्र में विवादों को कम करने के उद्देश्य से मात्स्यिकी समुदाय से परामर्श करने के बाद संसद द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विनियम बनाये जाने चाहिए।

10. पारंपरिक, छोटे यांत्रिकी, बड़े गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बड़े जलयानों के बीच विवादों को रोकने के लिए तट रक्षकों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तट रक्षकों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, उनका विस्तार किया जाना चाहिए और उन्हें नौवहन, निगरानी तथा शस्त्रों की अत्याधुनिक प्रणाली के साथ तकनीकी रूप से उनका उन्नयन किया जाना चाहिए और उन्हें यह कार्य सौंपा जाना चाहिए कि विदेशी जलयान हमारे क्षेत्र में मछली न पकड़े और स्वदेशी जलयान निर्धारित सीमा का पालन करें। यदि तट रक्षक इस कार्य को करने में समर्थ न हों तो तब किसी अन्य एजेंसी, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर इसकी पहचान की जाए ताकि ये जलयान निर्धारित सीमा के विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर, निषेधाज्ञा का उल्लंघन न करें।

11. यांत्रिक नौकाओं तथा भारतीय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बेड़े के लिए पारंपरिक मछुआरों के द्वारा प्रयुक्त तकनीकी दक्षता तथा उपकरणों के उन्नयन के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिए और धन भी उपलब्ध कराना चाहिए ताकि प्रत्येक कानून द्वारा आरक्षित अथवा व्यावहारिक रूप से आरक्षित क्षेत्रों में प्रभावी रूप से मछली पकड़ सके। पारंपरिक क्षेत्र को प्राथमिकता के साथ सभी तीनों श्रेणियों के लिए अत्याधुनिक स्तर तक के उन्नयन के लिए लक्षित नौवहन तथा मात्स्यिकी उपकरणों के लिए शुल्क रियायत और रियायती वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

12. पारंपरिक और छोटे यांत्रिकी क्षेत्र की सहायता ईंधन की पर्याप्त नियमित सप्लाई द्वारा की जानी चाहिए और इस गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जलयानों को दिये जाने वाले लाभों को देखते हुए एच.एस.डी. और मिट्टी का तेल भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा साथ ही अनुदान भी दिया जाना चाहिए।

13. सभी प्रकार की समुद्री मात्स्यिकी एक मंत्रालय के अंतर्गत आनी चाहिए। सरकार को भारतीय मात्स्यिकी प्राधिकरण के गठन पर भी विचार करना चाहिए जो इस प्रकार से काम करें जिस तरीके से कि अन्य देशों में गठित इस प्रकार के प्राधिकारी काम करते हैं और यह प्राधिकरण नीति निर्धारण और उनके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

14. आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों को शामिल करके भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का भी तकनीकी रूप से उन्नयन किया जाना चाहिए ताकि यह सभी प्रकार की मछलियों के स्थान का पता लगा सकें, विभिन्न प्रौद्योगिकियों के प्रभावी और पारिस्थिति के परिवर्तनों का अध्ययन कर सकें। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदन अभिकरणों और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के बीच उपयुक्त समन्वय और सहयोग होना चाहिए।

15. सरकार को मात्स्यिकी संसाधनों की छीजन को रोकने के लिए, जो पकड़ी गई कुछ मछलियों का फेंकने के कारण हो रहा है, अपेक्षित बुनियादी ढांचे के सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस मछुआरों और उनकी सहकारिताओं के उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्टरी, मछली प्रसंस्करण सुविधाओं, मछली आहार और आहार निर्माण उपलब्ध कराके हासिल किया जा सकता है।

16. पूर्वी और पश्चिमी तट पर तथा लक्षद्वीप अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों पर मौजूदा और आधुनिक उन्नत यानों के लिए मात्स्यिकी पोतों जैसी बुनियादी सुविधाओं का सृजन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

17. विपणन और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए बड़े जलयानों के उन्नयन और अधिप्राप्ति के लिए मछुआरों/मछुआरियों तथा उनके सहकारिताओं को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

18. मछली का कारोबार देखने और प्रसंस्करण पहलुओं के नये उपकरणों, बड़े जलयानों तथा मछली पकड़ने की नयी तकनीकियों को हैंडल करने के लिए मछुआरों/मछुआरियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए।

19. प्रदूषकों/उद्योगों से निकले बहि:स्राव/कूड़ा कचरे की समस्या से निकलने के लिए, जो समुद्री जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

20. सरकार को छ: महीनों की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों के संबंध में निर्णय लेने चाहिए।

21. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति को आवधिक रूप से अर्थात 3-5 वर्ष में संशोधित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

गेहूं की खेती के अंतर्गत भूमि के क्षेत्रफल में कमी.

3181. श्री आर. साम्बासिवा राव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं की खेती के अंतर्गत भूमि के क्षेत्रफल में तेजी से कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गेहूं की खेती के अंतर्गत भूमि के क्षेत्रफल में और कमी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) जी नहीं। 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान गेहूं की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र क्रमश: 25.7, 25.0, 25.9 और 25.8 मिलियन हैक्टेयर था।

(ग) गेहूं की खेती के अंतर्गत उत्पादकता, उत्पादन और क्षेत्रफल में और वृद्धि लाने के उद्देश्य से भारत सरकार गेहूं आधारित फसलों क्षेत्रों में एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत बीजों, फार्म उपस्करों के प्रयोग के लिए तथा प्रौद्योगिकी के अंतरण और खेतों में प्रदर्शन आदि के लिए प्रोत्साहन दिये जा रहे

हैं। किसानों के लिए पहले से ही उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कर दिया जाता है।

पाकिस्तान को चीनी प्रक्षेपास्त्र

3182. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:**
श्री वैको:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन की सरकार का पाकिस्तान को एम-11 प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति नए सिरे से शुरू करने का प्रस्ताव है;

'ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खतरे का सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सरकार को मिसाइल, मिसाइल तकनीक तथा नाभिकीय हथियार संबंधी तकनीक के हस्तान्तरण सहित पाकिस्तान और चीन के बीच दीर्घकालिक रक्षा सहयोग के बारे में पता है। यह विश्वसनीय खबरें हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत से ही संबंधित उपकरणों सहित एम-11 मिसाइलों की आपूर्ति हो रही थी तथा हाल की रिपोर्ट मिसाइल उत्पादन सुविधा स्थापित करने की दिशा में सहयोग से संबंधित है।

(ग) सरकार पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित सभी घटनाओं पर लगातार निकट दृष्टि रखे हुए है। सरकार का मानना है कि हमारे पड़ोस में अत्याधुनिक सैन्य तकनीक का लगातार अन्तरण एक अस्थिरता पैदा करने वाली घटना है। इन चिन्ताओं से चीन के पक्ष को उच्चतम स्तर पर अवगत भी करा दिया गया है। भारत के सुरक्षा वातावरण से संबंधित घटनाओं के प्रति अपने आंकलन के अनुरूप सरकार देश की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है।

मत्स्यन पोत

3183. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में कुल कितने मत्स्यन पोत पंजीकृत हैं;

(ख) क्या साल नदी के संकरी मुहाने के कारण बेतुल में ट्रालरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या ट्रालरों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए साल नदी के मुहाने से गाद निकालने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) गोवा में 1996 तक 3709 मत्स्यन जलयान पंजीकृत हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। साल नदी के मुंह का ड्रेजिंग गोवा सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा को सौंपे गए अध्ययन कार्य की सिफारिशों पर आधारित होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि के लिए बजट आवंटन

3184. **डा. प्रभा ठाकुर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बजट में कृषि क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता को देखते हुए कृषि विकास पर कुल बजट परिव्यय की कितने प्रतिशत राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) देश में किसानों की संख्या कितने प्रतिशत है; और

(ग) कृषि विकास के लिए बजट आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) 1998-99 के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए आवंटन कुल केन्द्रीय योजना बजट का 3.67% है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार, कुल कार्यबल में कृषकों का प्रतिशत 35.2 था।

(ग) कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए आवंटन योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न क्षेत्रों से आवश्यकताओं की प्रतिद्वन्द्विता के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

3185. श्री टी. गोविन्दन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से विदेशी पोतों/संयुक्त उद्यमों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए दिए गए सभी परमिटों/लाइसेंसों को रद्द करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) चार्टर्ड, पट्टाधारी तथा संयुक्त उद्यम वाले जलयानों को जारी किए गए लाइसेंसों/परमिटों को रद्द करने के लिए केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों और मछुआरा समुदायों के अनुरोध पर सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के आधार पर संयुक्त उद्यम, पट्टे पर और परीक्षण के तौर पर मछली पकड़ने की 1991 की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नई नीति को रद्द कर दिया गया है। चार्टर नीतियों के अंतर्गत मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयानों का प्रचालन भी हटा लिया गया है। जहां तक परमिटों को रद्द किये जाने का संबंध है यह निर्णय लिया गया है कि यह कार्य केवल एम जैड आई अधिनियम, 1981 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/आदेशों तथा व्यक्तिगत मामलों में अनुमोदन की शर्तों और निबंधनों का उल्लंघन करने पर विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से ही किया जा सकता है।

जापान के साथ संबंध

3186. डा. उल्हास वासुदेव पाटील: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात् जापान से संबंध सुधारने के प्रयासों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या लम्बित मामलों पर कोई विचार विमर्श प्रगति पर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जापान के साथ भारत के संबंध पारस्परिक रूप से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। जापान दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जिसके साथ वर्ष में दोनों तरफ का कुल व्यापारिक कारोबार 5 बिलियन अमरीकी डालर है। यह भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है (1991-97 के दौरान लगभग 1.6 बिलियन अमरीकी डालर) सरकार भारत के आर्थिक विकास में जापान की भूमिका की सराहना करती है और भारत में जापानी निवेश का स्वागत करती है। हमारा प्रयास विभिन्न स्तरों पर परस्पर हित के आर्थिक और वाणिज्यिक आदान-प्रदान को सुदृढ़ करना है।

भारत के नाभिकीय परीक्षण के प्रति जापान की प्रतिक्रिया विरोधी रही है। भारत के लिए येन-ऋण और सहायता अनुदान को रोकने के अलावा अनेक कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित किये जाने हैं जिसमें जम्मू और कश्मीर का भी उल्लेख शामिल है।

(ख) और (ग) अपनी ओर से हम जापान के साथ परस्पर लाभ के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम जापान सरकार के इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे हमारे साथ द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए तैयार है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देना

3187. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में निर्यात के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस उद्योग से पैकेजिंग और बाटलिंग को आकर्षक और प्रतियोगी बनाने हेतु कोई सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या इस क्षेत्र के युवाओं के लिए आम, काजू, कटहल, जामुन, नारियल, अनानास आदि के प्रसंस्करण की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रावधान किया गया है;

(घ) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में लगे सहय • क्षेत्र के लिए कोई रियायतें और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) सरकार विभिन्न योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों समेत सारे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार कोल्ड चैन, प्रसंस्करण के साथ-साथ पैकेजिंग, अनुसंधान और विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के वास्ते व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों द्वारा निर्यात का संवर्धन करने हेतु कोई विशेष योजना स्कीम नहीं चलाता है। फिर भी इसकी कुछ वर्तमान स्कीमों के तहत बुनियादी सुविधाओं, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, विशेषीकृत प्रशिक्षण, बाजार विस्तार, प्रदर्शनियों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। आशा है कि इनसे निर्यात संवर्धन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

अंनुसंधान एवं विकास के लिए योजना स्कीमों के तहत मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग को सुरक्षित, आकर्षक और प्रतियोगी बनाने के वास्ते अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) मंत्रालय फल और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए, किसानों, सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों को ऋण/अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के वास्ते एक स्कीम चलाता है जो फल प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर घरेलू खपत हेतु ग्रामीण युवकों को जैम, जैली, अचार आदि जैसे उत्पादों के प्रसंस्करण का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने की सुविधा और प्रशिक्षण (नो हाऊ एंड शो हाऊ) प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक एवं वर्धा जिलों में ऐसे दो फल प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र पहले ही कार्यरत हैं और 1993-94 में वर्धा जिले में ऐसे एक और केन्द्र के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

गुजरात में ऐसे 3 फल प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में से एक को वर्ष 1993-94 में बारदोली में और दो को वर्ष 1994-95 में जूनागढ़ एवं गांडवी में मंजूरी प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय की विभिन्न योजना स्कीमों के तहत सहकारिताओं को बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है। सहायता की मात्रा स्कीम और स्कीम के क्षेत्र पर भी निर्भर करती है।

पी-5 देशों की बैठक

3188. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणो पर चर्चा करने के लिए जेनेवा में हाल ही में पी-5 राष्ट्रों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मामलों पर चर्चा हुई थी;

(ग) क्या दक्षिण एशिया में तनाव समाप्त करने के लिए कश्मीर समस्या को महत्वपूर्ण माना गया था; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि दक्षिण एशिया शांत क्षेत्र बना रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, पी-5 के 5 स्थायी सदस्यों के विदेश मंत्रियों की 4 जून, 1998 को जेनेवा में हुई बैठक के एक संयुक्त विज्ञप्ति में भारत और पाकिस्तान के परीक्षणों की निन्दा की गई, क्षेत्र में शान्ति और स्थायित्व के खतरे पर अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त की, और उप-महाद्वीप में शस्त्रों की दौड़ रोकने, नाभिकीय अप्रसार पद्धति का समर्थन करने और भारत और पाकिस्तान के बीच मेलमिलाप को प्रोत्साहित करने तथा मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए निकट सहयोग करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से तत्काल और बिना शर्त व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का अनुपालन करने की मांग की और कहा कि नाभिकीय अप्रसार सन्धि पर उसके यथा रूप में, बिना किसी परिवर्तन के, सभी देशों का अनुपालन करवाने का उनका लक्ष्य अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि वे भारत और पाकिस्तान को सीधी बातचीत के माध्यम से ऐसे परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करेंगे जिनसे कश्मीर सहित तनावों के मूल कारणों का समाधान हो और संघर्ष की अपेक्षा विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई हो।

(घ) सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में हुए कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेवार सदस्य और एक प्रमुख तथा अग्रणी सहयोगी के रूप में भारत का अनुकूल रिकार्ड रहा है। भारत ने अपने क्षेत्र में विश्वास पैदा करने और शान्ति तथा स्थायित्व संवर्धन की दिशा में निरन्तर प्रयास किए हैं। नाभिकीय परीक्षणों के परिणामस्वरूप सरकार ने परीक्षणों के मद्देनजर अभिव्यक्त चिन्ताओं को दूर करने की दृष्टि से अनेक पहलकदमियां की हैं। ये हैं:-(1) भारत स्वेच्छा से इन परीक्षणों को स्थगित रखने का अनुपालन करेगा और आगे और परीक्षण नहीं करेगा। भारत इस घोषणा के वैध निरूपण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तौर-तरीकों का पता लगाने का भी इच्छुक है, (2) भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप में तथा अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय रूप में तथा सामूहिक मंचों पर पहले प्रयोग करने से सम्बद्ध करार पर चर्चा करने के लिए तैयार है, (3) नाभिकीय दौड़ में शामिल होने की भारत की कोई मंशा नहीं है। भारत ने जिन विभिन्न पहल-कदमियों की घोषणा की है उनके प्रति उसे रचनात्मक उत्तर मिलने की आशा है ताकि उप-महाद्वीप में शान्ति और स्थायित्व कायम रह सके।

जी-15 देश

3189. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी-15 विकासशील देशों ने विकासशील देशों द्वारा एक पक्षीय व्यापार कार्यवाही तथा अपने देश के कानून को देश के बाहर लागू करने का विरोध करने के लिए समन्वित कार्यवाही करने संबंधी भारत के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात पर भी सहमति हुई है कि व्यापार संबंधी मतभेद विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत सुलझा लिये जाने चाहिए;

(ग) यदि हां, तो जी-15 देशों को भारत द्वारा पेश किए गए अन्य प्रस्ताव क्या हैं;

(घ) भारत के स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या क्या है; और

(ङ) जी-15 की बैठकों में लिए गए अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। मई, 1998 में काहिरा में सम्पन्न अपने आठवें शिखर-सम्मेलन में जी-15 के नेताओं ने अपना यह विश्वास दोहराया कि राज्यक्षेत्रातीत प्रभावों के साथ एकतरफा उपाय बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के परस्पर विरोधी है। उन्होंने विकसित देशों से अनुरोध किया है कि वे संरक्षणवाद के आह्वान का विरोध करें तथा उन्होंने व्यापार उपायों अथवा साधनों, जिसमें प्रतिपादन और प्रतिकारी शुल्क प्रावधान शामिल हैं, तथा संरक्षणवाद प्रयोजनों के लिए मानकों और विनियमों, अथवा गैर-व्यापार उद्देश्यों को संवर्धित करने अथवा लागू करने, सिद्धांतों अथवा नियमावलियों, जिनमें वे भी शामिल हैं जो श्रम मानकों और पर्यावरण से सम्बद्ध हैं, के प्रयोग के लिए अपनी नामंजूरी दोहरायी। नेताओं ने विश्व व्यापार संगठन के तहत पारदर्शिता, निष्पक्ष और समान नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार पद्धति की श्रेष्ठता की पुन: पुष्टि की।

(ग) और (घ) भारत ने इस बात पर बल दिया कि उदारीकरण का अनुसरण जो अस्तित्व में रहने का विश्व व्यापार संगठन का कारण है, अपने आप में कोई अन्त नहीं है, और वह त्वरित विकास के मुख्य लक्ष्यों कल्याणकारी लाभों तथा विकासशील देशों के वर्तमान और संभावित संसाधनों के लिए श्रेष्ठ प्रतिफल की पूर्ति करें। इस दिशा में, भारत ने विकासशील देशों की हित-चिन्ताओं को रेखांकित करने वाले प्रस्ताव तथा विश्व व्यापार संगठन की कार्यसूची के सभी पहलुओं और उनके कार्यान्वयन में विकासशील देशों के लिए विशेष तथा विशिष्ट बरताव सुनिश्चित करने के सम्भावित उपाय पेश किए। भारत ने इस वर्ष के अन्त में जी-15 अन्तर-सरकारी बैठक की मेजबानी करने की पेशकश की। भारत ने विकासशील देशों के जैव-आनुवंशिक संसाधनों के लिए उचित प्रतिफल के मामले को भी उठाया। भारत ने जी-15 का आह्वान किया कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को गतिशील बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रूपरेखाओं को निष्फल करने के लिए व्यावहारिक सार्वभौम कार्रवाई के लिए मिल कर कार्य करें।

(ङ) जी-15 शिखर-सम्मेलन ने मुख्य उद्देश्यों अर्थात पूर्वी और दक्षिण एशिया में वित्तीय संकट तथा बहुपक्षीय व्यापार पद्धति जिसमें जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मंत्रीस्तरीय सम्मेलन भी शामिल है, पर विचार किया। शिखर-सम्मेलन ने विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की जांच की और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व एशिया में वित्तीय अशांति फैलने से रोकने के लिए व्यापक और तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया। बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के मामले में शिखर-सम्मेलन ने विभिन्न मसलों पर विकासशील देशो की उन स्थितियों का उल्लेख किया जिनके जेनेवा बैठक के साथ-साथ विकासशील देशों की सकारात्मक कार्यसूची में उठाए जाने की सम्भावना है। शिखर-सम्मेलन ने विकसित देशों के भागीदारों का आह्वान किया

कि वे विकासशील देशों के जैव-आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले लाभों के निष्पक्ष और समान साझेदारी के लिए उचित उपाय करें तथा उनके अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए उपाय करें। शिखर-सम्मेलन ने सभी प्रकार के आतंकवाद उनके प्रायोजकों तथा किसी प्रकार के बहाने से उनका समर्थन करने वालों की निन्दा की तथा इस भय का मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धित करने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड

3190. **श्री विक्रम देव केशरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर उड़ीसा राज्य के विषय में राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड के क्रियाकलापों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कालाहांडी जिले को राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड के क्रियाकलापों में शामिल कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार वर्ष 1998-99 के दौरान इसे कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) राष्ट्रीय भू-उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर भू-संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा नीतिगत नियोजन के लिए एक शीर्षस्थ निकाय है। इसके क्रियाकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। एन.एल.सी.बी. द्वारा राज्यवार क्रियाकलाप नहीं किये जाते हैं। उड़ीसा राज्य सहित संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के राज्य भूमि उपयोग बोर्डों द्वारा सभी क्रियाकलाप किये जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य भूमि उपयोग बोर्डों को राज्यवार आबंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय भू-उपयोग तथा संरक्षण संगठन के क्रियाकलाप

1. उचित भू-उपयोग, मृदा क्षमता तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुये देश के भूमि संसाधनों का संरक्षण, प्रबन्ध तथा विकास करने के लिए राष्ट्रीय नीति तथा संदर्शी योजना का निरूपण करना;

2. भूमि संसाधन, मृदा तथा सम्बद्ध विषयों के संरक्षण तथा विकास से संबंधित चालू योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समग्र समीक्षा करना;

3. मृदा सर्वेक्षण से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा उस पर विचार करना तथा भूमि-संसाधनों का सामान्य मूल्यांकन करना।

4. राज्य भूमि उपयोग बोर्डों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों आदि के सहयोग से विभिन्न उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर विचार-विमर्श/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए अध्ययन प्रायोजित करना;

5. उचित मृदा प्रबन्ध की समस्याओं तथा महत्व के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए उपाय करना;

6. यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर विचार करना कि अच्छी कृषि भूमि को अन्धाधुन्ध तरीके से गैर-कृषि उद्दाय से उपयोग में न लाया जाये।

7. राज्य भूमि उपयोग बोर्डों के काम में समन्वय करना।

8. जनहित के मामलों में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के साथ पूरी तरह से सहयोग करते हुए काम करना;

9. भूमि संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपायों पर विचार करना तथा उसे अपनाना।

विवरण II

1998-99 के दौरान राज्य भूमि उपयोग बोर्डों को मजबूत बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित राशि का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	1998-99 के लिए आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.00
3.	असम	6.00
4.	बिहार	6.00
5.	गोवा	5.00
6.	गुजरात	3.00
7.	हिमाचल प्रदेश	8.00
8.	हरियाणा	7.00
9.	जम्मू व कश्मीर	7.00
10.	कर्नाटक	8.00
11.	केरल	10.00
12.	मध्य प्रदेश	6.00
13.	महाराष्ट्र	6.00
14.	मणिपुर	5.00
15.	मेघालय	5.00
16.	मिजोरम	7.00
17.	नागालैंड	7.00
18.	उड़ीसा	6.00
19.	पंजाब	6.00
20.	राजस्थान	7.00
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	8.00
23.	त्रिपुरा	6.00
24.	उत्तर प्रदेश	12.00
25.	पश्चिम बंगाल	9.00
26.	पाण्डिचेरी	4.00
27.	अंडमान व निकोबार	2.00
28.	दादर व नागर हवेली	4.00
29.	लक्षद्वीप	4.00
		180.00

जी-8 देशों की बैठक

3191. श्री जी.एम. बनातवाला:
श्री तारीक अनवर:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जी-8 देशों के हाल के संकल्प पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें भारत से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हाँ।

(ख) भारत की चिन्ता के प्रमुख मुद्दे नाभिकीय निरस्त्रीकरण, अप्रसार तथा दक्षिण एशिया की स्थिति के संबंध में भारत पर लगाए जाने वाले अव्यवहारिक नियमों से संबंधित हैं। जी-8 की विज्ञप्ति में इस तथ्य का भी उल्लेख है कि सदस्य देश विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में भारत को देय मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऋणों से इतर ऋणों को स्थगित कराने के लिए कार्य करेंगे। वह विज्ञप्ति मई, 1998 में किए गए नाभिकीय परीक्षणों के बाद भारत द्वारा की गई बहुत से सकारात्मक कार्यों की उपेक्षा करती है जिनमें बातचीत के लिए युक्ति संगत ढांचे का प्रस्ताव रखा गया है।

(ग) सरकार ने दृढ़तापूर्वक यह कहा है कि वह ऐसे किसी भी नियमों को नहीं मान सकंती है जो उसके स्वतंत्र निर्णय लेने को प्रभावित करता है। सरकार अपने आंकलन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेगी। जी-8 के सदस्य देशों को भारत द्वारा हाल के सप्ताहों में भारत द्वारा दिए गए उन प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने को कहा गया है जिनमें बातचीत के लिए युक्तिसंगत ढांचे का प्रस्ताव किया गया है।

कृषि वैज्ञानिक संस्थान

3192. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न कृषि वैज्ञानिक संस्थानों के माध्यम से किसानों को जानकारी प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या कृषि से संबंधित समग्र साहित्य के अंग्रेजी में प्रकाशित होने के कारण किसानों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने और हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान प्रणाली द्वारा सृजित उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना का किसानों में प्रचार विभिन्न साहित्य के प्रकाशन के जरिए करती है।

(ख) और (ग) जी नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक मासिक लोकप्रिय पत्रिका ''खेती'' और ''फलफूल'' तथा ''कृषि चयनिका'' जैसी लोकप्रिय तिमाही पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है।

अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत सृजित विभिन्न प्रौद्योगिकियों से संबंधित कृषि संबंधी सूचना के प्रचार के लिए विशेष तकनीकी पुस्तकें, बुलेटिन, पॉकेट बुक और कम मूल्य की पुस्तकें हिन्दी में भी प्रकाशित की जाती हैं। हिन्दी और कन्नड़ में प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन पर लेख/रूपक भी प्रस्तुत किये जाते हैं। 1997-98 के दौरान प्रकाशनों की सूची संलग्न विवरण में इंगित की गई है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान हिन्दी में प्रकाशित साहित्य की सूची

1. लोकप्रिय पत्रिकाएं

   (1) खेती (मासिक)

   (2) फलफूल (त्रैमासिक)

   (3) कृषि चयनिका (त्रैमासिक)

2. तकनीकी पुस्तकें, बुलेटिन, पॉकेट बुक और कम-मूल्य की पुस्तकें

   (1) 21वीं शताब्दी में टिकाऊ खेती

   (2) कृषि अर्थशास्त्र के नए आयाम

   (3) पोदीना

   (4) मोटे अनाजों की खेती

कृषि आधारित उद्योग

3193. **श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में विशेष रूप से चित्रदुर्ग और बंगलौर जिलों में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) मंत्रालय किसी राज्य में स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं करता। लेकिन मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। चित्रदुर्ग प्रदेश में ऐसी यूनिटों की स्थापना के वास्ते कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन कर्नाटक में बंगलौर जिले में प्रशीतन भंडारों, चलती-फिरती फल प्रसंस्करण यूनिट मसाला तेल के निस्सारण हेतु यूनिटों की स्थापना के वास्ते कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

समुद्री प्रदूषण

3194. **श्री मुकुल वासनिक:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र पर्यावरण को समुद्र की अत्यधिक वाणिज्यिक गतिविधियों के उपयोग के बढ़ने से प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा तटीय और अपतटीय पानी के विभिन्न समुद्री प्रदूषण तत्वों के स्तर की जाँच के लिए कोई कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ग) इस संबंध में एकत्र किए गए आंकड़े क्या हैं और क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग) महासागर विकास विभाग समुद्र की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक समुद्री प्रदूषण प्रबोधन कार्यक्रम अर्थात तटीय समुद्र प्रबोधन और भविष्यकथन प्रणाली (कोमैप्स) का क्रियान्वयन कर रहा है, एकत्र किए गए आंकड़ों और अनुवर्ती प्राचलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

प्राचल

(1) जल

उष्मा, लवणता, विघटित आक्सीजन, फास्फोरस, निलम्बित ठोस पदार्थ, जैविक आक्सीजन मांग, अजैविक फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, समग्र फास्फोरस, समग्र नाइट्रोजन, पैट्रोलियम हाइड्रोकार्बन और रोगजनक जीवाणुओं की विभिन्न प्रजातियाँ।

(2) तलछट की संरचना, समग्र जैविक कार्बन, कैडमियम व पारे जैसी भारी धातुएं तथा जीवाणु।

(3) जैविक पहलू

हरिताणु-क, मौजूदा पैदावार, विविधता इत्यादि सहित प्राथमिक उत्पादकता (पादपप्लवक) व गौण उत्पादकता (प्राणिप्लवक) और प्रायोगिक जाल पकड़ व विविधता के माध्यम से चुनींदा स्थलों पर मत्स्य समुदाय।

एकत्रित आंकड़ें और परिणामों का सारांश:

दिसम्बर, 1997 तक एकत्रित आंकड़ों ने हमारे समुद्रों में प्रदूषण की स्थिति के बारे में यह दर्शाया है:

(1) स्वच्छ समुद्री जल गुणवत्ता के क्षेत्र

मुम्बई अपतट को छोड़कर लगभग 2 किलोमीटर के बाद समुद्र स्वच्छ है। मुम्बई के मामले में समुद्र लगभग 5 किलोमीटर के बाद स्वच्छ है।

(2) वर्तमान में अप्रदूषित तटीय स्थल

नीचे सूचीबद्ध स्टेशनों पर, विभिन्न रासायनिक व जैविक प्राचल, स्वच्छ समुद्री जल (अप्रदूषित क्षेत्र) के स्तर के समीप हैं और इसलिए इन्हें वर्तमान में अप्रदूषित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है।

गुजरात:	कांडला, वाडीनार, द्वारिका, हजीरा
दीव, दमन	
महाराष्ट्र:	मुरुड़, थाल, रत्नागिरि रेड्डी

गोवा:	मंडोवी, जुआरी
कर्नाटक:	होन्नावार
केरल:	कासरगोड, कन्नानोर, कालीकट, पोन्नानी, एलेप्पी, कायमकुलम, पाराचूर
तमिलनाडु:	कन्याकुमारी, कुडानकुलम, वायपारू मुहाना, गुन्डारू मुहाना, मंडपम (पाक जलडमरू), मंडपम (मन्नार की खाड़ी) उचीपुल्ली, थोंडी
पाण्डिचेरी:	करायकल, यानम (गौतमी-गोदावरी स्थल)
आंध्र प्रदेश:	कृष्णपत्तनम, निजामपत्तनम, मछलीपत्तनम, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, कलिंगपत्तनम
उड़ीसा:	धमारा, कोणार्क, चांदीपुर
पश्चिम बंगाल:	सप्तमुखी, दीघा, डायमण्ड बंदरगाह, हेलीडे द्वीप, डलहोजी स्थल, सुन्दरबन
अण्डमान व निकोबार:	पोर्टब्लेयर
लक्षद्वीप:	कावारती

(3) निरन्तर गहन निगरानी की आवश्यकता वाले प्रदूषण के संभावित क्षेत्र:

नीचे लिखे क्षेत्रों में प्रदूषण के निश्चित स्रोत मौजूद हैं। यदि पर्याप्त नियंत्रण उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर बढ़ सकता है:

गुजरात:	तापी मुहाना, ओखा (मीतापुर), पोरबन्दर
महाराष्ट्र:	ट्राम्बे, बस्सेन
गोवा:	मर्मगांव
कर्नाटक:	कारवाड़, मंगलौर
केरल:	कोचीन, क्विलन
तमिलनाडु:	तूतीकोरिन, अरुमुगनेरी, नागपत्तीनम, कुडालोर, कुयम के पास समुद्र, इन्नौर, चेन्नई बन्दरगाह
पाण्डिचेरी:	पाण्डिचेरी
उड़ीसा:	गोपालपुर पारादीप
पश्चिम बंगाल:	सैण्डहैडस

(4) निरन्तर गहन निगरानी की आवश्यकता वाले प्रदूषित क्षेत्र:

प्रदूषकों के कुछ असामान्य सान्द्रणों की मौजूदगी के कारण नीचे लिखे स्थल प्रदूषण वाले क्षेत्र के रूप में पाए गए हैं। प्रदूषण का प्रमुख स्रोत, घरेलू व औद्योगिक स्रोतों से अशोधित बहि:स्रावों का विसर्जन है। एकत्रित आंकड़ा प्रदूषण की स्थिति के बारे में यह दर्शाता है:

महाराष्ट्र

वर्सोवा खाड़ी (लगभग 15 वर्ग कि.मी. क्षेत्र)

- खाड़ी के भीतरी भाग में विघटित आक्सीजन शून्य।
- खाड़ी के बाहरी भाग में विघटित आक्सीजन 0 और 4 मि.ग्रा./ली. के मध्य।
- खाड़ी के भीतरी भाग में विनाइट्रीकरण सक्रिय।
- उच्च प्राथमिक उत्पादकता परन्तु सहायक उत्पादन समनुरूप नहीं।
- उच्च फास्फेट और अमोनिया।
- तलछटों में क्रोमियम और तांबे के स्तरों में धीमी वृद्धि।
- मानव रोगमूलकों के असामान्य स्तर।

माहिम खाड़ी (लगभग 25 वर्ग कि.मी. क्षेत्र)

- खाड़ी के भीतरी भाग में विघटित आक्सीजन शून्य
- खाड़ी के बाहरी भाग में 0 और 4 मि.ग्रा./ली. के मध्य विघटित आक्सीजन।
- खाड़ी के भीतरी भाग में विनाइट्रीकरण सक्रिय।
- उच्च प्राथमिकता उत्पादकता परन्तु सहायक उत्पादन समनुरूप नहीं।
- उच्च फास्फेट और अमोनिया।
- तलछटों में पारे की धीमी वृद्धि के साथ साथ क्रोमियम, निकल, जिंक, सीसा और तांबे के स्तरों में उच्च वृद्धि।

- मानव रोगमूलकों के असामान्य स्तर

उल्हास खाड़ी (लगभग 15 वर्ग कि.मी. क्षेत्र)

- खाड़ी के भीतरी भाग में 0 और 2 मि.ग्रा./ली. के मध्य विघटित आक्सीजन।
- खाड़ी के बाहरी भाग में ज्वार परिवर्तनीय विघटित आक्सीजन।
- नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया का उच्च सांद्रण।
- खाड़ी के भीतरी भाग के तलछट में पारे के असामान्य स्तर और क्रोमियम, निकल और तांबे का उल्लेखनीय उच्च स्तर।
- उच्च प्राथमिक उत्पादकता परन्तु सहायक उत्पादकता समनुरूप नहीं।
- खाड़ी के भीतरी भाग में मानव रोग मूलकों के उच्च स्तर।

थाणे खाड़ी (लगभग 5 वर्ग कि.मी.)

- खाड़ी के भीतरी भाग में 0 और 4 मि.ग्रा./ली. के मध्य विघटित आक्सीजन।
- खाड़ी के बाहरी भाग में ज्वार परिवर्तनीय विघटित आक्सीजन।
- नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और फास्फेट का उच्च सांद्रण।
- तलछट में पारा, क्रोमियम, निकल और तांबे का उच्च स्तर।
- असामान्य रूप से उच्च प्राथमिक उत्पादकता परन्तु अपेक्षाकृत अल्प सहायक उत्पादकता।
- खाड़ी के भीतरी भाग में मानव रोगमूलकों के उच्च स्तर।

गुजरात

वेरावल पत्तन (लगभग 5 वर्ग कि.मी.)

- खाड़ी के भीतरी भाग में विघटित आक्सीजन शून्य।
- खाड़ी में विघटित आक्सीजन 0 और 2 मि.ग्रा./ली. के मध्य।
- विनाइट्रीकरण सक्रिय।
- प्राथमिक एवं सहायक उत्पादन न्यून।
- उच्च फास्फेट और अमोनिया।
- तलछटों में क्रोमियम और तांबे के स्तरों में धीमी वृद्धि।
- मानव रोगमूलकों के असामान्य स्तर।

केरल

वेलि (लगभग 4 वर्ग कि.मी.)

- अल्प फास्फेट
- अल्प विघटित आक्सीजन
- उच्च धूलकण
- प्राथमिक और सहायक उत्पादकताएं न्यून

आन्ध्र प्रदेश

काकीनाडा खाड़ी

- विघटित आक्सीजन के अल्प स्तर
- विशाखापत्तनम बंदरगाह
- विघटित आक्सीजन के अल्प स्तर
- पोषक तत्वों के उच्च सांद्रण

उड़ीसा

पुरी अपतट समुद्र (लगभग 1-2 वर्ग कि.मी.)

- विघटित आक्सीजन के अल्प स्तर
- अमोनिया के उच्च स्तर

इन प्रेक्षित स्थानों पर बढ़ती प्रदूषण प्रवृत्तियों से संबंधित आंकड़ा और सूचना को समय समय पर, प्रदूषण उपशमन हेतु निवारक और नियंत्रक कार्रवाई के लिए जल अधिनियम (1974)

और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (1976) के अंतर्गत अधिकृत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की जानकारी में लाया गया था।

पारिस्थितिकी अनुकूल उद्योग

3195. श्री नृपेन गोस्वामी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम में पारिस्थितिकीय-अनुकूल इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) सरकार की भूमिका केवल संवर्धनात्मक है। चूंकि रोजगार के सृजन, आय तथा निर्यात से आमदनी में इलेक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी की प्रचुर क्षमता है, अत: सरकार समूचे भारत में उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहती है। सरकार की देश में किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रॉनिकी में नये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

नलकूप

3196. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में धान उत्पादन क्षेत्रों में नलकूप आधारित उठाऊ सिंचाई योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) नलकूप पर आधारित लिफ्ट सिंचाई स्कीमों सहित समस्त लघु सिंचाई स्कीमों का वित्त पोषण तथा उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर किया जाता है। प्रत्येक स्कीम का ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण एककों में संलग्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां

3197. श्री रामटहल चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार उदारीकरण के बाद की अवधि अर्थात जुलाई, 1991 से मार्च, 1998 के दौरान देश में 115 विदेशी कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की। राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदेशी कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा जिन्होंने (जुलाई, 1991 से मार्च, 1998 तक) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17
2.	गुजरात	3
3.	हरियाणा	7
4.	हिमाचल प्रदेश	3

1	2	3
5.	कर्नाटक	11
6.	केरल	12
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	महाराष्ट्र	19
9.	उड़ीसा	1
10.	पंजाब	5
11.	राजस्थान	2
12.	तमिलनाडु	12
13.	उत्तर प्रदेश	8
14.	पश्चिम बंगाल	3
15.	दमण	1
16.	गोवा	7
17.	कंपनियां जिनकी यूनिटें एक से अधिक राज्यों में स्थित हैं।	3
		115

कृषि अनुसंधान के लिए सहायता

3198. श्री एस.एस. ओवेसी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अनुसंधान पर कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.3 से 0.4 प्रतिशत सार्वजनिक पूंजी निवेश ही खर्च किया जाता है जबकि विकसित देशों द्वारा दो से तीन प्रतिशत खर्च किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में कृषि अनुसंधान के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या इस सहायता राशि को एक प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि कृषि उत्पादों संबंधी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सके तथा अपने अन्न भण्डार के लक्ष्य को पूरा किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो क्या कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश करने से अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सार्वजनिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने तथा अतिरिक्त धनराशि प्रदान करके कृषि अनुसंधान में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (च) कृषि अनुसंधान विकास परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से कृषि अनुसंधान में कुल निवेश, योजना और गैर-योजना निधियों दोनों को शामिल करते हुए, कृषि जीडीपी का लगभग 0.66% अनुमानित है। पिछले 3 वर्षों के लिए आई.सी.ए.आर. को भारत सरकार द्वारा दी गई कुल बजटीय सहायता निम्नानुसार है:

1996-97	243.76 करोड़ रुपये
1997-98	295.00 करोड़ रुपये
1998-99	531.17 करोड़ रुपये

देश के खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने, और उत्पादकता बढ़ाने और उसके द्वारा भारतीय कृषि में स्पर्धा निर्माण में भारत सरकार कृषि अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को पूर्णतया स्वीकार करती है। ऊपर दिए गए आंकड़े कृषि अनुसंधान को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली बढ़ती हुई सहायता को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं।

राम विलास पासवान समिति की रिपोर्ट

3199. श्री संदीपान भोरात: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए कम अर्हता अंक/मूल्यांकन के कम स्तर से संबंधित राम विलास पासवान समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में होने वाले विलम्ब के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है जो निर्धारित सामान्य स्तर को प्राप्त करने में सक्षम न हों और उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही न होने तक आरक्षित पदों पर नियुक्त किए जाने के अनुपयुक्त घोषित कर दिए जाएं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षाकृत कम अर्हक अंक/मूल्यांकन का कम स्तर रखे जाने के मुद्दे पर राम विलास पासवान के नाम से कोई भी समिति गठित नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि योग्य भूमि

3200. श्री दत्ता मेघे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कुल कितने क्षेत्रफल भूमि में कृषि होती है;

(ख) क्या वर्तमान उत्पादन हमारी जनसंख्या के लिए पर्याप्त है; और

(ग) सरकार के द्वारा और अधिक भूमि (बंजर या परती भूमि) को उपजाऊ बना कर खेती करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) वर्ष 1994-95 के लिए राज्यवार कृष्य क्षेत्र अर्थात निवल बुवाई का क्षेत्र और वर्तमान परती भूमि (अद्यतन उपलब्ध) को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) खाद्यान्न उत्पादन का वर्तमान स्तर हमारी आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) मृदा उर्वरता को सुधारने के लिए सरकार कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चला रही है, अर्थात (1) नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (2) बाढ़ोन्मुख नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (3) क्षारीय मृदाओं का सुधार (4) पूर्वोत्तर भारत की झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए जल प्रबन्ध की योजना। परती भूमि विकास विभाग भी इस संबंध में कई योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

विवरण

राज्यवार कृष्य क्षेत्र, 1994-95 (अनंतिम)

(हजार है.)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निवल बुवाई क्षेत्र	वर्तमान परती भूमि	कुल कृष्य क्षेत्र
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	10365	2726	13091
अरूणाचल प्रदेश	150	25	175

1	2	3	4
असम	2777	72	2849
बिहार	7320	1922	9302
गोवा	138	–	138
गुजरात	9609	737	10346
हरियाणा	3559	156	3715
हिमाचल प्रदेश	572	50	622
जम्मू व कश्मीर	733	96	829
कर्नाटक	10419	1284	11703
केरल	2239	48	2287
मध्य प्रदेश	19662	825	20487
महाराष्ट्र	17897	1023	18920
मणिपुर	226	–	226
मेघालय	201	66	267
मिजोरम	65	183	248
नागालैंड	206	117	323
उड़ीसा	6303	149	6452

1	2	3	4
पंजाब	4210	36	4246
राजस्थान	17021	1669	18690
सिक्किम	95	4	99
तमिलनाडु	5790	1001	6791
त्रिपुरा	277	4	281
उत्तर प्रदेश	17315	1126	18441
पश्चिम बंगाल	5464	210	5674
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	38	1	39
चण्डीगढ़	3	–	3
दादर व नगर हवेली	24	–	24
दमन व दीव	4	–	4
दिल्ली	47	1	48
लक्षद्वीप	3	–	3
पाण्डिचेरी	27	2	29
अखिल भारत	14819	13533	156352

काला पानी मुद्दा

3201. श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा": क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नेपाली, कम्युनिस्ट पार्टी "माले" द्वारा मई-जून, 1998 में आयोजित "काला पानी कूच" की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "काला पानी कूच" को भारत में प्रवेश की अनुमति न देने और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान को विफल करने के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एम एल) की विद्यार्थी स्कंध आल नेपाल नेशनल फ्री स्टूडेंट्स यूनियन (ए एन एन एफ एस यू) के करीब साठ सदस्यों द्वारा काठमांडू से पिथौडागढ़ जिले के कालापानी में भारत-नेपाल सीमा तक किए गए मार्च के बारे में सरकार को पता है। नेपाली मार्चकर्ता 13 जून, 1998 को इस क्षेत्र में पहुंचे। वे लोग भारत-नेपाल सीमा से करीब 100 मीटर पीछे नेपाल सीमा तक सीमित रहे।

(ख) भारत सरकार ने प्रस्तावित मार्च का यह मसला नेपाल की शाही सरकार के साथ उठाया है तथा यह आश्वासन प्राप्त किया है कि मार्च कर्ता भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। नेपाल में भारत के राजदूत उनके इस मार्च से पूर्व 3 जून, 1998 को ए.एन.एन.एफ.एस.यू. के प्रतिनिधियों से मिले थे तथा उन्हें यह बताया गया था कि उनका यह प्रस्तावित मार्च पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि दोनों सरकार इस क्षेत्र में सीमा के संबंध में ऐतिहासिक तथ्यों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों के स्तर पर बातचीत में लगी हैं। राजदूत ने विद्यार्थियो को यह भी बताया कि भारत सरकार के पास उपलब्ध सभी रिकार्डों के अनुसार कालापानी 19वीं शताब्दी से सीमा के भारतीय क्षेत्र में हैं। जिसे उत्तरवर्ती ब्रिटिश भारतीय तथा नेपाली सरकारों ने स्वीकार किया था। भारतीय राजदूतावास ने 3 जून, 1998 को ए.एन.एन.एफ.एस.यू. के साथ हुई राजदूत की बैठक के सार का प्रेस वक्तव्य जारी किया था। नेपाली कार्यकर्ताओं को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसकी वहाँ पर एक चौकी है, ने पूर्णतया अस्थायी आधार पर सुरक्षात्मक उपायों के तौर पर भारतीय क्षेत्र में सीमा के साथ-साथ 200 मीटर की एकलरेखीय कंटीले तार की लाइन लगाई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञता का निर्यात

3202. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से तैयार की गई अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रणाली सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश ने अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति कर ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के निर्यात का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो किन देशों ने भारत से अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी की मांग की है; और

(ङ) इसकी शर्तें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) जी, हां। अन्तरिक्ष विभाग के वाणिज्यिक विंग, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन द्वारा निर्यात संबंधी क्रियाकलाप निष्पादित किये जाते हैं। मूलभूत रूप में, निर्यात भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा भारतीय उद्योगों से उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के लिए अभिप्रेत है। अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी की सामरिक महत्व की प्रकृति के कारण इस चरण में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया जाता है। भारत से अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी प्राप्त करने वाले देशों में दक्षिण कोरिया, ईरान, और मलेशिया शामिल हैं। एन्ट्रिक्स ने इन देशों को विविध उत्पाद और परामर्शिता सेवाएं प्रदान की हैं तथा इस चरण में किसी प्रकार की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के लिए निबंधन और शर्तें, व्यवसाय के इस क्षेत्र में विद्यमान मानक वाणिज्यिक शर्तों के अनुरूप हैं।

[हिन्दी]

धनराशि का उपयोग

3203. श्री चिन्ता मोहन:
श्री थावर चन्द गेहलोत:
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों की परियोजनाओं को आवंटित राशि का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के द्वारा उपयोग की गई कुल राशि का प्रतिशत कितना है; और

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने राशि का उपयोग नहीं किया है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाइक): (क) से (ग) राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋण और अनुदान के रूप में मुहैया कराई जाती है और यह विशिष्ट परियोजनाओं से सम्बद्ध नहीं है। राज्यों के योजना परिव्यय का निर्धारण केन्द्रीय सहायता और राज्यों के अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और योजना परिव्यय के क्षेत्रक/उपक्षेत्रक/स्कीम-वार आबंटन को राज्यों द्वारा योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों द्वारा उपयोग किये गये योजना परिव्ययों के ब्यौरे (प्रतिशत उपयोग सहित) संलग्न विवरण में दिए गए हैं। व्यय का अनुमोदित परिव्यय से कम रहने का मुख्य कारण, जैसाकि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, अनुमानों के अनुसार राज्यों के अपने संसाधन जुटाव में उनकी असमर्थता है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित परिव्यय/प्रत्याशित व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित परिव्यय (1991-92 की कीमतों पर)	प्रत्याशित व्यय*	प्रतिशत उपभोग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10500.00	12931.00 (10,006.50)	123.15 (95.30)
2.	अरूणाचल प्रदेश	1155.00	1739.20 (1,306.92)	150.58 (113.15)
3.	असम	4662.00	4980.88 (3,761.45)	106.84 (80.68)
4.	बिहार	13000.00	5507.92 (4,201.83)	42.37 (32.32)
5.	गोवा	761.00	840.64 (641.14)	110.47 (84.25)

1	2	3	4	5
6	गुजरात	11500.00	11848.60 (8,962.21)	103.03 (77.93)
7.	हरियाणा	5700.00	5024.62 (3,793.51)	88.15 (105.30)
8.	हिमाचल प्रदेश	2502.00	3494.73 (2,634.51)	139.68 (105.30)
9.	जम्मू व कश्मीर	4000.00	4397.14 (3,301.95)	109.93 (82.55)
10.	कर्नाटक	12300.00	14863.36 (11,250.15)	120.84 (91.46)
11.	केरल	5460.00	7052.57 (5,249.79)	129.17 (96.15)
12.	मध्य प्रदेश	11100.00	12328.69 (9,414.14)	111.07 (84.81)
13.	महाराष्ट्र	18520.00	26129.38 (19,537.24)	141.09 (105.49)
14.	मणिपुर	979.00	1207.75 (905.19)	123.37 (92.46)
15.	मेघालय	1029.00	1087.30 (831.00)	105.67 (80.76)
16.	मिजोरम	763.00	1051.06 (796.46)	137.75 (104.38)
17.	नागालैंड	844.00	801.41 (603.11)	94.95 (71.46)

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	10000.00	7150.30	71.50
			(5,383.71)	(53.84)
19.	पंजाब	6570.00	6288.44	95.68
			(4,786.30)	(72.85)
20.	राजस्थान	11500.00	12038.65	104.68
			(8,983.79)	(78.12)
21.	सिक्किम	550.00	708.88	128.88
			(534.87)	(97.25)
22.	तमिलनाडु	10200.00	14015.91	137.41
			(10,558.47)	(103.51)
23.	त्रिपुरा	1130.00	1353.77	119.80
			(1,027.12)	(90.90)
24.	उत्तर प्रदेश	21000.00	20001.05	95.24
			(15,208.93)	(72.42)
25.	पश्चिम बंगाल	9760.00	8241.98	84.45
			(6,137.84)	(62.89)
	कुल (राज्य)	175485.00	185083.01	105.47
			(139,818.11)	(79.68)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 1991-92 की कीमतों के आधार पर है।

*1992-93 से 1995-96 के संबंध में वास्तविक व्यय और 1996-97 के संबंध में संशोधित व्यय।

[अनुवाद]

नहरों को सिंचाई परियोजनाओं से जोड़ा जाना

3204. **श्री पी.एस. अहिरे:**
श्री माधव राव पाटील:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषरूप से महाराष्ट्र में कई मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं नहरों से नहीं जोडी गई हैं तथा कई नहरें अपूर्ण रह गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कमान क्षेत्र के लोगो की नहर को जल्द पूरा करने के लिए तथा इन्हें सिंचाई परियोजनाओं से जोड़ने के लिए काफी ज्यादा मांग है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को अविलम्ब नहर से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) सामान्यत: यह देखा गया है कि देश में मुख्य कार्य अर्थात बांध/सिंचाई परियोजनाओं के बैराज पूरे हो जाते हैं जबकि नहर प्रणाली के निर्माण में विलम्ब होता है। सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में रह रहे लोग हमेशा नहर प्रणाली को जल्दी पूरा करने की मांग करते हैं। तथापि, सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, नहर कार्यों सहित सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार उनके संसाधनों से निष्पादित की जाती हैं।

उड़ीसा में जल का भराव

3205. **श्री रंजीव बिस्वाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में जल भराव की समस्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को और अधिक धनराशि प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में सिंचाई संभाव्यता के विकास के कारण जल जमाव की समस्या में वृद्धि हुई है।

(ख) जल जमाव की समस्या को दूर रखने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं:

महानदी कमान के एक हिस्से को उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना में शामिल किया गया है जिसकी संस्वीकृति आठवीं योजना के दौरान दी गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्यों में विद्यमान परियोजनाओं का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण, अन्न फार्म विकास कार्यों द्वारा पद्धति की कमियों में सुधार करना नहरों को पक्का करना, ऑफ-टेक बिन्दुओं और अनुप्रस्थ नियामकों की मरम्मत शामिल है। इन कार्यों के परिणामस्वरूप जल प्रबंधन में सुधार हुआ है और इस प्रकार जल जमाव की समस्या कम हुई है।

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो कि 10 परियोजनाओं को शामिल करते हुए उड़ीसा में लागू है, खेत नहरों और खेत नालियों का निर्माण, भूमि समतलन और उसे आकार देने, वाराबन्दी लागू करने, सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने, उपयुक्त फसल पैटर्न को लागू करने, खेत स्तर पर नियंत्रित सिंचाई के जल जमाव को रोकने में सहायता मिली है। जल जमाव को रोकने के लिए किसानों के बीच सिंचाई की वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुकूली परीक्षण, प्रदर्शन और प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई कमानों के अंतर्गत जल जमाव क्षेत्रों के उद्धार को 1.4.1996 से इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसके लिए 50 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता स्वीकार्य है।

(ग) से (ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त प्रदान करने के तरीके के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्य की सीमा तक निधि उपलब्ध करायी जाती है। उड़ीसा सरकार ने जल जमाव क्षेत्रों के उद्धार के लिए कुल 409.54 हैक्टेयर क्षेत्र की छ: योजनायें जल संसाधन मंत्रालय को भेजी है जिन्हें सिद्धान्तत: स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन राज्य

सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे समस्याग्रस्त क्षेत्रों के समाधान के लिए राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित आबंटन किया है:

1995-96	175.62 लाख रुपए
1996-97	606.00 लाख रुपए
1997-98	460.0 लाख रुपए
कुल	1241.62 लाख रुपए

भारतीय खाद्य बाजार

3206. श्री आर. साम्बासिवा राव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मन कृषि क्षेत्र और कृषि उपकरण निर्माताओं की नजर भारतीय अपार खाद्य बाजार पर टिकी है जिसमें वे बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार की अत्यधिक क्षमता देख रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 1998 के दौरान जर्मनी से कृषि संबंधी शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो इनके साथ हुई प्रमुख चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत और जर्मनी के बीच कोई ठोस समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) जर्मन खाद्य, कृषि और वानिकी संघीय मंत्रालय के राज्य मंत्री डा. फ्रान्ज जोसेफ फीटर के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने 23 से 28 मार्च, 1998 तक भारत का दौरा किया। इस दौरे में कृषि और कृषि उद्योगों के क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं पर जोर दिया गया। इस दौरे के दौरान उस शिष्टमण्डल ने कृषि मंत्रालय तथा अन्य संगठनों के साथ बैठकें की जिनमें कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सम्मिलित है।

कृषि मंत्रालय के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में सकारात्मक प्रगति पर बल दिया तथा सहयोग को और अधिक गहन बनाने पर बल दिया। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक सामान्य करार या समझौता ज्ञापन तैयार करने का भी प्रस्ताव है। कृषि क्षेत्र में सहयोग के विषय हैं:-अंगूर, अनार, तराशे जाने वाले फूल, कटाई उपरान्त क्षति में कमी, मात्स्यिकी, कृषि अभियांत्रिकी, पशु विज्ञान, सहकारी संस्थाएं आदि। इस बात पर भी सहमति हुई कि औद्योगिक और आर्थिक सहयोग पर इण्डो-जर्मन संयुक्त आयोग की रूपरेखा के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक अलग इण्डो-जर्मन कार्यदल बनाया जाए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ बैठक के दौरान, कृषि क्षेत्र में भारत की क्षमताओं, भारत से जर्मनी को पहले निर्यात की जा रही मदों तथा भारत से जर्मनी को कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात की भावी संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी घाट विकास योजना

3207. श्री फ्रांसिस्को सारदीना: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में पश्चिमी घाट विकास योजना में कितने जिले/ताल्लुक शामिल किए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना में क्यूपेम ताल्लुक को भी शामिल किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) तीन ताल्लुक अर्थात उत्तरी गोवा जिले का सतारी और दक्षिणी गोवा जिले का सांगुम और कनकोना ताल्लुक राज्य के पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए है।

(ग) जी, नहीं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में संभरण की कमी के कारण बर्बादी

3208. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में संभरण की कमी तथा उसमें बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बागवानी उत्पादनों की बर्बादी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों आदि की बुनियादी सुविधाओं, प्रशीतन, भंडारों की स्थापना, खाद्य पार्कों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों एवं अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं आदि की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के वास्ते आसान शर्तों पर ऋण एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इनसे अन्य बातों के साथ साथ बागवानी उत्पादन में होने वाले उत्तरोत्तर नुकसानों में आएगी।

पाकिस्तान का परमाणु अस्त्र कार्यक्रम

3209. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी गुप्तचर एजेन्सियों ने चीन के पोत को पाकिस्तान की मुख्य परमाणु अस्त्र प्रयोगशाला के लिए अस्त्र सामग्रियां और इलेक्ट्रानिक वस्तुएं ले जाते हुए देखा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पाकिस्तान के लिए हथियार, मिसाइल प्रणाली, और उसके पुर्जे तथा इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली ले जा रहे एक चीनी जहाज का पता लगने से संबंधित खबरें वाशिंगटन टाइम्स (यू एस ए) 4 जून, 1998 के अंक में प्रकाशित समाचार पर आधारित है। ऐसा मानना है कि इस सामग्री में पाकिस्तान के टैंक रोधी मिसाइल, दखतार शिकन के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले विशेष धातु और इलेक्ट्रानिक उपकरण शामिल हैं।

(ख) पाकिस्तान द्वारा मिसाइल तथा उससे संबद्ध प्रौद्योगिकी और हथियार प्रणाली हासिल करने की गतिविधियों की सरकार सतत रूप से निगरानी और मूल्यांकन कर रही है। पाकिस्तान के लिए चीन द्वारा हथियारों और मिसाइल के पुर्जों की आपूर्ति से संबंधित ये समसामयिक खबरें कोई अनहोनी बात नहीं है। सरकार ने इस प्रकार के अन्तरणों पर विभिन्न मंचों पर अपनी उन हित चिन्ताओं से बार-बार अवगत कराया है जिनका क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान के नाभिकीय और मिसाइल कार्यक्रमों के लिए चीन की सहायता से संबंधित अपनी हित चिन्ताओं को उच्च स्तर पर चीनी पक्ष को भी संप्रेषित कर दिया गया है। भारत ने एक दूसरे की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता को प्रभावित करने वाले अहम मसलों के संबंध में एक दूसरे की सुरक्षा चिन्ताओं पर पर्याप्त ध्यान देने की महत्ता का चीन से उल्लेख किया है।

"नो फर्स्ट यूज" परमाणु अस्त्र

3210. श्री सुशील कुमार शिन्दे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1998 को जेनेवा में पी-5 के विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन के इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अपने परमाणु कार्यक्रम का अनुसरण करके चीन को लक्षित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो चीन के संदेह को दूर करने की दिशा में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) परमाणु शस्त्रों के "नो फर्स्ट यूज" पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने यह कहा है कि भारत का नाभिकीय कार्यक्रम किसी विशेष देश के लिए नहीं है। पश्च-शीत युद्ध काल में हमारे पड़ोस में नाभिकीय शस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों के इकट्ठा होने के साथ वास्तव में भारत के सुरक्षा संबंधी वातावरण में काफी जटिलता आ गई थी। शस्त्रों की दौड़ में शामिल होने की तैयारी कोई मंशा नहीं है। हम अपने क्षेत्र में और बाहर भी शान्ति और स्थायित्व बनाये रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

हम सबसे बड़े पड़ोसी देश चीन सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि भारत और चीन द्वारा संयुक्त रूप से घोषित शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत हमारे संबंधों के विकास में अभी भी प्रासंगिक हैं। किन्तु हमारी कुछ चिन्ताएं भी हैं। हम चाहते हैं कि चीन यह स्वीकार करे कि हमारी चिन्ताओं का यथार्थपूर्ण निराकरण किये

जाने की आवश्यकता है ताकि शीघ्र ही कोई समाधान निकल सके। भारतीय लोगों को यह आश्वस्त महसूस करना चाहिए कि चीन के साथ मित्रता शान्ति और स्थायित्व के लिए एक कारक सिद्ध होगी और इससे हमारी सुरक्षा के संवर्धन में योगदान मिलेगा।

हम अनसुलझे विवादों के समाधान और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण, सहकारी, अच्छे पड़ोसियों और परस्पर लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध हैं।

(ग) ''पहले प्रयोग न करने'' से संबंध करार पर द्विपक्षीय अथवा सामूहिक रूप में चर्चा करने के हमारे प्रस्ताव पर चीन की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त होनी है।

नई उत्पादन तकनीक

3211. श्री मुकुल वासनिक: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायो-कंट्रोल एजेंट्स और बायो-पेस्टीसाइड्स के लिए नई और बेहतर लागत प्रभावी तथा वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम जन उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कपास, सूरजमुखी, कुसुम, गन्ना, टमाटर और फूल गोभी जैसी महत्वपूर्ण फसलों के लिए कोई जीव विज्ञान संबंधी नियंत्रण तकनीक विकसित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) अनेक जैव एजेंटों और जैव कीटनाशियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कम लागत वाली और व्यावसायिक रूप से सक्षम प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है। इनमें निम्न प्रौद्योगिकियां शामिल हैं:

(1) ट्रिचोग्रामा स्पीपी: गन्ना, कपास, चावल, मक्का और टमाटर के कीटनाशकों के नियंत्रण के लिए।

(2) क्राइसोपर्ला: कपास, सूरजमुखी, मूंगफली, तम्बाकू और फल वाली फसलों के कीटनाशकों के नियंत्रण के लिए।

(3) क्राइप्टोलेमस मॉण्ट्रोजिरी: अंगूर, अमरूद और नीबू वर्गीय फलों के अंगूरी कीड़े के नियंत्रण के लिए।

(4) ग्यूरिनस कोइरुलियस: सुबाबुल सिलिड के नियंत्रण के लिए।

(5) साइर्टोबेगस सेल्विनिआ: जलीय खरपतवार, सेविनिया के नियंत्रण के लिए।

(6) नियोचेटिना एस.पी.पी.: वाटर हाइएसिंथ की रोकथाम के लिए।

(7) नाभिकीय पोलोयहेड्रोसिस विषाणु (एन पी पी): कपास, दलहन और टमाटर पर हिलियोथिस तथा कपास, तम्बाकू और मूंगफली पर स्पोडोप्टेरा के नियंत्रण के लिए।

(8) ट्रिचोडर्मा एस.पी.पी.: दलहनों, कपास, मूंगफली और सब्जियों के मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण के लिए।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्न फसलों के लिए जैविक नियंत्रण तकनीकों का विकास किया गया:

(1) कपास: चूषक कीड़ों के दिखाई देने पर क्राइसोपेला कार्निया की बुवाई के 45वें और 60वें दिन 50,000/है. और 130वें दिन 1,00,000/है. के हिसाब से छोड़ना। बुवाई के बाद 70वें दिन से एक सप्ताह के अंतराल पर 1,50,000/है. के हिसाब से ट्राइकोग्रमा चिलोनिस को छोड़ना। फिरोयोन ट्रैप कैयेज के आधार पर कुल 8 से 10 बार छोड़ना। लाखा उत्पन्न होने के 7 सैकेण्ड के ई.टी.एल. बाद/20 पौधों पर 450 एल.ई./हैक्ट. की दर से एच.ए.एन.पी.वी. का छिड़काव।

(2) सूरजमुखी: हिलिओथिस के नियंत्रण के लिए 250 एल ई/हैक्ट. की दर से एच.ए.एन.पी.वी. डालना और 50,000/है. के हिसाब से क्राइसेपर्ला को छोड़ना।

(3) गन्ना : तना छेदक के लिए रोपाई के बाद 45वें दिन से 10 दिनों के अंतराल पर 50,000/है. के हिसाब से ट्राईकोग्रमा को 5 से 6 बार छोड़ना। टॉप ना छेदक के लिएट्राइकोग्रमा जापोनिकम के इसी प्रकार से छोड़ने का सुझाव है। तना छेदक, पोरी छेदक और गुरदासपुर

छेदक के लिए 90वें दिन से आगे 10 दिन के अंतराल पर 50,000/है. के हिसाब से 8-10 बार छोड़ना।

(4) टमाटर: रोपण के बाद 45वें दिन से 50,000/है. की दर से 6 बार ट्राइकोग्रमा ब्रासिलेनसिस को छोड़ना और फल छेदक प्रकट होने के बाद एक सप्ताह के अंतराल पर 0.25% बोरिक एसिड के साथ 250 एल.ई./है. की दर से एच.ए.एन.पी.वी. का छिड़काव।

(5) चावल: रोपाई के बाद 30वें दिन से एक सप्ताह के अन्तराल पर 50,000/है. के हिसाब से ट्राइकोग्रमा जापोनिकम के छोड़ने की सिफारिश की गई है। कुल 8 से 9 बार छोड़ना जरूरी है।

(6) तम्बाकू: माहू के लिए फसल में 6 लाख प्रति पौधे के हिसाब से छोड़ना अथवा 60,000/है. की नर्सरी में क्राइसोपर्ला कार्निया को छोड़ना। तम्बाकू की गिराड़ के लिए 0.25 प्रतिशत बोरिक एसिड के साथ 250 एल.ई./है. दर से तीन बार एस.आई.एन.पी.यू. का छिड़काव।

(7) मक्का: तना छेदक के लिए बुवाई के बाद 45वें दिन से 10 दिन के अंतराल पर 75,000/है. के हिसाब से छः बार ट्राइकोग्रमा चिलेनिस का छिड़काव।

(8) चना: हिलिओथिस के नियंत्रण के लिए 0.25 प्रतिशत बोरिक एसिड के साथ 250 एल.ई./है. की दर से एच.ए.एन.पी.यू. का छिड़काव।

(9) अरहर: हिलिओथिस के नियंत्रण के लिए 0.25 प्रतिशत बोरिक एसिड के साथ 450 एल.ई./है. की दर से एच.ए.एन.पी.यू. का छिड़काव।

(10) नीबू: नीबू के अंगूरी कीड़े के जैविक नियंत्रण के लिए 10 बीटल के हिसाब से क्राईप्टोलेयस माण्ट्रोजिरी को छोड़ना।

(11) अंगूर: अंगूर के अंगूरी कीड़ों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रति हैक्ट. 2500 बीटल की दर से क्राईप्टोलेयस माण्ट्रोजिरी को छोड़ना।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान

3212. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के पिछड़े राज्यों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग पूर्वोत्तर राज्यों, पिछड़े क्षेत्रों के लिए तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों के लिए रोजगार सृजन प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत यह कम्प्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्थानों की सहायता करता है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रानिक उद्योग

3213. श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा': क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में विविध इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान स्थापित इलेक्ट्रानिक उद्योगों का स्थान-वार नाम क्या है और उनकी लागत कितनी है;

(ग) क्या इन उद्योगों के लिए मैदानी क्षेत्रों के बजाय पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु अधिक उपयुक्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक/कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग की स्थापना का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम.आर. जनार्दनन): (क) से (घ) औद्योगिक नीति, 1991 के अनुसार, उद्यमियों द्वारा स्थापना स्थल संबंधी बिना किसी प्रतिबंध के देश में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। सरकार की भूमिका केवल संवर्धनात्मक है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है तथा इसे शीघ्र अप्रचलित होने तथा कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग के रूप में निरूपित किया जाता है। इस पृष्ठभूमि में यह कहना कठिन है कि विशेष रूप से स्थापना-स्थल संबंधी असुविधा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा फायदा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरांचल सहित देश में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

परमाणु परीक्षण

3214. श्री टी.आर. बालू: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में पोखरन में किए गए परमाणु परीक्षणों के कारण क्या थे और इनका औचित्य क्या था;

(ख) इन परीक्षणों की अत्यावश्यकता और प्राथमिकता क्या थी;

(ग) क्या सरकार को इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत को अलग-थलग किये जाने के खतरे की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उभरती परिस्थितियों, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/ करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) 11 और 13 मई, 1998 को किए गए नाभिकीय परीक्षण, हमारे क्षेत्र में नाभिकीय और मिसाईल प्रसार के परिणामस्वरूप भारत के सुरक्षा वातावरण में (आस-पास) क्रमिक ह्रास की प्रक्रिया को देखते हुए किए गए थे। इसके अलावा, भारत बाहर से समर्थित आतंकवाद, उग्रवाद और प्रच्छन्न युद्ध का शिकार भी रहा है। विश्व स्तर पर, नाभिकीय हथियार संपन्न देशों की ओर से नाभिकीय हथियार मुक्त विश्व की दिशा में निर्णायक और ठोस उपाय करने का कोई प्रमाण नहीं है। इन हालातों में, सरकार को यह कठिन निर्णय लेना पड़ा। सही विकल्प चुनने में हमारा मार्गदर्शन करने की कसौटी राष्ट्रीय सुरक्षा थी। ये परीक्षण उन नीतियों के ही क्रम है जिनसे यह देश आत्म-निर्भरता और विचार तथा कार्य की स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर हो।

(ग) और (घ) सरकार का मानना है कि भारत न तो अलग-थलग हुआ है और न ही हमें अलग-थलग करने की धमकियां मिली है हमारा दृढ़ विश्वास है कि विश्व जनसंख्या के पांचवें हिस्से को पृथक नहीं किया जा सकता है। कई देशों ने इन परीक्षणों के पीछे भारत के निर्णय के तर्क आधार के प्रति सहमति व्यक्त की है और प्रमुख देश भारत पर सकारात्मक वार्ता के लिए दबाव डाल रहे हैं। इन नाभिकीय परीक्षणों के संदर्भ में सरकार ने इन परीक्षणों के तत्पश्चात अपनी हित-चिन्ताओं को स्पष्ट करते हुई कई पहल भी किए हैं जो इस प्रकार हैं:

(1) भारत स्वैच्छिक रोक लगाएगा और आगे परीक्षण करने से अपने आपको अलग रखेगा। भारत इस घोषणा को वास्तविक औपचारिकता प्रदान करने की दिशा में तरीकों का पता लगाने का भी इच्छुक है।

(2) भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप से तथा अन्य देशों के साथ भी, द्विपक्षीय रूप से अथवा सामूहिक तौर पर भी "पहले प्रयोग नहीं" करार पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

(3) भारत ने जेनेवा में होने वाले निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन में विखण्डनीय सामग्री कटौती संधि के सिलसिले में बहुपक्षीय वार्ता में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; तथा

(4) भारत का किसी नाभिकीय हथियार दौड़ में अपने आपको झोंकने का कोई इरादा नहीं है।

कृषि संबंधी परियोजनाएं

3215. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में गुजरात में चल रही यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा अन्य एजेंसियों से वित्तपोषित कृषि परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) गुजरात में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त कोई कृषि परियोजना नहीं है। गुजरात की एकमात्र कृषि परियोजना, जिसे विदेशी अभिकरण से सहायता मिलती है, समेकित पनधारा विकास परियोजना (मैदान) है जिसे विश्व बैंक सहायता प्रदान करता है।

परियोजना की कुल लागत 63.51 करोड़ रु. है जिसमें विश्व बैंक की 55.66 करोड़ रु. की सहायता शामिल है। परियोजना की अवधि 28.2.1991 से 31.3.1998 थी जिसे 31.3.1999 तक बढ़ा दिया गया है।

परियोजना का उद्देश्य कम लागत की प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से पारिस्थितिकी के विनाश को कम करना या रोकना एवं कुछ चुनी हुई पनधाराओं में उन्नत भूमि प्रबन्ध उपायों की शुरुआत करना है।

(ख) उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1995-96	15.46	12.22
1996-97	13.46	14.53
1997-98	16.63	11.97

गंगा बाढ़ नियंत्रण

3216. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के संयुक्त दल ने मार्च, 1997 में इलाहाबाद जिले में मलिहन झील का निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के क्या निष्कर्ष थे;

(ग) केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुराने वीयरों और रेगुलेटरों के नवीकरण, विदौना रेगुलेटर के अवरुद्ध क्रेस्ट गेटों को हटाने, विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद वरुणानदी के चैनल का सुधार तथा जहां आवश्यक हो वहां पुलों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक स्कीम तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए समिति की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है। बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस स्कीम को तैयार करना और कार्यान्वयन अपनी राज्य योजना निधियों से किया जाना है।

[हिन्दी]

हिमालय की नदियों के जल स्तर में कमी

3217. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा": क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल स्तर में उनके स्रोत सूखने के कारण लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इन नदियों का जल स्तर बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन नदियों के जल स्रोत सूखने के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अमरीकी प्रतिबंध

3218. श्री माधवराव सिंधिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में दिल्ली दौरे पर आए अमरीकी उच्च स्तरीय दल से उपमहाद्वीप में पाकिस्तान द्वारा गौरी प्रक्षेपास्त्र ने परीक्षण की नवीनतम घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तान पर पुन: अमरीकी प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के स्थायी प्रतिनिधि श्री बिल रिचर्डसन के नेतृत्व में एक अमरीकी प्रतिनिधिमंडल 14-15 अप्रैल 1998 को भारत आया। चूंकि अमरीकी प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा पाकिस्तान द्वारा मध्यम दूरी की गौरी मिसाइल के परीक्षण का दावा किए जाने के तुरंत बाद हुई थी, अत: इस घटना पर भी विचार-विमर्श किया गया था। अमरीकी पक्ष ने अपने वक्तव्य में मिसाइल परीक्षण के प्रति खेद व्यक्त किया था। हमारे पक्ष की ओर से कहा गया कि गौरी प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण कोई अनोखी घटना नहीं थी अपितु यह पाकिस्तान के बाहरी सहायता से मिसाइल क्षमता अर्जित करने के चलाए जा रहे कार्यक्रम का एक हिस्सा था। जैसा कि इससे पहले के अवसरों पर बताया गया, इस बात से पुन: सूचित कराया गया कि सरकार उन घटनाओं पर बराबर नजर रखती रहेगी जो भारत के सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करती हैं।

(ख) 4 मई, 1998 को अमरीका ने पाकिस्तान की खान अनुसंधान प्रयोगशाला तथा उत्तरी कोरिया की एक इकाई (नार्थ कोरियन माइनिंग डिवेलपमैंट कारपोरेशन) पर गौरी मिसाइल विकास से संबद्ध होने के कारण प्रथम श्रेणी के प्रतिबंध लगा दिए हैं।

चीन और पाकिस्तान के बीच सांठगांठ

3219. श्री नरेश पुगलीया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने परमाणु और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के संबंध में चीन और पाकिस्तान के बीच सांठगांठ पर चिन्ता व्यक्त की है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त सांठगांठ को समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयास करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चीन और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए अन्य क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): (क) प्रधान मंत्री ने नाभिकीय और प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ चीन के सहयोग पर भारत की चिन्ता दोहराई है। यह चिन्ता 29 मई, 1998 को लोक सभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए और प्रैस को दिए गए हाल के साक्षात्कारों में भी व्यक्त की गई है।

(ख) और (ग) सरकार को यह मालूम है कि चीन और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र और नाभिकीय हथियार कार्यक्रमों में स्थायी सहयोग है जिसमें उपकरणों, सामग्री और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की आपूर्ति भी शामिल है। हमने चीन पक्ष को उच्च स्तर पर अपनी चिन्ताओं से अवगत करा दिया है। अभी हाल ही में यह बात 26 अप्रैल से 1 मई, 1998 तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल फू क्वानयू की भारत यात्रा के दौरान चीनी पक्ष के समक्ष दोहराई गई थी।

(घ) चीन के साथ भारत अपने संबंधों को इस तरह से देखता है कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की हित-चिन्ताओं का ध्यान रखना चाहिए। अनसुलझे मसलों के समाधान और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण, सहकारी, अच्छे पड़ौसी और परस्पर लाभप्रद संबंधों के विकास के लिए हम बातचीत की प्रक्रिया के लिए वचनबद्ध हैं। पाकिस्तान के संबंध में भारत ने यह बता दिया है कि उसकी इच्छा शान्तिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की है। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध अनुसुलझे मसलों के समाधान तक ही सीमित नहीं रह सकते अपितु सहयोग का एक स्थायी ढांचा तैयार करने की दिशा में भी होने चाहिए जिनसे दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। प्रधान मंत्री ने हाल में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि आगामी सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान कोलम्बो में उनसे मुलाकात होने की आशा है और उम्मीद व्यक्त की है कि द्विपक्षीय हित के सभी मसलों पर द्विपक्षीय चर्चा कर पाएंगे और यह निर्णय भी कर पाएंगे कि वार्ता प्रक्रिया भविष्य में किस तरह जारी रखा जाए।

[हिन्दी]

उपग्रहों का प्रक्षेपण

3220. श्री विजय गोयल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को जर्मनी और दक्षिण कोरिया से उनके उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए ठेका मिला है;

(ख) क्या भारत को ऐसे प्रस्ताव अन्य देशों से भी मिले हैं, यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं, और भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) भारत द्वारा निकट भविष्य में कौन-कौन से उपग्रह छोड़े जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह के साथ एक अतिरिक्त नीतभार के रूप में 100 किलो ग्राम भार के माइक्रो उपग्रह, प्रोबा, के प्रमोचन के लिए बेल्जियम के वेरहर्ट डिजाइन और डेवलेपमेंट एन.वी. के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन से अनेक देश माइक्रो और छोटे उपग्रहों के प्रमोचन के लिए पूछताछ करते रहे हैं। इसमें अमेरिका, एशिया और यूरोप के देश शामिल हैं।

(ग) भारत द्वारा निकट भविष्य में छोड़े जाने वाले उपग्रहों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1. इन्सैट-2ई

2. इन्सैट-3बी

3. जीसैट-1

4. आई.आर.एस.-पी4 (ओशनसैट)

5. इन्सैट-3ए

[अनुवाद]

अवैध भारतीय

3221. **श्री सुशील कुमार शिन्दे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे कितने भारतीय कारीगर भारत लौट आए;

(ख) कितने कारीगर अभी भी वहां रह रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कारीगरों के अवैध उत्प्रवास को रोकने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) लगभग 41000 भारतीय, जिनमें बड़ी संख्या में वे कारीगर शामिल हैं जो गैर-कानूनी रूप से सऊदी अरब में रह रहे थे, सऊदी अरब सरकार द्वारा 17 जुलाई और 16 अक्तूबर, 1997 के बीच घोषित राजक्षमा के तहत भारत लौट गए हैं।

(ख) लगभग 13 लाख भारतीय सऊदी अरब में रह रहे हैं परन्तु सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है कि उनमें से कितने कारीगर हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित मार्ग-निर्देश और कार्याविधि सुरक्षाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(1) सभी अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए यह अनिवार्य है कि रोजगार के लिए विदेश जाने से पहले वे श्रम मंत्रालय से उत्प्रवास अनुमोदन प्राप्त कर लें;

(2) श्रम मंत्रालय की लाइसेंस संख्या का उल्लेख किए बिना समाचारपत्रों में विज्ञापन के जरिए विदेशों में रोजगार के लिए आवेदन मांगना एक संज्ञेय अपराध है;

(3) चूंकि आप्रवासन अधिकारी उत्प्रवास महासंरक्षक की ओर से कार्य करते हैं, उत्प्रवास संरक्षकों को यह निदेश दिए गए हैं कि वे इस बात का पता लगाने के लिए आकस्मिक जांच करें कि उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धाराओं को सख्ती से कार्यान्वित किया जाता है तथा उत्प्रवास अनुमोदन के बिना किसी व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(4) इस प्रकार के कदाचारों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों को यह निदेश दिए गए हैं कि वे दोषी भर्ती एजेन्टों/नियोक्ताओं के नाम की सूचना उत्प्रवास महासंरक्षक, श्रम मंत्रालय को दें।

(5) भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध श्रम मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों की विदेश स्थित भारतीय मिशनों के परामर्श से जांच की जाती हैं और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन मामले के गुण-दोष के आधार पर उनके पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निरस्त करने/रद्द करने की कार्रवाई की जाती है।

पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों की यात्रा

3222. श्री चमन लाल गुप्त: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीर्थयात्रियों विशेषकर जम्मू-कश्मीर के सिक्खों को अन्य भारतीयों की तरह पाकिस्तान के प्राधिकारियों के द्वारा पाकिस्तान में ननकाना साहिब तथा अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा की अनुमति विगत तीन वर्षों से नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के तीर्थयात्रियों की पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तीर्थस्थानों की यात्रा को संभव बनाने के लिए पाकिस्तान के प्राधिकारियों को राजी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा पर भारत आने वाले पाकिस्तानियों तथा पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों की संख्या कितनी थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर से उन सिख तीर्थयात्रियों को वीजा देने से इंकार कर दिया है, जो धार्मिक स्थलों की यात्राओं से संबद्ध द्विपक्षीय प्रोतोकोल, 1974 के तहत सिख जत्थों के एक भाग के रूप में यात्रा करना चाहते थे।

सरकार यह मानती है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई धार्मिक स्थलों की यात्राओं से संबद्ध द्विपक्षीय प्रोटोकोल के विरुद्ध है। पाकिस्तान को राजनयिक माध्यमों के जरिये इस बात से अवगत कर दिया गया है।

विगत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान एक देश में अवस्थित सहमत धार्मिक स्थलों की यात्रा पर गए दूसरे देश के यात्रियों की संख्या इस प्रकार है:-

भारतीय	तीर्थ यात्री पाकिस्तान को	पाकिस्तानी तीर्थ यात्री भारत को
1995	5210	शून्य
1996	5085	शून्य
1997	5110	1140
1998 (10 जून तक)	2830	180

पशुओं की संख्या

3223. श्री वसुदेव आचार्य: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय पशुओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश की कुल भू-क्षमता पशुओं के चरने के लिए पर्याप्त है;

(ग) इस समय पशुओं के लिए सूखे तथा हरे चारे की कितनी आवश्यकता है तथा इसकी उपलब्धता कितनी है;

(घ) क्या सरकार को यह पता है कि चारे के अभाव के कारण पशु अधिक मात्रा में चरते हैं जिससे वनस्पति क्षेत्र में कमी आ रही है और परिणामस्वरूप भू-क्षरण से मिट्टी अवक्रमित हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) 1992 की पशुधन संगणना के अनुसार देश में राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। 1997 की पंचवर्षीय पशुधन संगणना से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

(ख) समुचित चराई प्रबंधन प्रणाली के तहत वर्तमान पशुधन संख्या को सहायता देने के लिए मौजूदा चराई भूमि संसाधनों के पास क्षमता है।

(ग) सूखे तथा हरे चारे की अनुमानित आवश्यकताएं तथा उपलब्धता इस प्रकार है:-

	आवश्यकताएं (मिलियन मीटरी टन)	उपलब्धता (मिलियन मीटरी टन)
सूखा चारा	944.53	338.30
हरा चारा	2496.26	303.87

(घ) और (ङ) जी, हां। पशुओं द्वारा अधिक चराई की समस्या से निपटने के लिए जिससे वनस्पति क्षेत्र में कमी आ रही है और परिणामस्वरूप भू-क्षरण से मिट्टी अवक्रमित हो रही है,

भारत सरकार, वाटरशेडों तथा भरती भूमियों के विकास के अलावा, निम्नलिखित घटकों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है:

1. बायो-मास उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सिल्वी पाश्चर प्रणाली की स्थापना।

2. घास रिजर्व के साथ-साथ चराई भूमि का विकास।

विवरण

1992 की पशुधन संगणना के अनुसार पशुधन संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल पशुधन (000 संख्या)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	32911
2.	अरूणाचल प्रदेश	842
3.	असम	16062
4.	बिहार	47930
5.	गुजरात	18598
6.	गोवा	243
7.	हरियाणा	9143
8.	हिमाचल प्रदेश	5106
9.	जम्मू तथा कश्मीर	8703
10.	कर्नाटक	29568
11.	केरल	5834
12.	मध्य प्रदेश	46742
13.	महाराष्ट्र	36404
14.	मणिपुर	1290
15.	मेघालय	1182
16.	मिजोरम	203
17.	नागालैंड	1074
18.	उड़ीसा	22742
19.	पंजाब	10221
20.	राजस्थान	48439
21.	सिक्किम	385
22.	तमिलनाडु	25007
23.	त्रिपुरा	1591
24.	उत्तर प्रदेश	64799
25.	पश्चिम बंगाल	35090
संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	154
2.	चण्डीगढ़	31
3.	दादर एवं नगर हवेली	71
4.	दिल्ली	315
5.	लक्षद्वीप	19
6.	पांडिचेरी	142
7.	दमन एवं दीव	13
	कुल	470854

टिप्पणी: 1. आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण योग मेल नहीं भी खा सकता।

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

कृषि अनुसंधान

3224. **श्री डी.एस. अहिरे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और आइवा स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच संयुक्त सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए कृषि अनुसंधान तथा वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के संबंध में कोई समझौता हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में 28.1.1998 को आइवा स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौता के अनुच्छेद-III के अंतर्गत 1998-99 के दो वर्षों के लिए पहली कार्य योजना पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और आइवा स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच पहली मई, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें आपसी हित के क्षेत्र, परामर्श हेतु/शिष्ट मण्डल के रूप में वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान तथा संयुक्त सहयोग पर आधारित प्रायोजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक मद पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

परमाणु प्रक्षेपास्त्र

3225. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत-चीन सीमा पर अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्र तैनात किए हैं जिससे लगभग सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या इसी तरह पाकिस्तान ने भी भारत से लगी सीमा पर अपने गौरी प्रक्षेपास्त्र तैनात किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस आशय की संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई शिकायत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सरकार अपनी सीमाओं की सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है। हाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे यह प्रतीत होता हो कि चीन अथवा पाकिस्तान ने भारत के साथ लगी अपनी सीमाओं पर खुले रूप में नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र तैनात किए हैं यद्यपि यह एक सार्वजनिक सत्य है कि दोनों देशों के पास नाभिकीय क्षमता के चल प्रक्षेपास्त्र हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शिमला समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत के लिए एक व्यवस्था मौजूद है। इसी प्रकार चीन के साथ भी एक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें आपसी हित-चिन्ताओं पर चर्चा के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल भी है। सरकार चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय चर्चाओं में भारत की चिन्ताओं पर निरन्तर जोर देती रहेगी। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान सभी स्तरों पर अन्य वार्ताकर्त्ताओं के साथ भी इन चिन्ताओं को उठाया गया है।

अपराह्न 12.01 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 694(अ) जो 1 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें देश के उर्वरक निर्माताओं द्वारा विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और चाय बोर्ड को 1997-98 की रबि की फसल के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति के संबंध में आदेश अंतर्विष्ट है।

(दो) का.आ. 272(अ) जो 1 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें देश के उर्वरक निर्माताओं द्वारा विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और चाय बोर्ड को 1998 की खरीफ की फसल के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति के संबंध में आदेश अंतर्विष्ट है।

(तीन) का.आ. 759(अ) जो 5 नवम्बर, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 6 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रकुल के स्वतंत्र देशों से भारत में आयातित पोटेशियम क्लोराइड (मुरियेट आफ पोटाश) का विनिर्देशन निर्धारित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

(चार) का.आ. 380(अ) जो 4 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 759(अ) में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

(पांच) का.आ. 481(अ) जो 1 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यूरिया, जिंकेटेड यूरिया और एनडाइड्स अमोनिया की कीमत निर्धारित की गई है।

(छह) का.आ. 484(अ) जो 3 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 481(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 930/98]

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 931/98]

(4) (एक) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 932/98]

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 933/98]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 का आर्थिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 934/98]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 935/98]

(ग) (एक) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 936/98]

(घ) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 937/98]

(ङ) (एक) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 938/98]

नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओसन टैक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओसन टैक्नोलोजी, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 939/98]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1997 जो 14 अगस्त, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 461(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1997 जो 14 अगस्त,. 1997 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1997 जो 14 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1997 जो 14 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 464(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 729(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 729(अ) में प्रकाशित हुए थे।.

(सात) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 731(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 732(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 जो 31 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 735(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 940/98]

अपराह्न 12.04 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1998 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 4 जुलाई, 1998 को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे वित्त (संशोधन) विधेयक, 1998 को, जिसे

लोक सभा द्वारा अपनी 4 जुलाई, 1998 को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।''

अपराह्न 12.04½ बजे

[अनुवाद]

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—एक समीक्षा

महासचिव: महोदय, मैं विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (1997-98)—एक समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04¾ बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वर्ष 1998-99 के लिए श्रम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 1998-99 के लिए कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेतन तथा कार्यवाही सारांश

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): महोदय, मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) शहरी विकास विभाग (शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) बंजर भूमि विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05½ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री माधवराव पाटील (नासिक): महोदय, मैं वाणिज्य विभाग (वाणिज्य मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05¾ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

तिरपनवां और चौवनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक (मथुरापुर): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (1998-99) संबंधी क्रमश: तिरपनवां और चौवनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती): अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है, मैं कार्यमंत्रणा समिति की बैठक संबंधी मुद्दा उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, कार्यसूची के अनुसार मुझे कृषि संबंधी स्थायी समिति की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। लेकिन मेरा नाम नहीं लिया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के घटनाक्रम से जुड़ा मुद्दा उठाना चाहता हूं। आज विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया था। हमें रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कल पूरी कर लेनी थी। आज हमें विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करनी थी।

यदि आप आज की संशोधित कार्यसूची को देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि आज बजट (रेलवे) तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जानी निर्धारित थी। मैं नहीं समझता कि हम विदेश मंत्रालय के साथ न्याय कर सकेंगे। जब कार्यमंत्रणा समिति ने कल सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था तो आज इसमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है? शिष्टाचार तो यह कहता है कि इस संबंध में हमारे साथ कम से कम परामर्श तो किया ही जाना चाहिए था।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी को आज राज्य सभा में जाना था और इनसे कुछ लोग भी मिलने के लिए आने वाले हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री जी का यह कहना है तो आपने आदेश दिया था कि 7 तारीख वाला कार्य 14 तारीख को और 14 तारीख वाला कार्य 7 तारीख को कर दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): शिष्टाचार का तकाजा है कि आपको हमारे साथ परामर्श करना चाहिए। आपने हमसे परामर्श किये बिना ही कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय को बदल दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कल जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आज हम विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे तो वे सभा की स्वीकृति के बिना कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी मेरे पास आये थे और उन्होंने स्वयं कल शाम को ये सभी बातें मुझे बतायी थीं। मैं श्री शरद पवार जी को इससे अवगत कराना चाहता था, लेकिन चूंकि वह किन्हीं अन्य कार्यक्रमों में व्यक्त थे, इसलिए मैं उनसे नहीं बता सका।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री के. येरननायडू कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 12.07 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(एक) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

(दो) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

(तीन) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर अध्यक्षपीठ का क्या निर्णय है ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम): महोदय, मैं अध्यक्षपीठ के विनिर्णय के बारे में जानना चाहता हूँ। हम आपके विवेक के बारे में प्रश्नचिह्न नहीं लगाते हैं लेकिन वह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)* मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति सभा की

अनुमति के बिना निर्णय बदल सकता है। विपक्ष के माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया है। इसलिए, कुछ विनिर्णय देना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हाँ महोदय, हम आपका विनिर्णय जानना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री ए.सी. जोस, सबसे पहले हम रेलवे बजट पर चर्चा करेंगे। बाद में, हम इसके बारे में सोचेंगे। रेलवे बजट पूरा होने के बाद, हम इसके बारे में निर्णय लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस: महोदय, मैं बहुत ही महत्व का प्रश्न उठा रहा हूँ। क्या संसदीय कार्य मंत्री या कोई अन्य व्यक्ति इस मामले में सभा की अनुमति के बिना कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय बदल सकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री ए.सी. जोस, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पहले रेलवे बजट पर चर्चा पूरी होने दें। उसके पश्चात्, हम कोई निर्णय लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू: महोदय, वे किसी से परामर्श किए बिना सर्वसम्मत निर्णय को कैसे बदल सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: हम बाद में निर्णय लेंगे। पहले हम रेलवे बजट पर चर्चा पूरी करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बालू, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब 'शून्य काल' में श्री पी.सी. चाक्को अपना मामला उठाएंगे।

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मामले को उठाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि मुझे सहयोग प्रदान करें। आज मुझे शून्यकाल हेतु 53 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और मैं उन सभी को शामिल करना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

श्री के. करुणाकरन (तिरूअनन्तपुरम): मैं माननीय प्रधानमंत्री के सभा से जाने से पहले, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूँगा। पिछले शनिवार को, कई माननीय सदस्यों ने दिल्ली प्रशासन द्वारा पूजा स्थल के संबंध में जारी किए गए आदेश का मुद्दा उठाया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: "शून्यकाल" आरम्भ होने से पूर्व मैं श्री के. येरननायडू को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहता हूँ।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): मैं पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं।

श्री पी.सी. चाक्को: महोदय, इस सभा में मुझे खादी उद्योग का मामला उठाने की अनुमति दिये जाने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। इस देश में खादी ग्रामोद्योग में लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय: शून्यकाल में आपने और अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिए जाने में जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद दे रहा हूँ।

श्री पी.सी. चाक्को: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा।

खादी उद्योग को अगस्त से भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार खादी उद्योग को प्रति वर्ष इसलिए छूट देती थी क्योंकि सरकार द्वारा खादी उद्योग हेतु वह आवश्यक सहायता मानी गयी थी। खादी उद्योग लाखों व्यक्तियों को रोजगार ही नहीं देता बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन की शक्ति है। खादी उद्योग को छूट की यह सुविधा पिछले चालीस वर्षों से दी जा रही थी। अब, अचानक सरकार अगस्त से खादी उद्योग को यह छूट पूरी तरह से बंद करने जा रही है। इस छूट के बिना यह उद्योग चल ही नहीं सकता है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। सरकार को निदेश दिया जाये कि सरकार यह छूट जारी रखे। त्योहारों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य खादी बोर्ड तथा अन्य सभी खादी संगठन खादी पर छूट देते थे। इस सितम्बर से केरल में त्योहार का मौसम शुरू हो रहा है। उदाहरणार्थ ओनम का त्योहार आ रहा है। खादी उत्पाद छूट के दौरान बेचे जाते हैं। अब अगस्त से छूट पूरी तरह बन्द की जा रही है अथ बन्द होने जा रही है। इसलिए केरल में ओनम त्योहार के दौरान, अन्य राज्यों में अन्य त्योहारों के दौरान जो छूट दी जाती है वह इस वर्ष नहीं दी जा सकती है।

नब्बे प्रतिशत खादी उत्पादों की बिक्री छूट अवधि के दौरान ही की जाती है। उद्योग मंत्री ने इसे अत्यन्त साधारण ढंग से लिया है। वर्तमान उद्योग मंत्री की रुचि सुजुकी में अधिक है। खादी में उनकी रुचि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री चाक्को, आप अपना वायदा भूल गये हैं।

श्री पी.सी. चाक्को: यह एक महत्वपूर्ण विषय है इस सरकार ने खादी ग्रामोद्योग की उपेक्षा की है जबकि यह सरकार स्वदेशी का गुणगान करती है। खादी एक स्वदेशी आन्दोलन था जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ा गया। यह सरकार जो यह कह रही है कि वह स्वदेशी के प्रति समर्पित है, खादी की पूर्ण उपेक्षा कर रही है। मैं आपका निदेश चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: सरकार उत्तर दे रही है।

श्री पी.सी. चाक्को: इसे तत्काल पुन: लागू किया जाये ताकि ओनम त्योहार के दौरान सितम्बर महीने से इसे लागू किया जा सके।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): यदि माननीय प्रधानमंत्री यहाँ होते, तो मैं बहुत प्रसन्न होता। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इसका उत्तर दें और छूट जारी रखें।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की भावनाओं को मैं संबंधित मंत्री तक पहुँचा दूँगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें कुछ विशिष्ट उत्तर की आशा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी): खादी का लोगों के साथ एक भावनात्मक संबंध है, आप खुद खादी पहनते हैं *...(व्यवधान)* खादी पर रिबेट चलती रहनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: जितनी तीव्रता के साथ जितने जोरदार जज्बे के साथ सदस्यों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, निश्चित रूप से मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में सदन को बतायें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों जहाँ की स्थिति अत्यन्त खराब और असंवैधानिक थी, में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए दो दल भेजे थे।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): इसमें खराब या असंवैधानिक क्या है? क्या खराब है *...(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़): महोदय, यह मामला शून्यकाल में उठाये जाने के योग्य नहीं है। यह एक राजनीतिक मामला है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: गृह मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 356 की गलत व्याख्या की है।

श्री सत्यपाल जैन: नहीं। यह राजनीतिक मामला है। इस मामले को शून्यकाल में उठाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य की बातों को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्त्तव्य होगा *...(व्यवधान)* कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। उन्होंने मुझे अनुमति दी है और मुझे इस मामले को उठाने का पूरा अधिकार है। *...(व्यवधान)*

संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि "संघ का कर्त्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे" *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति प्रदान की है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत यह उल्लेख किया गया है, "केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार को इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।" *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज मैं अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहता हूँ। कृपया मुझे सहयोग दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण केन्द्रीय सरकार की ओर से हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है? सरकारिया आयोग ने संविधान की व्याख्या की है और यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार को कानून और व्यवस्था की स्थिति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में मत बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्य: गृह मंत्रालय को वहां दल भेजने की क्या जरूरत थी? गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: पश्चिम बंगाल सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले और पंचायत चुनावों के बाद जो कुछ घटित हुआ उसके संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी। फिर भी वहां केन्द्रीय दल क्यों भेजा गया था? ऐसा कभी नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य में वाम मोर्चे के बीस वर्षों के शासन काल में ऐसा नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री संविधान के अनुच्छेद 355 के बारे में चर्चा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक आयोजित करने हेतु प्रधान मंत्री को पहले ही पत्र लिख चुके हैं। जिसकी गृह मंत्री और गृह मंत्रालय द्वारा गलत व्याख्या की जा रही है। केन्द्रीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है। वहां ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। वहां कोई आंतरिक अशांति नहीं है; वहां कोई बाह्य आक्रमण नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: अत: केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप असंवैधानिक और अमान्य है।

अपराह्न 12.19 बजे

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन हुए*]

ऐसा केन्द्र में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के गठबंधन सहयोगी दलों में से एक दल को खुश एवं शांत करने के लिए किया गया है। केवल उन्हें शांत करना है कि वे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कल, शून्य काल के दौरान केवल कुछ ही माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए थे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अनेक माननीय सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाने के लिए नोटिस दिये हैं। यदि सभी केवल दो-दो मिनट का समय लेकर सहयोग दें, तो आप सबको बोलने का मौका मिलेगा। यदि कोई सदस्य बिना बारी के बोलना चाहता है, तो इससे परेशानी पैदा होती है और इसे बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब, श्री बसुदेव आचार्य। यह शून्यकाल है, अत: कृपया केवल दो मिनट का ही समय लें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री आचार्य जी, आपको भाषण नहीं देना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री सत्यपाल जैन: महोदय, वह पहले ही दस मिनट का समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): महोदय, बसुदेव जी बोल चुके हैं। और अन्य माननीय सदस्यों ने भी बोलना है। ये जो प्रश्न

उठा रहे हैं, वह प्रश्न जीरो आवर में नहीं उठ सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री गोयल, मैं पहले ही आपको यह बता चुका हूं। मुझे शून्यकाल का संचालन करने दीजिए। कल भी अनेक माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके थे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: महोदय, एक मिनट दें।

सभापति महोदय: एक मिनट, मैं आपके समय पर दे दूंगा।

श्री विजय गोयल: बसुदेव जी, उदाहरण देकर जो स्पष्ट कर रहे हैं, यह मामला जीरो आवर में नहीं उठा सकते हैं। बसुदेव जी को समझाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री गोयल जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। अध्यक्ष महोदय के फैसले पर कोई एतराज नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सभा में बोलने की अनुमति दी है और आज उस निर्णय पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अब, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। श्री आचार्य को बोलने का मौका लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वे केन्द्र-राज्य संबंध बिगाड़ने को आतुर हैं। हम गृह मंत्रालय द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल में दल भेजकर की गई अनपेक्षित, अनावश्यक और असंवैधानिक कार्यवाही की निंदा करते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, आप केवल एक ही तरफ के सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं।

यह कार्यवाही असंवैधानिक नहीं थी; यह कार्यवाही संवैधानिक थी।

सभापति महोदय: मेरे पास बोलने वाले सदस्यों के नामों की सूची है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप हरेक बात के लिए पूछताछ करना शुरू कर देती हैं। सूची में 46 माननीय सदस्यों के नाम हैं और यदि आप इस प्रकार प्रश्न पूछती रहेंगी, तो किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: क्या आपका नाम लिस्ट में है?

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): लेकिन, मैं चाहता हूं कि इस पर बोलूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: आप केवल एक तरफ के सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं, सूची में जिन सदस्यों के नाम हैं, उन सभी को बोलने का मौका दूंगा। इस सूची में 46 सदस्यों के नाम हैं। सभी को बोलने का मौका मिलेगा बशर्ते कि आप सभी सभा में व्यवस्था बनाए रखें। यदि आप इसी प्रकार व्यवधान पैदा करना शुरू कर देंगे, तो किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। कृपया सहयोग दीजिए।

अब, श्री शैलेन्द्र कुमार। आपको केवल दो मिनट का समय लगाना है, यह शून्यकाल है ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, वह असंवैधानिक नहीं था; पूर्णतया संवैधानिक था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ममता जी, अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो आपको चांस मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार जी, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं।

[हिन्दी]

ममता जी, आप सीनियर मैम्बर हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: यह पश्चिम बंगाल नहीं है, यह भारतीय संसद है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, माननीय सदस्य श्री आचार्य ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। वह दल के उपनेता हैं। कुमारी ममता बनर्जी अपने दल की नेता हैं। यदि उन्हें भी अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए, तो हमारे लिए अगले विषय पर चर्चा करना बेहतर होगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: इस मामले यानि संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन एक केन्द्रीय दल के राज्यों में भेजे जाने पर चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आचार्य जी, आप अपनी बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री राम नाईक: जब किसी नेता द्वारा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जाता है जिस पर अन्य दलों के नेता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, तो परम्परा यह रही है कि उन्हें इसकी अनुमति दे दी जाती है। अत: उन्हें भी अपनी बात कहने दीजिए। हम इसी परम्परा का अनुसरण करते रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम): महोदय, मैं श्री राम नाईक की इस बात से सहमत हूं कि प्रत्येक नेता अनुच्छेद 355 की शक्तियों पर चर्चा कर सकता है। क्या गृह मंत्रालय के लिए वहाँ एक केन्द्रीय दल भेजना न्यायोचित है? इस पर प्रत्येक नेता चर्चा कर सकता है। मैं श्री राम नाईक के सुझाव से सहमत हूं *...(व्यवधान)* प्रत्येक दल के नेता के विचार सुने जा सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: वहां क्यों नहीं किसी को भेजा गया। *...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: आप बिहार के बारे में सोचें, बिहार की हालत क्या है। बिहार में क्या हो रहा है। *...(व्यवधान)* वहां जंगल राज है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया मुझे कठोर शब्दों के प्रयोग हेतु विवश न करें। बसुजी क्या आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे? कृपया मेरी बात सुनिये। आखिरकार आप सभी इस देश के वरिष्ठ नेता हैं। यहां आप सभी की एक जिम्मेदारी है। 'शून्य काल' में ऐसी परम्परा रही है। यदि कोई सदस्य लोक महत्व के आवश्यक विषय अथवा देश में घटित किन्हीं घटनाओं के बारे में कोई मामला उठाना चाहता है वह इसकी पूर्व सूचना देता है, अध्यक्ष से भेंट करता है और एक कार्यसूची तैयार की जाती है। कल हम अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान नहीं कर सके। हम केवल कुछ ही सदस्य को बोलने का अवसर दे पाये। और आज मेरे पास 46 सदस्यों के नाम आये हैं। यदि आप शान्त रहें तो सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा सकता है और ऐसे सदस्यों को भी अवसर दिया जा सकता है जिनके नाम अभी नहीं आये हैं। मैं उन्हें भी अवसर प्रदान करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप सभा में व्यवस्था बनाए रखें। यदि कोई सदस्य कोई मामला उठाता है और यदि आप हर तरफ से उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहें, तो मुझे इस बात की आशंका है कि मैं सभी को समय नहीं दे पाऊंगा। कृपया मुझे कार्यसूची अनुसार कार्य चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं खड़ा नहीं होता *...(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़): अब उन्हें बोलने का अवसर क्यों दिया जाये? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, कृपया हमें बोलने की अनुमति प्रदान करें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जैन साहब, आप यह बात मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैंने किसे बोलने की अनुमति दी है। यह बात मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बोलने के लिए कहा है। वे कुछ कहना चाहते हैं और मैंने उन्हें अनुमति दी है। जैन साहब, आप भी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। लांछन न लगायें। मैं सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां पर हूं। भगवान के लिए उचित आचरण दर्शायें।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: विगत में ऐसा कभी नहीं हुआ। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही करने दीजिए। श्री राम नाईक ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप बैठ जाइये। आप इत्मीनान से बैठ जाइये, आपको भी चांस मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: महोदय, मैं आपसे यह अपील कर रहा था कि ऐसी परम्परा रही है कि यदि कोई महत्वपूर्ण मामला उठाया जाता है और यदि किसी अन्य दल का नेता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है तो इसे इसकी अनुमति दे दी जाती है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री अजीत जोगी, मैंने श्री राम नाईक को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री राम नाईक: वे कुमारी ममता बनर्जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। वे मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पी. शिवशंकर, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप पहले उनकी बात सुनिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप उनकी पूरी बात सुनिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सभा की कार्यवाही को कैसे चलाया जाये।

श्री राम नाईक: महोदय, माननीय शिवशंकर जी को यह पता होना चाहिए कि जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो उन्हें पहले अनुमति लेनी चाहिये और इसके बाद बोलना चाहिए। ऐसी प्रथा नहीं है।

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली): यह अनुमति का प्रश्न नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री राम नाईक: हमें इस उत्तरदायित्व के साथ सभा की कार्यवाही को उचित ढंग से चलाना चाहिये। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चूंकि श्री बसुदेव आचार्य ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, कुमारी ममता बनर्जी अपने दल की नेता होने के नाते कुछ कहना चाहती थी। उसे उस मुद्दे पर अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, आप मुझे बोलने की अनुमति दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने सभा में पहले भी यह स्पष्ट किया है कि हमारे पास 46 सदस्य हैं जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। श्री लालू प्रसाद ने भी यही मुद्दा उठाया था। कई अन्य माननीय सदस्य भी अपने विचार रखना चाहते थे। कुमारी ममता बनर्जी भी अपने उद्गार व्यक्त करना चाहती थी। इस सूची के समापन के बाद हम इन्हें बोलने की अनुमति प्रदान करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अन्यथा, क्या होगा? यदि मैं कुमारी ममता बनर्जी को बोलने की अनुमति देता हूं, तो इस पर प्रतिक्रिया होगी और निरन्तर प्रतिक्रिया होती रहेगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं सभा के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें ताकि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिल सके। 46 सदस्यों को अपने विचार रखने हैं। तत्पश्चात् कुछ अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। कल सभा की बैठक नहीं होगी। व्यावहारिक रूप से कल 'शून्य काल' नहीं था। आज भी, यदि आप वैसा ही करेंगे, तो मेरे विचार से, 'शून्य काल' नहीं हो पायेगा।

अब, भगवान के लिए सभा को व्यवस्थापूर्वक चलाने दीजिए और कार्यसूची को पूरा करने दीजिए। तभी अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिल सकेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अध्यक्ष ने कार्यसूची पहले से ही तैयार कर दी है। मैं तदनुसार ही सभा की कार्यवाही चलाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक एक अविवादास्पद विषय है। यह काफी समय से लंबित है। कृपया पहले अविवादास्पद विषयों को लीजिए।

सभापति महोदय: विवादास्पद हो अथवा अविवादास्पद, हमें सहिष्णुता दर्शाना चाहिये। विवादास्पद मामले में भी सहिष्णुता दर्शायी जा सकती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह एक दल के नेता हैं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं नहीं जानता कि सभा की कार्यवाही कौन चला रहा है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति जी, अगर इनका नाम 46 मैम्बरों की लिस्ट में हैं, तभी इनको बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जैन साहब, मैं कुमारी ममता बनर्जी को भी बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन: सभापति जी, सी.पी.एम. के मैम्बर बोल चुके हैं, बाकी के मैम्बरों की बात भी आपको सुननी चाहिए। यह बहुत सैन्सिटिव इश्यू है।

[अनुवाद]

उसे बोलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?

सभापति महोदय: श्री के. येरननायडू, आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, क्या हाउस चलाने की जिम्मेदारी केवल सी.पी.एम. की है?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं किसी के गुण-दोषों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा केवल यही विनम्र निवेदन है कि क्या कोई मंत्री किसी अन्य माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में हस्तक्षेप कर सकता है। क्या वह अध्यक्षपीठ को सलाह दे सकता है? उन्हें केवल मंत्री के रूप में अध्यक्षपीठ को सलाह देने की हैसियत के नाते बोलने की अनुमति है। क्या यह कोई तरीका है कि मंत्री जी खड़े हो जायें और बोलने लगें? *...(व्यवधान)* हम

जानते हैं कि वह इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। यह दल उनके गठबंधन को प्रसन्न करने हेतु भेजा गया था। हम सभी यह जानते हैं ...*(व्यवधान)* मंत्री पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपना रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या अब हम कार्यसूची के अनुसार ही कार्य करें? श्री शैलेन्द्र कुमार।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल): माननीय सभापति महोदय, मैं शून्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के जिले इलाहाबाद, कोशाम्बी, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की प्रवेश की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। आज पूरे प्रदेश में चाहे छात्र हों या छात्राएं हों, वे दर-दर स्कूल और कालेजों के सम्मुख प्रवेश पाने के लिए भटक रहे हैं। इससे उनके अभिभावक परेशान हैं।

सभापति महोदय: आप मेन सब्जैक्ट पर आ जाइये।

श्री शैलेन्द्र कुमार: इससे बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। प्राइमरी से विश्वविद्यालय स्तर तक की कक्षाओं में बहुत से प्रतिभाशाली छात्रों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय: आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात जल्दी से कहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं कहना चाहूंगा कि सरकार प्रवेश हेतु कोई सरलीकरण की नीति अपनाए। ...*(व्यवधान)* मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

सभापति महोदय: आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: वहां आरक्षण का कोटा भी पूरा नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय: भारत सरकार इस बारे में क्या करे, यह बताइए। आप भाषण मत करिए। यह जीरो आवर है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: वहां की सरकार दाखिले में रोक लगा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.): मैं सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में नौजवानों की जो दुर्दशा है, वह पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण है।

सभापति महोदय: आप सक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री गंगा चरण राजपूत: मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)* आज देश के नौजवानों की हालत बद से बदतर हो गई है। आज देश का नौजवान भूखा है, बेरोजगार है, बीमार है, लाचार है और अशिक्षित है। आज तक जितनी सरकारें बनीं, सारी नौजवानों की ताकत पर बनीं लेकिन आज तक नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी सरकार ने युवा नीति की घोषणा नहीं की। यह बड़े अफसोस की बात है। यह विषय हमारी सरकार के एजेंडा में भी है। यह पूरे सदन का मामला है और सभी दलों का मामला है। ...*(व्यवधान)* मेरा सरकार से अनुरोध है कि आम सहमति के आधार पर युवा नीति की घोषणा की जाए जिससे नौजवानों में बढ़ रही बेरोजगारी और अशिक्षा पर काबू पाया जा सके। ...*(व्यवधान)* यह एक महत्वपूर्ण मामला है। अत: सदन में इस पर डिसकशन हो और इस सत्र में युवा नीति की घोषणा हो।

श्री रामनारायण मीणा (कोटा): सभापति महोदय, हम हिन्दुस्तान में कानून में एकरूपता की बात कहते हैं। हिन्दुस्तान में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून बने हुए हैं। दिल्ली और मध्य प्रदेश में ऑक्ट्राय माफ कर दी गई है।

राजस्थान में ऑक्ट्राय के नाम पर जिस कदर करप्शन फैल रहा है कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज पर ऑक्ट्राय माफ है। यदि काश्तकार पांच बोरी अपना माल लेकर जाता है, कंज्यूमर जिन्स लेकर जाता है तो उस पर ऑक्ट्राय लगती है। बेरोजगार आदमी के पास अपनी दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है। हम रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जिससे इस समस्या का समाधान हो। केवल कागजी एक्सरसाईज

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

की है। यदि वह अपनी दुकान भी खोलता है तो उसे ऑक्ट्राय माफ नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कोटा से आता हूं जहां नगर निगम है। जिस जगह शासकीय दल यानि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में अध्यक्ष या चेयरमैन बैठे हैं, वहां पर करप्शन है। माननीय वित्त मंत्री ने इंस्पैक्टर राज खत्म करने की बात की थी लेकिन ऑक्ट्राय के नाम पर हर जगह करप्शन है। काश्तकारों और ट्रक ओनर्स को टैक्स देना पड़ता है। राजस्थान में कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में स्थिति खराब हो रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करे कि ट्रक ओनर्स, व्यापारियों की मांग पर आक्ट्राय समाप्त किया जाये।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): सभापति महोदय, आज देश और प्रदेश में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गंभीर समस्या है। इस आंचल के कई जिलों में पानी का स्तर तीन मीटर नीचे चला गया है। सरकार ने जो सामान्य सुविधायें दी थीं, वे फेल हो गई हैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम और त्वरित पेयजल योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की फेल हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन शपथ लेते हुये कहा था कि पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करायेंगे। यह स्कीम भी फेल हो चुकी है। दिल्ली या लखनऊ से चुनकर आते हैं तो वहां पर पेयजल का संकट पैदा हो जाता है। लोग धरना, प्रदर्शन और चक्का जाम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप समाप्त करें।

श्री मित्रसेन यादव: सभापति महोदय, आपसे प्रार्थना है कि सरकार पेयजल समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करे...

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में किसानों ...*(व्यवधान)*

श्री मित्रसेन यादव: सभापति महोदय, सरकार यहां बैठी है...

सभापति महोदय: आपका रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पुन्नू लाल मोहले: सभापति महोदय, वर्षा ऋतु में किसानों ने बुवाई शुरू कर दी है। धान और सोयाबीन के 15-20 प्रतिशत बीज अंकुरित हो गये हैं और सरकार द्वारा तकावी ऋण के रूप में धान और सोयाबीन के जो बीज दिये जा रहे हैं, वे अंकुरित बीज नहीं है। ये बीज भी ज्यादा कीमत पर किसानों को दिये जा रहे हैं। धान के बीज की कीमत 800-900 रुपये प्रति क्विंटल और सोयाबीन 2000-2300 रुपये प्रति क्विंटल बिक्री की जा रही है।

सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा जो बीज दिये जा रहे हैं, वे अंकुरित नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश दिया जाये कि किसानों को अंकुरित बीज ही दिये जायें ताकि किसान निर्धारित बाजार दर पर बीज खरीद सकें।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, मध्य प्रदेश राज्य हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करता है। गत नवम्बर और दिसम्बर में इतनी ज्यादा वर्षा हुई कि अपने आप ही सोयाबीन की फसल उग गई। इससे किसानों के पास बोने के लिए सोयाबीन नहीं है। व्यापारी लोग सोयाबीन का बीज 2500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं। सरकार ने भी सहकारी संस्थाओं के सहयोग से 2300 रुपये प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित किया है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करे कि यह बीज पर सब्सिडी दे ताकि किसानों को सोयाबीन की फसल बोने में सुविधा मिल सके।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति जी, मैं एक बहुत ही गंभीर सवाल इस सदन में उठाना चाहता हूं। हमारे मित्रों ने सवाल उठाया कि कानून और व्यवस्था की हालत पर निरीक्षण करने के लिए केन्द्र सरकार की टीम कुछ राज्यों में गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की हालत आज इस देश में सबसे ज्यादा खराब है। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव के लोक सभा क्षेत्र में उन्नाव के ब्लॉक प्रमुख और उनके तीन साथियों की आज नृशंस हत्या कर दी गई। पिछले तीन महीने में 350 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। उनमें अधिकांश समाजवादी दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वहां के बड़े उद्योगपतियों का अपहरण करके फिरौती ली जा रही है, कत्ल किया जा रहा है, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार मौन है। कानून और व्यवस्था पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। हम आपके माध्यम से इस बात की मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बरखास्त किया जाए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ...*(व्यवधान)* वहां की कानून और व्यवस्था की हालत खराब है और कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे उनकी बात सुनने दीजिए। आप लोग खड़े क्यों हो रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: सभापति जी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। उनका टेलीफोन आया था कि उनके तीन नजदीकी लोगों की आज नृशंस हत्या कर दी गई।

सभापति महोदय: यह मामला स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का है।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह: मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को बरखास्त करे।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: महोदय, मैंने भी इसी विषय के संबंध में पूर्व-सूचना दी है। स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री कुशाभाऊ ठाकरे ने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहाँ एक दल भेजा जाए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह इसी विषय के संबंध में है। उन्होंने इसी विषय क संबंध में पूर्व-सूचना दी है और वह थोड़ी देर पहले बोले भद्रपुरुष की तरह स्वयं को इस विषय के साथ जोड़ रहे हैं।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भाजपा अध्यक्ष को चिन्ता हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति का अध्ययन करने के लिए वहां एक दल भेजा जाए। परसों स्वयं श्री कुशाभाऊ ठाकरे ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह वहाँ की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजे *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, मैं सूची के अनुसार चल रहा हूँ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कार्यवाही में इस प्रकार व्यवधान मत डालिए। मुझे सभा का संचालन करने दीजिए। उन्होंने इस विषय के संबंध में पूर्व सूचनाएं दी हैं और माननीय अध्यक्ष जी ने उनकी पूर्व-सूचनाएं स्वीकार कर ली हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति जी, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय टीम भेजी जाए। *...(व्यवधान)* पिछले छः महीने में 649 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। लखनऊ में जहां मुख्य मंत्री रहते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सीनियर मेम्बर हैं। आपने नाम दिया है तो मैं आपको बुलाऊंगा। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): मेरा नाम है लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब मैं अनुमति दूंगा, तभी आप बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): सभापति महोदय, यू.पी. के मामले में मोहन सिंह जी ने अभी बताया और श्री मुलायम सिंह यादव जी का फोन आया कि उनके तीन ब्लॉक प्रमुखों की वहां हत्या हो गई है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस मामले पर मोहन सिंह जी बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री जी के क्षेत्र में इस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं *...(व्यवधान)* इसके लिए सदन की समिति बनाकर जांच की जाए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप यह क्या कर रहे हैं? आप सभी खड़े हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे सभा का संचालन करने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं श्री मोहन सिंह को इसी विषय पर बोलने के लिए पहले ही बुला चुका हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मेरी अनुमति के बिना, आप इस तरह नहीं बोल सकते। मैंने श्री मोतीलाल वोरा जी का नाम बोला है क्योंकि वह इसी विषय पर बोलेंगे। चार माननीय सदस्यों ने इसी विषय के संबंध में पूर्व सूचनाएं दी हैं। वे भी इसी विषय पर बोलेंगे। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाए।

सभापति महोदय: अभी आपका नाम नहीं है। *...(व्यवधान)* जब सीरियल नंबर पर नाम आयेगा तो हम बुलायेंगे, ऐसे खड़े होने से हम नहीं बुलायेंगे, बुलाने पर आप बोलियेगा।

[अनुवाद]

कृपया अपने दल के माननीय सदस्यों को समझाइये। दल के सचेतक क्या कर रहे हैं? कृपया माननीय सदस्यों को समझाइये। इस तरह कोई भी सभा का संचालन नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): क्या यह क्रमानुसार है?

सभापति महोदय: बिल्कुल क्रमानुसार है।

श्री टी.आर. बालू: पिछले दो दिनों से हम बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको इस तरह से क्रम नहीं तोड़ना चाहिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं सूची में दिए गए क्रमानुसार ही चलूंगा। यह सूची माननीय अध्यक्ष जी द्वारा ही दी जाती है। मैं अपने विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: कार्यवाही वृत्तान्त का ही अवलोकन कर लीजिए। आप यह देख सकते हैं कि ऐसा सूची में दिए गए क्रमानुसार नहीं किया जा रहा है। सूची में क्रम संख्या दिए जाने का क्या फायदा है...*

सभापति महोदय: ऐसा बिल्कुल सूची के अनुसार ही किया जा रहा है।

श्री टी.आर. बालू: मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद है कि मैं बहिर्गमन करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया, नहीं।

श्री टी.आर. बालू: *...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री बालू जी, मैं आपको यह बता दूं कि मैंने सूची के अनुसार ही सदस्यों को बोलने के लिए बुलाया है। एक भी नाम के मामले में फेरबदल नहीं किया गया है। मैं इसमें फेरबदल नहीं करूंगा। मैं सूची के अनुसार ही सभा के कार्य का संचालन करूंगा। आपके लिए अथवा आपमें से किसी के लिए भी सभा में बैठकर मुझ पर दोषारोपण करना आसान है।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: *...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां मत कीजिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट): हम रोजाना पूर्व सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन हमें एक भी शब्द बोलने का अवसर नहीं मिल

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में से निकाल दिया गया।

रहा है। आप सभा स्थगित कर रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कल, आपको विदित है कि सभा की कार्यवाही किस प्रकार चली है। आज, कम-से-कम सभा की कार्यवाही चल रही है। सभा में सभी को बोलने का मौका मिलेगा, बशर्ते आप सभा में व्यवस्था बनाए रखें। यदि हरेक खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा, तो व्यवधान उत्पन्न होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया: जो जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं, उन्हें बोलने का मौका मिल रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो चिल्लाएंगे उन्हें तत्काल बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया: कल, आपने सभा स्थगित कर दी। कृपया समग्र सूची पूरी होने तक सभा स्थगित मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, श्री मोतीलाल वोरा। आपको केवल इसी विषय के संबंध में बोलना है, क्योंकि इस मामले का पहले ही उन द्वारा उल्लेख कर दिया गया है।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): मैं नक्सलवादी समस्या के बारे में मध्य प्रदेश के मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं। मैंने इसका अपनी पूर्व सूचना में उल्लेख किया है।

सभापति महोदय: आपने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में पूर्व सूचना दी है।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): कोई दल नहीं भेजा गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। आप इसी तरीके से वक्ता के बीच में व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा: माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि लखनऊ में मैंने स्वयं देखा। पिछले दिनों मैं लखनऊ में था। वहां पुलिस के बड़े अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया है, उसे सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा कि यू.पी. में कानून और व्यवस्था की स्थिति में इतनी गिरावट आ गई है कि लखनऊ सरीखे शहर में जहां प्रधान मंत्री जी की अपनी कांस्टीट्यूएंसी है, वहां निकलने वाले हर व्यक्ति को यह कहना पड़ता है कि वह कहां जा रहा है और उस रास्ते से वापस नहीं आए, यदि वापस आएगा, तो उसकी हत्या हो जाएगी। इस प्रकार का लिखित आदेश वहां के डायरैक्टर जनरल पुलिस के माध्यम से अभी हाल में ही प्रसारित किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लखनऊ शहर में डाकेजनी, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं।

सभापति महोदय: आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री मोतीलाल वोरा: सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कड़ी कार्रवाई करे और जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में केन्द्रीय टीमें भेजी थीं उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी एक केन्द्रीय जांच दल भेजें जो वहां का सही आकलन करे।

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में नक्सलवादियों का आतंक बहुत होता जा रहा है। वहां नक्सलवादियों की वजह से कानून और व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है क्योंकि नक्सलवादी गतिविधियां काफी बढ़ती जा रही हैं। उनको रोकने के लिए किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। दो दिन पहले ही म.प्र. के बालाघाट जिले में वहां के एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाएं।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:

1. कपड़ा मंत्रालय के अधीन सेंट्रल सिल्क बोर्ड, कलिंमपोंग, प. बंगाल में कार्यरत 1995 से लापता कर्मचारी कमल किशोर के पीछे षड्यंत्र में शामिल लोगों के नाम आने के बाद क्या कार्रवाई की?

2. प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के बाद विरोधाभास के बाद भी जांच सी.बी.आई. को क्यों नहीं सौंपी गई?

3. लापता कर्मचारी के द्वारा अपने उच्चाधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की क्या जांच निकाली?

4. उन उच्चाधिकारियों व राज्य नेताओं के नाम बताएं और उनके नाम सदन के पटल पर रखा जाए, जो इस केस को परोक्ष व अपरोक्ष रूप से दबाने में लगे हुए हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और सदन, गृह मंत्री तथा योजना मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हमारे बिहार में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 20 वर्ष से नहीं हुए हैं। पंचायतीराज व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि वे कोई काम नहीं कर पा रही हैं और पूरे बिहार में ब्यूरोक्रेट शासन कर रहे हैं। जे.आर.वाई. और जितनी भी केन्द्रीय योजनाएं हैं उनकी सारी धनराशि ब्यूरोक्रेसी द्वारा हजम कर ली जाती है।

सभापति महोदय: इसके लिए भारत सरकार क्या कर सकती है, वह बताएं?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा: सभापति महोदय, भारत सरकार बिहार सरकार को निर्देशित करे कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराए जाएं, यह बहुत जरूरी है।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां जमीन बहुत ऊबड़-खाबड़ है और किसान वहां पर हल नहीं चला सकते हैं। केन्द्रीय सरकार की एक योजना है कि ऐसी जगहों का समतलीकरण कराया जाए। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि परन पोली, डोखर आदि गांवों का समतलीकरण करने के लिए एक टीम भेजें ताकि किसानों द्वारा वहां खेती करने लायक समतल जमीन बन सके।

[अनुवाद]

अपराह्न 1.00 बजे

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़): सभापति महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान उपरि असम अर्थात जोरहाट, गोलाघाट, शिवसागर और अन्य जिलों के चाय बागानों में आंत्रशोध जैसी बीमारी के महामारी के रूप में फैलने के कारण बड़ी संख्या में हुई लोगों की दर्दनाक मौतों की ओर दिलाना चाहता हूं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले ही 600 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। गत वर्ष भी यह बीमारी फैली थी और इससे 500 लोग मारे गए थे। चाय उद्योग ऐसी घड़ी में, जबकि यह उद्योग अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा है, कामगारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकता। असम सरकार चाय बागान श्रमिकों को न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूर्णरूपेण असफल रही है। वे इस संबंध में दोषी प्रबन्धन के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने में भी असफल रहे हैं। बागान श्रम अधिनियम में यह प्रावधान है कि सरकार श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु धनराशि व्यय कर सकती है। वे प्रबन्धकों से यह धनराशि वसूल कर सकते हैं। मेरा अनुरोध यह है कि भारत सरकार जाँच-पड़ताल हेतु एक विशेषज्ञ दल भेजे और यह पता लगाये कि क्या यह आंत्रशोथ है या अन्य कोई रोग, जिसके कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों श्रमिक तथा ग्रामीण काल के गाल में समा रहे हैं। भारत सरकार एक दल भेजे और मृत्यु के कारण का पता लगाये ...*(व्यवधान)* राज्य सरकार और चाय बागान के प्रबन्धकों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए भी कहा जाए।

सभापति महोदय: श्री टी.आर. बालू, कृपया आप अपनी बात कहें।

..(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। स्वास्थ्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

सभापति महोदय: मैं मंत्री पर दबाव नहीं डाल सकता। यदि वे इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता।

श्री भुवनेश्वर कालिता: लेकिन यह परम्परा रही है कि जब कभी कोई गम्भीर मामला उठाया जाता है तो संबंधित मंत्री सदैव उसका उत्तर देते हैं यह सभा की प्रक्रिया है। महोदय, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। स्वास्थ्य मंत्री इसका उत्तर दें। यह बहुत गम्भीर मामला है। आंत्रशोथ से लगभग 600 लोग काल के गाल में समा गये हैं। वे इसका उत्तर दें।

श्री पवन सिंह घाटोवार: हम यह बात करते हैं कि हम सन् 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। लेकिन लोग प्रति वर्ष काल के गाल में समा रहे हैं। असम में सैकड़ों लोग मौत के मुँह में जा चुके हैं ...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता: महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

सभापति महोदय: यह सही है।

श्री भुवनेश्वर कालिता: इस पर चर्चा करना आवश्यक है। हम स्वास्थ्य मंत्री से इसका उत्तर चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, इस सभा की यह परम्परा है कि यदि मंत्री सभा में उपस्थित हैं, तो वह इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी है अथवा नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, कृपया आप सभा में व्यवस्था बनाइये।

सभापति महोदय: श्री कालिता, आप स्थिति को समझिए कि अध्यक्षपीठ सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए निर्देश नहीं दे सकती। आप जब कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं तो वे स्वयं ही खड़े होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

श्री भुवनेश्वर कालिता: महोदय, यह सभा सर्वोच्च है। अध्यक्षपीठ सर्वोच्च है।

सभापति महोदय: यही कारण है कि आप मुझसे कह रहे हैं। नहीं, अध्यक्षपीठ सर्वोच्च नहीं है। ऐसा मत कहिये। अध्यक्षपीठ निर्देश नहीं दे सकती। यह नियम है। चूँकि इस संबंध में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, इसलिए मैं श्री बालू को बोलने के लिए कह रहा हूँ।

श्री भुवनेश्वर कालिता: स्वास्थ्य मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें उत्तर देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। वह अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। उन्हें स्वयं ही उत्तर देना चाहिए। छह सौ लोग मौत के मुँह में जा चुके हैं। ...*(व्यवधान)* यह बहुत गम्भीर मामला है। वह उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं?

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: यह क्या है?

सभापति महोदय: श्री बालू, कृपया शान्त रहिए।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: महोदय, आप सभा में व्यवस्था बनाइये। मैं कैसे बोल सकता हूँ?

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपने उत्तरदायित्व से बच रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

श्री टी.आर. बालू: सभापति महोदय, मैं संघ-राज्य क्षेत्र पांडचेरी को राज्य का दर्जा दिये जाने संबंधी महत्वपूर्ण मामले पर संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से इस सम्मानित सभा, विशेष रूप से गृहमंत्री, का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ-साथ संघ-राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के विधायक, मंत्री तथा मुख्य मंत्री, माननीय प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और संबंधित प्रत्येक व्यक्ति से कई बार मिले हैं। लेकिन 1971 से इन बैठकों और अन्य बातों के बावजूद भी यह मामला ठण्डे बस्ते में पड़ा है।

महोदय, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार— दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने हेतु विधेयक लाने को बहुत उत्सुक है लेकिन साथ ही संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के लोगों की मर्मभेदी भावनाओं पर चुप्पी साधे है। मेरा यह अनुरोध है कि दिनांक 30.3.1998 को संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी द्वारा भेजे गए संकल्प और पांडिचेरी के भूतपूर्व विकास आयुक्त, श्री आर.एस. चारी और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, डा. रामदास की व्यवहार्यता रिपोर्टों को देखते हुए सरकार को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए था। व्यवहार्यता और वे सभी बातें जो संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, होने के बावजूद सरकार इस मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

इस सत्र के आरम्भ होने से पूर्व, प्रधान मंत्री ने सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें अपने दल की ओर से मैं भी उपस्थित था। अपने दल के नेता कलायंगर करुणानिधि के निर्देशानुसार मैंने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से पांडिचेरी को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक लाने के लिए अनुरोध किया था। दोनों ने मेरी बात से सहमति जताई थी।

सभापति महोदय: अब आप सरकार से क्या चाहते हैं?

टी. आर. बालू: दोनों दिल्ली के साथ पांडिचेरी को भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक लाने पर सहमत हो गये थे। लेकिन यहाँ मुझे इससे संबंधित किसी विधेयक की कोई झलक

दिखाई नहीं पड़ी है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करें। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को भी पत्र लिखा है कि पांडिचेरी को इसी सत्र में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर कालिता: महोदय, स्वास्थ्य मंत्री हमारी बात का उत्तर देना चाहते हैं।

सभापति महोदय: मैं सरकार को निर्देश नहीं दे सकता।

अब श्री आर. मुथैया अपनी बात कहेंगे।

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम): मैंने इसी मुद्दे पर नोटिस दिया है।

मैं श्री बालू के साथ पांडिचेरी के बारे में इस संवेदनशील और गम्भीर मुद्दे को उठा रहा हूँ। ...*(व्यवधान)*

पांडिचेरी में पहले से ही आन्दोलन चल रहे हैं। यह भी मांग की जा रही है कि इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी विधायक त्यागपत्र दे दें। कल कांग्रेस के लोगों ने विधान सभा में अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। अब, इस संदर्भ में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि दिल्ली के साथ पांडिचेरी को राज्य का दर्जा प्रदान कर इस मुद्दे का समाधान करें।

सभापति महोदय: और किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र को नहीं?

श्री आर. मुथैया: आप गृह मंत्री को यह संदेश दे दें। आप केवल यही कर सकते हैं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री यहाँ हैं। वे सभी मुझसे कह रहे थे कि मैं सरकार को निर्देश दूं। अध्यक्षपीठ सरकार को निर्देश नहीं दे सकती।

श्री आर. मुथैया: यह सरकार दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए उत्सुक है। मुझे यह संदेह है कि यह सरकार इस देश में तमिलनाडु राज्य के साथ दूसरे तमिल राज्य के पक्ष में नहीं है। मुझे इसी बात की आशंका है।

सभापति महोदय: कृपया, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री आर. मुथैया: केन्द्र सरकार पाण्डिचेरी के लोगों की इस संवेदनशील प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रही है। अब पाण्डिचेरी में सभी विधायकों के त्याग-पत्र की मांग की जा रही है। इसे संसद सदस्यों पर भी लागू किया जा सकता है।

सभापति महोदय: संसद सदस्यों पर भी?

श्री आर. मुथैया: यह मामला इतना गंभीर है। इसीलिए मैं इस सरकार से इस बारे में आग्रह कर रहा हूं कि इस मांग को स्वीकार कर लिया जाये। यदि यह सरकार इस सत्र में केवल दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले विधेयक पर ही चर्चा करेगी, तो मैं आपके माध्यम से यह कह सकता हूं कि यह सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए आम सहमति प्राप्त नहीं कर सकेगी ...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकासी): महोदय, दिल्ली और पाण्डिचेरी के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि सरकार को पाण्डिचेरी की इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये। यह एक सर्वदलीय मांग है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वैको, मैं आप की बात से सहमत हूं कि किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी, क्या आप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मांग पर विचार करेगी। कम से कम इस मांग के बारे में तो अखिल भारतीय अन्ना डी एम के तथा डी एम के भी एक मत होंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया सुनना चाहते हैं, तब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, हम पाण्डिचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग करते आ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बालू, आप माननीय मंत्री महोदय की बात सुनना चाहते हैं या नहीं?

...(व्यवधान)

श्री वैको: महोदय, जब सरकार दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान कर रही है, तो पाण्डिचेरी को राज्य का दर्जा प्रदान करने में क्या अड़चन आ रही है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वैको, मैं अपनी बात कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री बालू, मैं खड़ा हो गया हूं। अब आप भेदभाव कर रहे हैं। इन सभी सदस्यों ने मेरी बात का अनुपालन किया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री वैको, आप फिर खड़े हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जब मैं खड़ा हुआ हूं, तो आपको बैठना होगा। अब श्री राम नाईक प्रतिक्रिया करना चाहते हैं। क्या आप उनकी प्रतिक्रिया नहीं सुनना चाहते?

...(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू: महोदय, सरकार इसमें से राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बालू, उसमें आपका नाम भी था। इसके बाद श्री मुथैया का नाम भी उसमें शामिल था।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: जी नहीं महोदय, यह उचित बात नहीं है। मंत्री को पहले मेरी बात का उत्तर देना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, यह एक ...*... दृष्टिकोण है।

सभापति महोदय: इस शब्द को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री वैको, क्या आप यह नहीं चाहते कि मंत्री जी प्रतिक्रिया व्यक्त करें?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मुझे अब क्या करना है? क्या आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे? मंत्री जी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, मुझे और इस सभा को इस बात का सुखद आश्चर्य हुआ कि डी एम के तथा अखिल भारतीय अन्ना डी एम के के माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि पाण्डिचेरी को पृथक राज्य बनाया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि इस बात पर दोनों सहमत हैं *...(व्यवधान)* इस मुद्दे पर तमिलनाडु के सभी माननीय सदस्य एकमत हैं। मैं एकमत होने की इस भावना को माननीय गृह मंत्री तथा माननीय प्रधान मंत्री तक सम्प्रेषित कर दूंगा *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में आश्वासन दिया गया था कि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आचार्य जी, वह इस पर पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं। आप जानते हैं कि जब कोई मंत्री शून्यकाल के दौरान प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वह एक आश्वासन होता है। उन्होंने संबंधित मंत्री तक सम्प्रेषित किये जाने हेतु एक आश्वासन दिया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को राज्य का दर्जा देने के बारे में क्या स्थिति है। उन्हें इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

श्री राम नाईक: मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इस सभा में आश्वासन दिया गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा दिया जायेगा। इस आश्वासन का क्या हुआ है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब मैं उन्हें किस तरह से विवश कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता: छः सौ लोग मृत्यु का शिकार हो चुके हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने सदस्यों से कहें कि वे बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन: मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पाण्डिचेरी को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है *...(व्यवधान)* महोदय, गेस्ट्रो-एन्ट्राइटिस 600 लोगों की मृत्यु का प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है *...(व्यवधान)* स्वास्थ्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और वह प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रो. कुरियन, मैं मंत्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता: क्यों नहीं कर सकते?

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, 600 लोग मृत्यु का शिकार हो गये हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मुझे सहयोग प्रदान करें।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम: वे उन्हें बाध्य नहीं कर सकते *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। आप क्या बात कर रहे हैं? अध्यक्षपीठ द्वारा मंत्रियों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: *यह तो कोई तरीका नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।*

...(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता: यह अन्याय है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने यह मामला सभा के समक्ष उठाया है और यह मंत्री के ध्यान में आ गया होगा।

...(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता: वह प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों नहीं कर सकते? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वैद्य विष्णु दत्त जी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने उनका नाम पुकारा है। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू): सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी कई सालों से जारी है। इस गोलीबारी में कितने ही आदमी मारे गए हैं, कितने अपंग हुए हैं और पशुधन का भी विनाश हुआ है। वहां सरकार ने पहले वायर लगाने की कोशिश की, जिसका पाकिस्तान ने रिटैलिएशन किया। नतीजे के तौर पर अब वहां आर्डर हुआ है कि तमाम जमींदारों को सीमा से दो-दो किलोमीटर पीछे हटकर रहें।

सभापति महोदय: आप यह बताइए कि भारत सरकार को क्या करना है।

वैद्य विष्णु दत्त: पिछले तीन वर्षों से तीन फसलें जमींदारों की नहीं हुई। इन लोगों को न सरकार ने सब्सिटीच्यूट जगह दी और न ही फाइनेंशियल एड दी। मेरा सरकार से आग्रह है कि उनको सब्सिच्यूट जगह दी जाए और फाइनेंशियल एड भी दी जाए।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं इस सभा का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यह

विषय जनता के व्यापक हितों से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा से प्रत्येक दिन सभी आवश्यक वस्तु जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां, कपड़े, खाद्य तेल, मसाले और अन्य सभी वस्तुएं जोकि मनुष्य की आजीविका के लिए आवश्यक है, की तस्करी सीमा सुरक्षा बल की मिलीभगत से और उनकी प्रत्यक्ष सहायता से की जाती है। इसी कारण से, आवश्यक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं हैं और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। इसीलिए, ये वस्तुएं आम जनता की पहुंच से परे हैं। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बहुत से लोगों को अपूर्णनीय क्षति हुई है। मैं इस गम्भीर मुद्दे पर इस सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके माध्यम से, मैं भारत सरकार का विशेषकर गृह मंत्री का ध्यान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने हेतु समुचित और आवश्यक कदम उठाने की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि उनको तुरन्त रोका नहीं गया तो हमारे लोगों को अपूर्णनीय क्षति और हानि होगी; भारतीय बाजार में कुछ भी नहीं मिलेगा और लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है कि पाकिस्तान लगातार हमारे इंटरनेशनल बार्डर पर फायरिंग कर रहा है, मैं भी उस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में दो गांव मंडी और बुधिया हैं। इन दोनों गांवों में कम से कम 50 जानवर मारे जा चुके हैं और करीब 30 आदमी हलाक हुए हैं। बार्डर पर बसे हुए जो लोग हैं इनका अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वे अपनी जमीन पर पैदावार नहीं कर सकते हैं, फसल नहीं लगा सकते हैं। इनको सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। इनको सरकार कोई अल्टरनेटिव जगह दे, जहां पर ये बसें या फिर सरकार की जो स्कीम हैं—इंटरनेशनल बार्डर को कवर करना, उस पर बकायदा फेंसिंग करना, वह काम चालू किया जाए। *...(व्यवधान)* इस पर सरकार ने सिर्फ 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और वहां मेटिरियल डाला हुआ है फिर भी सरकार फेंसिंग नहीं लगा पा रही है। आपने पंजाब में फेंसिंग लगाई है और उससे उग्रवादी भी आने बंद हुए हैं और पाकिस्तान की फायरिंग भी बंद हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि तुरंत बार्डर पर फैंसिंग लगाई जाए ताकि पाकिस्तानियों की गोलीबारी रुके। *...(व्यवधान)* उसका हमारी फोर्स ठीक से मुकाबला करे ताकि वे दोबारा इस तरह न करें।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक लोक महत्व का सवाल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश में लगभग 50 लाख महिलाओं का एक संगठन आंगनबाड़ी के रूप में पूरे देश में कार्यरत है। उस संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर 6 जुलाई से 8 जुलाई तक जंतर-मंतर, नई दिल्ली में आमरण-अनशन करने के लिए बैठे हैं। उनकी मांगें हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं चाहती हैं कि 35 प्रतिशत नियुक्तियों में उनको अधिकार दिया जाए। *...(व्यवधान)* उनकी जो सम्पत्ति है उसमें 50 प्रतिशत उनको भी सम्मिलित किया जाए। उनकी जो पांच मांगें हैं उनको उन्होंने प्रधानमंत्री जी तथा सभी संबंधित अधिकारियों को समर्पित किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आमरण-अनशन पर बैठी हुई महिलाओं की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुन कर उनका समाधान करने का कार्य किया जाए, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्वर्णरेखा परियोजना है। वहां 20 वर्ष पहले काम शुरू हुआ, वह योजना अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। इस योजना के बनने में सैंकड़ों गांव बर्बाद हो गए, फिर भी योजना तैयार नहीं हुई। उस योजना में प्रभावित विस्थापित परिवारों के जो लोग हैं उनमें कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला और उन लोगों को नौकरी भी नहीं मिली, इस कारण लोग काफी परेशान हैं। उसमें 200-300 करोड़ रुपए लग चुके हैं, मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उस अधूरी परियोजना को आप धन देकर शीघ्र पूरा करवाएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जो कुछ श्री आदित्यनाथ ने कहा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियां की जा रही हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी पूरे देश में किसी न किसी प्रकार से राष्ट्रविरोधी गतिविधियां पाकिस्तान द्वारा लगातार जारी हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि पिछली सरकारों की जो ढुलमुल नीतियां थीं, उनको छोड़कर आज पाकिस्तान को चेतावनी देने की आवश्यकता है, उसको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि पाकिस्तान को उसके घर में ही जाकर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस प्रकार की कार्रवाई की जाए जिससे इस देश में उसको खुफिया एजेंसी की जो गतिविधियां हैं वह तत्काल बंद हों।

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में खनन कार्य बंद होने की वजह से जो 50 हजार मजदूर सड़क पर आ गये हैं। वहां पर विकास का कार्य बाधित है और राजस्व की बहुत बड़ी हानि हो रही है। अवैध खनन कार्य को रोकने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासकीय आदेश है कि 100 मीटर की परिधि के वन-क्षेत्र के बाहर खनन-कार्य किया जाए। लेकिन जनपद मिर्जापुर के जिलाधिकारी के अड़ियल रवैये के कारण सारा खनन कार्य बाधित हो रहा है, पत्थर उद्योग पूरा चौपट हो रहा है और उसके कारण 50 हजार मजदूर सड़क पर आ गये हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार से सारे कागज मंगाकर खनन और पत्थर उद्योग के बारे में सकारात्मक निर्णय ले।

श्री सोहनवीर सिंह (मुजफ्फरनगर): सभापति जी, मैं एक मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज पूरे देश में आधे जिला-कलैक्टर ऐसे हैं कि जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो वे माननीय संसद सदस्यों के सम्मान में खड़े होना भी पसंद नहीं करते। मैं एक मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हरिद्वार में एक ग्राम है नगला-कोयल। नगला कोयल से नार्सन-खुर्द और नार्सन-खुर्द से मंडावली तक सड़क बनने के लिए एक साल से माल पड़ा हुआ था। वह माल चोरी हो गया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सख्त निर्देश के बाद दुबारा माल भेजा गया। दुबारा जब माल की चोरी हो रही थी तो वहां के किसान रात के साढ़े नौ बजे रुड़की के एस.डी.एम. से मिलने गये। लेकिन रुड़की के एस.डी.एम. ने किसानों से मिलने से मना कर दिया। मैंने जब फोन पर कहा कि आप किसानों से क्यों नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि मैं किसानों की बात सुनने के लिए बाध्य नहीं हूं और न ही आपका फोन सुनने के लिए बाध्य हूं। यह स्पष्ट रूप से संसद की मान-हानि का मामला है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को विशेपाधिकार कमेटी को सौंपा जाए।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला): सभापति जी, मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के संबंध में कठघोरा उप-संभाग में एफ.सी.आई. के गोदाम में 34 हजार क्विंटल चावल रखा हुआ था जिसको वहां के कुछ प्राइवेट डीलर्स द्वारा चैंज कर दिया गया। वहां के ट्रांसपोर्टर्स, वहां के इंस्पेक्टर और जो गोदाम इंचार्ज है इन तीनों ने मिल करके इसे वहां की एक मित्तल राइस मिल को सप्लाई कर दिया। मेरा कहना है कि एफ.सी.आई. के गोदामों का खाद्यान्न आम आदमी के वितरण के लिए है। वह खाद्यान्न उन गरीब लोगों तक न पहुंच करके प्राइवेट राइस मिलों को पहुंचेगा तो यह आम आदमी के साथ नाइंसाफी होगी, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए मेरा आग्रह है कि एफ.सी.आई. के कठघोरा गोदाम की जांच होनी चाहिए और मैं भारत सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि इस बात का कड़ाई से पालन होना चाहिए जिससे खाद्यान्न आम लोगों तक पहुंच सके।

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): सभापति महोदय, मैं देश की आस्था से जुड़े ऐसे केन्द्र का जिक्र करना चाहता हूं जहां करोड़ों लोग अगले महीने पूजा करने के लिए जाने वाले हैं। 9 जुलाई से वैद्यनाथ धाम देवघर में मेला प्रारम्भ हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों लोग पूजा करने जायेंगे। वहां यातायात की व्यवस्था की सख्त कमी है। मैं रेल मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वह देवघर से जमशेदपुर, धनबाद और वाराणसी के लिए कम से कम तीन गाड़ियां मुहैय्या कराएं ताकि यात्रियों को सुविधा हो। अगर उनको यातायात के साधन उपलब्ध नहीं कराए गए तो यात्री वहीं रुके रह जायेंगे। इससे अलग तरह की कठिनाई पैदा होगी और उन्हें मुसीबत झेलनी पड़ेगी। रेल मंत्री यहां बैठे हुए हैं। वह इसके बारे में अपनी राय दें और हमारी मांग को पूरा करें।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): सभापति महोदय, इसी माह एक महीने तक चलने वाला मेला प्रारम्भ होगा। पिछले वर्षों में वहां के लिए भी रेलगाड़ियां चलाई गइ थी। मैंने आज सुबह इस संबंध में रेल अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें कहा कि वहां हर सप्ताह सोमवार के दिन सबसे अधिक भीड़ होती है। अत: उस हिसाब से रविवार के दिन चार-पांच केन्द्रों से विशेष रेल गाड़ियां चलाई जाएं। वे गाड़ियां सोमवार की रात या मंगल की सुबह यात्रियों को वापस ले जाएंगी। हर सप्ताह तीन या चार केन्द्रों से निश्चित रूप से गाड़ियां चलेंगी। समस्तीपुर, रांची, धनबाद, पटना और छपरा केन्द्रों से हर सप्ताह गाड़ियां चलेंगी।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): क्यूल से भी गाड़ी चलायी जाए। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: वह गाड़ी क्यूल होकर भी जाएगी। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री कोई नई बात की घोषणा नहीं कर रहे हैं। मेले के लिए पहले से स्पैशल ट्रेन्स चलती हैं। इनसे अनुरोध है कि वह उन गाड़ियों का उद्घाटन करा दें। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: पिछले वर्ष खास तौर पर पटना और छपरा से रेल गाड़ियां चलायी गई थीं। इस वर्ष इसके अतिरिक्त

समस्तीपुर, धनबाद और रांची को कवर करती हुई गाड़ियां चलायी जाएंगी। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़): हमने वहां एक विशेषज्ञ दल भेजने के लिए कहा था क्योंकि सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। हमने सरकार से एक चिकित्सा विशेषज्ञ दल भेजने का अनुरोध किया था क्योंकि 400 से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं। पूर्व सरकारों ने पहले भी ऐसे दल भेजे थे। मंत्री जी कृपया इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें क्योंकि सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है।

श्री भुवनेश्वर कालिता: क्या मंत्री जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया समझने का प्रयास करें।

श्री भुवनेश्वर कालिता: महोदय, मैं मंत्री जी से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अनुरोध करता हूँ।

श्री पवन सिंह घाटोवार: महोदय, वे कम से कम एक विशेषज्ञ दल तो भेज ही सकते हैं।

सभापति महोदय: मंत्री जी, क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): सभापति महोदय, हमने इस संबंध में दी गई जानकारी को नोट कर लिया है। हम इस संबंध में रिपोर्ट मांगेंगे और उनकी जांच करेंगे। जो कुछ भी संभव होगा, हम निश्चित रूप से आवश्यक कदम उठायेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री पवन सिंह घाटोवार: डाक्टरों का एक दल भेजा जाना चाहिए।

सभापति महोदय: मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि जो कुछ संभव होगा, वे करेंगे।

श्री दलित एजिलमलाई: जी हां, यह किया जाएगा।

श्री भुवनेश्वर कालिता: वहां आंत्रशोथ की बीमारी फैली हुई है। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री जी इस बात पर सहमत हो गये हैं कि जो कुछ भी संभव होगा, किया जाएगा।

श्री भुवनेश्वर कालिता: आप माननीय मंत्री जी से मेरे अनुरोध पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कह सकते हैं।

सभापति महोदय: मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का निर्देश कैसे दे सकता हूं। माननीय मंत्री पहले ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, राजस्थान की 1991 की जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराई जा रही राशन की चीनी वितरण में भेदभाव है। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति 420 ग्राम से घटाकर 400 ग्राम मिलती है जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रति व्यक्ति एक किलो दी जा रही है....

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के गांवों में नहीं, यह शहरों में प्रति व्यक्ति एक किलो दी जा रही है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। राजस्थान में गांव हो या शहर हो, वहां तो प्रति व्यक्ति 400 ग्राम चीनी दी जा रही है। यह अंतर बहुत बड़ा है। इस अंतर को दूर किया जाना चाहिये। आठ साल पहले जो जनसंख्या आंकी गई थी, उसको इस वर्ष की जनसंख्या का आधार मानकर चीनी दी जाये। चूंकि चीनी उत्तर प्रदेश और गुजरात से आती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज भी लगता है। मेरा निवेदन है कि किसी नजदीक राज्य से चीनी ली जाये।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी कार्य को कलकत्ता से मुम्बई में स्थानांतरित करने का निर्णय किया है। यह कार्यालय कलकत्ता में बहुत ही

कार्यकुशलता से कई दशकों से कार्यरत हैं और उनके पास संचार की सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। विदेशी मुद्रा केन्द्र को कलकत्ता से मुम्बई स्थानान्तरित करने में कुछ लोगों और कुछ अधिकारियों का षडयंत्र है। आप जानते हैं कि 40% विदेशी मुद्रा कार्य कलकत्ता कार्यालय से हो रहा है। यदि इस कार्यालय का स्थानान्तरण किया जाता है तो बहुत से बैंकों को भी, जिनके मुख्यालय कलकत्ता में हैं, का स्थानान्तरण करना होगा। इससे पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस निर्णय के कारण एक नया वातावरण उत्पन्न हो गया है। पूर्वी क्षेत्रों में नये निवेश होने जा रहे हैं। यदि इस विनिमय केन्द्र का कलकत्ता से मुम्बई में स्थानान्तरण किया जाता है तो इससे पूर्वी क्षेत्रों को भारी क्षति पहुंचेगी। अत: इसका स्थानान्तरण करना एक षडयंत्र है। प्रधान मंत्री जी ने हमारे मुख्य मंत्री को यह आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा। इसके बावजूद भी यह प्रतीत होता है कि भारतीय स्टेट बैंक को अभी तक ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

अत: मेरी यह मांग है कि सरकार को इस कार्यालय को कलकत्ता से मुम्बई स्थानान्तरित करने से रोकना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): सभापति महोदय, हमारा नम्बर नहीं आया।

सभापति महोदय: इस समय मेरे पास 46 आदमियों की लिस्ट है। आपने नोटिस दिया होगा तो इसमें नाम होगा। मुझे तो अध्यक्ष जी ने जो लिस्ट दी है, उसके मुताबिक बुला रहा हूं। यदि आपका नाम है तो आपको जरूर चांस मिलेगा। आप बैठिए। मैं भी बैठा हुआ हूं। इतनी जल्दी क्या है?

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ (तामलुक): मैं माननीय परिवहन मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय हल्दिया और कलकत्ता बंदरगाहों के नौसंचालन चैनल ड्रेजिंग हेतु राजसहायता देने की एक योजना है। अब यह पता चला है कि ड्रेजिंग हेतु कुल देय राजसहायता लगभग 342 करोड़ रुपये है। इसमें से जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केवल 148 करोड़ रुपये दिये गये हैं। अत: चालू वर्ष के दौरान कलकत्ता पत्तन न्यास को नौसंचालन की चैनल की ड्रेजिंग हेतु 194 करोड़ रुपये की शेष धनराशि अभी दी जानी है। यह राजसहायता शीघ्र दी जानी चाहिए। यह अति आवश्यक है क्योंकि इस धनराशि के बिना ड्रेजिंग कार्य पूर्ण नहीं होगा और जहाज हल्दिया और कलकत्ता बन्दरगाह में प्रवेश नहीं कर पायेंगे। अत: मैं माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री से उपर्युक्त धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई): संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अंतर्गत दिए गए उपबन्धों के अनुसार उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इन उपबन्धों के अनुपालन में गुजरात, बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश इत्यादि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन उपबन्धों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा बंगाली का इस्तेमाल करने हेतु उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगे।

उच्चतम न्यायालय ने इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने के आधार पर अस्वीकार कर दिया है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में बंगला भाषा के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करें।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने सभा को बार-बार यह आश्वासन दिया है कि भारत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के वर्तमान स्वरूप पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। लेकिन खलबली पैदा करने वाले समाचारों से यह लग रहा है कि बातचीत चल रही है और हमने यह संकेत दे दिया है कि हम सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने हेतु तैयार हैं। आप जानते हैं कि इस मुद्दे पर पहले से ही राष्ट्रीय सहमति है। सारा देश सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई संधि वार्ता चल रही है तथा क्या हम इस व्यापक परीक्षण अप्रसार संधि के इस वर्तमान स्वरूप पर हस्ताक्षर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और इस सभा के समक्ष वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलीया (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर सिचुेशन पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुम्बई और दूसरे शहरों में एक आतंक मचा हुआ है और सैकड़ों जानें जा रही हैं। औरंगाबाद में एक जैन मुनि संपत मुनि की हत्या हुई और वह भी मंदिर के अंदर हुई। वे जैन समाज के राष्ट्रीय मुनि थे और उनकी हत्या के बाद कई शहरों में बंद रहा। जिन लोगों ने उनका ब्रुटल मर्डर किया है, उनका पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने सी.आई.डी. को जांच करने के लिए कहा है। इसके बावजूद भी हत्यारों का पता नहीं लग सका और आपको पता है कि जैन संत जब भी विहार

[श्री नरेश पुगलीया]

करते हैं, पैदल चलते हैं तो दो जोड़ी कपड़ों के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं होता है और वे मांगकर खाना खाते हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में जिन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, वहां हत्याओं पर हत्याएं होती जा रही हैं, उस संबंध में मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननाय प्रधान मंत्री जी इस पर ध्यान दें और सी.बी.आई. को इस हत्या का मामला सौंप दिया जाए। इसके साथ ही साथ यहां से सांसदों की ऑल पार्टी टीम महाराष्ट्र में भेजकर जैन संत की हत्या ही नहीं, बाकी हत्याओं की जांच भी पार्लियामेंटरी टीम भेजकर कराई जाए। वेस्ट बंगाल और बिहार तथा बाकी राज्यों में भेज रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी पार्लियामेंट की एक टीम भेजी जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा से पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। हजारों पशुओं और मकानों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र के सीमान्त क्षेत्र में भारी वर्षा से सड़कें टूट गई हैं जिसके कारण वहां पर राशन पहुंचाने की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने विनम्र अनुरोध है कि मृतकों के आश्रितों को तत्काल मुआवजा दिया जाए और तत्काल राहत का कार्य शुरू किया जाए ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। प्रमुख रूप से डिडीहाट का जमतड़, धारचूला का बुंगबुंग और कपकोट के फरसाली क्षेत्र में बहुत हानि हुई है।

[अनुवाद]

श्री कोनेजेटी रोसैया (नरसारावपेट): महोदय, समाचार-पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश के कूच बिहार के पास लगभग 130 क्षेत्र जो एनक्लेवों (विदेशी अन्त:क्षेत्र) के नाम से जाने जाते हैं, में दो लाख से अधिक भारतीय फंसे पड़े हैं। वे पिछले पाँच दशकों से वहाँ रह रहे हैं और वे अब भारत में वापस आना चाहते हैं। इस संबंध में, इन लोगों के कुछ नेता पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से मिले और उनसे सहायता करने का अनुरोध किया। ऐसा कहा जाता है कि वापस जाते समय उनको धमकी दी गई थी। वे कहते हैं कि वे गम्भीर धमकियों और प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे हैं।

इसलिए, भारत सरकार से मेरा अनरोध है कि बांग्लादेश में हमारे भारतीय राजदूत से इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी जाये और राजनयिक स्तर पर मामले को उठाया जाये।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): सभापति जी, उत्तर प्रदेश का 40 लाख की जनसंख्या वाला कानपुर महानगर पेयजल की समस्या से ग्रस्त रहता था। 20 जनवरी, 1994 को केन्द्र सरकार ने गंगा नदी पर बाँध बनाने की प्रशासनिक अनुमति दी थी, जिसमें 233 करोड़ रुपये खर्च होने थे, इसका आधा केन्द्र सरकार और आधा उत्तर प्रदेश सरकार को जुटाना था। केन्द्र सरकार ने पहले चार करोड़ दिये, लेकिन वर्तमान में प्रान्तीय सरकार के द्वारा 35 करोड़ 24 लाख रुपये इस पर खर्च हो गये हैं। मैं वहाँ और भी प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले छ: महीने से केन्द्र सरकार के द्वारा पैसा न भेजे जाने के कारण वहाँ काम बंद है, ठेकेदार वहाँ से भाग रहे हैं, कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है। इस विषय में हमारे मुख्य मंत्री जी और प्रमुख सचिव ने अनेक बार केन्द्र सरकार से आग्रह किया है। आज मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि कानपुर की इस महती योजना को पूर्ण करने के लिए केन्द्र सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करे और जो पैसा निकलता है वह एकमुश्त उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दे।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): महोदय, असम सरकार द्वारा लगातार पंचायत और जिला परिषद चुनावों से इंकार किये जाने के कारण असम में गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। यह दुख की बात है कि सरकार ने लोगों को कैसे धोखा दिया है। पहला, सभी विद्यमान पंचायतें भंग कर दी। जब एक बार पंचायतें भंग कर दी गयी तो कहा गया कि खण्ड विकास अधिकारी सारा कार्यभार ले ले। अब एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है जिसके दौरान सरकार के आदेश पर विकास निधि को पक्षपातपूर्ण ढंग से व्यय किया गया। यह न केवल अधिनियम की भावना और उद्देश्य के विपरीत है बल्कि इस अधिनियम जिसके अनुसार पंचायतों के भंग हो जाने के छह महीनों के भीतर चुनाव अवश्य कराये जाये, के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। चूंकि अधिनियम 1994 के अधीन असम में अब तक पंचायत चुनाव नहीं कराये गये हैं, इसलिए अधिनियम के अधीन उपलब्ध विकास निधि को असम के लोगों को देने से मना कर दिया गया है। इस प्रकार अधिनियम के मूल उद्देश्य को नकार दिया गया है जिसके अनुसार लोगों को सत्ता हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से जिला परिषद को 30 विभाग हस्तान्तरित किये जायेंगे।

सभापति महोदय: आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री विजय हान्दिक: असम सरकार की इस असफलता ने संवैधानिक तंत्र को अवरुद्ध कर दिया है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले पर असम सरकार के साथ गम्भीरतापूर्वक बातचीत करे ताकि शीघ्रताशीघ्र चुनाव हों।

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोडा): महोदय, मैं केरल के सैनिकों की कारुणिक दशाओं की ओर भारत सरकार और रक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)* उन्होंने अपनी एसोसियेशन बना ली है। उन्होंने पिछली सरकार को अपना अभ्यावेदन दिया था। लेकिन किसी भी सरकार ने उन्हें कोई न्याय नहीं दिया। अन्तत: वे केरल उच्च न्यायालय में गये। उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि तीन महीने के अंदर मामले का निपटारा कर लें। वे पुन: यहाँ आये और हमारे रक्षा मंत्री से मिले। लेकिन रक्षा मंत्री और भारत सरकार मामले को हल करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए माननीय रक्षा मंत्री और भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे मामले को तत्काल निपटा दें।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, चूँकि यह महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस पर अपना ध्यान दें।

आन्ध्र प्रदेश में किसानों को नकली कीटनाशक दवाइयों और बीजों की आपूर्ति के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने बाजार में नकली दवाइयों और बीजों के प्रचलन पर ध्यान दिया है इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय कीटनाशक और बीज अधिनियम 1988 में संशोधन किये जाने की सिफारिश की है। पूरा समूचा अधिनियम निर्माताओं और व्यापारियों हेतु सहायक है लेकिन कृषक समुदाय के लिए नहीं। अब आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में किसानों की आत्महत्याओं के कारण इस सत्र में ही प्रत्येक व्यक्ति ने अधिनियम में तत्काल संशोधन की आवश्यकता महसूस की है। चूँकि खरीफ मौसम आरम्भ हो चुका है, इसलिए इस अधिनियम में संशोधन किये बिना नकली कीटनाशक दवाइयों और बीजों के निर्माताओं और व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

इसलिए, मैं, आपके माध्यम से, अपने माननीय मंत्री श्री राम नाईक का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री कृषि मंत्री भी हैं। इस कार्य हेतु धन की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इन संशोधनों को पारित करना चाहता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया है। कल आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री माननीय प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री से मिले। वह तीन वर्षों से बार-बार अनुरोध करते रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। यह बहुत गम्भीर मुद्दा है। इसलिए सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि केन्द्रीय कीटनाशक और बीज अधिनियम 1968 में शीघ्रातिशीघ्र संशोधन किया जाये।

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ): सभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि हाल ही में आये चक्रवाती तूफान में लगभग 3000 से लेकर 4000 लोगों की जानें गयी हैं। इसके अतिरिक्त कच्छ जिले के मुन्द्रानंजा ताल्लुक के किसानों के आम और खारेफ फल वाले वृक्षों सहित फलदार वृक्ष नष्ट हो गये हैं जिनका मूल्य 10 लाख से 15 लाख तक है। खारेफ वृक्ष केवल कच्छ में उगते हैं। इस तूफान के कारण, लगभग तीन लाख खारेफ वृक्ष नष्ट हो गये हैं। इसके अतिरिक्त इस चक्रवाती तूफान के कारण आम, चीकू, नारियल और अन्य वृक्ष नष्ट हो गये हैं।

इसलिए, केन्द्र सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि दीर्घकालीन नीति बनायी जाये, नाबार्ड द्वारा दीर्घकालीन ऋण सहायता दी जाये और उनको अपने पेड़ उगाने के लिए उर्वरक, पौधों की सहायता दी जाये।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): सभापति महोदय, हरियाणा राज्य में, वेतनमानों की समानता की मांग करते हुए पिछले एक महीने से लगभग 2,500 नर्सें और नर्स प्रशिक्षु हड़ताल पर हैं। सत्ताधारी एच.बी.पी.-बी.जे.पी. सरकार ने इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

महोदय, हरियाणा राज्य में नर्सों के वेतनमान देश में सबसे कम हैं जबकि उनके प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों में वेतमान या तो पांचवें वेतन आयोग के अनुसार हैं अथवा नर्सों के संगठनों और संबंधित राज्य सरकारों के बीच हुए करार के अनुसार हैं।

यह शर्मनाक बात है कि हरियाणा सरकार ने हड़ताली सरकारी नर्सों और नर्स प्रशिक्षुओं पर एस्मा लागू कर दिया है जबकि वे अत्यन्त प्रजातांत्रिक ढंग से अपने सही अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से यह अपील करता हूँ वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और सप्रयत्न हड़ताल समाप्त करवाने के लिए हरियाणा सरकार से बात करे और हड़ताली नर्सों और नर्स प्रशिक्षुओं की मांगों को पूरा करे।

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया): सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में रह रहे बंगला भाषी लोग कलकत्ता या आसनसोल से प्रसारित किये जाने वाले दूरदर्शन कार्यक्रम को नहीं देख सकते हैं। सरकार ने बागमुंद में एक बी.एल.पी.टी. लगाने का निर्णय किया है। लेकिन इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि पुरुलिया जिले के बागमुंद में कम शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर संस्थापित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बिहार में पड़े पैमाने पर लोग शीशम की खेती करते हैं। वहां सरकारी और प्राइवेट जमीन में शीशम के पेड़ बहुतायत में लगे हुए हैं। किसान भी अपने खेतों में शीशम के पेड़ बड़े पैमाने पर लगाते हैं। कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर शीशम का पेड़ बिहार में सूख रहा है। अभी तक के अनुमान के अनुसार बिहार में 1,00,000 शीशम के पेड़ सूख कर बर्बाद हो गए हैं जिनकी कीमत एक करोड़ रुपए बैठती है। इससे किसानों में बड़ी हताशा और निराशा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार के वन और पर्यावरण विशेषज्ञ और आई.सी.ए.आर. के विशेषज्ञों की एक टीम बिहार भेजकर वहां बड़े पैमाने पर सूखा रोग से ग्रस्त शीशम के पेड़ों की रक्षा करने के लिए उपाय करने का काम करे।

कहा गया है कि जल जमाव के चलते सूखा रोग फैल गया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यदि उसका कारण जल जमाव है तो जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए। राज्य सरकार की जो योजनाएं केन्द्र सरकार में लंबित हैं, केन्द्र सरकार उसे लागू करना नहीं चाह रही है. इसलिए जनहित को देखते हुए जल निकासी के लंबित मामले को भी क्लीयर करके राज्य सरकार को मदद पहुंचाएं।

जनसत्ता, जो हिन्दुस्तान का मशहूर अखबार है, उसने भी मोटे अक्षरों में छापा है। ...*(व्यवधान)* देहरादून में जंगल विभाग का रिसर्च इन्स्टीट्यूट है, पर्यावरणविद, आई.सी.ए.आर. के विशेषज्ञों को भेजकर सूखा रोग का पता लगाया जाए और बड़े पैमाने पर जो शीशम के पेड़ सूख रहे हैं, उन्हें रोकने का प्रबंध किया जाए। प्राकृतिक आपदा आने के समय सरकार के पास जो प्रावधान है, जिन लोगों के पेड़ बर्बाद हुए हैं, उनको मुआवजा देने का प्रबंध किया जाए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उरई कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 25 पर स्थित उरई से कानपुर की ओर छटवें या सातवें कि.मी. पर स्थित चमारी नाला पर बने पुल की समयावधि 15 साल पूर्व समाप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण, कानपुर औद्योगिक राजधानी होने के कारण मालवाहक वाहनों की आवाजाही एवं यात्रियों के आवागमन का सीधा साधन मात्र उसी रोड से है। पुल किसी भी समय टूट सकता है जिससे कभी भी कोई गंभीर हादसा घट सकता है। गत वर्षों में विभागीय अधिकारियों द्वारा पुल के बगल में एक पुल का निर्माण कराया गया था जो इतना घटिया स्तर का है जिस पर 25 क्विंटल का वजन लेकर ट्रैक्टर ट्राली नहीं निकल सकती।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जो घटिया किस्म का पुल बनाया गया है, उसकी जांच कराई जाए तथा वहां नए पुल का तुरंत निर्माण कराया जाए।

[अनुवाद]

***श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या** (तुमकुर): सभापति महोदय, डाक और तार कर्मचारी पूरे देश में आंदोलनरत हैं। उनकी मांग यह है कि उनकी नौकरियों को स्थायी किया जाये। इस संबंध में कुछ समय पूर्व तिवारी समिति नाम से एक समिति का गठन किया गया था। वास्तव में, इस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। यही कारण है कि डाक और तार कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं।

अत:, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर तत्काल विचार कर इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाये। मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार तिवारी समिति की सिफारिशों को बिना किसी देरी के लागू करेगी।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: माननीय सभापति जी, मेरे क्षेत्र देहरादून में ऑयल एंड नैचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय है। समय-समय पर यह चर्चा चलती रहती है कि वह मुख्यालय वहां से हटाया जा रहा है। इसकी दो वजह हैं— एक तो वहां पर ओ.एन.जी.सी. बिना किसी योजना के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कम करती रहती है। दूसरा, ओ.एन.जी.सी. का एक कैम्प कार्यालय नई दिल्ली में खोला गया है। मैंने दसवीं लोक सभा में यह प्रश्न उठाया था और मुझे आश्वासन दिया गया

---

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

था कि देहरादून से ओ.एन.जी.सी. का मुख्यालय नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अभी फिर यह चर्चा शुरू हो गई है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है—(1) स्पष्ट घोषणा करें कि देहरादून से ओ.एन.जी.सी. का मुख्यालय नहीं हटाया जाएगा। (2) ओ.एन.जी.सी. के मुख्यालय का कैम्प कार्यालय देहरादून में है, वह बिना वजह आर्थिक बोझ है, उसे वहां से हटाया जाए ताकि उनके चेयरमैन और दूसरे अधिकारी जो देहरादून में न बैठकर दिल्ली में बैठे रहते हैं, वहां से हट सकें। (3) देहरादून में जो अधिकारी, कर्मचारी हटाए गए हैं, इस योजना के तहत वहां पर संख्या कम करके बाद में ओ.एन.जी.सी. मुख्यालय को वहां से शिफ्ट किया जाये और उन अधिकारी, कर्मचारियों को दुबारा वहां भेजा जाए।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.00 बजे

कुमारी ममता बनर्जी: सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सी.पी.आई.(एम.) के एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि कानून और व्यवस्था कायम रखना राज्य का विषय है। मैं इसकी सराहना करती हूं लेकिन इसके साथ ही कानून और व्यवस्था का उल्लंघन रोकना भी राज्य सरकार का ही उत्तरदायित्व है। कानून और व्यवस्था के उल्लंघन का संविधान से संबंध नहीं है। मैं नहीं जानती कि उन्होंने अपना संविधान रूस और चीन से बनवाया है ताकि जब तक वे सत्ता में बने रहें, तब तक राज्य में सभी विपक्षी दलों की उपेक्षा कर सकें।

अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है:

> 'बाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना संघ सरकार का कर्त्तव्य होगा...'

केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसरण में एक दल पश्चिम बंगाल भेजा था और हमने केन्द्र सरकार को कुछ भी करने को नहीं कहा था। *...(व्यवधान)*

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

कुमारी ममता बनर्जी: शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।...*(व्यवधान)*

श्री समर चौधरी: यह शून्यकाल के दौरान उठाया जाने वाला मामला नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने उन्हें अनुमति दी है। मुझे सभा की कार्यवाही चलानी है, आपको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में आन्तरिक अथवा बाह्य किसी किस्म की गड़बड़ी पैदा हो जाती है, तो स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा जा सकता है। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पंचायत चुनावों से पूर्व और बाद में 110 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 70 लोग हमारे दल के थे। लगभग 30 लोग अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य थे; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों लोग भी मारे गये हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है और उनकी निर्मम हत्या की गई है। आर.एस.जी. के चार लोगों की निर्मम हत्या की गई है; फारवर्ड ब्लाक के चार, एस.यू.सी.आई. का एक, सी.पी.आई. का एक और भारतीय जनता पार्टी के चौदह व्यक्ति मारे गए हैं। सी.पी.आई. (एम.) के भी कुछ सदस्यों के मारे जाने की संभावना है।

उन्होंने इस बात की जांच करने के लिए एक दल का गठन किया था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब क्यों है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। मेरा मुद्दा यह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू किया जाए। जब राज्य सरकार ने स्वयं यह माना है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब थी—उन्होंने अलग से जांच करवाने के लिए एक दल का गठन किया था—तो क्या लोगों को, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को, संरक्षण देने का केन्द्र का कर्तव्य नहीं बनता?

पश्चिम बंगाल में हम विपक्ष में हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि वे इस तरह से हत्याएं करते रहें और हमारी आवाज न सुनें? मेरे विचार में केन्द्र का दल भेजने का निर्णय संवैधानिक, न्यायोचित और सही था। मैं चाहती हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले की जांच कराये। अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की निर्मम हत्या की जा रही है; महिलाओं के साथ बलात्कार किये जा रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है। केन्द्र सरकार को मामले की जांच अवश्य करानी चाहिए। हम सी.बी.आई. द्वारा जांच कराना चाहते हैं। सरकार को प्रभावित परिवारों के सदस्यों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि गरीब लोगों की सहायता की जाये। मैं केन्द्र सरकार से सहायता की मांग करती हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी: मैं सी.पी.आई.(एम.) से भी सहायता मांग रही हूं। मैं किसी एक दल विशेष से सहायता नहीं मांग रही हूं। *महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को मिलाकर एक सौ* दस लोगों की निर्मम हत्या की गयी है। अत: मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय गृह मंत्री से यह अपील करती हूं कि पीड़ित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। इस सभा को हम जैसे सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए जो राज्य में विपक्षी दलों से संबद्ध हैं। वहां हमें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है।

पश्चिम बंगाल में आई.एस.आई. की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। वहां पर मुझे मारने के लिए भी एक दल भेजा गया है। बांग्लादेश से भी कुछ न कुछ होता रहता है। माननीय गृह मंत्री को यह रिपोर्ट मिल चुकी है। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रही हूं। मेरी हत्या होने दीजिए। मैं तो गरीब लोगों की बात कर रही हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सरकार से क्या चाहती हैं? आप स्पष्ट कहिए।

कुमारी ममता बनर्जी: हम सी.बी.आई. से जांच कराना चाहते हैं। वहां पर आर्थिक दिवाला निकल रहा है। आप पिछला रिकार्ड देखिए। वहां वैयक्तिक खाता षडयन्त्र से लेकर अनेक अन्य षडयन्त्र हुए हैं। राज्य में आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति है।

आम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। क्या लोगों को सुरक्षा देना राज्य सरकार का कर्त्तव्य नहीं है? कल समता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि समता पार्टी ने एक पत्र दिया है जिसमें यह कहा गया है कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। यह सब क्या हो रहा है? केन्द्र सरकार तो मां-बाप अथवा मां के समान होती है और राज्य सरकारें इसके बच्चों के समान होती हैं। केन्द्र सरकार को एक छाते की तरह लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस राजनैतिक दल से संबंध रखना है। हम तो लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि केन्द्र सरकार लोगों को न्याय प्रदान करे।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की गंभीरता को समझ रहा हूं। मैं उनकी भावनाओं को निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री तक संप्रेषित कर दूंगा।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र सिंह** (मिर्जापुर): सभापति महोदय, मैं इस सदन* का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरे नम्बर का विश्वविद्यालय है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया था और उन्होंने इसको लेकर एक सपना संजोया था। लेकिन वहां जो घटनाएं हो रही हैं, वे बहुत गम्भीर हैं और उनका शिक्षा के बारे में संजोया गया सपना भी टूट रहा है। अभी कुछ दिन पहले वहां के एक मेधावी छात्र मनीष राय की हत्या हो गई, जिसे आत्महत्या के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय चूंकि केन्द्र सरकार के माध्यम से चलने वाला विश्वविद्यालय है इसलिए वहां की शासन व्यवस्था का सारा दारोमदार केन्द्र सरकार पर रहता है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पहले भी दो छात्रों की हत्या हो चुकी है, जिसकी जांच सी.आई.डी. से कराई गई थी। उसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी गई है और प्रदेश सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है। इस प्रकार की घटनाओं से उत्तर भारत के छात्र आंदोलित हैं, किसान भी आंदोलित हैं, क्योंकि उनको चिंता है कि हमारे बेटे वहां पढ़ने जाएंगे तो उनका भविष्य अनिश्चय में होगा। किसान का लड़का अपने मां-बाप को यह विश्वास नहीं दिला पाता कि वह पढ़ने के लिए जाएगा तो जीवित भी लौटेगा या नहीं।

सभापति महोदय: क्या करना है, यह बताएं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: वही बता रहा हूं। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मनीष राय हत्याकांड की जांच सी.बी.आई. से कराई जाए और जितनी भी गम्भीर घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाएं। वरना काशी हिन्दू विश्वविद्यालय आंदोलित हो जाएगा, वहां के छात्र आंदोलित हो जाएंगे, तो हो सकता है पूरे देश में एक बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हो जाए, जो विकास में बाधक होगा। इससे छात्रों को दूसरी दिशा में जाने की ओर विवश किया जाएगा। इसलिए मनीष राय की हत्या की जांच सी.बी.आई. से कराई जाए, जिससे निष्पक्षता का संदेश छात्रों में जाए।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): एक सेंट्रल टीम उत्तर प्रदेश में भेजी जाए, जो वहां की लॉ एंड आर्डर व्यवस्था का अध्ययन करे और उसकी जांच करे।

अपराह्न 02.09 बजे

[प्रो. रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री और राम नाईक जी रेल राज्य मंत्री बने थे तो हमें बहुत उम्मीदें थी कि रेलवे के हालात दुरुस्त होंगे। लेकिन हालत यह है कि व्यवस्था और खराब हो रही है। इनके अधिकारी लोग यात्रियों को भोजन के साथ छिपकली खिला रहे हैं।

18 जून के अखबार में खबर आई है कि लगभग 80 लोग छिपकली डिश खाकर अस्पताल गए। बड़े अफसोस की बात है कि आपके मंत्रालय के पदाधिकारियों ने पुलिस को मना किया कि इसका केस न बनाया जाए। आज इत्तिफाक से दोनों मंत्री सदन में मौजूद हैं, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि इस संबंध में वे क्या कर रहे हैं? इस तरह की घटनायें हिन्दुस्तान में कई जगहों पर हो रही हैं। क्या मंत्री महोदय सदन को कांफिडेंस में लेकर कहना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की घटनायें नहीं होंगी और छिपकली से लोगों को दूर रखा जाएगा। जिन लोगों की गलती की वजह से 80 लोग अस्पताल पहुंचे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही होगी? ...*(व्यवधान)* लोगों को क्यों छिपकली खिलाई जा रही है, इस बारे में मंत्री जी कुछ कहिए।

सभापति महोदया: आप बैठिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदया, यह बहुत गम्भीर मामला है।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर खींचना चाहता हूं।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को जो स्कालरशिप दी जाती है, वह इतनी कम है कि जिस उद्देश्य को लेकर वह स्कालरशिप दी जाती है, वह उद्देश्य आज की बढ़ती हुई मांग में सफल नहीं होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी ठीक तरह से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सभी विद्यार्थियों को बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए स्कालरशिप की राशि में बढ़ोत्तरी की जाए। साथ ही स्कालरशिप की जो रकम दी जाती है, वह महंगाई के साथ जोड़ी जाए, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को तरक्की करने का मौका मिले और पढ़ाई कर सकें।

इसके साथ ही मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को स्कालरशिप दी जाती है, उसी तरह ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों को भी स्कालरशिप दी जाए, ताकि ओ.बी.सी. के विद्यार्थी भी तरक्की कर सकें। यही मेरी सरकार से मांग है।

श्री अजीत जोगी: महोदय, हम इस मांग का समर्थन करते हैं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: महोदय, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर टेलीफोन कनैक्शन देने के लिए लोगों की एप्लीकेशन छः-छः, सात-सात सालों से पड़ी हुई हैं। हर बार गुजरात को जो टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंट देने चाहिए, वे पूरी मात्रा में न होने के कारण यह स्थिति है। खासतौर से भावनगर और अहमदाबाद जिले में प्रत्येक गांवों में 50-50, 100-100 लोगों की एप्लीकेशन्स वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई हैं। इनके द्वारा दी गई राशि पर ब्याज भी नहीं दिया जाता है। परिणामस्वरूप गांव के लोग आज गुस्से में देखने को मिलते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि टेलीफोन एक्सचेंज इन्स्ट्रूमेंट जो राज्यों को दिया जाता है, वह गुजरात राज्य को भी दिया जाए और साथ ही भावनगर और अहमदाबाद जिला जो टेलीफोन से वंचित रहा है, उस ओर ध्यान दिया जाए। शहरों में तो अधिक टेलीफोन्स दिए जाते हैं, लेकिन गांवों की उपेक्षा होती आई है। इसलिए मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि गांवों में अधिक से अधिक टेलीफोन दिए जाएं और जो वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है, उसको खत्म किया जाए और डिपाजिट राशि पर ब्याज दिया जाए, जिससे लोग संतुष्ट हों।

[अनुवाद]

श्री माधव राजवंशी (मंगलदाई): महोदया, मैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंगलदाई, असम के संबंध में एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। मैं असम की महिलाओं हेतु संरक्षण और सुरक्षा चाहता हूं।

16 जून को श्रीमती लीलावती बैशा पत्नी श्री धरणि बैशा, जो एक अध्यापक है, के साथ सैन्य कर्मियों तथा दस अन्य लोगों ने बलात्कार किया। श्रीमती बैशा अली भी जिला मुख्यालय अस्पताल में है।

12 जून को थल सेना कार्मिकों के एक समूह ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिला दोरंग के गोपालपुर गांव में श्री तिलेशर डेका की पत्नी श्रीमती पूर्णिमा डेका के साथ भी बलात्कार किया था। वह अभी भी दोरंग जिला मुख्यालय के अस्पताल में भर्ती है।

[श्री माधव राजवंशी]

लगभग 28 वर्षीय, मिडिल स्कूल अध्यापक, श्री पोदुम कुमार नाथ नामक एक युवक को दुनी स्थित सेना शिविर में लाया गया था।

सभापति महोदय: इन मामलों को राज्य विधान सभा में उठाया जाना होता है।

श्री माधव राजवंशी: महोदया, इसमें थल सेना कार्मिक संलिप्त हैं।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): ये मामले महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित हैं। यह राज्य का मामला नहीं है। आप एक चैम्पियन हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं जानती हूं कि आप उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री माधव राजवंशी: पोदुम कुमार नाथ नामक युवक को 4 जून को दोरंग जिले के दुनी स्थित सेना शिविर में लाया गया था। वह सेना शिविर से गायब है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सेना शिविर को निदेश दिया था कि श्री नाथ को निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को सौंपा जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। असम सरकार भी अपना कर्त्तव्य निभाने में विफल रही है।

मैं, आपके माध्यम से, यह चाहता हूं कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। श्री पोदुम कुमार नाथ को भी व्यक्तिगत रूप से उसके माता-पिता को सौंपा जाए।

मैं चाहता हूं कि महिलाओं पर अत्याचार बंद किये जायें। असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। असम की जनता में शांति और सौहार्द की भावना समाप्त हो चुकी है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदया, उड़ीसा राज्य में बालासोर के निकट इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा स्थापित किए गए बाटलिंग प्लांट के संबंध में एक मामला है। दो दिन पहले बाटलिंग प्लांट के अधिकारियों की लापरवाही के कारण, एक गैस टेंकर को खाली करते समय उसमें रिसाब होना शुरू हो गया। इसके कारण निकटवर्ती क्षेत्र में दहशत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वस्तुत: उस क्षेत्र के लोग अपने गांवों से भाग गए। जब उन्होंने यह देखा कि यह एक आसन्न संकट है, तो वे वहां से भाग गए। बड़ी मुश्किल से इस स्थिति पर काबू पाया गया था।

मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाए। इस संबंध में आवश्यक निवारक उपाय भी किए जाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न न हो।

सभापति महोदय: 'शून्य काल' समाप्त होता है। अब नियम 377 के अधीन मामले।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: बस इतना ही काफी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आज बहुत जीरो ऑवर हुआ है और अब सारे नाम खत्म हो गए हैं। मैंने सभी माननीय सदस्यों का नाम ले लिया है। रामदास जी, आप तो हमेशा बोलते हैं, आज आप बैठ जाइए, आपको अगली बार बोलने का मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

बहुत हो चुका। अब नियम 377 के अधीन मामले। श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र। यह तो कभी भी समाप्त न होने वाली बात है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: रामदासजी, आपने मेरे साथ हमेशा कोऑपरेट किया है, मैं आपको आगे बोलने का मौका दूंगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया मुझे सहयोग दीजिए।

अपराह्न 02.19 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में चीनी मिल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर): यद्यपि सरकार देश में उद्योगों की स्थापना में वृद्धि करने की दृष्टि से अनेक रियायतें दे

रही हैं, यहां तक कि अनेक उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना भी आवश्यक नहीं रह गया है किंतु पता नहीं किन कारणों से सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त नहीं रखा है, जबकि चीनी उद्योग के स्थापित होने से खेतिहर मजदूर, किसानों को लाभ पहुंचता है। यह भी देखने में आता है कि यदि किसी स्थान पर चीनी उद्योग का लाइसेंस दिया गया है तो वहां पर तुरंत उद्योग स्थापित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में बेहटा और रेउसा के बीच चीनी उद्योग लगाने के लिए 1992 में लाइसेंस जारी किया गया था किंतु आज तक उक्त स्थान पर चीनी उद्योग की स्थापना नहीं हो सकी है। फलस्वरूप वहां के किसानों को काफी क्षति उठानी पड़ रही है और आजीविका का अन्य साधन न होने के कारण वहां के किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं।

अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि किसानों के हित को देखते हुए चीनी उद्योग पर से भी लाइसेंस हटाने तथा सीतापुर जनपद के उक्त स्थान पर अविलम्ब चीनी उद्योग स्थापित कराने हेतु आवश्यक निर्देश संबंधित विभाग को देने का कष्ट करें ताकि उक्त स्थान पर चीनी उद्योग स्थापित हो सके और किसानों की समस्या का निदान हो जाए।

(दो) मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति जी, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अन्तर प्रांतीय सिंचाई योजना एवं प्रांतीय सिंचाई योजना तथा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित सिंचाई योजना भैसाझाल, आगर डायवर्जन, हाफ डायवर्जन, अरपा परियोजना, खड़िया बांध, घोघरा डायवर्जन एवं अन्तर प्रांतीय योजना में बाणसागर, इन्दिरा सागर जो अन्य प्रांतों को सिंचाई सुविधा देगी तथा प्रांतीय योजना राज्य के जिलों को, निर्धारित क्षेत्र को, किसानों की खरीफ एवं रबी फसलों की सिंचाई का लाभ प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर सहायता राशि दी जाए जिससे किसानों को पर्याप्त सिंवाई की सुविधा मिल सके तथा देश का किसान खुशहालीपूर्वक जीवन यापन कर सके एवं अपूर्ण योजनाओं में केन्द्र सरकार अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे।

(तीन) मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों में टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): सभापति जी, मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन तथा सीहोर जिलों में टेलीफोन व्यवस्था ठप्प पड़ी है। एस.टी.डी. अक्सर खराब रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में फोन लगते ही नहीं हैं। अनेक बार शिकायतें करने के बावजूद भी विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते।

इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ठोस कार्य योजना बनाकर तत्काल संचार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु कदम उठाएं।

(चार) सोलन जिले में नदियों द्वारा हो रहे व्यापक भूमि कटाव को रोकने की दृष्टि से नदियों से नहर निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला): सभापति जी, हिमाचल प्रदेश में मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत सी नदियां निकलती हैं, जिनमें भारी वर्षा होने के कारण भूमि का कटाव हो रहा है। पिछले वर्ष में चढ़गांव में भारी वर्षा होने के कारण सब-डिवीजनल रोड, जिला शिमला (हि.प्र.) में भारी बारिश होने के कारण एक बिजली का प्रोजेक्ट जो चालू हालत में था, को नुकसान हुआ और बहुत से लोगों की जानें गयीं और यहां तक कि पुलिस चौकी और हाई स्कूल और दुकानें सब नष्ट हो गई और उनमें जो वहां पुलिसकर्मी व अन्य दुकानदार थे, वे भी पानी के भेंट हो गये तथा यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा जिससे जिन जमींदारों की अच्छी भूमि नदी के किनारे इधर-उधर थी, वह बह गयी और उसमें करोड़ों रुपये का नुकसान किसानों का हो गया है। सड़कों की हालत खराब हो गयी है। जो कटाव भूमि का हुआ है उससे चालू मार्ग बंद हो गये हैं और पुल आदि भी नष्ट हो गये हैं। इस वर्ष भी बाता नदी जिला सिरमौर और गिरी नदी जिला सिरमौर और वालदा नदी जो जिला सोलन में है तथा गम्बर नदी जो सोलन जिला से जाती है, इन सब नदियों को जब तक चैनेलाइज नहीं किया जाता और भूमि के कटाव को रोकने के लिए वृक्षों का रोपण युद्ध स्तर पर होना चाहिए और जो मार्ग जिनमें बस, ट्रक इत्यादि चलते थे, उनको पक्का करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है।

अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन कार्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार को निर्देश करें और धन का प्रावधान करने के लिए उचित कार्यवाही करें।

(पांच) प्राईवेट अस्पतालों को सरकार द्वारा दी गई रियायतों के बदले में इन अस्पतालों द्वारा गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट): देशभर में स्थित बड़े प्राइवेट अस्पताल गरीबों के लिए 10 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित करने के बदले में सरकार से अनेक सुविधाएं और रियायतें प्राप्त करते हैं। तथापि जो अस्पताल पहले किसी धर्मार्थ कार्य को जारी रखने के लिए शुरू किये गये थे, उनमें भी अब गरीब लोगों को दाखिल करने से इन्कार कर दिया जाता है।

सरकार को इन बड़े अस्पतालों से आग्रह करना चाहिए कि वे समझौते का पालन करें और गरीबों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसका उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

(छह) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाले राज्यों को जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के कारण नुकसान न हो

डा. सुगुण कुमारी चलामेला (पैद्दापल्ली): कुछेक अन्य राज्यों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश ने परिवार नियोजन में उत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त किए हैं। इससे भारत को अनेक तरीके से सहायता मिलती है। यदि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों, जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम का जोरदार कार्यान्वयन किया है, को संसद में कम सीटें मिलेंगी, जबकि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है, उन्हें संसद में अधिक सीटें मिलेंगी। यह राज्यों को परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने हेतु पुरस्कृत करने की नीति के विरुद्ध है।

यदि देश की जनसंख्या संबंधी समस्या को बढ़ावा देने वाले राज्यों को संसद में अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है, तो यह एक विडम्बना है।

अत:, मेरा निवेदन है कि इस मामले पर समुचित रूप से विचार किया जाए।

(सात) दरभंगा और फारबिसगंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान दरभंगा-फारबिसगंज राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह मार्ग बरेली (उत्तर प्रदेश) से असम को जाता है। अभी दरभंगा से फारबिसगंज तक का मार्ग बनना बाकी है। उत्तर बिहार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच यातायात इसी मार्ग से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग दरभंगा-फारबिसगंज न बनने के कारण यातायात को सुचारू रूप से चलने में कई कठिनाइयां हो रही हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि दरभंगा से फारबिसगंज तक जो लगभग 200 किलोमीटर का मार्ग है, उसे तुरन्त पूर्ण किया जाए। भारत सरकार इसको बनाने का पहले निर्णय ले चुकी है लेकिन अभी तक काम प्रारम्भ नहीं हो सका है।

अपराह्न 02.29 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 02.30 बजे

बजट (रेलवे) 1998-99
और
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1998-99

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, सभा 1998-99 की अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए चार घंटे के समय की सिफारिश की गई है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के 1998-99 की अनुदानों की मांगों (रेलवे) के संबंध में कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें, जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जायेगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्य सूची स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मांगें (रेलवे)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा 25.3.98 को स्वीकृत लेखा अनुदान की मांग की राशि	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
1	2	3	4
1.	रेलवे बोर्ड	12,22,93,000	24,45,87,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	57,93,21,000	115,49,99,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	432,89,33,000	868,17,67,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	857,05,00,000	1751,03,99,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	475,63,34,000	937,21,69,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	870,54,82,000	1687,08,64,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	448,73,53,000	917,94,06,000
8.	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	688,53,88,000	1729,75,76,000

1	2	3	4
9.	परिचालन व्यय—यातायात	2022,31,99,000	3061,86,97,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	1733,13,49,000	3356,61,99,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	330,15,19,000	668,50,37,000
12.	विविध संचालन व्यय	415,26,46,000	844,32,91,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	1338,53,00,000	975,28,21,000
14.	निधियों में विनियोग	2088,33,33,000	4268,53,10,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की अदायगी और अति-पूंजीकरण का परिशोधन	8,49,89,000	1768,76,11,000
16.	परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव		
	अन्य व्यय राजस्व	15,00,00,000	30,00,00,000
	पूंजी	3565,53,42,000	7452,06,85,000
	रेलवे निधियां	1496,82,00,000	3754,19,00,000

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): सभापति महोदया, इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरा नाम पुकारने के लिए आपका धन्यवाद।

देश के दक्षिणी भागों से आने वाले हमारे जैसे लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदानों की मांगें (रेलवे) पर होने वाली चर्चा में भाग लेना एक निराशाजनक अनुभव बन कर रह गया है। गत वर्षों में अनेक अवसरों पर हम लोगों ने इस सभा में रेलवे विकास का अपना उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। लेकिन हर वर्ष हमारी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस वर्ष चर्चा के प्रारम्भ में हमने रेलवे विकास के मामले में अपनी शंकाएं, अपनी चिन्ताएं और हमारे राज्य की चिर लंबित मांगें उठायी थीं।

इन मांगों पर रेल संबंधी स्थायी समिति में चर्चा की गई है। इस सभा में प्रस्तुत किए गए समिति के प्रतिवेदन में कोई सकारात्मक सिफारिश नहीं की गई है। हम यह आशा कर रहे थे कि कुमारी ममता बनर्जी के सभापतित्व में पूरे परिदृश्य को सकारात्मक रूप से बदलने वाली कुछ सिफारिशें की जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहन जी द्वारा हमारे विश्वास के बावजूद, सभा में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में कोई विशेष सिफारिशें नहीं की गई हैं।

तथापि सत्य यह है कि रेल मंत्री यह कह कर सन्तोष कर सकते हैं कि वह एक ऐसा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके साथ वह स्वयं भी संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि बजट में रेलवे के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि रेलवे के लिए, जोकि एक लोक सेवा संगठन है, बजटीय सहायता का प्रावधान नहीं किया जाता, तो कोई भी रेल मंत्री देश के विभिन्न भागों के लोगों की आकांक्षाओं और मांगों को पूरा नहीं कर सकता। चूंकि इस वर्ष अनेक विभागों के बजटीय आवंटन में काफी अधिक वृद्धि की गई है, हम यह आशा कर रहे थे कि इस बार रेलवे को भी अपना उचित हिस्सा मिलेगा। लेकिन मुझे रिपोर्ट में किसी अतिरिक्त आबंटन हेतु कोई ठोस सुझाव देखने को नहीं मिला। अत: इस बात की पूरी संभावना है कि अनुदानों की मांगों (रेलवे) को पारित कर दिया जाएगा। इनमें अनेक राज्यों के लिए आशा अनुरूप प्रावधान नहीं किए गए हैं। मैं आम शब्दों में इनकी बारीकी में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि समय काफी सीमित है। मैं स्वयं को अपने राज्य की कतिपय ज्वलंत समस्याओं तक ही सीमित रखूंगा।

कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक की एक अति प्रतिष्ठित परियोजना रही है। हाल में प्रधान मंत्री महोदय द्वारा इस पर उद्घाटन किया गया है। इसे भारतीय रेलवे के प्रतिष्ठित प्रतीकों में गिना जा सकता है। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो इस बृहत परियोजना के कार्यान्वयन से संबद्ध रहे हैं। यह देश में रेलवे के विकास का स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यह एक अति प्रतिष्ठित परियोजना है जिसे हम पूरा कर पाये हैं। यह सैकड़ों किलोमीटर लंबी परियोजना है जोकि अति दुर्गम भू-भागों से गुजरती है।

महोदया, आपको विदित है कि केरल राज्य ने भी कोंकण रेलवे का लाभ उठाने वाले चार अन्य राज्यों के साथ कोंकण रेलवे निगम में प्रतिभागिता की है। जब इस निगम की स्थापना की गई थी, तो उस समय हम भी इस निगम के शेयरधारक थे। लेकिन महोदया कोंकण रेलवे ने केवल केरल राज्य को अछूता छोड़ दिया है। हमारा राज्य एक गरीब राज्य है लेकिन हमने कोंकण रेलवे में अपने हिस्से की 50 करोड़ रुपये की पूंजी व्यय की थी। कोंकण रेलवे परियोजना अन्य सभी प्रतिभागी राज्यों से गुजरती है। इस परियोजना को मंगलौर तक विस्तार करने के पश्चात बंद कर दिया गया है। हम मंगलौर से काफी दूर हैं। लेकिन फिर भी हमारे राज्य ने कोंकण रेलवे में शेयर पूंजी के नाम पर 50 करोड़ रुपये का इस आशा से योगदान किया कि रेल मंत्रालय इस पर विचार करेगा कि शेष दक्षिण क्षेत्र जोकि मंगलौर से परे रह जाता है, वहां पर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाये। हमें यह उम्मीद थी कि चूंकि हम कोंकण रेलवे निगम में अपने हिस्से का पूंजी निवेश कर रहे हैं, कोंकण रेलवे के मंगलौर तक विस्तार से पूर्व रेलवे लाइन का दक्षिण की ओर त्रिवेन्द्रम तक दोहरीकरण कर दिया जाएगा जिससे हमारी प्रतिभागिता कारगर सिद्ध हो सके और केरल राज्य इस परियोजना का लाभ उठा सके। दुर्भाग्यवश इस रेलवे लाइन को मंगलौर तक ही समाप्त कर दिया गया है और रेलवे लाइन के मंगलौर से शौरनूर तथा त्रिवेन्द्रम तक दोहरीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

हमारे राज्य में रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। तीन अथवा चार खंड बनाये गये हैं— त्रिवेन्द्रम और क्विलोन के बीच, क्विलोन और शौरनूर के बीच तथा शौरनूर और मंगलौर के बीच। प्रत्येक वर्ष रेलवे बजट में इन लाइनों के लिए बहुत ही कम बजट प्रावधान किया जाता है। यह राशि कुछ किलोमीटर रेलवे लाइन के निर्माण तक के लिए पर्याप्त नहीं होती। मंगलौर से शौरनूर, 350 किलोमीटर तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिये वर्तमान दरों पर हमें कम से कम 600 करोड़ रुपये चाहिये। यदि केरलवासियों को मंगलौर तक जाने वाली रेलवे लाइन का लाभ दिया जाना है तो इसका कम से कम सौरनूर तक विस्तार किया जाना चाहिए। इस वर्ष के बजट में, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय जानते हैं, रेलवे के पुराने विकासात्मक कार्यों जिनमें विभिन्न मदों के अंतर्गत सभी तरह के प्रावधान शामिल हैं, के लिए कुल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। ऐसी महत्वपूर्ण लाइन के लिए बहुत ही कम धनराशि का प्रावधान किया गया है।

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री गत वर्ष के बजट प्रावधानों और अन्य बातों के संबंध में बहुत ही सन्तोषजनक स्पष्टीकरण देंगे। इस वर्ष भी वैसा ही प्रावधान किया जा रहा है। माननीय रेलवे मंत्री बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। हम क्या कर सकते हैं? केरल एक गरीब राज्य है। इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिष्टाचार के नाते भी केरल से भारतीय जनता पार्टी के एक भी सांसद को केन्द्र सरकार में मंत्री नहीं बनाया है। अत: इस तरह की उपेक्षापूर्ण व्यवहार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। मैं जानता हूं कि श्री नीतीश कुमार हमारे राज्य में रेलवे के विकास के लिए काफी सोचते हैं। लेकिन केवल सोचने से ही काम नहीं चलेगा।

इस वर्ष के प्रावधान पर नजर डालिए और इसे कुल आवश्यकता अथवा दोहरीकरण किये जाने वाली कुल मील रेल लाइन से गुणा

[श्री पी.सी. चाक्को]

कीजिए। इस प्रकार इस कार्य को पूरा करने में कम से कम दस वर्ष का समय लगेगा। हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। राज्य के दुर्लभ संसाधनों को इस निगम में निवेश करने के बाद भी मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमें अत्यन्त निराशावादी अनुभव देखने को मिला है। शायद इस सभा में आश्वासन भी दिये गये थे—माननीय मंत्री महोदय सत्यापित कर सकते हैं। अनेक बार यह कहा गया कि जब कोंकण रेलवे का मंगलौर तक विस्तार कर दिया जाएगा, रेलवे लाइन का शौरनूर तक दोहरीकरण कर दिया जाएगा। परवर्ती मंत्री इन सभी वायदों को याद तक नहीं रखते। इस प्रकार हमें एक विशिष्ट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में रेलवे का पूरा का पूरा विकास कार्य ठप्प होकर रह गया है। हमें अपना उचित हिस्सा नहीं दिया गया। यह एक अत्यन्त आवश्यक मामला है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री कोई हल निकालेंगे।

मंत्री जी ने केरल के सांसदों को चर्चा के लिये बुलाया था। उन्होंने कहा था कि अनुपूरक मांगों अथवा किसी अन्य अवसर पर वह हमारी मांगों को पूरा करने के लिए सभा में पर्याप्त सुझाव देंगे। मैं यह बात इस सभा के तथा माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं कि राज्य की—एक ऐसे राज्य की जो यह समझने लगा है कि रेलवे विकास के मामले में इसकी उपेक्षा की जा रही है—चिरलंबित मांग पर विचार करते हुए मंगलौर से शौरनूर तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण के इस कार्य को एक निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाये। यदि पर्याप्त बजट प्रावधान किये जाते हैं तो इस कार्य को संभवत: अगले दो वर्षों में पूरा किया जा सकता है।

जब देश में अंग्रेजों का राज्य था, इस समय इस प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अत: रेलवे लाइन को चौड़ा करना—दोहरीकरण अथवा त्रितरीकरण करना अथवा चार लाइनें बिछाना—कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अत: भूमि अधिग्रहण करने की कोई समस्या नहीं है। मंत्री की इच्छा शक्ति से और बजट में पर्याप्त प्रावधान करने से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। कृपया इसे एक अत्यन्त आवश्यक मामला समझें। गत अनेक वर्षों से रेलवे बजट में राज्य की इच्छाओं की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है। इसके बावजूद हमें अभी भी विश्वास है। हमें आशा है कि हमारे युवा और प्रगतिशील मंत्री श्री नीतीश कुमार हमें संरक्षण प्रदान करेंगे।

महोदया, केरल एक ऐसा राज्य है जहां लोग टिकट लेकर ही यात्रा करते हैं। आप जानते हैं कि अनेक स्थानों पर लोग रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करते हैं। केरलवासी पूरे देश में फैले हुए हैं। महोदया, केरलवासी आपके निर्वाचन क्षेत्र में तथा देश के विभिन्न भागों में रहते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं और हम जहां भी जाते हैं, जहां भी कार्य करते हैं, वहीं का अभिन्न अंग बन जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग देश के अन्य विभिन्न भागों में बस जाते हैं। उनको यह भी पता है कि उन्हें अपने राज्य में वापस जाने के लिए टिकट मिलना असंभव है। हम दो-तीन माह पहले भी, चाहे मुम्बई से हो या भिलाई से हो या अन्य किसी स्थान से हो, टिकट बुक नहीं करा सकते। दो-तीन माह पहले भी टिकट बुक कराना संभव नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या कम हो गई हैं और बहुत सी रेलगाड़ियां अपनी क्षमतानुसार भर कर चल रही हैं।

राजधानी एक्सप्रैस जैसी कुछ प्रतिष्ठित रेलगाड़ियां अपनी पूरी क्षमतानुसार चल रही हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि वे रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं ताकि कम से कम 25% अधिक लोग यात्रा कर सकें। यह बहुत अच्छा विचार है। रेलवे चल स्टॉक, रेल पथ इत्यादि का अधिकतम उपयोग एक बहुत अच्छा विचार है। माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा है। परन्तु देश के दक्षिण भागों में चल रही रेलगाड़ियों में क्या हो रहा है, जिनकी क्षमता 25 वैगन ले जाने की है फिर भी वे मात्र 12-13 वैगनों के साथ ही चल रही हैं। अत:, उस क्षेत्र में यात्रा करना लगभग असंभव है और रेलगाड़ी में यात्रा करना एक दु:स्वप्न के समान है जो इस कठिन परिस्थितियों में हम सदैव देखते हैं।

हमने कई बार, रेल विद्युतीकरण का मुद्दा उठाया है। हमारा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जल विद्युत उपलब्ध है। यह देश में विद्युत का सबसे सस्ता साधन है। राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि वे रेलवे को एक निश्चित समय तक विद्युतीकरण हेतु रियायती दर पर पर्याप्त मात्रा में विद्युत प्रदान करेंगे।

महोदया, यह एक बहुत छोटा राज्य है। यदि आप प्रात: कार द्वारा दक्षिण भाग से चलना शुरू करें तो आप उत्तरी भाग में 5 या 6 घन्टे में पहुंच सकते हैं। यह इतना छोटा राज्य है। उत्तर से दक्षिण तक रेल लाइनों का विद्युतीकरण पिछले कई वर्षों से एक लम्बित मुद्दा रहा है और यह कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। प्रत्येक वर्ष बजट में इस प्रयोजनार्थ कुछ न कुछ किया जाता है, परन्तु यह धनराशि बहुत कम होती है। महोदया, आप जानती हैं कि प्रति वर्ष लागत में वृद्धि हो रही है। अत: जो कुछ भी इस वर्ष दिया गया है वह उन वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता जो कि हमने पिछले वर्ष प्राप्त किए थे। यदि हमने गत वर्ष 100 किलोमीटर का लक्ष्य प्राप्त किया था

तो उसी धनराशि से हम इस वर्ष 100 किलोमीटर का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि लागत में वृद्धि हो जाती है।

स्थिति यह है कि विद्युतीकरण, जिसके लिए कई बार आश्वासन दिया गया है, वास्तव में रुका हुआ है अथवा जो भी धनराशि हर वर्ष प्रदान की जाती है वह आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं होती है।

महोदया, हम सदैव ही और प्रत्येक रेल बजट के दौरान रेल मंत्री जी का भाषण अन्तिम शब्द तक सुनते रहते हैं, जब तक कि वह यह कहकर अपना भाषण समाप्त नहीं करते कि कुछ नई रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं अथवा कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। परन्तु हमारी आशा और प्रतीक्षा के बावजूद भी हमें निराशा मिली है। हमारे यहां कोई नई रेलगाड़ी शुरू नहीं की गई। कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग का विस्तार किया गया था परन्तु उनके मार्ग का विस्तार बहुत कम था और इससे कोई उद्देश्य पूर्ण होने वाला नहीं है।

अत:, एक नई रेलगाड़ी दिल्ली से और एक नई रेलगाड़ी मुम्बई से, अधिकतर ऐसे स्थानों से होकर चलनी चाहिए जहां केरल के रहने वाले लोग ज्यादा हों और जहां से रेल ही एक आम यात्रा का साधन हो। रेल बजट में इस बार भी हमें नई रेलगाड़ियों के विद्युतीकरण और लाइनों के दोहरीकरण आदि के लिए हमारा हिस्सा नहीं दिया गया।

इसके अतिरिक्त, मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हूं जहां कोई रेल मार्ग नहीं है। यहां तक कि स्कूल के बच्चों को भी रेलगाड़ी देखने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। अत:, मैंने सोचा कि कम से कम मेरे निर्वाचन क्षेत्र इदुक्की में—जहां केरल की ऊंची पर्वत चोटियां है और महोदया जैसाकि आप जानती हैं कि यह राज्य का सबसे सुन्दर हिस्सा है जहां मुनार है और इलायची की खेती होती है—एक रेलगाड़ी शुरू की जानी चाहिए। क्षेत्र में एक भी रेल लाइन नहीं है।

मैंने एक सुझाव दिया था और माननीय रेल मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि वे एक सर्वेक्षण करायेंगे। मुझे खुशी है कि मदुरै से कोट्टायम तक रेलगाड़ी के लिए सर्वेक्षण कराने की घोषणा की जा रही है, जिसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री का आभारी हूं। परन्तु मुझे भूतपूर्व रेल मंत्री प्रोफेसर मधु दण्डवते की एक उक्ति अथवा उद्धरण याद आता है कि 'जहां रेल नहीं है, वहां सर्वेक्षण की बात होती है।' अत: सर्वेक्षण हमेशा मृगमरीचिका की तरह होता है। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।

श्री बसुदेव आचार्य: जहां सर्वेक्षण होता है, वहां रेलें नहीं होतीं।

श्री पी.सी. चाक्को: इसलिए, मैं आशा करता हूँ कि नये मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे कि मदुरई से कोट्टायम तक को रेल लाइन का सर्वेक्षण निश्चित समयावधि में पूरा हो और केरल के ऊंचे स्थलों पर रहने वाले लोगों के बहु प्रतीक्षित स्वप्न के पूरा करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण, रेल लाइन का दोहरीकरण आवश्यक हो गया है। लेकिन रेलवे अधिकारी सदैव इसे दोहरी लाइन बताकर कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। केरल के मंदिरों के शहर गुरूवायूर में एक रेलवे लाइन है। लेकिन 30-40 किमी दूरी पर स्थित समानान्तर लाइन होने के कारण इसे दोहरी लाइन माना जाता है। रेलवे लाइन के दोहरीकरण का यह तात्पर्य नहीं है।

एर्नाकुलम से कन्याकुमारी बरास्ता अलेप्पी तक और एर्नाकुलम से कोट्टायम बरास्ता कोट्टायम तक एक रेल लाइन है। अब रेल विभाग इसे दोहरी रेल लाइन मानता है। प्रत्येक खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता है और इस ओर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दिया गया है और जहाँ तक केरल में रेल के विकास का संबंध है तो उसके लिए नई रेलगाड़ियां, विद्युतीकरण और रेल लाइनों का दोहरीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।

महोदया, विभिन्न राज्यों और इस सभा के विभिन्न लोगों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि रेल विभाग जनता को बहुत पुराने कोच, माल डिब्बे और अन्य वस्तुएं उपलब्ध करा रही है। शायद इसका कारण यह है कि जो कोच संग्रहालय में रख दिये जाने चाहिए वे अभी रेल लाइनों पर चल रहे हैं। यह सौभाग्य की बात है कि लोग दुर्घटनाओं से बच रहे हैं। आज भी आप ऐसे चल स्टाक देख सकते हैं। मेरे विचार से मंत्री महोदय को देश में सबसे पुराना चल स्टाक देखने के लिए दक्षिण जाना चाहिए क्योंकि यह आप बिहार या देश के किसी अन्य भाग में नहीं देख सकते हैं। सम्भवत: आप को दक्षिण में विशेषकर केरल में उस मूल वस्तु को देखने आना चाहिए जिसे भारत में अंग्रेजों द्वारा रेल का श्रीगणेश करते समय उपयोग किया गया था। केरल में आज भी इस प्रकार के चल स्टाक विद्यमान हैं। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। हमें अपनी परम्परा पर गर्व हो सकता है। लेकिन हमें उसमें यात्रा करनी पड़ती है। इसमें मानव जीवन को जोखिम उठाना पड़ता है। इसका मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रेल मार्गों पर विन्टेज माडल चलाये जा रहे हैं। लगातार सभी रेल मंत्रियों द्वारा

[श्री पी.सी. चाक्को]

स्पर्धात्मक भावना से हमारी उपेक्षा की गई है इसलिए थोड़ा ध्यान हमारी ओर दिया जाये। इसलिए इस बार इस प्रकार की उपेक्षा समाप्त की जानी चाहिए। केरल राज्य की बहुत पुरानी चली आ रही इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये ताकि वर्तमान रेलवे बजट में मंत्री जी जो कर सकते हैं वह करें। यह बिल्कुल सही है कि जहाँ चाह है, वहाँ राह है। यदि मंत्री ऐसा निर्णय करते हैं तो सब कुछ संभव है। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि हम सभी राज्यों को संतुष्ट करें और उनकी मांगों को पूरा करें। इसलिए रेलवे विकास की समस्या के संबंध में, केरल पर अधिक ध्यान और प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है। इसलिए इस सुअवसर पर मैं केरल में रेलवे विकास की समस्या के बारे में माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मैं जानता हूं कि भारतीय रेल का आधुनिकीकरण किया जाने वाला है लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण जो कुछ मंत्री महोदय चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक इन बातों का संबंध है तो अभी हम पाषाण युग में रह रहे हैं। जहाँ अन्य कई देशों में रेलवे के आधुनिकीकरण में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं वहाँ हमारे देश में इस प्रकार की सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं हैं। कई बातें हैं। आजकल दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं। यह सच है कि हमारे देश के भागों में भी कुछ, बहुत दुखद और भयंकर दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? रेलवे के सुरक्षा पहलू के बारे में आप क्या कहेंगे? बजट में कुछ का उल्लेख किया जा रहा है। बजट भाषण उनमें से एक है। लेकिन क्या इसके लिए पर्याप्त प्रावधान है?

मैं इस सभा की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि मैंने एक बार एक सुझाव दिया था। इंजीनियरों ने एक नये यंत्र की खोज की है जिससे चौकीदार रहित रेल फाटक को सुरक्षित बनाया जा सकता है यह एक नया यंत्र है जो रेल मार्ग पर लगाया जा सकता है। चौकीदार रहित रेल फाटक पर, रेलगाड़ी के आने से पूर्व पर्याप्त चेतावनी के लिए एलार्म या घंटी लगायी जा सकती है। इस प्रकार के यंत्र आविष्कार इंजीनियरों के एक दल ने किया था। मैंने स्वयं पिछले मंत्री महोदय को एक अभ्यावेदन दिया था और मामले की विस्तार से चर्चा की थी। मैंने पाया कि रेलवे में कोई सुनने वाला नहीं है। उनके पास दुर्घटनाओं से बचने के लिए कोई नया तरीका नहीं है। इस देश में चौकीदार रहित रेल फाटकों की संख्या अधिक है। इस देश में सैकड़ों और हजारों की संख्या में चौकीदार रहित रेलफाटक हैं। रेलवे सभी चौकीदार रहित रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने में सक्षम नहीं है। चौकीदार रहित रेल फाटक पर दुर्घटनाएं आम बात हो गयी हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में भी, रेलवे इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में गम्भीरतापूर्वक नहीं सोच रही है।

मैं जानता हूँ कि रेलवे बोर्ड की फाइलों में कई सुझाव हैं। उनमें से एक सुझाव मेरा है। मैं पूर्णरूप से निराश हूँ क्योंकि वर्षों से प्रत्येक व्यक्ति से मिलने के बावजूद, यह काम नहीं हो पाया है। कुछ नये विचार प्राप्त हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नयी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। भारतीय रेलवे सुरक्षा पहलू पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दे रही है। मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण पहलू हैं। सुरक्षा और आधुनिकीकरण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उपभोक्ता राज्य होने के कारण इस बार भी रेलवे ने प्रभार लगाये हैं प्रत्येक वस्तु दूर स्थानों से आती है। इसलिए ढुलाई अत्यंत महंगी हो गयी है। हमारी समस्या यह है कि जब प्रभारों में वृद्धि होती तो हमें सबसे अधिक प्रभार देना पड़ता है। मंत्री महोदय का यह कहना है कि यह संतुलित वृद्धि है। दिल्ली आने के लिए मुझे 2000 कि.मी. की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए, कृपया संतुलित का अर्थ समझिए।

इसलिए, प्रत्येक यात्री को संतुलित वृद्धि के रूप में भारी धनराशि देनी होगी न कि संतुलित धनराशि। हमारा सदैव यही भाग्य रहा है। इसलिए बजट में बताई गयी विकासात्मक परियोजनाओं हेतु रेल किराया बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं समझता हूँ यदि लोगों पर अधिक भार डाला जाता है तो विकासात्मक कार्यकलाप पर्याप्त रूप से बढ़ना चाहिए। जब रेलवे हमें कुछ नयी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा रही है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। बजट में नया क्या है? यदि रेलवे हमें नई सुविधाएं उपलब्ध कराये, नई लाइनें डाले अथवा आधुनिकीकरण करे तो उचित है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

मेरे विचार से प्रारम्भ में प्रत्येक रेल मंत्री यह कहता है कि वह आम आदमी पर कोई भार नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन जब किराये में वृद्धि होती है तो वह भारी वृद्धि होती है। इस बार भी भारी वृद्धि की गयी है। विशेषरूप से हमारे जैसे लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को अधिक धनराशि अदा करनी पड़ती है। लेकिन हमें वृद्धि के अनुपात में सुविधाओं का वह लाभ नहीं मिलता है। मेरे विचार से इस बजट में यह बहुत बड़ी खामी है।

कुछ लंबित पड़े मामलों के बारे में हमारे माननीय मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। यह मामला रेलवे सुरक्षा बल के बारे में है जिसकी एसोसियेशन और एसोसियेशन गठित करने के लिए

उनके अधिकारों के बारे में है। मैं इन सब बातों के लिए वर्तमान मंत्री महोदय को दोष नहीं देता हूं क्योंकि यह तो कांग्रेस सरकार के समय में हुआ है। मैं भी इससे सहमत हूँ। मैं वर्तमान मंत्री को दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आर पी एफ संघ की स्वतंत्रता उनसे छीनी जा रही है और इस बात को सभा में भी उठाया गया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अथवा अपने संबंधों से अलग हटकर आर पी एफ के मामले को समर्थन देने हेतु सभी ने खुले रूप से सभा में अपने विचार प्रकट किये। इस सभा में बार-बार यह आश्वासन दिया गया कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। लेकिन इस बार इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह भूल हो सकती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय को इस उचित मांग की जानकारी है और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि वह अपने बजट से संबंधित उत्तर में कुछ रियायतें देने के बारे में घोषणा करेंगे क्योंकि यह मांग काफी लंबे समय से लंबित पड़ी है।

इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूँ किन्तु मेरा मन इसे समर्थन नहीं दे रहा है क्योंकि इस पर और अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता है। मैं अपने प्रिय मंत्री को देखकर यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं बजट का विरोध भी कर रहा हूं। मैं दुविधा में हूँ। कृपया मुझे इस मांग का समर्थन करने दीजिए क्योंकि मैं इसे समर्थन देना चाहता हूँ क्योंकि जब तक मंत्री जी अपने पद पर हैं हमें आशा है कि वह इस पर पूरा ध्यान देंगे और उन पर पूरा विश्वास है। मेरा अनुरोध है कि वे अपने उत्तर में कुछ रियायतों की घोषणा करें ताकि हम प्रसन्नता से इस बजट का समर्थन कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अपराह्न 02.44 बजे

कटौती प्रस्ताव

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपये किया जाए।"

सरकार की, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दर्शाई गई प्राथमिकता के आधार पर, पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं को पूरा किये जाने के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान 25 करोड़ रुपये का अंशदान करने के पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव को भुनाने में असफलता। (53)

"कि पारिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कलकत्ता उप-नगरीय सेक्शन के लिए और अधिक ई.एम.यू. डिब्बों को उपलब्ध कराये जाने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (78)

"कि पारिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कलकत्ता और हल्दिया के बीच, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, पर्याप्त रेल सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (79)

"कि पारिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और हल्दिया के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (80)

"कि पारिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

असम राजधानी एक्सप्रेस का रास्ता बदल कर बरास्ता कलकत्ता चलाने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (81)

"कि पारिचालन व्यय—यातायात शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और रामपुर घाट के बीच साहेबगंज लूप सेक्शन पर अतिरिक्त रेलगाड़ियों को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (82)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और नई दिल्ली के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (159)

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

2303/2304, 2381/2382, 2301/2302 और सरायघाट एक्सप्रैस को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (160)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कलकत्ता और न्यू जलपाइगुड़ी और कलकत्ता और भुवनेश्वर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (161)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

आसनसोल और रामपुरहाट के बीच यात्रीसेवा शुरू किये जाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (162)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

आसनसोल-बर्धमान और पुरुलिया-बर्धमान सैक्शनों पर अधिक ई.एम.यू. रेक्स उपलब्ध कराकर ई.एम.यू. गाड़ियों की बारम्बरता बढ़ाये जाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (163)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कलकत्ता से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अधिक रेलगाड़ियां चलायें जाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (164)

"कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बर्धमान-कटवा, अहमदपुर-कटव, बीडीआर लाइन और सिलीगुड़ी-न्यूजलपाईगुड़ी-कूचबिहार लाइन को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (165)

"कि परिसंपत्तियां:खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अशोकनगर और बनगांव के बीच दोहरी लाइन को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (166)

"कि परिसंपत्तियां:खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

लक्षीकान्तपुर-नमखाना रेलवे लाइन को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (167)

"कि परिसंपत्तियां:खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पूर्व रेलवे के कृष्णानगर-ललगोला सैक्शन का विद्युतीकरण और दोहरीकरण पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (168)

"कि परिसंपत्तियां:खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दार्जिलिंग में हिमालयन रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (169)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बलूरघाट-एकलाखी लाइन को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (170)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कलकत्ता उपनगरीय रेल सेवा की बारम्बराता बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (171)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पूर्व रेलवे के खाना-सैथिया सैक्शन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (172)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पूर्व रेलवे के अन्दाल-सैथिया सैक्शन पर दोहरी लाइन के निर्माण और विद्युतीकरण के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (173)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेलवे के आसनसोल और बर्नपुर सैक्शन के बीच दोहरी लाइन के निर्माण के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (174)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दानकुनीं गुड्स टर्मिनल को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (175)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

आसनसोल में ई.एम.यू. कारशैड को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (176)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

न्यू-फरक्का और न्यूजलपाईगुड़ी के बीच दोहरी लाइन के निर्माण को पूरा किये जाने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (178)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

तारकेश्वर से विष्णुपुर बरास्ता आरामबाग नई रेल लाइन के निर्माण के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (179)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत मेचेदा से रघुनाथबाड़ी तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (180)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पूर्व रेलवे के कटवा और अजीमगंज के बीच दोहरी लाइन के निर्माण और विद्युतीकरण के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (181)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (182)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कलकत्ता मेट्रो का ट्यलीगंज से गड़िया तक और दमदम से बैरकपुर तक विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (198)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सर्कुलर रेलवे का माझेरहाट तक विस्तार किये जाने और सम्पूर्ण सर्कुलर रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की आवश्यकता। (199)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

शालीमार में यात्री टर्मिनल सुविधा विकसित किये जाने की आवश्यकता। (200)

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दीघा और तामलुक के बीच रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (201)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा-आमटा और हावड़ा-सियाखाला रेल लाइनों को शीघ्र पूरा कि ये जाने की आवश्यकता। (202)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बारासाल-हुसनाबाद सैक्शन में रेललाइन के शीघ्र दोहरीकरण और विद्युतीकरण की आवश्यकता। (203)

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

जलपाईगुड़ी और कलकत्ता के बीच अतिरिक्त सुपरफास्ट रेलगाड़ियों को चलाये जाने की आवश्यकता। (54)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

सिलीगुड़ी नगर पालिका क्षेत्र में रेलवे की काफी अधिक मात्रा में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को उपयोग में लाये जाने की आवश्यकता। (55)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

राज्य सरकार के संगठनों और सिलीगुड़ी नगर निगम को विकास कार्य हेतु अतिरिक्त रेल भूमि को सौंपे जाने की आवश्यकता। (56)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

उत्तर बंगाल में रेलपथों के दोहरीकरण की आवश्यकता। (57)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

उत्तर बंगाल की ओर जाने वाली सभी रेलगाड़ियों में पुराने और जर्जर डिब्बों के स्थान पर नये डिब्बे लगाये जाने की आवश्यकता। (58)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

माल्दा और कूचबिहार के बीच रेलपथों की स्थिति को सुधारे जाने और नये रेलपथों का प्रावधान किये जाने में तेजी लाने की आवश्यकता। (59)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दार्जिलिंग मेल की समय की पाबंदी बनाये रखने की आवश्यकता। (185)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

5657 अप/5658 डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस और 3141 अप/3142 डाउन तीस्ता-तौरसा एक्सप्रेस की समय की पाबंदी बनाये रखने की आवश्यकता। (186)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

उत्तर बंगाल में न्यूजलपाइगुड़ी और कूचबिहार के बीच एक नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (187)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन पर रेल फाटक हटाये जाने और शहर के भीतर से रेल मार्ग, जिसके कारण यातायात अवरुद्ध हो रहा है, को बदले जाने की आवश्यकता। (188)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के आधुनिकीकरण की आवश्यकता। (189)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

सिक्किम में रेल सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता। (190)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

सभी आवश्यक वस्तुओं के भाड़े पर सब्सिडी शुरू किये जाने की आवश्यकता। (191)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

न्यूजलपाईगुड़ी और आसनसोल के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (192)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

कलकत्ता और न्यूजलपाईगुड़ी के बीच एक शताब्दी एक्सप्रैस चलाये जाने की आवश्यकता। (193)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

सिलीगुड़ी टाउन सैक्शन पर एक उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (204)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी सैक्शन की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता। (205)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

सिलीगुड़ी में एक डिवीजनल कार्यालय खोले जाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (224)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

सिलीगुड़ी को बड़ी रेल लाइन से देश के अन्य भागों से जोड़े जाने की आवश्यकता। (225)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

न्यूजलपाइगुड़ी-सिलीगुड़ी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (226)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

न्यूजलपाईगुड़ी से मुम्बई और देश के अन्य भागों के लिए पैसेन्जर रेलगाड़ियां शुरू किये जाने की आवश्यकता। (227)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

न्यूजलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक अधिक पैसेन्जर रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (228)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़े जाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (229)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत सभी रैकों को एयरब्रेक में बदले जाने की आवश्यकता। (230)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (231)

[श्री आनन्द पाठक]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन की कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और सिकन्दराबाद से जोड़ने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (232)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

न्यूजलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू किये जाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (233)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दो रेलगाड़ियों में विभाजित किये जाने और एक रेलगाड़ी और हल्दीबाड़ी तथा दूसरी रेलगाड़ी को अलीपुरद्वार से चलाये जाने की आवश्यकता। (234)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

न्यूजलपाईगुड़ी और कलकत्ता के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता। (235)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

शालीमार में दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा यात्री टर्मिनल सुविधा के विकास को पूरा किये जाने की आवश्यकता। (60)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

सियालदह और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक दैनिक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (61)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा तमलुका-दिघा रेल पथ को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (62)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

पांसकुरा-दामोदर रेल लाइन के परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (63)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

बारासत-हरनाबाद सेक्शन के लिए विद्युतीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (64)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

बर्धमान और कटवा लाइन के परिवर्तन कार्य को आरंभ किए जाने की आवश्यकता। (65)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

हावड़ा और सियालदह सेक्शन में उप-नगरीय रेल सेवा की समय पाबन्दी को सुधारे जाने की आवश्यकता। (66)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

पूर्वी रेलवे के हावड़ा और सियालदह डिवीजन और दक्षिण पूर्व रेलवे के खडगपुर डिवीजन में ऐसे सभी ई.एम.यू. डिब्बों को बदले जाने की आवश्यकता जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। (67)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

हावड़ा, सियालदह और खडगपुर डिवीजनों में सभी स्टेशनों पर पर्याप्त आधुनिक यात्री सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (68)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा, सियालदह और खड़गपुर डिवीजनों में ई.एम.यू. सेवाओं की बारम्बारता को बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (69)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

पश्चिम बंगाल के पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा 12 बोगियों वाली ई.एम.यू. रेलगाड़ियों को चलाये जाने की आवश्यकता। (70)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्टेशनों पर विशेष रूप से महिला यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (71)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

उत्तर पूर्व रेलवे द्वारा सिलीगुड़ी-न्यूजलपाईगुड़ी-कूच बिहार के रेलपथ परिवर्तन कार्य को आरंभ किये जाने की आवश्यकता। (72)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

लक्ष्मीकान्तपुर-नमखाना रेलपथ को पूर्व रेलवे द्वारा शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (73)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

पूर्व रेलवे द्वारा अशोक नगर-बनगांव रेलपथ के कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (74)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

कृष्णानगर-लालगोला लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य को आरम्भ कराये जाने की आवश्यकता। (75)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

कटवा-अहमदपुर रेल पथ के परिवर्तन कार्य को आरंभ किये जाने की आवश्यकता। (76)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

न्यूजलपाईगुड़ी और फरक्का के बीच रेल पथ का दोहरीकरण किये जाने की आवश्यकता। (77)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की आधुनिकीकरण की आवश्यकता। (83)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

बालूरघाट-एकलाखी के बीच रेल लाइन कार्य पूर्ण होने की आवश्यकता। (84)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

उड़ीसा को जाने वाली किसी एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी की दक्षिण पूर्व रेल के बौरिया स्टेशन पर रुकने की आवश्यकता। (85)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत हावड़ा और बरगचिया स्टेशनों के मध्य ई.एम.यू. गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (86)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेल के हावड़ा और करगचिया सेक्शन के बीच स्थानीय ई.एम.यू. गाड़ियों की गति बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (87)

[श्री हन्नान मोल्लाह]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेल और पूर्व रेल द्वारा संयुक्त रूप से खडगपुर और सियालदह के बीच वाया दनकुनी स्थानीय ई.एम.यू. ट्रेन शुरू किये जाने की आवश्यकता। (88)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

हावड़ा, सियालदाह और देश के अन्य स्टेशनों पर रेलवे हाकरों का पुलिस द्वारा दमन रोकने की आवश्यकता। (137)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दक्षिण पूर्वी रेलवे के उलुबडिया स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (138)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के अन्तर्गत बदरिया, चेंगल फुलेश्वर, उलुवडिया और अन्य स्टेशनों को पहुंचने वाली संपर्क सड़कों की मरम्मत और उनको पूरा किये जाने की आवश्यकता। (139)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दक्षिण पूर्वी रेलवे के चेंगल स्टेशन की दोनों दिशाओं को जोड़ने वाली उत्तरी और डाउन लाइन पर बेलटला से पश्चिम बटरिया तक एक पक्की सड़क बनाये जाने की आवश्यकता। (140)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दक्षिण-पूर्वी रेलवे के अंतर्गत गौरीगंगा नगर के ऊपर पुल के निर्माण की आवश्यकता। (141)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

संसद सदस्यों के पैतृक स्थानों के निकट स्थित स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता। (142)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दक्षिण-पूर्वी रेलवे के हावड़ा-बरगच्चियां सेक्शन के बीच आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (143)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

दक्षिण-पूर्वी रेलवे के बोरिया और चेंगल स्टेशनों के बीच चक्कासी में एक नया फ्लैग स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता। (144)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

बोरिया स्टेशन से लारेंस जूट मिल तक उपयोग में नहीं लाई जा रही भूमि को सड़क के निर्माण हेतु उलूबेरिया नगर पालिका को सौंपे जाने की आवश्यकता। (145)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

सभी रेलवे हाकरों को लाइसेंस और पहचान-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता। (146)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

उप-नगरीय दैनिक यात्रियों के सीजन टिकटों में हुई बढ़ोत्तरी को कम किये जाने की आवश्यकता। (147)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

"कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण-पूर्वी रेलवे के अंतर्गत हावड़ा अमता बड़ी लाइन के कार्य को पूरा किये जाने की आवश्यकता। (154)

"कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण-पूर्वी रेलवे के अंतर्गत मौरीग्राम, रामराजाटीला और बागनान में एक उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता। (155)

"कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण-पूर्वी रेलवे के अंतर्गत हावड़ा और खडगपुर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के कार्य को पूरा किये जाने की आवश्यकता। (156)

"कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

गड़िया तक कलकत्ता मेट्रो के विस्तार के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (157)

"कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

माजेरहाट तक कलकत्ता सरकुलर रेलवे के विस्तार की आवश्यकता और सरकुलर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यता। (158)

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ (तामलुक): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और हल्दिया के बीच वातानुकूलित डिब्बों सहित शताब्दी एक्सप्रैस की तरह एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (183)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

मेचेदा और पांसकुढ़ा में पान के पत्तों की बुकिंग के लिए सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (184)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 10 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत मेचेदा से रघुनाथबाड़ी तक नई रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता। (194)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 10 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेलवे के पांसकुड़ा और हल्दिया के बीच दोहरी लाइन के निर्माण की आवश्यकता। (195)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 10 रुपये कम किये जायें।"

सनीचक और दूर्गाचक में सड़क उपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता। (196)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 10 रुपये कम किये जायें।"

हल्दिया में कम्प्यूटर आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (197)

श्री अनिल बसु (आरामबाग): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

तारकेश्वर रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों के लिए समुचित यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (206)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

तारकेश्वर रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्री टिकट से संगृहीत तारकेश्वर नगरपालिका अधिशुल्क का भुगतान किये जाने की आवश्यकता। (207)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

तारकेश्वर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर खोले जाने की आवश्यकता। (208)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

तारकेश्वर से आरामबाग तक नई रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता। (209)

[श्री अनिल बसु]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

तारकेश्वर रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों के लिए यात्री निवास स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (210)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सेबड़ाफुल्ली और तारकेश्वर के बीच दोहरी लाइन के निर्माण की आवश्यकता। (211)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पश्चिम बंगाल में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 25 करोड़ रुपये के अंशदान हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार किये जाने की आवश्यकता। (212)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बंडेल और कटवा के बीच दोहरी लाइन के निर्माण के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (213)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बंडेल और सियालदह के बीच ई.एम.यू. सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता। (214)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बंडेल में गणदेवता एक्सप्रेस को रोके जाने की आवश्यकता। (215)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

उत्तरबंगाल एक्सप्रेस को सुपरफास्ट रेलगाड़ी के रूप में प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (216)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और नई दिल्ली के बीच एक और सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (217)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कामारकुण्डू और मौगरा स्टेशनों पर ऊपरिपुल के निर्माण की आवश्यकता। (218)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पूर्व रेलवे के हावड़ा और सियालदह डिवीजनों से पुराने ई.एम.यू. डिब्बों को बदले जाने की आवश्यकता। (219)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

प्लेटफार्म टिकट के मूल्य में वृद्धि को कम किये जाने की आवश्यकता। (220)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

शयनयान श्रेणी के किराये में वृद्धि को कम किये जाने की आवश्यकता। (221)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों के अंतिम सैक्शन को हावड़ा बस स्टैण्ड की ओर जाने वाले ऊपरिपुल से जोड़े जाने की आवश्यकता। (222)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और सियालदह में व्यस्ततम समय में उपनगरीय रेलगाड़ियों को पांच मिनट के अन्तराल पर चलाये जाने की आवश्यकता। (223)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

आसनसोल और रामपुरहाट के बीच पैसेन्जर सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता। (236)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बोकारो शताब्दी एक्सप्रेस में डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने और इस रेलगाड़ी का रानीगंज में ठहराव उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (237)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रेलगाड़ी संख्या 2421/2422 का खडगपुर में ठहराव उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (238)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए हावड़ा और नई दिल्ली के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (239)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सियालदह और लालगोला के बीच प्रतिदिन एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (240)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रेलगाड़ी संख्या 2303/2304 और 2381/2382 को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (241)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बांकुरा और आसनसोल और बांकुरा और पुरुलिया के बीच ई.एम.यू. सेवा चलाये जाने की आवश्यकता। (242)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कलकत्ता और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच अधिक रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (243)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सरायघाट एक्सप्रेस (3045/3046) को प्रतिदिन चलाये जाने और इस गाड़ी के रैक को एयरब्रैक में बदले जाने की आवश्यकता। (244)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी रेलगाड़ियों में थ्री टीयर वातानुकूलित डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता। (245)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

शिप्रा एक्सप्रेस (9405/9306) को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (246)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बारासात और बोंगांव के बीच शटल सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता। (247)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग को बदले जाने और इसे कलकत्ता होकर चलाये जाने की आवश्यकता। (248)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

आसनसोल और वर्धमान के बीच 45 मिनट के अन्तराल पर ई.एम.यू. रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (249)

[श्री बसुदेव आचार्य]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बराकर और हावड़ा के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (250)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और रांची के बीच बरास्ता दुर्गापुर-रानीगंज-आसनसोल एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (251)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

आसनसोल और न्यूजलपाईगुड़ी के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (252)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पटना-पुरी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (253)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और मंगलौर के बीच एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (254)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस रेलगाड़ी नं. (6323/6324) की बारम्बारता बढ़ाये जाने और इस रेलगाड़ी के चालन समय को कम करने के लिए इसे एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी के रूप में चलाये जाने की आवश्यकता। (255)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और पुरी के बीच एक और एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (256)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रेलगाड़ी संख्या 2019/2020 को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (257)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

खड़गपुर और अमृतसर के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (258)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

उत्तर बंग एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाये जाने और इसका चालन समय कम किये जाने की आवश्यकता। (259)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और बीकानेर के बीच एक सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (260)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रेलगाड़ी संख्या 3073/3074 को प्रतिदिन चलाये जाने और इस रेलगाड़ी के चालन समय को कम करने के लिए इसे एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी के रूप में चलाये जाने की आवश्यकता। (261)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रेलगाड़ी संख्या 5049/5050 को सप्ताह में एक दिन के स्थान पर प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (262)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

पटना राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी संख्या 2309/2310 को प्रतिदिन चलाये जाने और साथ ही रेलगाड़ी संख्या 2305/2306 की सेवा वापस लिये जाने की आवश्यकता। (263)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

रेलगाड़ी संख्या 2301/2302 को प्रतिदिन चलाये जाने और आसनसोल में उसका ठहराव उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (264)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

गणदेवता एक्सप्रेस का बंडेल में ठहराव उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (265)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

हावड़ा मे दरभंगा और छपरा तक एक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (266)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

हावड़ा से राजकोट-गांधीधाम-पोरबन्दर तक बारास्ता दुर्गापुर-आसनसोल-मुगलसराय-आगरा तक एक सीधी रेल सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता। (267)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

हावड़ा और झाझा के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (268)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

हावड़ा से भुवनेश्वर/न्यूजलपाईगुड़ी, पटना और मुगलसराय तक शताब्दी एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता। (269)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाये जाने और इसमें और अधिक डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता। (270)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

कलकत्ता राजधानी एक्सप्रेस में पूरे वर्ष भर आठ थ्री-टीयर वातानुकूलित डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता। (271)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

रेलगाड़ी संख्या 3007/3008 में हावड़ा से टू-टीयर वातानुकूलित डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता। (272)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

हावड़ा और जबलपुर के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (273)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

पुरलिया-बर्धमान ई.एम.यू. सेवा की बारम्बारता बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (274)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

बंडेल और सियालदह के बीच ई.एम.यू. सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता। (275)

''कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।''

बर्धमान-सियालदह और हावड़ा-कटवा ई.एम.यू. सेवाओं की बारम्बारता बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (276)

[श्री बसुदेव आचार्य]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बंडेल और बर्धमान/कटवा/राणाघाट/कल्याणी के बीच ई.एम.यू. सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता। (277)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

खाना से ई.एम.यू. शुरू किये जाने की आवश्यकता। (278)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

मेमारी और पंडूह से ई.एम.यू. सेवा की बारम्बारता बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (279)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और हल्दिया के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता। (280)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा और अमृतसर के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (281)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अंदाल और सैंथिया और बर्धमान और रामपुरहाट के बीच डी.एम.यू. सेवाओं की बारम्बारता बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (282)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपये किया जाये।"

कलकत्ता मेट्रो का टालीगंज से गरिया तक और दमदम से बैरकपुर तक विस्तार करने में असफलता। (283)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

प्रिंसेपघाट से माजरहाट तक कलकत्ता सर्कुलर रेलवे को पूरा करने में असफलता। (284)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सम्पूर्ण सर्कुलर रेल मार्ग के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के कार्य को शुरू करने में असफलता। (285)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

दक्षिण पूर्व रेलवे के शालीमार स्टेशन पर पैसेन्जर टर्मिनल सुविधा विकसित करने में असफलता। (286)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

दनकुनी में गुड्स टर्मिनल स्थापित किये जाने में असफलता। (287)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रेलगाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाकर कलकत्ता उपनगरीय रेल सेवाओं में सुधार करने और नए ई.एम.यू. डिब्बे उपलब्ध कराने में असफलता। (288)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कलकत्ता उपनगरीय सेवा में 12 डिब्बों वाली ई.एम.यू. रेलगाड़ियां चलाने में असफलता। (289)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

हावड़ा और हल्दिया के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने में असफलता। (290)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पश्चिम बंगाल में तामलुक-डीघा, हावड़ा-आमटा, हावड़ा-सियाखाला, लक्षीकान्तपुर-नमखाना, बलूरघाट-एकलाखी रेल परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटन कर उन्हें पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने में असफलता। (291)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

रानाघाट-गेडे, रानाघाट-बोगांव, कृष्णानगर-लालगोला, आद्रा-मिदनापुर सैक्शनों के विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए अधिक धनराशि आवंटन कर शीघ्र कदम उठाने में असफलता। (292)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पश्चिम बंगाल में आसनसोल-बर्नपुर, अंदाल-सैंथिया, खाना-रामपुरहाट, बंडेल-अजीमगंज, रानाघाट-लाल गोला, हाबरा-बोगांव, बरूइपुर-डायमंड हार्बर, बारासात-हसनाबाद, रानाघाट-बोगांव सैक्शनों के बीच दोहरी लाइन के निर्माण के लिए कदम उठाने में असफलता। (293)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

वर्धमान-कटवा, अहमदपुर-कटवा, बांकुरा-दामोदर रिवर (बीडीआर), शांतिपुर-नवाद्वीप घाट, न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-गुवाहाटी और बारसोर्ड-राधिकापुर रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए शीघ्र कदम उठाने में असफलता। (294)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पश्चिम बंगाल में अंदाल-सैंथिया, खाना-रामपुरहाट, माल्दा-न्यू जलपाईगुड़ी, कटवा-अजीमगंज, बारासाट-हसनाबाद सैक्शनों के विद्युतीकरण के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने में असफलता। (295)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दर्शाई गई प्राथमिकताओं के आधार पर पूरा करने के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान 25 करोड़ रुपये के अंशदान देने की पश्चिम बंगाल सरकार की पेशकश का लाभ उठाने में असफलता। (296)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

हावड़ा और रामपुरहाट के बीच साहिबगंज लूप सैक्शन पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां उपलब्ध कराने में असफलता। (297)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

दार्जिलिंग में पर्यटकों के लिए हिमालयन रेलवे के आधुनिकीकरण करने में असफलता। (298)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सम्पूर्ण साहिबगंज लूप सैक्शन में अधिक बारम्बारता के साथ अधिक रेलगाड़ियां चला कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफलता। (299)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

फ्लड लाइट, वैल्डिंग प्लैंक डाक प्लेटफार्म और धोवन प्रणाली उपलब्ध कराकर टिकियापाड़ा यार्ड के आधुनिकीकरण करने में असफलता। (300)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

हावड़ा (बामुनगाची) और आसनसोल के इलैक्ट्रिक लोकोशैड की इंजनों को रखे जाने की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाने में असफलता। (301)

[श्री बसुदेव आचार्य]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें।"

बराकर और खाना और आसनसोल रेलवे स्टेशनों में वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की सुविधा के लिए प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने में असफलता। (302)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें।"

आसनसोल में ई.एम.य. कोचों के रखरखाव के लिए कारशैड के निर्माण को पूरा करने में असफलता। (303)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें।"

पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल जोड़ने में असफलता। (304)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें।"

हावड़ा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और विस्तार करने में असफलता। (305)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला): सभापति महोदया, मैं रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि हमने बहुत पहले रेलवे से प्लास्टिक को विदा करने की जो मांग की थी, पिछली बार उन्होंने प्लास्टिक को विदा किया है और वहां फिर से कुल्हड़ और पत्तल शुरू हो गया है। मैं भारत के गांवों में रहने वाले मजदूरों की तरफ से भी बधाई देना चाहता हूं कि क्योंकि कुल्लड़ और पत्तल गांव के कुम्हार और माली बनाते हैं। वे बेरोजगार हो रहे थे। रेल मंत्रालय के इस फैसले ने लाखों लोगों को फिर से रोजगार दिया है।

मेरे क्षेत्र के कुछ मामले हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। मैं रेल मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने बड़ी बिगड़ी हुई व्यवस्था में रेल संभाली है, रेल पटरी से उतरी हुई थी, उसे आप धीरे-धीरे पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वर्षों के बिगड़े हुए मामलों को ठीक करने में समय लगता है। लेकिन मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि श्री नीतीश कुमार इस बिगड़े महकमे को ठीक करने की कोशिश करेंगे।

वैसे भी इन्होंने काफी रेड मारी हैं, विजिलेंस की ज्यादा जांच कराई गई है। आरक्षण में जिस तरीके से धांधलियां होती थीं, जिस तरीके से बेईमानी होती थी, उसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया है। चयन आयोग को भी इन्होंने भंग किया है, वहां भी इन्होंने फिर से ठीक करने की कोशिश की है। वहां किस तरह से लोगों को रिश्वत देकर नौकरी मिलती थी और योग्य नवयुवक नौकरी के लिए तरसते रह जाते थे और पैसा देकर गलत लोग नौकरी में आ जाते थे और फिर वे भ्रष्टाचार फैलाते थे, उसको रोकने का प्रयास इन्होंने किया है, मैं उसके लिए भी इनको बधाई देना चाहता हूं।

मुझे बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं बोलना है, मुझे थोड़ी सी बात कहनी है, मंत्री जी जरा ध्यान दे दें। ...*(व्यवधान)* हां, वह लगा हुआ है, उसको निकाल दें तो ज्यादा अच्छा है।

मंत्री जी, मैं जहां से आता हूं, वह बरेली बहुत मशहूर स्थान है। बीच में मुरादाबाद पड़ता है, वह भी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, एक्सपोर्ट करने के लिए मुरादाबाद पीतल नगरी करके मशहूर है। ...*(व्यवधान)* हम तो बोलेंगे ही, आप कितना ही बोलें, हम बोलना थोड़े ही बन्द करेंगे। ...*(व्यवधान)* आपको आंवला भी खिलाएंगे।

सभापति महोदया: कृपया सनिंग कमेण्टरी न करें। आपस में रनिंग कमेण्टरी न करें, आप मेरी तरफ देखकर बोलिये।

श्री राजवीर सिंह: मैं कह रहा था कि बरेली बहुत प्रसिद्ध स्थान है। मैं आपको देखकर ही कह रहा हूं, मगर ये बीच में बुजुर्ग सांसद हैं, वे बीच-बीच में टंगड़ी मार रहे हैं, वे आपके बिहार के हैं, सभापति जी। ...*(व्यवधान)* बुजुर्ग नहीं कहूंगा, वे तो युवा हैं।

सभापति महोदया: आप चेयर को एड्रैस करिये।

श्री राजो सिंह: संयोग से रेल मंत्री जी भी बिहार के हैं, चेयर पर भी बिहार के हैं और हम बोल रहे हैं, हम भी बिहार के हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह: इसीलिए हम रेल मंत्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपा करके क्रास टाकिंग बन्द करिये।

श्री राजवीर सिंह: मैं कह रहा था कि बरेली भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है। बरेली में जरदोजी का बहुत बड़ा काम होता है, लाखो-करोड़ों रुपये का एक्सपोर्ट होता है। मुरादाबाद में पीतल का एक्सपोर्ट होता है, मगर वहां विदेशी व्यापारी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वहां पर अच्छे बड़े होटल नहीं है और आने-जाने का, यातायात का कोई बढ़िया रास्ता नहीं है, इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर वहां के बिजनेस को तरक्की देने के लिए, वहां के लोगों की सुविधा के लिए एक शताब्दी एक्सप्रैस ट्रेन सवेरे दिल्ली से चले। ...*(व्यवधान)* मैं इस समय अपने मतलब की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय: आप बोलिये।

श्री राजवीर सिंह: मैं निवेदन कर रहा था कि एक शताब्दी एक्सप्रैस ट्रेन दिल्ली से लखनऊ वाया मुरादाबाद बरेली चलाई जाये, जिससे वहां का बिजनेस बढ़े, वहां से निर्यात बढ़े और वहां के लोगों को भी सुविधा हो। कोई भी ट्रेन जो नई ट्रेन चली थी, पहले काशी विश्वनाथ एक्सप्रैस हुआ करती थी, वह रात को 12.40 बजे चलती थी, पिछले रेल मंत्री जी ने उनका टाइम बदल दिया। अब वह रात के ढाई-तीन बजे चलती है, हम सांसद लोग जो बरेली से बैठते हैं, दिल्ली संसद में आने के लिए बहुत लोग वहां से बैठते हैं, उनको इतनी कठिनाई होती है, क्योंकि रात को दो बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं है। रात को दो बजे तक वहां प्लेटफार्म पर तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए एक ऐसी ट्रेन चलाइये, जो रात को 10 बजे के आसपास चले, 11 बजे चले, मगर टाइम से चले।

श्री बसुदेव आचार्य: कहां से?

श्री राजवीर सिंह: बरेली से। बरेली आपकी तो ससुराल है, इसलिए बसुदेव आचार्य जी, मैं आपकी सिफारिश ज्यादा कर रहा हूं। हमको भी हो तो अच्छा है। मैं इसके आगे नहीं कहूंगा, आगे कहूंगा तो फिर इनकी पार्टी के लोग नाराज हो जायेंगे तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक ट्रेन ऐसी जरूर दीजिए।

दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद तक अभी सिंगल रेलवे लाइन है, यह डबल लाइन हो रही है, मगर उसके लिए कम पैसा दिया जा रहा है, इसको कई वर्ष हो गये हैं। इसको यथाशीघ्र, जल्दी पूरा कराये। तीसरे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी बहुत पहले यहां कहा था। एक दिल्ली लखनऊ मेल ट्रेन चलती है। वह 8-9 घंटे चलती है और 15 घंटे आराम करती है। आप तमिलनाडु एक्सप्रैस चलाते हैं, वह 2000 किलोमीटर चलती है और तुरन्त वापस हो जाती है। यह ट्रेन सात बजे लखनऊ आती है।

अपराह्न 3.00 बजे

लखनऊ भी सात बजे के आसपास पहुंचती है। अगर इसको दोबारा दो घंटे के बाद चला दें तो यह शाम को चार-पांच बजे लखनऊ पहुंच जाएगी और फिर दिल्ली आ जाएगी। इससे लोगों को एक अच्छी ट्रेन मिल जाएगी और आपका भी एक पैसा इसमें नहीं लगेगा, रेक भी वही रहेंगे और आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इससे दिल्ली-बरेली के लिए दिन में ट्रेन मिल जाएगी। आजकल यह नई दिल्ली में यार्ड में 15 घंटे आराम करती है और यार्ड घेरकर खड़ी रहती है, जबकि आपको भी यार्ड की प्राब्लम है। इससे यह भी हल हो जाएगी। इसलिए इसको चालू करने के आदेश दे दें।

पैंट्री कार में पहले ठेकेदार थे, कुछ रेलवे के भी हैं। उसमें कई अनधिकृत वैंडर्स चलते हैं। श्रमजीवी एक्सप्रैस में भी ऐसा है और मैंने शिकायत की है, शायद आपके पास आई होगी। स्टाफ तीन का है और 14 लोग आर्डर ले रहे हैं। वह कुछ का कुछ कर रहे हैं। क्वालिटी नाम की चीज खत्म होती जा रही है। श्रमजीवी एक्सप्रैस दिल्ली से पटना जाती है। उसमें ऐसी शिकायतें ज्यादा हैं।

कासगंज से काठगोदाम को ब्राडगेज में बदलने की मंजूरी हो गई है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। वहां पर मंत्री जी भी जा चुके हैं, शिलान्यास हो चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया है। परेशानी यह हो रही है कि पिछली बार जब ब्राडगेज में बदलने का निर्णय लिया गया तो उसके चक्कर में जो लोग बरेली से आते-जाते थे, वे लालकुआं से आगे नहीं जा सकते। वहां से छोटी लाइन है इसलिए अगर लखनऊ से या आगरा से लोग आते हैं तो वे लालकुआं उतरते हैं और वहां से बस या टैक्सी द्वारा नैनीताल जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इसको आप तुरंत बड़ी लाइन में कंवर्ट करें और लखनऊ से काठगोदाम भी बड़ी लाइन कर दें तो लोगों को काफी सुविधा होगी।

बरेली में इज्जत नगर में रेलवे का मंडल कार्यालय है। वहां डी.आर.एम. बैठते हैं। वहां रेलवे का बहुत बड़ा कारखाना है। काम न होने के कारण वह बंद होने की स्थिति में आ जाता है। थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो चलने लगता है। वहां कोच फैक्टरी बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन 1984-85 में राजनैतिक

[श्री राजवीर सिंह]

परिस्थितियों के चलते वह फैक्टरी दूसरे प्रदेश में चली गई। वह बहुत अच्छा कारखाना है, वहां के अधिकारी और कारीगर भी काफी अच्छे हैं। आप कभी चलकर उसको देखें। उन लोगों के पास काम नहीं है, वे बेकार बैठे हुए हैं और काम की मांग कर रहे हैं।

अपराह्न 3.04 बजे

(श्री वी. सत्यमूर्ति *पीठासीन* हुए)

रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। बड़े-बड़े शहरों में रेलवे की काफी भूमि हैं। रेलवे को चाहिए कि वह अपनी भूमि का सही प्रबंधन करे। नाजायज कब्जे कराने के बजाय अधिकृत रूप से रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए वहां बस्तियां बना सकता है, और नहीं तो अपने रिटायर्ड लोगों के लिए आवासीय सुविधा मुहैया करा सकता है, उनको मकान बनाकर दे सकता है। आज हो यह रहा है कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे करके लोगों ने निजी मकान बना लिए हैं और उनको खाली कराना अब मुश्किल है। यह तो मैं दो-चार शहरों की बात कर रहा हूं, जहां आपकी अरबों रुपये की सम्पत्ति है, अगर पूरे देश में आप सर्वे कराएं तो ऐसी जमीन का खरबों रुपये का मूल्य होगा। इससे रेलवे की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो सकती है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां रेल लाइन उखाड़ लें, क्योंकि वहां वर्षों से रेल नहीं चलती है। जो रेल लाइन खाली पड़ी हुई हैं, उनमें से लोग सामान निकाल कर ले जाते हैं। जमीनों पर जो अवैध कब्जे होते चले जा रहे हैं, उन पर मुझे लगता है कि सरकार शीघ्र ध्यान देगी।

महोदय, बरेली में चार रेल लाइन क्रासिंग होने की वजह से बहुत दिक्कत है। वहां कोई उपरिगामी सेतु नहीं है, घन्टों वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने अपना शेयर दे दिया है, मगर मेरी जानकारी के अनुसार आपका विभाग इसको स्वीकृति नहीं दे रहा है और उसके लिए पैसा नहीं दे रहा है। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें। इसके साथ ही मुझे एक निवेदन और करना है। आप कहते हैं कि स्थान-स्थान पर मैंड क्रासिंग नहीं रखेंगे और क्रासिंग बन्द कर दिए हैं। समस्या यह है कि लोग गांव के इस पार रहते हैं और उनकी जमीन लाइन के उस पार है। वहां जाने के लिए उसको दस किलोमीटर चलना पड़ता है। इसलिए उन क्रासिंग को आप मैंड करने की व्यवस्था करिये। प्रदेश सरकार पैसा लगाए, तो ठीक है, नहीं तो इस काम के लिए आप पैसा दीजिए। ग्रामीण लोगों को सुविधा को भी सरकार को देखना चाहिए। उसकी जमीन पर आपने रेल लाइन डाली है, उसकी जमीन को आपने एक्वायर किया है क्या वही आदमी अपने खेत जोतने के लिए भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समस्या को थोड़ा गम्भीरता से लें।

महोदय, रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी आपको बधाई दी थी और मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको और बधाई दूं, अगर आप मेरी इन मांगों को मान लेंगे और पूरा कर देंगे।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): कब?

श्री राजवीर सिंह: आज ही पूरा करिए।

श्री नीतीश कुमार: कुछ मांगे मानेंगे तो?

श्री राजवीर सिंह: दो-चार मांगे मानेगें, तो भी मैं आपको बधाई दूंगा। जो मांगे मैंने आपके समक्ष रखी हैं, वे अतिआवश्यक हैं। मैंने जानबूझ कर लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं दिया है। ये मांगे बहुत दिनों से चली आ रही हैं। हर बार हम इन मांगों को उठाते रहे हैं, पहले कोई संवेदनशील रेल मंत्री नहीं था, जो इन दिक्कतों को देखता। आप संवेदनशील मंत्री हैं और मुझे विश्वास है कि आप इन मांगों को जरूर मानेंगे और पूरा करेंगे।

इन शब्दों के साथ रेल बजट का समर्थन करते हुए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, रेलवे संबंधी सामान्य चर्चा में इस सभा के कई सदस्यों ने भाग लिया है। उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। रेल मंत्रालय अधिकांश न्यायोचित मांगों और साथ ही हमारे सम्मानित सहयोगियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों का प्रत्युत्तर देने में पूर्णतः असफल रहा है।

मैं स्वयं को केवल तीन या चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक सीमित रखूंगा। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय परिवहन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रेलवे के साथ समस्या यह है कि वह जन परिवहन के रूप में पिछले कुछ वर्षों से अपना महत्व खोता जा रहा है। यात्री यातायात और माल परिवहन दोनों ही क्षमताओं में पिछले कुछ वर्षों से गिरावट आयी है। सड़क परिवहन कुछ कारणों से श्रेष्ठतर होता जा रहा है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं।

पिछले कई वर्षों से बजटीय सहायता में कमी हो रही है और रेल मंत्रालय को आन्तरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजटीय सहायता पर निर्भर होना पड़ रहा है। यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम रुग्ण हो जायेगा। यह मेरी आशंका है।

यही सही समय है कि यह सरकार इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य के व्यर्थ को बंद करने के लिए पर्याप्त और उचित कदम उठाये।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि रेलवे के पास परिसम्पत्तियां हैं, हजारों रेल इंजन हैं, सवारी और माल डिब्बे हैं। ये रेलवे की परिसम्पत्तियां हैं। किन्तु इन परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त, रेलवे के पास सैकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की कुछ अन्य परिसम्पत्तियां भी हैं जिनका किसी नये कार्य में उचित रूप से और सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। ऐसे एक क्षेत्र के संबंध में मुझसे पहले बोल चुके वक्ता ने भी उल्लेख किया था और वह रेलवे की भूमि के बारे में है। रेलवे के पास लगभग 4.17 लाख हेक्टेयर भूमि है और एक अत्यंत महत्वपूर्ण समिति जिसके सदस्य हमारे माननीय रेल मंत्री भी थे के सभापति के रूप में मुझे रेलवे भूमि के उपयोग से संबंधित कुछ समस्याओं पर गहराई से विचार करने का अवसर मिला था। काफी समय पहले रेल मंत्रालय ने रेलवे भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार किया था। मैं इनके परिणाम के ब्यौरे और इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि कुछ लोग किस प्रकार से भूमि सौदे से संबंधित भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इस सभा को यह भलीभांति ज्ञात है कि और अब मै इस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जब यह सरकार आवास क्षेत्र पर बल दे रही है और माननीय वित्त मंत्री ने भी आवास के महत्व पर बहुत कुछ कहा है। यह कहा जाता है कि वर्तमान सरकार आवास समस्या के संबंध में गम्भीरता से विचार कर रही है और भारत के लोगों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करेगी किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि रेल मंत्रालय का उन अन्य मंत्रालयों के साथ कोई सामंजस्य नहीं है जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के तथा अन्य लोगों के लिए आवास का निर्माण करने के इच्छुक हैं।

महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम, हुडको और कई अन्य संगठनों जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनके पास भूमि की कमी है और यदि संबंधित विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और मंत्रालयों के साथ बातचीत और उचित विचार-विमर्श किया जाता है तो इस भूमि का सही उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कुछ इस बात का है कि 1984 से इस भूमि का पट्टा लोगों को और अन्य एजेंसियों को अनुचित और मनमाने ढंग से दिया गया है। इस संबंध में मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। पश्चिम बंगाल में, ऐसे लाखों लोग हैं जो बंटवारे के पश्चात् आये और रेलवे की भूमि के आस-पास रहने लगे। इस भूमि का उपयोग रेलवे के प्रयोजनों हेतु कभी भी नहीं किया जायेगा और राज्य सरकार ने इस भूमि को विकास के लिए और बंटवारे के पश्चात् संयुक्त बंगाल के पूर्वी भाग से आये इन गरीब लोगों के पुनर्वास हेतु देने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया था।

जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने रेल मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजा था उसका मुझे कटु अनुभव है। एक स्थानीय निकाय ने स्टेशन जाने वाले मार्ग हेतु भूमि विशेष के विकास का प्रस्ताव किया था और इस प्रयोजन के लिए उन्होंने इस क्षेत्र के विकास और एक सड़क का निर्माण करने, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक था, के लिए संसद सदस्य से कुछ धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया और इसके लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से कुछ धन दिये जाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया। लेकिन दुर्भाग्यवश, रेल मंत्रालय ने कहा कि सरकार की वर्तमान नीति, विशेष रूप से इस रेल भूमि के संबंध में, स्थानीय निकायों द्वारा ऐसी कोई परियोजना आरम्भ किये जाने की अनुमति न देने की है।

स्थानीय निकाय, भूमि के विकास हेतु विशेषरूप से रेलवे के लाभार्थ रेलवे स्टेशन से जुड़े मार्गों जिनके द्वारा लोग आ जा सकें, विकास हेतु आगे आ रहे हैं। इस समय लोग कच्चे मार्गों पर आ जा रहे हैं। लेकिन इस मार्ग के विकास की कभी स्वीकृति नहीं दी गई। हमारे कर्मठ, युवा और प्रगतिशील रेल मंत्री इस समस्या के बारे में उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि मैं निजी प्रयोजनों हेतु रेलवे भूमि के अन्धाधुंध और असमान वाणिज्यिक उपयोग के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के भीतर रेलवे भूमि के उपयोग के बारे में विदेशी निवेश आरंभ करने पर विचार-विमर्श चल रहा है। यह खतरनाक है क्योंकि ऐसी एजेंसियां हैं जो रेलवे भूमि के उपयोग हेतु उत्सुक हैं। इनमें भारतीय जीवन बीमा निगम, हुडको, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन आप उन्हें स्थानीय लोगों, रेलवे कर्मचारियों, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों और अन्य लोगों के हित में भूमि विकास के इस अवसर से वंचित कर रहे हैं। मैंने मुम्बई और बंगलौर में ऐसे कुछ स्थानों को देखा है। वे स्थान विदेशियों के लिए भी अत्यधिक आकर्षक हैं। उन्हें रेलवे भूमि के उपयोग की अनुमति न दी जाये। यह कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार से मेरा विशेष आग्रह है कि सरकार रेलवे भूमि के उपयोग हेतु किसी भी विदेशी निवेश को स्वीकृति न दे जिस

[श्री रूपचन्द पाल]

पर सरकार विचार कर रही है। ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय रेलवे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों और इस प्रकार के अन्य निकायों को पारस्परिक सहयोग के आधार पर मिलकर कार्य करना चाहिए जोकि इस रेलवे भूमि का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

अब, मैं संसाधन जुटाने की संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। संसाधनों की कमी के कारण इस सरकार द्वारा किये गये वायदे अथवा पिछली सरकार द्वारा संसद सदस्यों और अन्य लोगों से किये गये वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। कोई नई रेल लाइन बिछाने की संभावना नहीं है। इसका कारण संसाधनों की कमी है।

महोदय, रेलवे के पास बहुत ही व्यापक दूरसंचार नेटवर्क है और इसके एक भाग को आप्टीकल फाइबर ट्रांसमिशन से पहले ही सज्जित किया जा चुका है। मैंने दूरसंचार विभाग को बहुत पहले एक सुझाव दिया था कि रेलवे नेटवर्क के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने के कारण दूरसंचार विभाग और रेलवे के बीच कुछ नीति संबंधी सामंजस्य होना चाहिए। हम आई.आई.टी. चेन्नई द्वारा हाल ही में विकसित 'विल' प्रौद्योगिकी-रेडियो बेतार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं।

इसे बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कम्पनियों और अन्य कम्पनियों द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर कठिनाइयों से हाल ही में मुक्ति मिली 'विल' प्रौद्योगिकी सर्वाधिक स्वीकार्य है। यह प्रौद्योगिकी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ से रेलवे नेटवर्क गुजरता है, दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और उसके शुभारम्भ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन दुर्भाग्य से देशवासियों के लिए खुशी की बात यह है कि यह क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए खोला जा रहा है। मैं यह टिप्पणी करने को इसलिए विवश हूँ क्योंकि मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस बुनियादी नेटवर्क का उपयोग करने के लिए गुप्त रूप से बड़े-बड़े दूरसंचार कम्पनियों से बातचीत चल रही है। मेरा अनुरोध है कि ऐसा कभी भी न किया जाय। हमारे देश में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है और हमारे पास भी यह नेटवर्क होना चाहिए। इससे लोगों में समन्वय, सहयोग और कुछ स्तर तक हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच कुछ संबंध बनेंगे।

उदाहरणार्थ, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन और राज्य विद्युत बोर्डों के पास अच्छा नेटवर्क है। उसी प्रकार, यदि दूरसंचार विभाग का नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क दोनों साथ मिलकर काम करें तो ग्रामीण लोगों को दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में हमारे मार्ग में आने वाली दूरसंचार संबंधी समस्याओं को काफी हद तक हल किया जा सकता है।

तीसरे, एक अन्य क्षेत्र भी है। रेलवे के पास बहुत अच्छे अस्पताल हैं जिनकी तुलना हाल ही में बनाये गये कुछ उच्च प्रौद्योगिकी वाले नर्सिंग होमों और अस्पतालों से की जा सकती है। मैं, चेन्नई, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर स्थित किसी अस्पताल का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। रेलवे के कुछ अस्पताल बहुत अच्छे अस्पताल हैं। मंत्री महोदय और उनके मंत्रालय को उन अस्पतालों को और विकसित करने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों के सुझावों पर गौर करना चाहिये जिससे उनके कुछ भागों का अच्छा उपयोग किया जा सकता है-मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रेलवे कर्मचारियों को किसी तरीके से वंचित रखा जाए। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो बढ़िया चिकित्सा एकक स्थापित हुए हैं, उन्हें उनके बराबर बनाया जा सकता है।

चौथे, रेलवे द्वारा कुछ होटल भी चलाए जाते हैं। मैं नहीं सोचता कि होटल चलाना रेलवे जैसे किसी बड़े उपक्रम के लिए एक अच्छा क्षेत्र हो सकता है। लेकिन उनमें से कुछ होटलों का बेहतर ढंग से संचालन किया जा रहा है और वे अच्छी जगह स्थित हैं तथा वे अन्य होटलों की अपेक्षा विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसा प्रस्ताव है, मंत्री महोदय चाहे इस बात की पुष्टि करें अथवा इन्कार, अच्छे स्थानों पर स्थित कुछ आकर्षक होटलों को विदेशियों को सौंप दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जो होटल अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें और विकसित करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। पर्यटन के विकास में, इन होटलों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।

मेरा अगला सुझाव यह है कि इस संबंध में रेल मंत्री को पर्यटन और नागर विमानन मंत्रियों के साथ सार्थक बातचीत करनी चाहिए। पर्यटन के विकास में रेलवे को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भारतीय रेल पर्यटकों को पारिस्थितिक पर्यटन अथवा उसे जो कुछ भी कहें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले यह प्रस्ताव था कि रेल विभाग पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालयों तथा होटल उद्योग के साथ इस संबंध में समन्वय स्थापित करेगा। मंत्री महोदय इस सभा को यह जानकारी दें कि क्या इस संबंध में कारगर रूप से कार्य करने हेतु कोई समन्वयकारी निकाय स्थापित किया गया है। रेलवे ने "पैलेस ऑन व्हिल्स" और ऐसे ही अन्य आकर्षक परिवहन प्रणालियां शुरू की थीं। शिमला, दार्जिलिंग और अन्य अनेक जगहों पर 'टॉय ट्रेन' शुरु की थी। आज वह

सब जीर्णावस्था में हैं। पर्यटन के विकास में उनका काफी योगदान हो सकता है। अत: रेलवे को इस संबंध में 'टाय ट्रेन' को अधिक आकर्षक बनाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

मंत्री महोदय ने अवसंरचना के संबंध में निर्माणाधीन परियोजनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने इस बात पर ठीक ही जोर दिया है कि नई परियोजनाएं शुरू करने की बजाय, मंत्री महोदय को निर्माणाधीन परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अनेक निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कई दशकों से कार्य चल रहा है। मैं नहीं जानता कि उनके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी।

समयाभाव के कारण, मैं केवल दो अथवा तीन उदाहरण दे रहा हूँ।

बन्देल-कटवा रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया था और इस लाइन के उद्घाटन के अवसर पर पूर्व रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान ने एक जन सभा में खुले आम यह घोषणा की थी कि एकल लाइन को दोहरी लाइन में परिवर्तित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। यह सार्वजनिक रूप से की गई वचनबद्धता थी। मंत्रियों द्वारा सभा में आश्वासन दिए जाने के मामले में, हम इन पर अलग ढंग से विचार कर सकते हैं। मंत्री तो केवल मंत्री ही होता है, लेकिन सरकार का अस्तित्व लगातार बना रहता है। अत:, मैं तो केवल इसके बारे में जानना चाहता हूं।

शिवासराफुली-तारकेश्वर नामक एक और ऐसी लाइन है, जिसका कि दोहरीकरण किया जाना है। यहाँ दोहरी लाइन का निर्माण करने हेतु कई बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन इस लाइन के संबंध में क्या किया जाएगा, इसके बारे में हमें आज तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है।

तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1981 में हावड़ा-आमटा रेल लाइन की आधारशिला रखी थी। इस लाइन को केवल बरगछिया तक बढ़ाया गया है। वह कार्य वहीं रुक गया है। कम से कम दिवंगत नेता एवं पूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के रूप में, सरकार को कुछ तो करना चाहिए। एकलाखी-बेलुरघाट लाइन, बजबज-नमखाना लाइन और दीघा-तामलूक लाइन तथा कलकत्ता मेट्रो लाइन को दक्षिण में धरिया और उत्तर में बैरकपुर तक बढ़ाने का कार्य भी अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

अब मैं कुछेक ऐसे मुद्दों को लूंगा, जिनके कारण रेल कर्मचारी, अनियमित, नियमित और ठेके के मजदूर दोनों ही लगातार आन्दोलन कर रहे हैं। भाप से चलने वाले इंजनों को चरणबद्ध तरीके से निकाल दिया गया था। हमने यह प्रश्न इस सभा में बार-बार उठाया है। हम प्रधान मंत्री और रेल मंत्री से अनेक बार मिल चुके हैं। कोयला और "ऐश" हैंडलिंग का काम करने वाले कामगारों, जिनकी भाप से चलने वाले इंजनों को चरणबद्ध तरीके से निकाले जाने के कारण नौकरियां चली गई, के संबंध में इस सभा में एक आश्वासन दिया गया था। मेरे साथ ही श्री बसुदेव आचार्य जी बैठे हुए हैं। वह आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति थे। इन्होंने इस स्थिति की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया था और हमने बारम्बार सिफारिशें की हैं। लेकिन क्या हुआ? रेलवे के 55000 से भी अधिक नैमित्तिक कामगार नौकरी से निकाल दिए गए थे और मंत्री महोदय द्वारा एक बैठक में कोयला और 'ऐश' हैंडलिंग का कार्य करने वाले कामगारों को भी समायोजित करने का आश्वासन दिया गया था, तो मैंने उसके लिए मंत्री जी को बधाई दी थी। जब तक इन अभागे कामगारों के मामलों की समीक्षा की गई, तब तक इनमें से अधिकांश मर चुके थे। अब उनकी संख्या अधिक नहीं है। उनमें से अधिकांश कामगारों की मृत्यु रेल मंत्रालय की लापरवाही के कारण हुई है। उनके बारे में अवश्य कुछ किया जाना चाहिए। उन्हें अवश्य समायोजित किया जाना चाहिए।

मैं ठेके के मजदूरों के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं। इस सरकार और कुछ पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ठेके के मजदूरों को स्थायी स्वरूप के कार्यों में लगाने का निश्चय किया था। लेकिन जब ठेके के इन मजदूरों की किसी ठेकेदार के अधीन स्थायी स्वरूप कार्य करते समय दुर्घटना हो जाती है अथवा कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो रेलवे का भी कोई उत्तरदायित्व है और उनको इनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठेके के मजदूर रेलवे के लिए सदियों से कार्य करते आ रहे हैं। इनकी क्रेन अथवा ऐसे ही अन्य किसी यंत्र से गिर जाने के कारण मौत हो सकती है। तब इन लोगों का क्या होगा? मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इनके मामले पर विचार करें।

अपनी बात पूरी करने से पहले मैं दो अथवा तीन बातें और कहना चाहता हूं। ये लाइनों के विस्तार किये जाने के संबंध में नहीं हैं। मैं तारकेश्वर से आरामबाग आदि तक नई रेल लाइनें बिछाए जाने के बारे में पहले ही अनेक सुझाव दे चुका हूँ।

एक और समस्या ऐसी है, जिसका कि रेलवे पर नकारात्मक असर पड़ता है। अंग्रेजों के जमाने में, उन्होंने कुछ रेल लाइनों का निर्माण किया था। कुछ उपमार्ग भी हैं। पिछले कई वर्षों से शहरी विकास हो रहा है। विशेषरूप से मानसून के दौरान पानी जमा हो

[श्री रूपचन्द पाल]

जाने के कारण लोग उन क्षेत्रों में जा नहीं सकते। बन्देल, चिनसुरा और चन्दन नगर जैसे ऐसे अनेक उपमार्ग हैं। ऐसे उप मार्ग सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों में भी हैं। इस संबंध में कोई नीति होनी चाहिए।

मंत्री महोदय, आप कोई नई लाइन अथवा नई गाड़ी उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। लेकिन आप किराये बढ़ा रहे हैं और आम आदमी पर बोझ लाद रहे हैं। आप आम आदमी के ऊपर एक अलग तरीके से कर के रूप में करोड़ों का बोझ लादने के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। इन निरीह लोगों, जिन्होंने रेलवे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, कुछ मांगा नहीं है। वे वहां रहते हैं। मानसून के दौरान रेलवे और उपमार्गों के कारण जल प्लावन हो जाता है। उनकी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ वहीं रुक जाती हैं। अत:, इस संबंध में अवश्य कुछ किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति के इस युग में सरकार कम-से-कम कम्प्यूटरों के माध्यम से सूचना सुविधाओं का न केवल चुनिंदा स्टेशनों, बल्कि सभी जगहों तक विस्तार कर ही सकती है। ऐसा आसानी से किया जा सकता है। इस पर कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी लगातार सस्ती होती जा रही है। आप उस प्रौद्योगिकी को अपना सकते हैं, जो बेहतर हो। आप सही प्रौद्योगिकी चुन सकते हैं। अब लोग यह सोचना शुरू कर देते हैं कि कोई गाड़ी विशेष कब आएगी और कब वह प्रस्थान करेगी। किसी गाड़ी विशेष को क्या हो गया है। दुर्घटना की जानकारी सहित ऐसी सूचना बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा सकती है। मेरा यह सुझाव है कि सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति आनी चाहिए। मंत्री महोदय को इस ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। वह स्वयं भी एक इंजीनियर हैं। उन्हें इन बातों की समझ है। इस पर कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे बोलने का समय देने के लिए, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे रेलवे बजट 1998-99 के अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इलाहाबाद में डी.आर.एम. ऑफिस तो है और रेलवे जोनल ऑफिस की भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया है कि कहां पर उसका कार्यालय होगा। यह कार्य न होने की वजह से वहां असंतोष की भावना है।

दूसरी बात पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा चूंकि मंत्री जी सदन से उठकर चले गए, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात सदन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कैबिनेट मंत्री उपस्थित हैं। संबंधित मंत्री जी जल्दी ही वापस आएंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाइगापट्टी के. राममूर्ति): वह लम्बे समय तक यहां नहीं बैठ सकते। उन्हें कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा और फिर आयेंगे। अन्यथा यह संभव नहीं होगा ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं यही सोच रहा था कि मेरे बोलने से मंत्री जी नाराज होकर चले गए। जानकारी मिल गई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

इलाहाबाद और कौशाम्बी दो ऐसे जनपद हैं जिनका धार्मिक तौर पर भी बहुत महत्व है। सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि प्रतिवर्ष इलाहाबाद में माघ मेला और समय आने पर कुम्भ मेला लगता है। कौशाम्बी नया जिला है और यह बुद्धिस्ट पर्यटक स्थल है। इन दोनों स्थलों पर विदेशी पर्यटकों का बराबर आना-जाना रहता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में आने के लिए इलाहाबाद से प्रयागराज ऐक्सप्रेस के अलावा कोई अन्य ट्रेन नहीं है। वर्षों से यह मांग चल रही है कि दिल्ली से इलाहाबाद के लिए शताब्दी ऐक्सप्रेस चलाई जाए। इसके पहले भी कई बार मैंने अनुपूरक बजट और सामान्य बजट में यह बात कही है। इलाहाबाद का महत्व इसलिए है कि वहां पर स्वराज भवन और आनन्द भवन है। देश की आजादी की लड़ाई वहां से लड़ी गई। इसलिए मंत्री जी से मांग है कि दिल्ली से इलाहाबाद एक शताब्दी ऐक्सप्रेस चलाई जाए चूंकि अभी एक ही ट्रेन प्रयागराज ऐक्सप्रेस है जिसमें 24 बोगियां लगती हैं और उसके बावजूद भी यात्रियों का भार इतना अधिक रहता है कि हम

लोगों को कभी-कभी संसद के सत्र में आने के लिए प्रयागराज में रिजर्वेशन मिलना भी मुश्किल हो जाता है।

जो नव-निर्मित कौशाम्बी जिले का मुख्यालय है, वहां पर जंक्शन स्टेशन बनने का प्रावधान नहीं है। भरवारी स्टेशन जो बहुत नजदीक पड़ता है, उसको जंक्शन स्टेशन बनाया जाए और जब तक वहां पर नया प्लेटफार्म न बने या उसका विस्तार न हो, मेरी मांग है कि वहां पर अच्छी-अच्छी ट्रेनों का रुकाव हो ताकि जो विदेशी पर्यटक बुद्धिस्ट स्थल पर आते हैं, उनको सुविधा मिल सके। चीन, हांग-कांग, इंडोनेशिया, जापान से तमाम बुद्धिस्ट टूरिस्ट आते हैं और उनको इससे सुविधा होगी।

जनपद कौशाम्बी के मुख्यालय या धार्मिक स्थल कौशाम्बी जाने के लिए तमाम जनपदों से पर्यटक आते हैं। वहां पर तीन रेलवे क्रॉसिंग है-मंदर भगवतपुर, मनीरी और भरवारी हैं। जब रेलवे क्रासिंग पर फाटक बंद होता है तो घंटों ट्रैफिक जाम रहता है जिससे यात्रियों को जनपद मुख्यालय जाने में असुविधा होती है और बुद्धिस्ट स्थल कौशाम्बी जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाए। भरवारी के आस-पास जगह अक्वायर करके एक ओवर ब्रिज बने। इसी प्रकार से मनौरी के आस-पास जमीन अक्वायर करके रेलवे ओवर ब्रिज बने। इसी प्रकार से मनौरी के आस-पास जमीन अक्वायर करके रेलवे ओवर ब्रिज बने और मंदर भगवतपुर के पास पुल बनने से तमाम यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

एक महत्वपूर्ण स्लीपर फैक्टरी सूबेदारगंज धूमनगंज में स्थापित की गई थी जहां सीमेंट के रेलवे स्लीपर बनते थे। ऐसा सुनने में आया है कि उस फैक्टरी के निजीकरण की योजना है। वहां के मजदूर और कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं, इसलिए उसका निजीकरण न करके रेलवे विभाग उस फैक्टरी को पुनः चालू करने के लिए आर्थिक मदद करे। चूंकि मेरे पास स्लीपर फैक्टरी के तमाम कर्मचारी और अधिकारी आए थे। आज उन्होंने यह बात मेरे सामने रखी कि यदि फैक्टरी बंद होती है तो वे लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे और निजीकरण होगा तो उन लोगों को सेवा में नहीं रखा जाएगा, ऐसी भ्रांतियां हैं।

इसी प्रकार से इलाहाबाद में सूबेदारगंज रेलवे क्रांसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने का पांच वर्ष से काम चल रहा है। केवल पिलर खड़े हुए हैं, उस पर आज तक ब्रिज नहीं बन पाया है जिससे कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद चार-पांच जनपद के लोगों को आवागमन में असुविधा होती है। इसलिए मेरी मांग है कि उस ओवर ब्रिज को जल्दी पूरा किया जाए। इससे यातायात में सुविधा होगी और जो दुर्घटनाएं नेशनल हाईवे पर होती हैं, वे भी रुकेंगी।

कभी-कभी रेलवे के रिजर्वेशन में डी.आर.एम. ऑफिस में हम कोटे से आरक्षण के लिए लिखकर भेजते हैं तो वह नहीं मिलता है। हमारे यहां बहुत से यात्री ऐसे आते हैं जिनका विदेशों में आवागमन होता है। मुम्बई से या दिल्ली से हवाई जहाज से उनको यात्रा करके आना पड़ता है। रेलवे में कोटा इतना सीमित है कि हम लोगों के लिखने के बावजूद भी उनको आरक्षण नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि डी.आर.एम. ऑफिस इलाहाबाद में सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों के लिए रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया जाए।

एक महत्वपूर्ण बात मैं सदन के सम्मानित सदस्यों के लिए भी कहना चाहूंगा, जो सभी सदस्यों पर लागू होती है। हम लोगों को रेलवे में यात्रा करने के लिए केवल सैकिंड क्लास ए.सी. में दो बर्थ मिलती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमें सैकिंड क्लास ए.सी. में जगह नहीं मिलती तो हम फर्स्ट क्लास से जाते हैं। वहां हमें केवल एक बर्थ मिलती है जिसके कारण हमारे सहवर्ती को बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि ए.सी. फर्स्ट क्लास में भी सदन के सम्मानित सदस्यों को कम से कम दो बर्थें दी जाएं। इसके साथ ही संसद सदस्यों के जो बच्चे यात्रा करते हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। आपने जैसी रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों को सुविधा दी है वैसी ही सुविधा संसद सदस्यों के बच्चों और उनके सहवर्तियों के लिए दी जाए। ... *(व्यवधान)*

मैं एक दूसरी और महत्वपूर्ण बात उठाना चाहूंगा कि कई बार हम लोग माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखते हैं। जब किसी हमारे अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को सर्विस देने के लिए हम लोग बार-बार रेल मंत्री जी को तकलीफ देते रहते हैं। इसलिए उनकी सेवाशर्तों में सुधार करके यह सुविधा दी जाए, ताकि मृतक के आश्रितों को तुरंत सेवा का अवसर मिल सके और उनका जीवनयापन आसानी से हो सके।

सभापति महोदय, इलाहाबाद से लखनऊ जब हम लोग राजधानी एक्सप्रेस से जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि कुंडा-ऊंचाहार तमाम ऐसे छोटे-छोटे स्टेशंस रास्ते में पड़ते हैं जहां गाड़ी रुकती है, लेकिन उन स्टेशनों पर कभी-कभी बिजली गुल रहती है जिसके कारण दुर्घटनाएं होती है, खासकर मुगलसराय पैसेंजर में चोरी-डकैती की घटनाएं भी घटती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियों का वहां स्टापेज है, वहां बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था की जाए जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

एक और महत्वपूर्ण चीज की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। रेलवे की तरफ से जो खानपान की सुविधा है, चाहे वह प्लेटफार्म पर हो या ट्रेनों की बोगियों में सप्लाई हो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और समय-समय पर खान-पान के लिए जो चीजें मुहैया कराते हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। ब्रेड, मक्खन या कटलेट के अलावा रेलवे क्या और कोई चीज नहीं दे पाती है।

एक अन्य बात मैं और बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी राजधानी लखनऊ जाने के लिए जिन ट्रेनों का इस्तेमाल करना पड़ता है उनमें से एक मुख्य ट्रेन गंगा-गोमती एक्सप्रेस की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले उस ट्रेन में ए.सी. फर्स्ट क्लास लगता था, ए.सी. चेयर कार भी लगती थी, लेकिन अब केवल एक ए.सी. चेयर कार की बोगी लगती है। इलाहाबाद में चूंकि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, लखनऊ में अक्सर हाई कोर्ट की बैंच लगती है, जिसकी वजह से उच्च न्यायालय के सम्मानित जजों को ट्रेन से आना-जाना पड़ता है, लेकिन यात्रा में उनको बड़ी असुविधा होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गंगा-गोमती एक्सप्रेस में ए.सी. चेयर कार की बोगी बढ़ाई जाएं और ए.सी. फर्स्ट क्लास की बोगी लगाई जाएं, ताकि जन प्रतिनिधियों और हाई कोर्ट के सम्मानित जजों को उनकी सुविधा मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि बहुत सारी बातें मैंने पहले बताई थी जो शायद आप सुन नहीं सके, इसलिए आप मेरे द्वारा कही गई सभी बातों पर विशेष ध्यान दे। चूंकि आपने रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए हम लोगों से अपने विचार और सुझाव मांगे हैं, इसलिए आप इन पर विशेष ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डा. रणजीत कुमार पांजा (बारसात): सभापति महोदय, मुझे इस महान सभा में पहली बार बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं रेल परियोजनाओं के कुछ पहलुओं और बजटीय आबंटन के सिद्धांतों के बारे में बात करूंगा। मैं इस सभा के सदस्यों का ध्यान और विशेष रूप से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं एक उपनगरीय क्षेत्र का संसद सदस्य हूं जहां अधिकतर लोग रेल से यात्रा करते हैं। वे दैनिक यात्री हैं, उनकी विभिन्न समस्याएं हैं। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आया हूं। मैं अपने प्रिय शहर कलकत्ता के बारे में भी कुछ कहूंगा।

पहले मैं यात्री सुविधाओं की बात करूंगा। मुझे भरोसा है कि, प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास है और वह जानता है कि यात्री सुविधाएं संतोषजनक नहीं है। साफ सुथरे डिब्बे नहीं हैं, गलियारे, शौचालय और भोजनयान स्वच्छ नहीं हैं और बहुत सी रेलगाड़ियां वास्तव में बहुत गन्दी रहती हैं। उनको थोड़ा ध्यान देकर और थोड़े बजटीय आबंटन से ठीक किया जा सकता है। प्रत्येक स्टेशन पर पेय जल, शौचालय और स्वच्छता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

मैं महसूस करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस बात पर सहमत होगा कि यात्रा करने से भूख लगती है। अत: अच्छी खान-पान सेवा सबके लिए स्वागतयोग्य है। हम उन दिनों को भूल गए जब केलनर हमारे बचपन में स्वादिष्ट भोजन दिया करता था जिसकी हम आज भी प्रतीक्षा करते हैं आजकल हमें इस प्रकार के भोजन को खाते हुए डर लगता है, जो भोजन यान (डाइनिंग कार) में अथवा स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जाता है। हमें भोजन की गुणवत्ता की चिन्ता नहीं है। हम इस बारे में अधिक चिन्ता है कि बकरे के मांस के लिए बकरे को *हलाल* किया जाता है अथवा झटके से मार कर मीट तैयार किया जाता है। मैं भोजन की गुणवत्ता पर जोर दूंगा। हमें रेलवे से किसी बहुत महंगे भोजन की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों कम से कम स्वच्छ, ताजा और स्वादिष्ट होना चाहिए।

दैनिक यात्री सेवाओं में कुछ सुधार होना चाहिए। कलकत्ता के आसपास कई स्थानों पर हमें रेलगाड़ियों की अधिक बारम्बारता, अधिक बोगियों अथवा भारी संख्या में यात्रियों को लाने ले जाने वाली लम्बी गाड़ियों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त व्यस्त स्टेशनों पर शटल सेवा भी होनी चाहिए। रेलगाड़ियों के ठीक समय पर चलने के बारे में, यद्यपि रेलवे का यह दावा है कि अधिकतर रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं, मेरे विचार से इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। यदि हम उन लोगों की बात छोड़ दे जो लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं तथा जिन्हें इसकी चिन्ता नहीं होती। गाड़ी एक घंटा या दो घण्टे देरी से चल रही है, अधिकतर वे लोग जो रोज काम पर जाते है, उन्हें गाड़ियों के समय पर आने की आवश्यकता होती है।

यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों कलकत्ता से लगभग 40 कि.मी. दूर मासाग्राम नामक स्थान पर डकैतों ने 20 महिला यात्रियों पर हमला कर दिया और वहां पर रेल सुरक्षा बल अथवा रेलवे पुलिस का कोई आदमी उनकी सहायता हेतु नहीं था। स्थानीय लोग और सहयात्री उनकी सहायता के लिए आए। चार महिलाएं घायल हो गई थी और उनको अस्पताल ले जाया गया। मुझे प्रसन्नता है कि रेल मंत्री जी ने हमें सूचित किया है कि इस संबंध में कुछ कदम उठाये गये हैं। ऐसा नियमित रूप से, न कि केवल विशेष घटना पर होना चाहिए।

आजकल बिचौलियों के दिन चल रहे हैं तथा रेलवे और यात्रियों के बीच बिचौलिये होते हैं जिन्हें दलाल भी कहा जाता है। मैं समझता हूं कि तत्काल बुकिंग हेतु तत्काल दलाल भी हैं। आप उनको हमेशा एक टिकट के लिए कुछ अधिक रुपये मांगते हुए आसपास के स्थानों पर पायेंगे। ऐसी समाज को हानि पहुँचाने वाली बात को शीघ्र रोका जाना चाहिए।

परियोजनाओं के संबंध में यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि उन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो लम्बे समय से अधूरी पड़ी हुई हैं। कुछ परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में हैं। देश में भी अन्य बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बारसाट और बोनगांव के बीच एक रेलवे लाइन है। इस पर केवल 25 कि.मी. रेलवे लाइन का दोहरीकरण हेतु कार्य पिछले 20 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है। इसी तरह, पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में कई लाइनें जैसे हावड़ा-आम्टा लाइन, जिसका उल्लेख अभी किया गया है, एकलखी-बलूरघाट लाइन और दीघा-तामलुक लाइनें पिछली 15-20 वर्षों से निर्माणाधीन पड़ी हुई हैं।

नई परियोजनाएं शुरू होने से पहले इन परियोजनाओं को पूर्ण हो जाना चाहिए।

बहुत से लोग लेवल क्रासिंग पर दुर्घटना होने से मारे जाते हैं। उनको बचाने के लिए उपरिपुल आवश्यक हैं। उपरिपुल पैदल यात्रियों तथा चलते हुए वाहनों के लिए सुविधाजनक होते हैं। कलकत्ता के आसपास उपनगरीय रेलवे में बहुत से उदाहरण हैं। इनमें से सोनापुर, बाँदेल गेट, लेक गार्डन, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारसाट तथा कुछ अन्य भी हैं। ये परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। ये स्वीकृत परियोजनाएं हैं परन्तु अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। राज्य सरकारों की भी इस संबंध कुछ जिम्मेदारी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को फ्लाइओवर के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए भुगतान करना होगा। यह प्राय: उपलब्ध नहीं होता है। इसी कारण से इन परियोजनाओं के पूरा होने में कठिनाई आती है। मैं महसूस करता हूं कि रेल मंत्रालय को इन फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य पूरा करने में राज्य सरकार से बातचीत करनी चाहिए।

कलकत्ता की मेट्रो रेल परियोजना कलकत्ता के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। इसने संचालन में, उपयोगिता में, स्वच्छता में और लाखों लोगों की सेवा करने में उत्कृष्टता प्राप्त की है। इस प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता के अतिरिक्त, कलकत्ता की मेट्रो रेल सबके लिए अनुकरणीय है। इन तथ्यों पर विचार करते हुए, कलकत्ता मेट्रो रेल को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इस परियोजना हेतु समुचित बजटीय आवंटन भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

कुछ सर्वेक्षण भी किए गए हैं। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि 'जहां सर्वेक्षण होता है, वहां कोई रेलें नहीं होती।' परन्तु सर्वेक्षण किए गए है और हम टॉलीगंज से गोरिया तक मेट्रो रेल के विस्तार होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस परियोजना को वरीयता दी जानी चाहिए और शीघ्र ही कार्य शुरू होना चाहिए।

अन्त में, सभी रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने की अंतिम तारीख निर्धारित होनी चाहिए और तदनुसार बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ-यदि किसी परियोजना के लिए, जिसे दो वर्ष की अवधि में पूरा होना है, प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये, 5 करोड़ रुपये का आबंटन किया जाता है। परन्तु प्रतिवर्ष केवल 50 लाख अथवा 1 करोड़ रुपये ही दिये जाते हैं और इस तरह से दस वर्ष से पूर्व कभी भी पूरी नहीं हो पाती। इसके आंतरिक मूल्यों में काफी वृद्धि भी हो जाती है। अत: किसी परियोजना के पूर्ण होने के निर्धारित समय और बजटीय आवंटन के बीच एक प्रकार की समानता होनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि मूल्यों में रॉकेट की भांति तीव्र वृद्धि होती है परन्तु वर्षा की भांति नीचे कमी नहीं आते। अत:, हमें बजटीय आवंटन में सावधान होना चाहिए ताकि धन बेकार न हो।

सभापति महोदय, मैं इस सभा को, आपको तथा माननीय रेल मंत्री जी को मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं ... *(व्यवधान)* मैं अपने नेता को जो यहां पर उपस्थित रहे, धन्यवाद देता हूं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं।

नये सदस्य के रूप में, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सुझाव रचनात्मक होने चाहिएं; केवल आलोचना से हमें सहायता नहीं मिलेगी।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका (नेल्लोर): सभापति महोदय, मुझे रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट आशा के अनुरूप नहीं है। इस बजट में माल ढुलाई और यात्री परिवहन सुविधा को दक्ष बनाने हेतु भारतीय रेल को सुदृढ़ बनाने तथा उसकी भूमिका के विस्तार हेतु उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं किया गया है। रेलवे को यात्रियों की संरक्षा, सुरक्षा, सुखद यात्रा, समयपालन सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए।

व्यय में कमी हेतु मितव्ययता उपाय बरतने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि रेल प्रशासन स्वयं ही कारगर प्रयोजनों हेतु अवसंरचनात्मक ढांचे के उपयोग की अनदेखी कर रहा है। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश स्थित बित्रागुंटा लोको शेड पूर्णतया उपेक्षित पड़ा है और वहाँ उपलब्ध परिसंपत्तियों, अवसंरचनात्मक ढांचे और उपलब्ध विशाल भू-क्षेत्र का कोई उपयोग नहीं किया गया है।

बित्तागुंटा में एक रेलवे एकक शुरू करने की मांग काफी समय से लम्बित है। लेकिन बित्तागुंटा में इसकी स्थापना के बारे में विचार किये बिना ऐसे एकक कहीं और स्थापित किये जा रहे हैं।

यात्री सुविधाओं के बारे में, जैसाकि माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में ठीक ही इंगित किया है, यात्री सुविधाओं में सुधार, नई गाड़ियां और नई लाइनें शुरू करने, गाड़ियों के ठहराव और उपनगरीय गाड़ियों के विस्तार आदि हेतु दबाव लगातार बढ़ रहा है। गत दो वर्षों से मैं रेल मंत्रालय से सुलरपेट-चेन्नई एम.ई.एम.यू. गाड़ियों को नेल्लोर तक बढ़ाने का अनुरोध करती रही हूं। लेकिन रेल मंत्रालय इस पर विचार नहीं कर रहा है। व्यावहारिक दृष्टि से यात्रियों की सुविधा के लिए यह अत्यावश्यक है। अत:, मैं माननीय रेल मंत्री से इन सेवाओं को नेल्लौर तक बढ़ाने के लिए विचार करने हेतु अनुरोध करती हूं।

माननीय रेल मंत्री ने कुछ गाड़ियों को कोंकण रेलवे से होकर चलाने का प्रस्ताव किया है। ऐसा करने से, मंगला एक्सप्रेस को भी कोंकण रेलवे से होकर चलाना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप, नेल्लोर के लोग गाड़ियों के नेल्लोर स्टेशन पर ठहराव की सुविधा से वंचित हो जायेंगे। क्योंकि ऐसी गाड़ियों की मांग दक्षिण और उत्तर, दोनों दिशाओं में अधिक है। अत: यह अनुरोध किया जाता है कि मंत्रालय मंगला एक्सप्रेस के स्थान पर केरल एक्सप्रेस के नेल्लौर में ठहराव पर विचार करे।

नए सर्वेक्षणों के संबंध में, मैं यह कहना चाहती हूं कि रेल बजट में घोषणा के बाद रेलवे द्वारा नई रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण कराये जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में नादीकुडे-वेंकटगिरी और नेल्लोर-कुड्डप्पा रेल लाइनों के पुनर्सर्वेक्षण की घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा 1997-98 के बजट में की गई थी, लेकिन 1998-99 के बजट में इसकी प्रगति का उल्लेख नहीं किया गया। यह सर्वेक्षण उचित है क्योंकि प्रस्तावित रेल लाइन चेन्नई-विजयवाड़ा सेक्शन पर वैकल्पिक मार्ग का काम करेगी। गुडुर-विजयवाड़ा सेक्शन पर अक्सर बाढ़ और चक्रवात आने के कारण हर वर्ष अक्तूबर से दिसम्बर के बीच लाइनों की मरम्मत पर भारी धनराशि खर्च की जा रही है।

1998-99 के रेल बजट में शुरू की गई तत्काल आरक्षण योजना के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि यह योजना केवल उन्हीं शहरी यात्रियों के लिए लाभदायक है जिनके पास क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हैं। ग्रामीण लोगों का क्या होगा? मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करती हूं कि इस योजना में संशोधन किया जाए और सभी को समान अवसर प्रदान किये जाएं।

यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं, की सुरक्षा गम्भीर चिन्ता का विषय है। गाड़ियों में और स्टेशनों पर चोरी की घटनाएं दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं। स्टेशनों पर और गाड़ियों में नियमित होने वाली चोरी की घटनाओं के कारण महिलाओं से चैन, मंगलसूत्र और सोने के अन्य आभूषण चोरी किये जा रहे हैं। इस पर प्राथमिकता के आधार पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

मैं यह इस बात की ओर भी इंगित करना चाहती हूं कि मानवरहित रेल फाटकों पर दुर्घटनाएं दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं। सभा में यह बताया गया था कि विगत रेल बजट में सभी महत्वपूर्ण मानवरहित रेल फाटकों पर गेटमैन तैनात किए जाएंगे, लेकिन इस योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। माननीय रेल मंत्री ने भी इस संबंध में कुछ नहीं कहा। अत:, मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करती हूँ कि वह इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लें।

मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खेद है कि रेल बजट में अतिरिक्त यातायात को आकर्षित करने हेतु विपणन नीति पर कुछ प्रकाश डाला गया है, लेकिन इसे रेलवे द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। व्यावहारिक रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र नेल्लोर, गुडुर, वेंकटगिरी और अन्य स्टेशनों से चूने की ढुलाई की हेतु परिवहन की काफी मांग है। रेलवे द्वारा पार्सल वैन उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और इसके परिणामस्वरूप उन किसानों को भारी

नुकसान हो रहा है जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई करवाना चाहते हैं। इसी प्रकार, मिल मालिकों को थोड़ा-थोड़ा करके अथवा थोक मात्रा में चावल अन्य राज्यों में पहुंचाने के लिए वैगन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

मेरा यह भी सुझाव है कि रेलवे को गाड़ियों में नियमित रूप से लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इंडियन एयरलाइन्स की 'फ्लाईंग रिटर्न्स स्कीम' के अनुरूप कोई सुलभ प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू करनी चाहिएं। इससे रेलवे को यात्री यातायात के माध्यम से राजस्व प्राप्ति बढ़ेगी।

अत:, इस रेल बजट का विरोध करते हुए मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करती हूँ कि मैंने जिन प्रस्तावों का उल्लेख किया है, उन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें।

***श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या** (तुमकुर): सभापति महोदय, रेलवे हमारे देश के विभिन्न भागों को जोड़ने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। यह वस्तुओं की ढुलाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रेलवे यात्रा का एक अत्यंत सुविधाजनक साधन है। लगभग सभी मंत्रियों ने हमें नई रेल लाइनें बिछाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने हमें विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों के ठहराव का भी वायदा किया है। उनके अनुसार जल सुविधाएं और चिकित्सा सहायता भी मुहैया कराई जाएगी।

कई बार डाक्टरों का स्थानान्तरण दूरस्थ स्थानों पर कर दिया जाता है। इसके बाद उन डाक्टरों का वापस उसी स्थान पर स्थानान्तरण करवाने में काफी समय लग जाता है। इस प्रयोजन हेतु उन्हें कुछ राजनेताओं से सम्पर्क करना पड़ता है। इसी प्रकार अधिकारियों और अन्य कामगारों का भी स्थानान्तरण कर दिया जाता है। इसकी बजाय, स्थानांतरण आवश्यकतानुसार किये जाने चाहिएं। स्थानांतरण रिक्तियां होने पर ही किए जाने चाहिएं। यदि स्थानांतरण अव्यवस्थित तरीके से किए जाएंगे, तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। राष्ट्रीय अखंडता के नाम पर अनियमित तरीके से स्थानान्तरण नहीं किए जाने चाहिएं। स्थानांतरण ऐसे ढंग से किये जाने चाहिए कि उनसे न केवल व्यक्ति विशेष का हित हो, बल्कि रेलवे का भी हित हो। तभी रेलवे अपने कर्मचारियों से बेहतर कार्य ले सकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री रेल कर्मचारियों की इस भारी समस्या की ओर ध्यान देंगे।

तुमकुर शहर कर्नाटक की राजधानी के निकट है और यह उपनगर बनने जा रहा है। जल की समस्या का पहले समाधान कर दिया गया है। लेकिन परिवहन समस्या का अभी भी समाधान नहीं किया गया है। तुमकुर में एक मेडिकल कॉलेज, दो इंजीनियरी कॉलेज, तीन शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज तथा अनेक तकनीकी और अन्य संस्थान हैं। कम-से-कम 3000 लोग रोजाना तुमकुर से बंगलौर जाते-आते हैं। लगभग 2500 कर्मचारी, निजी कार्यालयों और कम्पनियों के लगभग 500 लोग अपनी यात्रा के लिए रेलगाड़ियों पर आश्रित हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

तुमकुर और बंगलौर के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किये जाने के बाद वहां एक रेलगाड़ी चलायी गयी थी। अब इस रेलगाड़ी को अरासीकेरे तक बढ़ा दिया गया है। नि:संदेह, यह एक अच्छा कदम है। लेकिन इस गाड़ी में यात्रियों को क्या सुविधाएं प्रदान की गयी हैं? इस गाड़ी में डिब्बों की संख्या में अभी तक भी वृद्धि नहीं की गयी है। पेयजल सुविधा की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय नहीं बनाया गया है। यात्रियों के लिए डिब्बों में खड़े होने तक की जगह नहीं है। मैंने माननीय मंत्री को इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे हैं। मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने उन पर गौर नहीं किया है।

मेरी अगली मांग तुमकुर और बंगलौर के बीच दोहरी लाइन के निर्माण की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग गत सात वर्षों से इस दोहरी लाइन की मांग कर रहे हैं। लेकिन मंत्री महोदय ने इस संबंध में अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है।

इन दो शहरों के बीच बड़ी लाइन से दैनिक यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और लोग इस बारे में काफी खुश है। लोग तत्कालीन रेल मंत्री, श्री जाफर शरीफ के प्रति आभारी हैं। इस कार्य को बहुत ही थोड़े समय में पूरा करने के लिए श्री जाफर शरीफ के प्रति आभार व्यक्त करना मेरा भी नैतिक कर्त्तव्य है।

दोहरीकरण कार्य के लिए बहुत ही कम धनराशि आबंटित की गई है। यह एक रहस्य की बात है। माननीय रेल मंत्री द्वारा आवंटित यह धनराशि वास्तव में बहुत कम है। इस राशि का इस सभा में उल्लेख तक नहीं किया जा सकता।

यदि मंत्री महोदय कर्नाटक में तुमकुर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की मदद करने के प्रति गंभीर है, तो उन्हें साहसी कदम उठाना होगा। यदि आप पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं करेंगे, तो इस लाइन के दोहरीकरण का कार्य बहुत ही धीमी गति से होगा।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

[श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 तुमकुर और बंगलौर के बीच है। इस राजमार्ग पर यातायात का घनत्व देश में सर्वाधिक है। इस मार्ग पर प्रतिदिन कम से कम दो-तीन दुर्घटनाएं होती हैं। इस राजमार्ग पर दुर्घटनाओं में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मैंने केन्द्र और संबंधित मंत्रालयों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर यातायात समस्या का एकमात्र समाधान तुमकुर और बंगलौर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य को तेजी से पूरा करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग का भी दोहरीकरण किया जाना चाहिये। मुझ विश्वास है कि भारत सरकार कम से कम भविष्य में तो इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी। केन्द्र सरकार को धनराशि स्वीकृत करनी है और राज्य सरकार की वास्तविक कार्य करना है। विचित्र बात यह है कि राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण मामले में सौतेला व्यवहार दर्शा रही है।

डा. रामापुर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान के लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यहां भी एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाना चाहिये। तुमकुर के निकट सिद्धगंगा नाम का एक पवित्र स्थान है। यह न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि एक ज्ञानपीठ भी है। सिद्धगंगा मठ का अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा अपना एक इंजीनियरिंग कालेज है। प्रतिदिन हजारों लोग इस केन्द्र पर आते हैं। अत:, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि क्यातसान्द्रा में सभी ठहराव की व्यवस्था करें।

सोमेशा मिलार तुमकुर में एक महत्वपूर्ण स्थान है। चाननजप्पा होस्टल भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस वस्ती में लगभग 25,000 व्यक्ति रह रहे हैं। इस क्षेत्र में एक ऊपरी पुल के निर्माण की तुमकुर के लोगों की चिरलंबित मांग है। इससे दो रेलवे द्वारों की आवश्यकता नहीं होगी और यह कार्य इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। यहां पदयात्रियों के लिए भी एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। इस कार्य को भी शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।

तिपतुर, क्यातसान्द्रा और तुमकुर रेलवे स्टेशनों पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इन स्टेशनों पर पेयजल सुविधा की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। यात्रियों के बैठने के लिए बैंच तक नहीं है। मैंने इन समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी को अनेक पत्र लिखे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इन पत्रों पर गंभीरता से विचार करें और इस समस्या का शीघ्र अति शीघ्र निवारण करें।

महोदय मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, सदन में वर्ष 1998-99 के अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं उस पर अपने सुझाव प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय सदस्यों ने मंत्री जी को बहुत से सुझाव दिए हैं। पहले भी सुझाव दिए गए थे लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ। मैं एक अतिआवश्यक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। रेलों में दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में 5.7.98 को अखबार के माध्यम से जानकारी मिली कि एक ही रेल पटरी पर दो ट्रेनें, हिमसागर और बुंदेलखंड एक्सप्रेस आपस में टकरा गई। उसमें सरकारी सूत्रों के मुताबिक दो व्यक्ति मरे और 80 घायल हुए। ग्वालियर के पास यह घटना घटी मैं चाहूंगा कि रेल दुर्घटनाएं न हों, लेकिन ये किसकी गड़बड़ी के कारण होती हैं, यह देखना होगा। इससे पहले फतुहा में भी आपस में रेल टकरा गई, जिससे कई लोग मरे। वह रेल मंत्री जी का अपना क्षेत्र है। इनके अपने क्षेत्र में रेल दुर्घटना हुई लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर दूसरी जगह घटना घटी। इसलिए हम मंत्री जी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जनहित में हमारा दायित्व है कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अच्छे ढंग से उपाय किये जाएं और भविष्य में दुर्घटनाएं होती हैं वे इस कारण होती हैं क्योंकि रेल लाईन की पटरी इतनी पुरानी हो गई हैं, उस पटरी के बीच में जो लकड़ी का पटरा लगाया जाता है, जिस लोहे का प्रयोग किया जाता है या जो फिश प्लेट लगाई जाती है उसमें नट बोल्ट ढीले रहते हैं, उसकी कभी चैकिंग नहीं करवाई जाती है। वहां जो अधिकारी हैं उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए लेकिन से नहीं कर पाते, क्योंकि जब मंत्री लापरवाह होंगे तो स्वाभाविक है कि अधिकारी भी लापरवाह हो जाएंगे, बेखबर हो जाएंगे और दुर्घटनाएं होती रहेंगी। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसमें सुधार लाएं, इसके लिए कुछ उपाय करे तथा कड़े से कड़े निर्देश अधिकारियों को दें, जिससे लोग बेवजह मरने न पाएं, उनको हम बचा लें।

महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां दरभंगा और निर्मली रेल लाईन है। उस पर जो गाड़ियां दी गई हैं, नेपाल में जनकपुर से जो गाड़ियां चलती हैं वहां आप गाड़ी से उतर जाइए, उसके बाद 10-15-20-25 मिनट बाद आप बड़े आराम से गाड़ी को पकड़ सकते हैं, ऐसी रेलगाड़ी दरभंगा से निर्मली में आप चला रहे हैं। समय का कोई ठिकाना नहीं है।

अगर गाड़ी 10 बजकर 45 मिनट पर चलनी है, जो उसका समय निर्धारित है लेकिन वह गाड़ी 3 बज कर 45 मिनट पर चलेगी। वहां सब लापरवाह हैं। इस कारण पैसेंजर्स को बड़ी कठिनाई होती है।

कठिनाई ही नहीं होती बल्कि बड़ी परेशानी में यात्री पड़ जाते हैं। इस तरह का यात्रियों के साथ अन्याय हो रहा है। यात्री टिकट कटाए, पैसा दे, लेकिन समय पर वह स्टेशन पर पहुंच नहीं पाता है। एक बड़ी रेल-लाइन दरभंगा से निर्मली बननी थी। उसकी घोषणा हुई लेकिन पता नहीं उसे आप क्यों रोके हुए हैं? इस तरह से सरकार की घोषणा का कोई महत्व नहीं रहता।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि दरभंगा से निर्मली बड़ी रेल-लाइन बनाई जाए तथा दरभंगा से जयनगर बड़ी रेल लाइन बनाई जाए। निर्मली से भक्तियाई के बीच में लाइन है ही नहीं। कोसी का इलाका है उसमें कई गांव ऐसे पड़ते हैं, कई इलाके ऐसे पड़ते हैं जहां यातायात की कोई सुविधा नहीं है। मेरी मांग है कि निर्मली से भक्तियाई नयी रेल लाइन बिछाई जाए और इस क्षेत्र के लोगों को सुविधा दी जाए।

झंझारपुर जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है उसमें कमलाबालान नदी है। उस नदी पर रेल का पुल है जिस पर सवारियां भी चलती हैं। रेल और सड़क का रास्ता दोनों उस पुल पर हैं जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस बात से सरकार के अधिकारीगण बेखबर हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर आप नीचे रेल चलाएं और ऊपर मोटर सवारियां चलाएं। कमलाबालान पर अगर ऐसा अभी नहीं कर सकते हैं तो तत्काल उसकी जो टूटी हुई रेल पटरी है, जो उखड़ी हुई है, उसका जीर्णोद्धार करें। उसमें नयी लकड़ी और फिश-प्लेटें लगाकर अच्छे ढंग से रेल पटरी को बनाएं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नीचे अगर रेल चले तो ऊपर मोटर और सवारियां चलाने की व्यवस्था कराएं। इसी को हम देहात में कहते हैं "तरे-तरे रे" और ऊपर मोटर गाड़ियां चलाएं। लेकिन हम जानते हैं कि रेल मंत्री जी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब इनके अपने इलाके में दुर्घटना होती है और ये बेखबर रहते हैं। इसलिए जहां दुर्घटना की संभावना है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। अगर यह नहीं किया जाएगा तो जिस तरह से ग्वालियर में अखबार में छपा, बदला में छपा, उसी तरह से कमलाबालान में भी आपको सुनने को मिलेगा।

सभापति महोदय, दिल्ली से नवादा जाने के लिए कोई भी रेल सुविधा नहीं है। नवादा के लोगों ने बड़ा भारी आन्दोलन किया लेकिन मंत्री जी को इसकी जानकारी होते हुए भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि दिल्ली से नवादा तक एक ट्रेन चलाई जाए जिससे लोगों को सुविधा मिल सके।

एक रेनी ट्रेन दिल्ली से गोहाटी चलती है। लेकिन बलिया अनुमंडल में लखमनिया स्टेशन पर यह गाड़ी नहीं रुकती है। मैं चाहता हूं कि उस स्टेशन पर यह गाड़ी रुके।

जिससे आम लोगों को सुविधा और लाभ हो सके। ट्रेन के माध्यम से जो भी सुविधाएं सही मायने में गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, वे इस सरकार से और इस सरकार के मंत्री से नहीं मिल सकती। सोनपुर में पुल बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। घोषणाएं तो बहुत हुई लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। आप कहेंगे कि पूर्व सरकार ने यह घोषणा की थी लेकिन सरकार सरकार होती है। पूर्व सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करना आने वाली सरकार का कर्तव्य होता है। अगर किसी काम की घोषणा हुई है तो उसे कम से कम पूरा अवश्य कराना चाहिए। हमसे कहा गया कि वहां सर्वे का काम होगा लेकिन वह भी नहीं हुआ। वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाए।

एक माननीय सदस्य: दोनों मंत्री यहां उपस्थित नहीं है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव: हमें मंत्री जी से कोई आशा ही नहीं है। मैं अपनी बात इस सदन और देश के लोगों को सुना रहा हूं ताकि सारे हिन्दुस्तान के लोगों को पता चले कि यह सरकार पूंजीपतियों की है। यह सारा हिन्दुस्तान जानता है कि इस सरकार के मंत्री कहां रेल लाइन बनाएंगे? आज गरीब के दुख-दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के समय मंत्री जी उपस्थित नहीं है। ...*(व्यवधान)* केबिनेट मंत्री के उपस्थित रहने की बात तो दूर रही क्योंकि उनको तो यहां रहना ही नहीं है, उनसे हम निश्चिंत हैं क्योंकि उन्होंने कुछ करना नहीं है, रेल राज्य मंत्री भी यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रधान मंत्री रेल उप मंत्री बना दें और उनको यहां बैठा दें। इस समय संसदीय कार्य मंत्री पैरवी कर रहे हैं। जितने भी उद्घाटन हुए, वे देश के तमाम अखबारों में छपते थे। उनके प्रचार पर गरीबों का कई करोड़ों रुपया खर्च हुआ। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करायी जाए। किसी स्थान पर रेल लाइन बिछाने का फोटो के साथ प्रचार हुआ। गरीब लोगों का करोड़ों रुपया लूटा गया। इसके अलावा नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर गरीब जनता का करोड़ों रुपया लूट लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। उसमें जो भी दोषी हों चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी ही क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले

[श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव]

लोग इससे सबक लें और एक परिपाटी बने। गरीबों का पैसा मुट्ठी भर लोग लूट लेना चाहते हैं। उसकी जांच कराना सरकार का काम है। ये बातें सुनने की नहीं है। यह अखबार में आया। घूस लेकर जाली नियुक्तियां की गईं। ये चीजें सभी लोगों को पता लगनी चाहिए। इसकी बड़ी चर्चा हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जैसे कहते हैं कि जो भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रहे बहुराय-यही इस सरकार की हालत है। आप चाहे लाख खोजबीन करें लेकिन यह सरकार कुछ करना नहीं चाहती और हमें इससे उम्मीद भी नहीं है। इस सरकार के रहते नियुक्तियों में धांधलियां हुई। इन विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च हुये और गरीब जनता को लूटा गया लेकिन इनके लिए कुछ नहीं हुआ। ऐसा न हो कि हम लोगों को सड़क पर उतरकर आन्दोलन करना पड़े। इसलिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार इस बात को समझ जाए।

सभापति महोदय, अब मैं टाइम टेबल पर आता हूं। स्टेशन पर लिखा रहता है कि अमुक ट्रेन 10 बजकर 15 मिनट पर आयेगी लेकिन गरीब जनता को उस ट्रेन का इंतजार 10-12-18 घंटे तक करना पड़ता है क्योंकि वह देर से आती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह ट्रेन उतनी चलाये जितनी समय पर चल सकें। गरीब जनता ट्रेन की छत पर बैठी रहती है और उसके ऊपर बिजली की लाईन होती है। इसका कारण यह है कि ट्रेन के डिब्बों में इतनी भीड़ रहती है कि अंदर जा ही नहीं सकते। यदि डिब्बे में चढ़ भी गये तो पता ही नहीं चलता कि उनका सामान कहां है? सरकार ने ट्रेन में विदेशी लैटरीन बना रखा है जिसे गरीब आदमी देखकर चला जाता है, सोचता है कि यह कमोड क्या है और कोई समझता है कि यह चूल्हा है।

सभापति महोदय, जो ट्रेन की अवस्था और व्यवस्था है, उसमें सुधार और परिवर्तन की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में एक आग्रह करना चाहता हूं कि हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेल लाईन में गुमटी पर दीघी-इकहरा-रामदयालपुर पर ओवर ब्रिज बनाया जाये।

[अनुवाद]

***श्री कांची पन्नीरसेल्वम** (चेंगलपेट): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सर्वप्रिय डा. पुराची थलैवी (क्रान्तिकारी नेता) का सादर तथा तहेदिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारी विख्यात नेता है, हमारे दिलोदिमाग में बसी हुई हैं और हमारी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की महासचिव भी हैं। उनकी इच्छा थी कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करूं। मैं निर्धन परिवार से संबंध रखता हूं और आज इस माननीय सभा का सदस्य हूं, यह सब मैं उनकी वजह से हूं। हमारी प्रभावशाली नेता पुराची थलैवी ने ही मुझे इस माननीय सभा में रेलवे का अनुदानों की मांगों के संबंध में भाषण देने योग्य बनाया है। मैं इस अवसर पर सच्चे मन से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति भी आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे हमारी सर्वप्रिय नेता डा. पुराची थलैवी (क्रान्तिकारी नेता) द्वारा प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत करने के पश्चात् विजयी बनाया है।

इस सभा में इस वर्ष के रेल बजट के प्रस्तुत करने से पूर्व भी हमारी कुशल नेता डा. पुराची थलैवी ने हमारे तमिलनाडु राज्य की प्रगति और खुशहाली के लिए कुछ मांगें हमारे माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष रखी थी। उन्होंने तमिलनाडु के लोगों के उत्थान और कल्याण हेतु कुछ विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया था। इन मांगों में विल्लुपुरम और मदुरै के बीच रेल लाइन के विद्युतकरण और आमान परिवर्तन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था जिसे अब आरंभ किया गया है। चेन्नई-मदुरै बड़ी लाइन सेक्शन में से केवल चेन्नई-विल्लुपुरम सेक्शन का विद्युतीकरण किया गया है। केवल इस सेक्शन में ही विद्युत कर्षण की व्यवस्था है।

विल्लुपुरम और मदुरै के बीच तीव्रगति से चलने वाले विद्युत इंजन और विद्युत गाड़ियां चलाने के लिए इस लाइन का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। मैं पुनः यह अनुरोध करता हूं कि हमारी नेता की इस मांग पर उचित विचार किया जाना चाहिए और इसे शीघ्र अति शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

हमारी प्रिय नेता डा. पुराची थलैवी ने इस तरह की अनेक सार्थक मांगें रखी थीं और रचनात्मक सुझाव दिये थे। विल्लुपुरम-तंजावूर रेल लाइन अभी भी मीटर लाइन है। हमारी नेता ने इस

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सेक्शन में भी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की मांग की थी। मैं इस सभा में यह विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं और इस बात को दोहराना चाहता हूं कि विल्लुपुरम-तंजावूर के बीच आमान परिवर्तन की इस मांग पर शीघ्र अति शीघ्र विचार किया जाए।

उन्होंने यह भी मांग की थी कि करूर-सलेम के बीच नई रेल लाइन बिछाने पर भी विचार किया जाये। इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था और इसे इस वर्ष के रेलवे के नई परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों में शामिल किया गया है। मैं यह महसूस करता हूं कि रेल मंत्री तथा केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना मेरा कर्त्तव्य बनता है।

इस समय चेन्नई-पालघाट डिवीजन के सलेम सेक्शन पर यातायात का भारी दबाव है और इस सेक्शन पर अत्यधिक यात्री यातायात हो रहा है। उन्होंने इस सेक्शन पर, विशेष रूप से सलेम जंक्शन पर यात्री यातायात में कई गुणा वृद्धि होने के कारण पालघाट डिवीजन को प्रशासनिक कारणों से पृथक करने की आवश्यकता पर बल दिया था। प्रशासनिक दृष्टि से भी पालघाट डिवीजन को दो डिवीजनों में बांटा जा सकता है। इसके बाद एक नया रेलवे डिवीजन बनाया जा सकता है जिसका मुख्यालय सलेम हो सकता है। सलेम जंक्शन जहां पर अधिक यात्री यातायात तथा माल यातायात होता है, का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए। अत: मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान हमारी नेता द्वारा की गई इस विशेष मांग की और दिलाना चाहता हूं कि एक नया डिवीजन बनाया जाए और सलेम को इसका मुख्यालय बनाया जाये।

मदुरै-रामेश्वरम रेल लाइन पर अभी भी मीटर लाइन है। वहां अभी भी आमान परिवर्तन का कार्य आरंभ नहीं किया गया है। आमान परिवर्तन के निर्माणाधीन कार्य के साथ-साथ इस मार्ग को भी बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिए। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस परियोजना की ओर भी शीघ्र अति शीघ्र ध्यान दें।

मदुरई तीर्थस्थल और वाणिज्यिक केन्द्र होने के कारण यहाँ यात्रियों की भी अधिक भीड़ रहती है। इसलिए इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किये जाने की आवश्यकता है। यह अधिक अच्छा होगा यदि तंजावूर बरास्ते संपूर्ण विल्लुपुरम-मानमदुरई लाइन के साथ-साथ आमान परिवर्तन का कार्य आरम्भ किया जाय। जहाँ तक नयी परियोजनाओं का संबंध है, परमाक्कुड़ी और तूतीकोरन के बीच भी एक रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता है।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र चेंगलपेट, जो चेन्नई के पास है के बारे में कहूंगा। कई लोगों ने विभिन्न अवसरों पर कुछ मांगें रखी थी लेकिन उनको अनदेखा कर दिया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस प्रकार की मांग केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के पूर्व मंत्री थिरु ओ.वी. अलगेसन ने की थी। हमारे दिवंगत नेता ने इस संसद में राज्य सभा में 1962 से ही इस मांग को बार-बार उठाते रहे थे। यह मांग कांचिपुरम से संबंधित है जोकि अब मुख्यालय बन गया है यह शहर तीर्थस्थल और वाणिज्यिक शहर तथा रेशम उद्योग के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ पर काफी संख्या में यात्रियों की भीड़ रहती है। यह मंदिरों का शहर है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध कामाक्षी अम्मान मंदिर हैं। जिस प्रकार से कांचि के अन्ना को सारा विश्व जानता है उसी प्रकार कांचि पीठ के शंकराचार्य को भी व्यापक रूप से जाना जाता है। यह ऐतिहासिक शहर भारी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। जो लोग कांचिपुरम से, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक शहर है, सेलम या कोवई अथवा बंगलूर जाना चाहते हैं तो उन्हें चेन्नई अथवा अराकोनम होकर जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे नेता अन्ना ने राज्य सभा में कांचिपुरम को एक जिला मुख्यालय बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया था और यह प्रस्ताव किया था कि मध्य में स्थित कांचिपुरम को वंडावासी बरास्ते तिंडीवनम तक रेलमार्ग द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन सरकार से एक नयी रेल लाइन बिछाने का अनुरोध किया था। मैं यह जानकर दुखी हूं कि काफी समय से लंबित पड़ी यह मांग अभी भी लंबित पड़ी है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ से चेन्नई जाना चाहे तो अब चिंगलपुर अथवा अराक्कोनम होकर जाना पड़ेगा। लगभग 130 से 32 कि.मी. तक की अतिरिक्त यात्रा तय करनी पड़ती है। हमें हर बार घूमकर यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पूनमाली, श्रीपेरम्बदूर, कांचिपुरम, कावेरीपक्कम, थम्म, बालजापेट बरास्ते चेन्नई से काटपाडी तक एक नई रेल लाइन बिछायी जाये। इस प्रकार कांचिपुरम का भारत के सभी प्रमुख रेल मार्गों और प्रमुख शहरों से सीधा संपर्क जुड़ जायेगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस नयी रेल लाइन परियोजना पर ध्यान दें।

थिरुवल्लूर हमारे पड़ोस के निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है। यहाँ समतल पार-पथ है और तिरुपति जाने वाले मार्ग पर भारी यातायात के कारण यह अधिकतर बंद रहता है। कई वर्षों से ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता के बारे में सकारात्मक ढंग से नहीं सोचा गया है। इस मुद्दे को श्री पेराम्बदूर निर्वाचन क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य द्वारा माननीय रेल मंत्री के ध्यान में लाया गया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दे और इस वर्ष के विकासात्मक कार्यक्रमों, जिनके लिए

[श्री कांची पन्नीरसेल्वम]

अनुदानों की मांगों पर अभी चर्चा की जा रही है, में थिरुवल्लूर रेल ऊपरि पुल योजना सहित पर विचार करें।

अब मुझे कोंकण रेल प्रणाली की असफलता पर बोलना है। मार्ग पर जहाँ रेल गाड़ी चलानी चाहिए, उन्होंने वहाँ रेल सेवा बंद कर दी है। मंगला एक्सप्रेस जोकि निजामुद्दीन से मंगलूर तक बरास्ता जोलारपेट, सेलम, ईरोड, त्रिकप्पुर, कोयम्बटूर, पालघाट तक चल रही थी, को एकाएक बंद कर दिया गया था और 1.7.98 से पूर्णरूपेण बंद कर दिया गया है। यह रेलगाड़ी तमिलनाडु के कम से कम सात जिलों कोयम्बटूर नीलगिरि, ईरोड नामक्कल, सेलम, धर्मपुरी और वेल्लोर से होकर जाती थी। ये वे सात जिले हैं जो विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे थे। इस रेलगाड़ी से अधिकांश आम जनता लाभान्वित हो रही थी। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस रेलगाड़ी के बंद हो जाने के कारण विशेष व्यापारी-वर्ग को होने वाली कठिनाइयों पर ध्यान दें। इसलिए निजामुद्दीन से पालघाट तक बरास्ता जोलारपेट, सेलम, ईरोड, तिरुप्पुर, कोयम्बटूर एक नयी रेलगाड़ी शीघ्र चलाने पर विचार करें।

चेन्नई से दक्षिण तक जाने वाली रेलगाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बे हैं लेकिन उनमें पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। कई रेलगाड़ियों में ऐसी सुविधाएं हैं। लेकिन क्या उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बिना चलाना ठीक है? इसीलिए रेलों में चोरियाँ और डकैतियां भी बढ़ी है। इसलिए यात्रा कर रहे यात्रियों को परेशानियों से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। इन रेलगाड़ियों में बिना किसी अपवाद के प्रथम श्रेणी के डिब्बों को जोड़ना उपयुक्त होगा। प्रथम श्रेणी के डिब्बे न होने की दशा में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मांगों से संबंधित एक अन्य अनुरोध यह भी है कि चेंगलपेट शहर हमारी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शहर है। आज की तारीख तक चेंगलपेट स्टेशन पर कोई कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली नहीं है जो चेन्नई और तमिलनाडु के दक्षिण जिलों के बीच एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। मैं रेल मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस पर विचार करें और चेंगलपेट रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण काउंटर आरम्भ करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेलमारुवाथूर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो विकासोन्मुख तीर्थस्थल है। यह भी चेन्नई और चेंगलपेट के पास है। संपूर्ण भारत से तीर्थयात्री इस स्थान पर आते हैं और इसीलिए मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि इस पर विचार करें और मेलमारुवाथूर स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी होने की घोषणा करें। चेन्नई से दक्षिण की ओर जाने वाली सभी रेलगाड़ियां थोड़ी देर के लिए नियत समय पर हर बार इस स्टेशन पर रुकें।

अब, चेन्नई में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। जो रकाई-ट्रेन्स चलती थीं अब पार्क और लुज के बीच रेल लाइनों पर इसका शुभारम्भ हो गया है। इसको धारामनि तक बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसको थिरुवनमडेयूर बरास्ता मामल्लेपुरम तक बढ़ाया जाना चाहिए। मामल्लापुरम एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र है। मामल्लापुरम, में सांस्कृतिक रूप से घनी तथा ऐतिहासिक महत्व वाला एक पर्यटक केन्द्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, और विदेशी पर्यटक यहाँ बार-बार आते हैं। विदेशी पर्यटकों के आने से हमारे राजकोष के महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसलिए एम.आर.टी.एस. को मामल्लापुरम तक बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे इस अनुरोध पर विचार किया जाये। आप सेलम-कुड्डालोर, सेलम-वृद्दाचलम, सेलम-वुरुर नयी रेल लाइनें बिछाने के प्रस्ताव पर भी विचार करें। पश्चिमी तटीय एक्सप्रेस ट्रेन को संगगिरि स्टेशन पर रोका जाय क्योंकि यह औद्योगिक विकासोन्मुख क्षेत्र में स्थित है।

तिरुपति एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है जहां पर एक विश्वप्रसिद्ध मन्दिर है। सम्पूर्ण विश्व के लोग तिरुपति आते हैं। अत:, आराकोनम-तिरुपति रेललाइन के विद्युतीकरण की आवश्यकता है ताकि इस सेक्सन पर यातायात द्रुतगति से हो सके। अराकोनम और तिरुपति के मध्य ई.एम.यू. गाड़ियों के संचालन से देश के विभिन्न भागों से आने वाले तीर्थयात्रियों को काफी लाभ मिलेगा।

कांचीपुरम और चिंगलपेट के बीच की दूरी 32 कि.मी. है और कांचीपुरम और अराकोनम की दूरी 30 कि.मी. है। इन दो रेल सेक्शनों के विद्युतीकरण से इन स्थान के लोगों को बहुत लाभ होगा। मैं 1989 से ही, जब मैं संसद सदस्य चुना गया था, इस मामले की पैरवी करता आ रहा हूं। मैंने यह मामला इसी सम्मानित सभा में उठाया था।

डिण्डीगुल-करूर बड़ी लाइन के विस्तार हेतु इस वर्ष बजट आवंटन नहीं किया गया है। चूंकि इस संबंध में पहले ही घोषणा हो चुकी है, अत:, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें। इन्हीं मांगों में ही अनावश्यक धन उपलब्ध कराया जा सकता है। मेरा यह पुन: विनम्र निवेदन है।

अब मैं उपासकों और आम जनता की आवश्यकताओं जो दक्षिण में प्रसिद्ध मन्दिरों के शहर तिरुचेन्दूर की यात्रा करते हैं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस स्टेशन से जाने वाली बहुत सी रेलगाड़ियों, जैसे-जनता एक्सप्रेस, नेल्लई एक्सप्रेस इत्यादि को अब रद्द कर दिया गया है। यह आवश्यक है कि इस मार्ग पर सामान्य रेल सेवा चलाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाये और तिरुचेन्दूर पर एक सामान्य ठहराव हो। मैं रेल मंत्री से पुन: अनुरोध करता हूं

कि विरुधुनगर-टेंकासी-बंगलौर-सत्यमंगलम नई रेल लाइनों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु में अन्य स्थानों के संबंध में कई मांगें रखी हैं और कई रचनात्मक सुझाव दिए हैं। हमारे योग्य, प्रमुख और प्रिय नेता डा. पुराची थालवी के माध्यम से जो सुझाव और मांगे आई हैं उन्हें संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया है। तमिलनाडु के अधिकांश लोगों की दशा सुधारने के लिए कही गई बातों में से केवल एक योजना ही स्वीकार की गई थी। करूर और सलेम के बीच नई रेल लाइन को तत्काल स्वीकृति दे दी गई थी। इस कार्य के लिए मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तथा तमिलनाडु के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की जनता की और हमारे प्रिय नेता की ओर से प्रस्तुत की गई मांगों और सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जाए। मैं अपने प्रिय नेता को, जिन्होंने मुझे यहां बोलने के योग्य बनाया, तथा मुझे बोलने का अवसर दिए जाने हेतु अध्यक्षपीठ को पुनः धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): सभापति महोदय, मुझे चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। बहुत से मुद्दों पर पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है, परन्तु मैं इन मुद्दों से हटकर अन्य मुद्दों पर बोलने का प्रयास करूंगी।

सबसे पहले, मैं रेलगाड़ियों को समय पर चलने सबंधी प्रश्न का उल्लेख करूंगी। रेलगाड़ियों के देर से चलने से केवल यात्रियों को ही परेशानी नहीं होती बल्कि रेलवे को भी राजस्व की हानि होती है क्योंकि माल को गाड़ियों के बजाय सड़क मार्ग द्वारा ले जाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इससे वातावरण को भी खतरा हो रहा है। अतः, इस दृष्टि से केवल एक ही मुद्दा, अर्थात् गाड़ियों का समय पर चलना ही अत्यावश्यक है। मैं आशा करती हूं कि रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री इस तथ्य पर समुचित रूप से विचार करें और देखें इस संबंध में क्या किया जा सकता है?

मेरा दूसरा मुद्दा रेल पटरियों की दशा में सुधार से संबंधित है। पहले 1980 के दशक में, मैं राजधानी एक्सप्रेस में बैठकर पूरी पुस्तक का अनुवाद कर सकती थी परन्तु अब यदि आप राजधानी एक्सप्रेस से जाएं तो उसमें एक पत्र लिखना भी मुश्किल है। इसमें इतना स्पन्दन होता है। रेल पटरियों की मरम्मत की जा रही है, परन्तु किसके द्वारा और किस तरह से हो रही है, जिससे इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसी कारण से दुर्घटनाएं भी होती हैं। अतः, मैं अनुरोध करती हूं कि रेल पटरियों में सुधार का कार्य अधिक गम्भीरता से होना चाहिए और यह कार्य ऐसे लोगों के सुपुर्द होना चाहिए जो इसे गम्भीरता से करें।

लागत में वृद्धि के संबंध में बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। मैं भी इसका उल्लेख करना चाहती हूं यह वास्तव में निराशाजनक है। तामलुक-दिघा लाइन के बारे में, मैं नहीं जानती कि यह कब पूरी होगी। संभवतः इसके पूरा होने से पूर्व ही मैं मर जाऊँगी क्योंकि इस पर कार्य चलते पहले ही कई वर्ष बीत चुके हैं।

उत्तरी बंगाल बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। अतः एकलखी-बलूरघाट लाइन को कुछ प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी और मंत्री जी ने जो कहा है कि चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जायेगा, इस दृष्टि से इस परियोजना के लिए अधिक धन का आवंटन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है।

मेरे अपने जनपद में कुछ ऐसी बातें हैं जो अत्यावश्यक हैं। एक तो हावड़ा से पंसकुरा तक चौथी लाइन तथा हाबड़ा से मिदनापुर तक तीसरी लाइन को पूरा किया जाना है ताकि अधिक तथा तीव्र रेलगाड़ियां चल सकें।

दूसरी बात हल्दिया के बारे में है जिसका विकास अब बहुत तीव्र गति से हो रहा है। हावड़ा से हल्दिया के बीच अधिक तथा तीव्रगति की गाड़ियों का होना आवश्यक है। तीसरी बात, बाली चौक स्टेशन पर उपरिपुल के निर्माण की है। हमारी सरकार पहले ही अपने हिस्से का धन देने पर सहमत हो चुकी है परन्तु इसके बाद भी रेलवे इसे शुरू नहीं कर रहा है और इस प्रकार से एक बड़े क्षेत्र में भीड़भाड़ की समस्या बहुत जटिल होती जा रही है।

मेरे अपने जनपद में पान के पत्तों के संबंध में एक अन्य मुद्दा है। पान के पत्ते देश के विभिन्न भागों में जाते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश, हम समय-समय पर यह देखते हैं कि ईस्ट-कोस्ट एक्सप्रेस, हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस और मुम्बई एक्सप्रेस में वी.पीज. आवश्यक संख्या में नहीं होते हैं। पान उपभोग की ऐसी वस्तु है जो सुकोमल होती है तथा बहुत से किसान और खेतिहर इस पर निर्भर होते हैं, अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस मामले को गम्भीरता से लें, क्योंकि पान के पत्ते हमारे राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं समझती हूं कि यह समस्या आपके राज्य तथा उड़ीसा की भी है। अतः, मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले को देखें कि ऐसा न हो।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

मैं हसनाबाद से बारसाट लाईन के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति देने के लिए रेल मंत्री को धन्यवाद देती हूं। मैं यह आशा करती हूं कि इसमें काफी समय से डल रही तामलुक-दिघा लाइन की भांति देर नहीं होगी, बल्कि इस पर शीघ्र कार्य होगा। बहरहाल, उन्होंने इसे शुरू किया है और मैं उन्हें इस कार्य के लिए धन्यवाद देती हूं।

तत्पश्चात्, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह कुछ गाड़ियां है। जब कभी मैं शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करती हूं, चाहे ये पूर्व रेलवे में हो अथवा दक्षिण रेलवे में, तो मुझे अधिकांश डिब्बे खाली मिलते हैं।

ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि किराया इतना अधिक है कि लोग वहन नहीं कर सकते। यदि लोग वहन नहीं कर सकते तो ऐसी गाड़ियों में इतने डिब्बे क्यों लगाये जाते हैं। इसके लिए कुछ करना चाहिए। या तो किराया कम करें अथवा इतने अधिक डिब्बे लगाकर रेलवे पर भार न बढ़ायें। स्थिति को देखकर मुझे भी खेद है। कृपया इसका ध्यान रखिए कि ऐसे काम न किये जाएं।

दूसरा मुद्दा यह है कि कलकत्ता में मेट्रो रेल को गारिया तक बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जैसाकि आपको मालूम है कि कलकत्ता में सड़कें कम चौड़ी हैं। कलकत्ता में रोड सरफेस केवल 6.25 प्रतिशत हैं जबकि अन्य स्थानों पर यह 34 प्रतिशत है। आप कलकत्ता में भीड़-भाड़ की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए, आप कृपया इस बात पर ध्यान दे कि मेट्रो रेल का गारिया तक और चक्र रेल का मजेरहट तक विस्तार किया जाए।

पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार को धन की पेशकश की है और कहा है कि यदि वह अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाएं आरम्भ करती हैं तो राज्य सरकार उन्हें धन देने के लिए तैयार है और यह काफी बड़ी राशि होगी। दुर्भाग्यवश, केन्द्र सरकार ने इसे आरंभ नहीं किया। इसका कारण मुझे नहीं मालूम। उन्हें यह कार्य आरंभ करना चाहिए था। मैं जानना चाहूँगी कि उसने यह कार्य क्यों आरम्भ नहीं किया। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह पश्चिम बंगाल सरकार की इस पेशकश को स्वीकार करेगी।

यात्रियों, विशेषरूप से महिलाओं के लिए परेशानी बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती है। स्टेशनों पर और रेल गाड़ियों के अन्दर क्या हो रहा है? प्रश्न उन्हें केवल लूटे जाने का ही नहीं है बल्कि रेलगाड़ियों में उनके साथ बलात्कार किए जाने का भी है। इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। कम से कम आप रेलवे सुरक्षा बल और राज्य पुलिस दोनों से यह कहें कि वे इस प्रकार का कोई निन्दनीय व्यवहार न करें जिससे कि हमारा देश शर्मिन्दा हो। मुझे आशा है कि मंत्री जी इन बातों पर ध्यान देंगे और आवश्यक कदम उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): राम दास अठावले जी के बिना बोले ही तालियां बज रही हैं।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य): तालियां तो बजेंगी ही।

श्री चन्द्रशेखर साहू: आप रेल पर बोलेंगे या डिरेल पर बोलेंगे?

श्री रामदास आठवले: रेल पर ही बोलेंगे, क्योंकि रेलवे की डिमांड पर चर्चा चल रही है। हर साल चर्चा होती रहती है, मगर रेलवे में जिस तरह का सुधार होना चाहिए, उस तरह का सुधार नहीं हो रहा है।

रेलवे को मजबूत बनाने वाला खलासी है। उन खलासियों को, मंत्री महोदय, जिन्होंने रेलवे को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया है, 10, 15 और 20 साल तक परमानेंट नहीं किया जाता है। मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि खलासियों को परमानेंट करने के संबंध में आज ही आप कोई निर्णय करिये। जो कांट्रैक्ट सिस्टम है, इसे भी हमें बर्खास्त करने की बहुत बड़ी जरूरत है। उसके साथ-साथ रेलवे में खान-पान की जो सेवा है, रेलवे का जो खाना है और जो चाय है, एक बार कोई खाना खायेगा, एक बार चाय पियेगा तो उसे हमेशा याद रहता है। इसमें सुधार लाने के लिए कुछ प्राइवेट कम्पनियां हैं, उन प्राइवेट कम्पनियों को खान-पान सेवा का काम देने के संबंध में मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए।

उसके साथ-साथ शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग रेलवे में कर्मचारी हैं या अधिकारी है, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। उनका जो बैकलॉग है, उसको पूरा नहीं किया जाता है। उसके संबंध में भी सरकार को विचार करने की जरूरत है। मुम्बई में मुम्बई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के संबंध में राज्य

सरकार को विश्व बैंक से बात करनी थी, लेकिन अभी तक नहीं की है। मुम्बई में लोकल ट्रैफिक काफी है इसलिए एम.यू.टी.पी. की मंजूरी के लिए इनको विश्व बैंक से बात करनी चाहिए और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा उनसे लेना चाहिए। कुर्ला स्टेशन पर और प्लेटफार्म बनाए जाने की जरूरत है। अगर कोई ट्रेन स्टेशन पर आती है तो उसको घंटा-दो घंटा वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि प्लेटफार्म खाली नहीं मिलता। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां एक-दो प्लेटफार्म और बनाए जाएं। आपने मुम्बई में वी.टी. स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन कर दिया है, मेरा अनुरोध है कि इसी तरह से मुम्बई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर उसे बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेशन कर दिया जाए। मुम्बई भी बाबा साहेब की कर्मस्थली रही है।

रेल मंत्री जी हमें बताएं कि वे रेलवे में क्या सुधार कर रहे हैं, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या सोच रहे हैं? मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय और राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक डेपुटेशन जापान जाए और वहां के रेल प्रबंधन के बारे में अध्ययन करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि श्री रामदास आठवले को भी दल में शामिल किया जाय तो उन्हें प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मै नहीं जाऊंगा। मैं एक बार जापान जा चुका हूं। रेलवे में कैसे सुधार किया जा सकता है, यह वहां जाकर स्टडी किया जा सकता है। जैसे वहां ट्रेनें सुचारू रूप से चलती हैं, उसी तरह से यहां भी व्यवस्था की जा सकती है। आपकी सरकार अभी नई-नई है, पता नहीं यह कितने दिन चलेगी।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़): पांच साल चलेगी।

श्री रामदास आठवले: मुझे नहीं मालूम कि यह पांच साल चलेगी या पांच महीने चलेगी। लेकिन मंत्री महोदय को रेलवे में सुधार के लिए ज्यादा से ज्यादा विचार करना चाहिए। यही सही है कि दोनों मंत्री एक्टीव हैं। अगर आप रेलवे में सुधार नहीं करेंगे तो जो लोग रेल से यात्रा करते हैं, वे आपके खिलाफ वोटिंग करेंगे।

मेरा सुझाव है कि हर रेलगाड़ी में कम से कम आठ डिब्बे जनरल के लगाए जाने चाहिए, जिससे गरीब लोगों को सुविधा हो सके। आपने छ: डिब्बे लगाने की घोषणा की है, लेकिन उसको बढ़ाकर आठ कर दें। अगर कोई गाड़ी 21 डिब्बे की है तो उसे 25 डिब्बे की करना चाहिए। आपको मैकेनीजम को स्ट्रैथ करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। पुरुवाड़ी में मीटरगेज की वर्कशाप है, वहां ब्राडगेज बन रही है, उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए ताकि ज्यादा मजदूरों को काम मिल सके। मुम्बई में लोकल ट्रेन के संबंध में भी विचार करना चाहिए। एक-एक मिनट के बाद अगर लोकल गाड़ियां चलेंगी तो लोगों को काफी सुविधा हो सकती है।

अपराह्न 5.00 बजे

आखिर में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मुम्बई से गोरखपुर, मुम्बई से कलकत्ता, मुम्बई से चेन्नई, मुम्बई से कन्याकुमारी, मुम्बई से बंगलौर, मुम्बई से हैदराबाद, मुम्बई से मंगलौर, मुम्बई से पटना और मुम्बई से त्रिवेन्द्रम सुपरफास्ट ट्रेन होनी चाहिए। मुम्बई राजधानी है, इसलिए राजधानी को देखते हुए गाड़ियों की सुविधा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और यदि प्राइवेट कंपनियों के सहयोग की आवश्यकता है, तो उस पर भी विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5.01 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

[अनुवाद]

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय, सन 1843 में हमने मुंबई और थाने के बीच रेल संचार प्रणाली का आरम्भ किया था और इस बीच देश में 62,729 रूट कि.मी. मार्ग तैयार हो चुका है। सन् 1998 तक उड़ीसा राज्य में, जहाँ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, में 2200 कि.मी. रेल मार्ग तैयार हो चुका है जिसमें से 1400 कि.मी. मार्ग ब्रिटिश काल के दौरान विस्तार किया गया था। यदि हम देश के रूट कि.मी. और उड़ीसा में फैले रूट कि.मी. दोनों रेल मार्गों पर विचार करें तो यह प्रति 1000 वर्ग कि.मी. रेल रूट पर यह अनुपात लगभग 12.86 बैठता है। मेरे राज्य और पड़ोसी राज्यों में राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 वर्ग किमी पर 19 किमी है।

[श्री प्रभात कुमार सामन्तराय]

बिहार जैसे राज्य में यह अनुपात 30 कि.मी. है और पश्चिम बंगाल में यह 43.1 कि.मी. है।

पिछले 15 वर्षों के दौरान हुए रेल मार्ग के विकास के संबंध में, मैं रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिन्होंने रेल बजट प्रस्तुत करते समय मेरे बीच में बोलने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि उड़ीसा की उपेक्षा नहीं की गयी है। मैं पिछले 15 वर्षों में विभिन्न राज्यों और उड़ीसा में फैलाये गये नेट रूट के बारे में जानना चाहूँगा। 1980 से 1997 तक उड़ीसा में केवल 20 कि.मी. मार्ग का विस्तार किया गया जोकि अपर्याप्त है और यह वास्तविक वृद्धि लगभग 1.6 कि.मी. होगी जबकि पश्चिम बंगाल में यह विस्तार 100 किमी है, वास्तविक वृद्धि 8.1 कि.मी., आंध्र प्रदेश के यह 22.9 या 228 कि.मी.; मध्य प्रदेश में यह 20.4 या 151 कि.मी.; उत्तर प्रदेश में यह 15.7 कि.मी., केरल में 11.1 कि.मी.; तमिलनाडु में 10.2 कि.मी. और असम में यह 12.7 कि.मी. है। पिछले 15 वर्षों के दौरान उड़ीसा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में रेल मार्ग का यह विस्तार किया गया। पहले मैंने यह उल्लेख किया था कि 1843 से 1998 तक उड़ीसा में केवल 2200 कि.मी. रेल मार्ग का निर्माण किया गया था जिसमें से 1400 कि.मी. रेलमार्ग का विस्तार ब्रिटिश काल के दौरान हुआ।

जहाँ तक उड़ीसा का संबंध है पिछले 50 वर्षों में रेलवे की यह उपलब्धि है या उसने इतना काम किया है। यदि इस पर विचार नहीं किया जाता है और उड़ीसा राज्य के बारे में इसे उपेक्षा बताया जाता है तो शायद मुझे उपेक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ खोजने के लिए किसी अन्य शब्दकोश का सहारा लेना पड़ेगा। पिछले 50 वर्षों में जब देश के विभिन्न भागों, में रेल लाइनें बिछाई गई थीं, तो उड़ीसा में 75 प्रतिशत से अधिक रेल लाइनें उन क्षेत्रों में बिछाई गई थीं जहाँ से दक्षिण पूर्व रेलवे को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता था-यह राजस्व न केवल सवारी गाड़ियों से ही प्राप्त होता था बल्कि उड़ीसा के विभिन्न खनन क्षेत्रों से माल की ढुलाई से भी प्राप्त होता था।

हमारे यहाँ दैतारी-बांसपानी रेल मार्ग है। 1970 के दशक से हमने इस मामले के संबंध में आन्दोलन किया है जब मैं कालेज छात्र था। 1971 में, केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को मंजूर किया था। लेकिन 1998 तक इस रेल मार्ग पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, इस मार्ग के पूरा हो जाने से न केवल उड़ीसा के लोग ही लाभान्वित होंगे बल्कि इससे पारादीप पोर्ट से और वहां के लिए लौह अयस्क और कोयले की होने वाली ढुलाई के प्रभार में प्रति टन सात रुपए की कमी हो जाने से पूरा देश लाभान्वित होगा। अब पारादीप पत्तन से राउरकेला इस्पात संयंत्र, जमशेदपुर के लिए कोयले की ढुलाई और खनन स्थानों से पारादीप पत्तन के लिए लौह अयस्क की ढुलाई संबंधी प्रभार कम हो जाएगा और देश को 7 रुपये प्रतिटन का लाभ होगा। जब लाखों टन लौह अयस्क और कोयले की ढुलाई की जा रही है, तो देश को इससे कितना लाभ हुआ होगा? पिछले पचास वर्षों से आन्दोलन, अनुनय-विनय के बावजूद यह अपूर्ण पड़ा है.

इसके अतिरिक्त 174 कि.मी. लम्बा तालचेर-सम्बलपुर रेल मार्ग है, जो उड़ीसा के पश्चिमी और पूर्वी भाग के बीच सांस्कृतिक संबंधों की कड़ी है। आज तक भी, उड़ीसा के पश्चिमी भाग को रेल मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। हमें उड़ीसा के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए प्रदेश अथवा पश्चिम बंगाल अथवा बिहार होकर यात्रा करनी पड़ती है। यह एक दुख की बात है कि हमारी प्रतिक्रिया का हमारे अनेक मित्रों ने गलत अर्थ निकाला है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय: महोदय, मैं मात्र तीन मिनट बोला हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

इसके बाद, खुर्दा-बोलंगीर एक अन्य प्रमुख रेल परियोजना है। जिसे रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दी थी। इसकी अपेक्षित लागत लगभग 350 करोड़ रुपये है। अब तक केवल 4 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किये गये हैं। यदि ऐसी ही स्थिति रही, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लागत और मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। मुझे यकीन है कि परियोजना के पूरा होने में 150 वर्ष और लगेंगे।

दूसरी परियोजना है जो हरिदासपुर को पारादीप पत्तन के साथ जोड़ती है और यह केवल पिछले वर्ष ही आरम्भ हुई है। रेल बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व, मैंने इस परियोजना को प्राथमिकता दिये जाने के लिए रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। इसमें केवल 78 कि.मी. की दूरी शामिल की गई है। मुझे यह बताया गया है कि काम आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेकिन चार दिन पहले ही उड़ीसा विधान सभा में रेल मंत्रालय द्वारा उड़ीसा राज्य की उपेक्षा किए जाने के विरुद्ध सर्वसम्मति

से एक संकल्प पारित किया गया। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि हरिद्वार-पारादीप रेल परियोजना हेतु नब्बे प्रतिशत भूमि का आबंटन कर दिया गया है।

मुझे नहीं पता कि रेल मंत्रालय को कहाँ से सूचना मिली है। लेकिन रेल मंत्री ने मुझे लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि दिया जाना बाकी है। यदि हमारी मांगों पर ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि हमारी मांगों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है?

उड़ीसा में आमान परिवर्तन की दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनकी आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपेक्षा की गई है वे हैं रुपसा-बंगीरीपोसी-89 कि.मी. और नुआपाडा-गुनपुर बरास्ता परलखेमेंडी 90 कि.मी. हैं। आबंटन बहुत कम किया गया है। यह केवल लाखों में है करोड़ों में नहीं है। इन दोनों परियोजनाओं को अभी और धन दिया जाना चाहिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम चार वर्षों में केवल 6000 कि.मी. मार्ग का काम आरम्भ किया गया है और आज तक ये परियोजनाएं ऐसी ही पड़ी हैं हमें इनके बारे में आगे कार्यवाही हेतु ध्यान आकर्षित करना है। मुझे यह नहीं मालूम कि हमें इसके लिए किस प्रकार के कदम उठाने होंगे जिससे यह कार्य पूरा हो सके।

हावड़ा और वाल्टेयर को जोड़ने वाला दक्षिण-पूर्व रेल मार्ग का विद्युतीकरण कार्य आरम्भ किया जा रहा है। उड़ीसा राज्य के क्षेत्राधिकार को एक तरफ करके यह विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। विजियानगरम से उड़ीसा की सीमा पर विद्युतीकरण कार्य नहीं हो रहा है। उड़ीसा की सीमा से पश्चिम बंगाल की ओर भी कोई विद्युतीकरण कार्य नहीं हो रहा है। मैं यह नहीं जानता कि क्या हावड़ा और चेन्नई के मध्य मुख्य लाइन पर विद्युतीकरण होगा। मैं रेल मंत्री जी का ध्यान इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि कटक भुवनेश्वर रेलवे लिंक का दोहरीकरण कार्य पूरा करने हेतु महानदी और विरुपा नदियों पर दो पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इनका कार्य शुरू हो चुका है और कार्य प्रगति पर है। कठजोरी और कुआखाई नदियों पर दो पुलों के अभाव में समूचा ट्रैक पूरा नहीं किया जा सकता और संचालन कार्य नहीं किया जा सकता। मैं रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इन दो पुलों के बिना यह पूरी परियोजना निरर्थक होगी।

हमारे यहां भुवनेश्वर और मुम्बई को जोड़ने वाली एक गाड़ी है। इसे कोणार्क एक्सप्रेस कहा जाता है। यह भुवनेश्वर में समाप्त हो जाती है और 12 घन्टों तक रुकी रहती है। अधिकांश यात्री पूर्ववर्ती कटक जनपद से होते हैं। मेरा अनुरोध है कि कोणार्क एक्सप्रेस को पारादीप और मुम्बई बन्दरगाहों को जोड़ते हुए पारादीप बन्दरगाह तक बढ़ाया जाय जिससे यात्री कटक होते हुए मुम्बई जा सकें और भुवनेश्वर में ट्रेन के रुकने के समय का पूरा उपयोग हो सके।

भुवनेश्वर और कोरापुट को जोड़ने वाली रेलवे लाइन तैयार है और इस लाइन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा सकती है। इस गाड़ी का नाम उड़ीसा के सबसे पुराने आदिवासी समुदाय के नाम पर शबरी एक्सप्रेस रखा जाय। इस पर रेल मंत्री द्वारा वरीयता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

यद्यपि पूरी तरह नहीं फिर भी अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इस समय नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच राजधानी एक्सप्रेस दो दिन चलती है। इसे दो और दिनों तक बढ़ाया जाय तथा वर्तमान रेलवे मार्ग को 359 कि.मी. की दूरी कम करके संबलपुर तलचर के मार्ग से परिवर्तित किया जाय ताकि पूर्वी उड़ीसा और पश्चिम उड़ीसा को जोड़ा जा सके तथा यात्रियों का समय बच सके।

इस प्रकार रेलवे दिल्ली से भुवनेश्वर की यात्रा करने वाले यात्रियों का यात्रा समय कम कर सकती है। इससे उड़ीसा के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से भी जोड़ा जा सकता है।

इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास-उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे की वर्ष 1998-99 की अनुदानों की मांगों संबंधी वाद विवाद में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विभिन्न सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया है। अतः मैं सीधे ही एक विशेष मुद्दे पर आता हूं।

पहले, मैं कहना चाहता हूं कि चेन्नई इसम्बूर (समोर)-तिरुचिरापल्ली मार्ग को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य जुलाई के अन्त तक पूर्ण होने जा रहा है और इस मार्ग पर यातायात भी आरम्भ होने जा रहा है। परन्तु, इस समय में बताना चाहता हूं कि इससे लोगों को लम्बे समय तक लाभ नहीं होगा क्योंकि एग्मोर रेलवे स्टेशन पर लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के रुकने की कोई सुविधा नहीं है। अधिक डिब्बों वाली गाड़ियां एग्मोर

[श्री सी. कुप्पुसामी]

प्लेटफार्म पर रुक नहीं सकती। अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे प्लेटफार्म विस्तार का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किये जाने का निर्देश शीघ्र ही दें।

पेरम्बूर में एक उपरिपुल निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु चेन्नई के एक निगम ने भूमि दी है और धन का भी भुगतान कर दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास-दक्षिण): महोदय, माननीय मंत्री जी को सदस्य की बात सुननी चाहिए जो कि वह बोल रहे हैं। वे अन्य किसी से बात कर रहे हैं। यह सब क्या है? मंत्री जी, कृपया माननीय सदस्य की बात सुनें ...*(व्यवधान)* आपको बोलने वाले सदस्य की बात सुननी चाहिए। इसे बहुत दुख हो रहा है ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): यदि कोई सदस्य मुझसे बात कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने उनकी बात सुन ली है ...*(व्यवधान)*

श्री सी. कुप्पुसामी: यह मामला दक्षिण रेलवे मुख्यालय में भी स्वीकृत हो चुका है। अभी रेलवे बोर्ड से इसकी स्वीकृति मिलनी शेष है। इस विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हो रही है और इससे उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है जो इस बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में रह रहे हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव का शीघ्र ही निस्तारण करें।

कोंकण रेलवे का कार्य समाप्त होने के बाद, कोयम्बटूर, तिरुप्पुर, एरोड और सलेम, जो तमिलनाडु के प्रमुख व्यापार केन्द्र हैं, से यात्रा करने वाले यात्रियों को इन रेलगाड़ियों की सुविधा प्राप्त करने से रोका जा रहा है जोकि पहले इन स्थानों से होकर जाती थीं। अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ नई गाड़ियां चलाएं और ऐसा होने तक उन्हें यात्रियों को यात्रा करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, पाड़ी के पास निलीवेक्कम रेड हिल्स हाई रोड पर यातायात की समस्या हैं जिसके लिए एक नया उपरिपुल निर्माण किए जाने हेतु रेल मंत्री जी द्वारा तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

तमिलनाडु सरकार कुड्डालोर बन्दरगाह को प्रमुख बन्दरगाह के रूप में विकसित करने का विचार कर रही है और इस क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस संबंध में, तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री डा. कलैग्नार एम. करुणानिधि ने माननीय रेल मंत्री जी को कुड्डालोर से सलेम तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने हेतु एक पत्र लिखा है यदि ऐसा होता है तो यह उद्योगों के लिए तथा रेलवे के लिए एक वरदान होगा जिससे रेलवे को माल भाड़ा भी प्राप्त होगा और यात्री भी मिलेंगे।

महोदय, चेन्नई-एग्मोर-विलुपुरम के मध्य छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने संबंधी कार्य पहले ही हो चुका है। विलुपुरम-रामेश्वरम की मुख्य लाइन छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित होनी चाहिएं क्योंकि रामेश्वरम सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है और उत्तर भारत से लगभग हजारों लोग रामेश्वरम की यात्रा करते हैं। पहले स्थान पर तिरुचिरापल्ली-रामेश्वरम का आमान परिवर्तन कराईकुड़ी होते हुए शुरू किया जाना है। आवश्यक धन का आवंटन और अन्य औपचारिकताएं शुरू की जाएं। दक्षिण चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य श्री टी.आर. बालू रेल मंत्री जी से अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपमार्ग का कार्य शीघ्र पूरा कराने का पहले ही अनुरोध कर चुके हैं।

आई.सी.एफ. सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाला एक प्रसिद्ध कारखाना है जोकि बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है। इसको विदेशों से भी एक ठेका प्राप्त हुआ है। हमें पूरे देश से सवारी डिब्बों के निर्माण हेतु क्रयादेश प्राप्त हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कारखाने का आधुनिकीकरण करने और सवारी डिब्बों के निर्माण से संबंधित भूमण्डलीय आवश्यकताओं का मुकाबला करने के लिए इसका विस्तार करने का अनुरोध करूंगा।

जहां तक दक्षिण रेलवे का संबंध है, गोल्डन रॉक कारखाना एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कारखाना है। जहां तक रेल कर्मचारियों का संबंध है, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आजकल इस कारखाने में 7000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे देखें कि यह कारखाना बैगन निर्माण कारखाने में परिवर्तित हो ताकि यह हजारों कर्मचारियों को संरक्षण दे सके।

अन्त में, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रेल में दी जा रही भोजन की गुणवत्ता तथा स्वच्छता के प्रति वे विशेष ध्यान दें। भोजन के खराब स्तर के बारे में बहुत सी शिकायतें मिल रही हैं।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया (जूनागढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं गुजरात के जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र से 1991 से तीसरी बार चुनकर आ रही हूं। सबसे पहले मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हाल ही में कर्णावती से मुम्बई के लिए लोकशक्ति नाम की ट्रेन की शुरुआत की है। साथ ही साथ महसाणा से तारांगा तक भी ट्रेन शुरू करने की इच्छा जाहिर की है। मुझे अफसोस है कि जिस क्षेत्र का मैं पिछले आठ साल से प्रतिनिधित्व कर रही हूं, वहां राजकोट-वेरावल के 185 कि.मी. खंड पर ब्रॉड गेज डालने का काम जिस गति से चलना चाहिये था, वह नहीं चल रहा है। इसका उद्घाटन पूर्व रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान ने वेरावल आकर किया था। यह कार्य जिस वर्ष में पूरा होना चाहिये, यह नहीं होगा क्योंकि काम बिलकुल धीमी गति से हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नीतीश कुमार से आग्रह करूंगी कि इसके कार्य के लिए और धनराशि दी जाये क्योंकि ब्राड गेज के लिए पहले केवल 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था तथा फिर अतिरिक्त व्यय के लिए 5 करोड़ रुपया और दिया हुआ है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि यह प्रोजेक्ट जिस समय में पूरा होना है उस समय में तभी पूरा हो सकता है जब 50 करोड़ रुपये का प्रावधान आप उसके लिए करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह प्रोजैक्ट देखने के लिए आएंगे। माननीय नीतीश जी अगर मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि कल्पनाथ जी उनसे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूं। *...(व्यवधान)* वह प्रौजेक्ट आप देखने के लिए आएं और जितना भी खर्च उसमें करना है, आर्थिक दृष्टि से उसका प्रावधान करें।

दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि हमारे यहां से विरावल जाने के लिए दो ट्रेनें अहमदाबाद से जूनागढ़ और अहमदाबाद से गिरनार ऐक्सप्रैस मिल रही है। उनमें एक ही सेकंड ए.सी. क्लास का डिब्बा है जिसके कारण बहुत असुविधा होती है। उसमें एक और सेकंड ए.सी. डिब्बा भी लगाना है। एक सोमनाथ ट्रेन चलती है जिसकी हालत इतनी खराब है कि उसमें सामान्य पब्लिक को भी ट्रैवल करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि सोमनाथ ट्रेन में अच्छे डिब्बे और एक डिब्बा सेकंड ए.सी. का प्रावधान करें। कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन जो होता है उसमें हमारे देखने में आया है कि उसमें गड़बड़िया होती हैं। उस पर कड़ी निगरानी रखवाइए जिससे उनमें गड़बड़ न हो और जिसको जाना है उसको समय पर टिकट मिले। रिजर्वेशन में आपने दो महीने पहले टिकट देने का जो प्रावधान किया है, उसके संबंध में मेरा कहना है कि दो महीने पहले कोई भी व्यक्ति अपना प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से नहीं बना पाता है क्योंकि दो महीने पहले किसी को पता नहीं है कि दो महीने बाद वह जाएगा या नहीं। इस बात को भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि जो लोग टिकट ब्लैक में बेचते हैं, वे दो महीने पहले रिजर्वेशन करा लेते हैं और उससे लोगों को बहुत ही असुविधा होती है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए जो आवास बन रहे हैं, जैसे अहमदाबाद में बन रहा है, वह तीन सालों से बन रहा है मगर उसमें प्रगति नहीं हो रही है। इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। केशोद में एक रेलवे पुल है। मैंने लिखकर दिया है कि स्कूटर और छोटे वाहनो को उसके नीचे से जाने की सुविधा मिलनी चाहिए मगर वहां के अधिकारी इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं नीतीश जी के ध्यान में खास तौर से लाना चाहती हूं कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से विकास के लिए वहां ब्रॉड गेज का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे क्षेत्र में राजकोट विरावल ब्रॉडगेज जल्दी से जल्दी पूरा हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रो. सैफुद्दीन सोज कृपया आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला): नहीं श्रीमानजी, मैं दल के लिए बोल रहा हूं। मेरी बारी देर से आती है। मुझे नहीं मालूम है कि मेरी बारी देर से क्यों आती है। लेकिन मुझे अपने कुछ विचार व्यक्त करने हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दुख है कि भारत सरकार ने कश्मीर को भारत के रेलवे मानचित्र पर कभी भी अंकित नहीं करना चाहा। हम इसके लिए काफी प्रयत्नशील है। मैंने पूर्व की सरकारों और राज्य के माननीय मुख्य मंत्री डा. अब्दुल्ला के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था *...(व्यवधान)*

[प्रो. सैफुद्दीन सोज]

[हिन्दी]

नीतीश जी, मैं जरूरी बातें करना चाहता हूं। आप मेहरबानी करके सुनिये नहीं तो मैं बैठ जाऊँगा। मुझे समय कम दीजिए लेकिन मेरी बातें सुनिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं अपनी बात बहुत जल्दी समाप्त करूंगा।

श्री नीतीश कुमार: मैं एक ग्लास पानी पीना चाहता था। इसलिए मैं बाहर जा रहा था।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: पानी ला रहे हैं। आपके लिए एक ग्लास पानी आ रहा है। कृपया आप यहाँ उपस्थित रहिये क्योंकि मैं अपनी बात अति शीघ्र समाप्त करना चाहता हूँ।

महोदय, भारत सरकार ने कश्मीर को भारत के रेलवे मानचित्र पर कभी भी अंकित करना नहीं चाहा। यह दुर्भाग्य की बात है क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह काम हो सकता है लेकिन यह काम नहीं हुआ क्योंकि यह संकीर्ण मानसिकता का नहीं कश्मीर का मामला है। लेकिन मैंने जिस स्थिति से भी यह कहा है वह राष्ट्र के हित में है कश्मीर को अलग-थलग नहीं रखा जाना चाहिए।

हमें एकता को बढ़ावा देना चाहिए। यह स्वाभाविक है।

मैं यह प्रश्न उठाता हूँ कि इस पचास वर्षों में कश्मीर में भी रेल लाइन का निर्माण क्यों नहीं हुआ। इससे मेरा दिल दुखी है। मैंने 1983 में यह प्रश्न उठाया था जब इंदिरा जी प्रधान मंत्री थी। उन्होंने कहा इस पर कुछ धनराशि व्यय की जानी चाहिए और उस वर्ष 5 करोड़ व्यय किये गये थे लेकिन इन वर्षों में जम्मू से ऊधमपुर तक रेलगाड़ी नहीं चली। मैं भारत के रेल मंत्री को कुछ आंकड़ों से अवगत कराता हूँ मेरे विचार से यदि वह कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। वह सक्षम है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 1984 में जम्मू और उधमपुर के बीच रेल मार्ग के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये का अनुमान था। आप इसमें वृद्धि पर दृष्टि डालिये। वर्ष प्रति वर्ष हमें बताया जाता रहा है कि धनराशि में वृद्धि होती रही है, लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। 1983 से रेल उधमपुर नहीं गई है। हमें इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। यह बड़ी शर्म की बात है कि इन पचास वर्षों में श्रीनगर तथा कश्मीर के अन्य भागों तक रेल मार्ग चलाने के बारे में भी विचार नहीं कर पाये हैं। क्या आप सोचते हैं कि कश्मीर अलग-थलग पड़ा रहे? कश्मीर भी इस महान देश के अन्य भागों की तरह हमारे देश का हिस्सा बना रहना चाहिए। नीतीश जी आप इस पर विचार कर सकते हैं कि इसमें अलग-थलग रहने से क्या घटित हुआ है।

कश्मीर पहुँचने के लिए अच्छा मौसम होना जरूरी है। कभी-कभी जब आसमान बादलों से आच्छादित होता है वायुयान नहीं जाते हैं तब काश्मीर घाटी देश से बिल्कुल अलग कर जाती है। हमें जानते हैं कि इस बारे में सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। पिछले दो-तीन वर्षों में हम सरकार के समक्ष इस मामले को जोर-शोर से उठाते आ रहे हैं। मैं मंत्री जी को कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ जो उनके पास भी उपलब्ध नहीं है। मुझे संदेह है कि रेलवे नौकरशाही इस परियोजना के विरुद्ध है। मुझे याद है जब मैं मंत्री था उस समय प्रधान मंत्री ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को मेरे पास भेजा था। प्रधान मंत्री ने उनसे कहा कि सैफुद्दीन सोज को समझाओ कि उनके इस प्रस्ताव में कुछ तकनीकी कमियां है। यदि आप इस कार्य को नौकरशाही के ऊपर छोड़ देंगे तो इसका निर्माण कभी भी नहीं होगा। यदि आप प्रतिज्ञा कर लें कि कश्मीर तक रेल लाइन बिछाई जायेगी तो आप ऐसा कर सकते हैं।

मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। 1995-96 में पहली बार रेल मार्ग के निर्माण हेतु काफी अधिक धनराशि दी गई थी। यह 50 करोड़ रुपये थे। 1996-97 में उधमपुर से श्रीनगर तक और काजीकुंड और बारामूला तक रेल लाइन बिछाने के अनेक प्रयत्न किये। श्री देवगौड़ा और श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने इस बात को समझा और 1996-97 में इस कार्य हेतु 20 करोड़ रुपये और दिये गये। 1997-98 में इन्हें बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस समय 200 करोड़ रुपये की मांग रखी गयी थी जो कम होकर 75 करोड़ तक आ गई है। यदि यही स्थिति रही तो बीस वर्षों में भी रेल लाइन का निर्माण नहीं कर पाओगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: आप यील्ड करेंगे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: सर, मैं तो खत्म ही कर रहा हूं।

श्री नीतीश कुमार: अभी 24 जून को श्रीनगर में एक बैठक हुई जिसमें आपके राज्य के मुख्य मंत्री थे, भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पर्यटन मंत्री, विद्युत मंत्री और रेल मंत्री उपस्थित थे। उस बैठक में सारी चर्चाएं हुई; आपका जो कथन है, उस पर मेरा यह कहना है कि रेलवे बोर्ड आपकी लाइन के

बिल्कुल खिलाफ नहीं है। अभी आपने पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी का उल्लेख किया, उन्होंने सदन में वक्तव्य दिया है कि कश्मीर की यह लाइन नेशनल प्रोजेक्ट होगी और उसके लिए रेलवे के बजट के बाहर से सपोर्ट दी जायेगी वह कहां आयी है, वह नहीं आयी है। रेलवे ने अपने संसाधनों से, रेलवे के अपने एनुअल बजट से निकालकर, हम लोगों ने 75 करोड़ रुपये फिर से दिये हैं। उसके तीन खंड इस प्रकार है-जम्मू से ऊधमपुर जो करीब-करीब कंप्लीट हो रहा है, वह रेलवे के पैसे से बन रहा है, ऊधमपुर से बारामूला तक के तीन फेज-ऊधमपुर से कटरा, कटरा से काजीगुंड और काजीगुंड से बारामूला तक इन तीनों खंडों के लिए हम लोगों ने वहां प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। हम लोगों ने तीन ऑप्शंस रख दिये हैं। एक ऑप्शन अडाप्ट हुआ है जिसमें उधमपुर से कटरा तक और बीच में वैली का पोर्शन, काजीकुंड से बारामूला तक यह रेल लाइन 2002 तक कंप्लीट हो जाए।

बीच वाली कटरा से काजीकुंड लाइन 2006 तक जाकर कंपलीट हो, यह सारा एप्रूव हो गया। ये सारी बातें वहां तय हो गई। इसके लिए केन्द्र सरकार को अलग से रेलवे के बजट के बाहर प्लान साइज से बाहर पैसा देना पड़ेगा। वरना आप जानते हैं कि रेलवे अपने संसाधन से इस प्रोजैक्ट को पूरा नहीं कर सकेगी। आपको तो रेलवे के ऐफ्टर्स को एप्रीशिएट करना चाहिए और जहां मिलना है, वहां से मांगना चाहिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला): स्पीकर सर, नीतीश कुमार जी ने वहां भी खूबसूरत बातें कही और यहां भी वे उसी प्रकार की बातें कह कर हमारा मन बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हाउस को जज बनाना चाहता हूं। जो नीतीश जी ने कहा है, वही मेरा भी विश्वास है और मैं उसी विश्वास पर आ रहा था।

[प्रोफेसर सैफ उद्दीन सोज (बारामूला): आदरणीय सर, नीतीश कुमार जी ने वहां भी खूबसूरत बातें कहीं और यहां भी वही बातें कह कर हमारा दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हाउस को जज बनाना चाहता हूं। जो नीतीश जी ने कहा है, वही मेरा विश्वास है और मैं उसी विश्वास पर आ रहा था।]

[अनुवाद]

इसलिए पूरी परियोजना के लिए आप 2500 करोड़ रुपये व्यय करें। वर्ष प्रतिवर्ष इसमें बढ़ोत्तरी हो जायेगी। यदि आप प्लान स्ट्रक्चर के अतिरिक्त 75 करोड़ अलग से दे तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूँगा। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि यदि आप यह धनराशि वर्ष प्रति वर्ष व्यय करना चाहते हो तो इस परियोजना को 2.0[illegible] तक भी पूरा नहीं कर सकते क्योंकि यदि इतनी लंबी रेल लाइन बिछानी है तो 100 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय करने से भी कुछ भी नहीं होगा। मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि माननीय मंत्री एक ग्लास पानी पीना चाहते हैं और माननीय अध्यक्ष भी मुझसे बात समाप्त करने के लिए कह रहे हैं।

मेरे पास और तथ्य हैं और इस संबंध में मैं विशेषज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ यह रेल लाइन बन जाय। मैं राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर ही यह बात कर रहा हूँ। मैं यह नहीं कहता हूँ कि 'मुझे कुछ दो'। मैं किसी चीज की भीख नहीं मांग रहा हूं। इस लाइन से भावनात्मक एकता बढ़ेगी। इससे जम्मू कश्मीर के अलग-थलग पड़ने की समस्या सदैव के लिए सुलझ जायेगी।

मैं श्री नीतीश कुमार को उनके अच्छे आश्वासनों और संक्षिप्त भाषण के लिए बधाई देता हूँ। बधाई देने के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि एक अर्थशास्त्र के छात्र के रूप में मैंने इन आंकड़ों का अध्ययन किया है। मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का भाषण सुना था। मैंने श्री सी.के. जाफर शरीफ और राम विलास पासवान सहित कई रेल मंत्रियों के भाषण सुने हैं। मैं चाहता हूँ कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी और अन्य लोग इस बात को समझे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप 75 करोड़ रुपये या 100 करोड़ रुपये या 200 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय करना चाहते हैं तो आप इसे 20 वर्षों में भी पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको युद्ध स्तर पर कार्य करना है।

मेरे पास एक प्रस्ताव है। मुझे यह मालूम है कि आप यह कैसे पूरा कर सकते हैं प्रस्ताव यह है। आपने कोंकण रेलवे का निर्माण किया। आपने इसको 'दा' कोंकण एक्सप्रेस रेलवे का नाम दिया। मेरा प्रस्ताव है कि आप इसे 'कश्मीर एक्सप्रेस रेलवे कारपोरेशन' घोषित करे और समय सीमा निर्धारित करे। मैं धनराशि पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आप अल्प धनराशि से चमत्कार कर सकते हैं। आपको और सरकार को यह कहना है कि इसके लिए अवसर बढ़ाये और इसे 'कश्मीर एक्सप्रेस रेलवे कारपोरेशन' घोषित करें और उसी प्रकार रेल लाइन बनाये जिस प्रकार कोंकण रेलवे बनाई है। मेरी कामना है कि वर्षों तक आप मंत्री बने रहे; मुझे इस पर कोई ईर्ष्या नहीं है यदि आप इन आंकड़ों के अनुसार चलेंगे तो अधिक समय लगेगा। इसलिए जब तक आप 'कोंकण रेलवे' की भांति कश्मीर एक्सप्रेस रेलवे कारपोरेशन नहीं बनाएंगे तब तक आप इस काम को कभी पूरा नहीं कर पायेंगे। मुझे आशा है कि आप अवसर बढ़ायेंगे और आज ही इस लाइन को कश्मीर एक्सप्रेस रेलवे कारपोरेशन घोषित करेंगे।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारगाओ): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगियों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर फिर से नहीं कहूँगा। मैं अपना भाषण केवल गोवा राज्य तक ही सीमित रखूंगा।

[श्री फ्रांसिस्को सारदीना]

मैं यह नहीं जानता कि मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जब 1990 में कोंकण रेलवे बनाने से संबंधित प्रस्ताव लाया गया था तो रेलमार्ग के बारे में तब बहुत शोर शराबा हुआ था, कि यह विद्यमान रेल मार्ग के अनुसार होगा या राज्य के तटवर्ती क्षेत्र के अनुसार होगा। उस समय मैं गोवा में मंत्री था और गोवा के लोगों को समझाने में काफी समस्या आई थी। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने ओझा समिति रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं।

लेकिन यहाँ मैं उन मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिनके बारे में ओझा समिति रिपोर्ट में वादा किया गया था और वे बातें अब तक सामने नहीं आयी हैं।

सबसे पहले मुख्य बात यह है कि हमारे पास 90 से लेकर 100 कि.मी. तक की लाइन है। गोवा एक छोटा राज्य होने के कारण सभी खेत जलमग्न है क्योंकि पानी की निकासी की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय रेल मंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और ध्यान दें कि कुछ और छोटे पुलों का निर्माण किया जाय अथवा कुछ और पाइप डाले जायें ताकि खेत जलमग्न न हों।

अध्यक्ष महोदय, शायद आपको ज्ञात होगा कि गोवा में खेतों में काम करने वाले श्रमिक बहुत महंगे पड़ते हैं और पूरी भूमि या रेल मार्ग के साथ के खेत नष्ट हो रहे हैं और फसलें प्रतिवर्ष नष्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करे कि ओझा समिति रिपोर्ट द्वारा जो आश्वासन किये गये थे उन्हें लागू किया जाये।

अन्य मुख्य मुद्दा यह है कि इस स्थान से बहुत से किसानों को विस्थापित किया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि जब कभी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो विस्थापित किसानों के बच्चों को रोजगार देने पर उचित ध्यान दिया जायेगा। हमने देखा है कि कई स्टेशन बने हैं, इन स्टेशनों पर टेलीफोन बूथ और अन्य रोजगार के प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और यह देखें कि हरेक नौकरी केवल स्थानीय लोगों को ही न मिले, बल्कि उन लोगों के बच्चों को भी मिले जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

अगली बात मैं लोंडा से गोवा मार्ग, जिसे मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया था, के बारे में कहना चाहता हूं। एक ओर जहां हमारे वैज्ञानिकों ने परमाणु बमों का विस्फोट किया है वहीं दूसरी ओर मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि हमारे रेल इंजीनियरों ने रेल मार्गों में सुधार करते समय संसाधनों पर अधिक व्यय कर दिया और आज, जो गाड़ी लोंडा से वासको जाया करती थी, वह बंद कर दी गई है। इस वजह से, दक्षिण के लोग उत्तेजित हैं। यह मार्ग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है और दक्षिण के बहुत-से लोग आकर मुझे मिले हैं। वे वहां जाने वाली गाड़ियों को रोकना चाहते हैं और यदि वे ऐसा करते हैं, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह यह सुनिश्चित करें कि संसाधनों पर व्यय कम किया जाए तथा रेल सेवाएं तत्काल पुनः बहाल की जाएं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ तक पर्यटन का संबंध है, गोवा हमारे देश का आईना है। कोंकण रेल परियोजना के पूरा होने के बाद, कितनी गड़ियां वहां जा रही हैं? केवल एक अथवा दो गाड़ियां मुम्बई जा रही हैं। इस मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में, मैं माननीय मंत्री से मिलने गया था और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनी। मैंने कोंकण रेलवे के महाप्रबंधक से भी बातचीत की है। मुझे यह बताया गया था कि उनका इस मार्ग पर अनेक गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि उनका क्या प्रस्ताव है। हम तत्काल कुछ और गाड़ियां चलवाना चाहते हैं। मैं यह मांग कर रहा हूं कि पर्यटक स्थल होने के नाते गोवा को भारत के हरेक प्रांत के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि गोवा एक खनन राज्य है और उसमें चुरचोरेम नामक एक शहर है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। 6.00 बजे मंत्री महोदय को उत्तर देना है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, रेलवे पर इतना भाषण हो चुका है। भाषण के बंडल लाइब्रेरी के बरामदे में धक्के खा रहे हैं। और कितना चलाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना: मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं। मैं चुरचोरेम के बारे में बात कर रहा हूं, जो एक छोटा-सा शहर है, इस शहर के मध्य में सनवोरडेम नामक एक स्थान है। वहाँ अयस्क लौहे का भण्डार है। गोवा के खनन राज्य होने के कारण वहाँ स्थानीय क्षेत्र से और कर्नाटक से भी अयस्क लौह

आता है। वहां भी सरकार से उस भण्डार को वहां से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उस स्थान के माननीय विधायक, जो वहां मंत्री भी हैं, ने इस संबंध में माननीय मंत्री को लिखा है। मैं रेल मंत्री से यह अपील कर रहा हूं कि इस बात को हल्के-फुल्के ढंग से न लें क्योंकि वह यदि मामले के संबंध में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस तरफ जाने वाला रेल यातायात रुक जाएगा और इससे देश को भारी क्षति होगी।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह तत्काल निवारक उपाय करें और यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की स्थिति से बचा जाए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पं. बंगाल): महोदय, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मेरी रेल मंत्री को परेशान करने की मंशा नहीं है, लेकिन मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि मेरे जिले मुर्शिदाबाद, जो कि पश्चिम बंगाल में है, की अनदेखी की गई है। मुझे पुनः यह उल्लेख करते हुए खेद है कि मेरे जिले मुर्शिदाबाद की स्वतंत्रता के गत 50 वर्षों के दौरान बिल्कुल अनदेखी की गई है।

न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीश आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन द्वारा दिए गए निर्णय वैध रहते हैं। हमारी राजनैतिक व्यवस्था में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन पिछली सरकार का निर्णय वैध नहीं रहता। मुझे यह उल्लेख करते हुए खेद है, हमने गत वर्षों में तीन मांगें की थी लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया है।

मेरा जिला लालगोला-स्यालदाह रेल खण्ड के क्षेत्राधिकार में आता है, जो पूर्व रेलवे के प्रबंधन के अंतर्गत है। इस जिला मुख्यालय का अपना ही विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है। मुर्शिदाबाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूर्वी राजधानी है। हमने कृष्णा नगर से बरहामपुर तक विद्युतीकरण किये जाने की अत्यंत अनिवार्य मांग की थी। यह दूरी मात्र 92 किलोमीटर की है। भूतपूर्व रेल मंत्री, श्री राम विलास पासवान ने इसका सर्वेक्षण कराये जाने के आदेश दिए थे और प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था। रेल मंत्री ने सर्वेक्षण रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली थी। लेकिन, दुर्भाग्यवश, हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र की रेल बजट अथवा रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों में पूरी तरह उपेक्षा की गई है। मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

हमने एक और मांग की थी। मैं इस सभा में बरहामपुर से निर्वाचित होकर आया हूँ। यह एक व्यस्त शहर है और इस शहर के प्रवेश द्वार पर एक रेल फाटक है। पंचनानथला नामक यह रेलफाटक वास्तव में ही अत्यंत व्यस्त रेल फाटक है। यहाँ हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं। यहां दुर्घटना होने के समाचार हमें रोजाना मिलते रहते हैं। जब श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रधान मंत्री थीं, तो यह बात स्वीकार की गई थी कि इस रेल फाटक पर ऊपरि पुल का निर्माण किया जाएगा। यह भी सुनने में आया था कि इस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गई थी। मुझे यह पता नहीं है कि यह बजटीय आवंटन किसी अन्य प्रयोजन पर कैसे लगा दिया गया है। अतः मैं यहां विराजमान माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले की जांच करें और बरहामपुर के प्रवेश द्वार अर्थात पंचनानथला में रेल फाटक पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

तीसरे, हमने लालगुडा-स्यालदेह खण्ड को जोड़ने हेतु भागीरथी नदी पर एक और ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की मांग की थी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: महोदय, मैं अपने दल की ओर से एक मात्र वक्ता हूँ और समय-सीमा का शिकार हो गया हूं। ऐसी स्थिति में, मैं अपनी समस्याओं का कैसे हल कर सकता हूँ?

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: मेरा एक छोटा-सा दल है। लेकिन फिर भी, यहां इसे अपने विचार तो रखने ही हैं ...*(व्यवधान)*

मैंने नसीपुर में भागीरथी नदी पर नये ऊपरिपुल के निर्माण हेतु अनुरोध किया था क्योंकि मुर्शिदाबाद अर्थात लालबाग एक ऐतिहासिक स्थान है। यह स्थान नवाब सिराजुदौला के समय में उनकी राजधानी थी। हमने राजधानी से राजधानी तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाए जाने की भी मांग की है। यह सीमान्त जिला है। इस का सामरिक महत्व है। जलांगी नदी के दूसरी ओर बंगलादेश है। हर समय इस क्षेत्र के गुमराह किए हुए हमारे युवक अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। इस स्थान का सामरिक महत्व था। अभी भी इसका सामरिक महत्व है। वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार ने मुर्शिदाबाद से दिल्ली तक अर्थात राजधानी से राजधानी तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए नई रेल लाइन बिछाने का विचार किया था। एक लाइन का निर्माण किया भी गया था। लेकिन उस राज्य के

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

विभाजन के बाद, राजधानी-से-राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए, इस लाइन का अभी भी उतना ही महत्व है। इसका अभी भी सैनिक और सामरिक महत्व है। इसका कुछ और महत्व भी है। अत: क्या मैं सरकार से यह आग्रह कर सकता हूं कि वह इन दो लाइनों को जोड़ने के लिए भागीरथी नदी पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने को विशिष्ट महत्व दे और इस ओर ध्यान दे, ताकि लालगोला-स्यालदाह लाइन का बरास्ते फरक्का-मालदा-सिलीगुड़ी उत्तरी बंगाल तक विस्तार किया जा सके। इसके खुलने के बाद, इस लाइन के वाणिज्यिक महत्व का पता लगाया जाएगा।

हमने विभाग से कतिपय छोटे-मोटे लाभ अर्थात लालगोला-स्यालदाह खण्ड पर यात्री गाड़ियों में संरक्षा और सुरक्षा उपायों के बारे में भी मांग की है। इस खण्ड पर यात्रियों के लिए कोई जन-सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ कोई संरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। सम्भवत:, विभाग ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि इस खण्ड पर चलने वाली गाड़ियों में डकैती के बारे में हर रोज सूचना प्राप्त होती रहती है। लालगोला-स्यालदाह के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों में लूटपाट और डकैती की घटनाएँ घटित होना एक आम बात हो गई है। यह बात सभी जानते हैं। हम इससे पीड़ित है। हमने पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक को बार-बार यह कहा है कि वह कृपया लालगोला-स्यालदाह यात्री गाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करें। लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? कृपया इस मामले की जांच कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रमथेस मुखर्जी जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं पर्यटन स्थल अर्थात लालबाग के बारे में बता रहा था। यह मुर्शिदाबाद के नाम से विख्यात है। मुर्शिदाबाद पर्यटन स्थल है। यहाँ पर्यटन का विकास भी किया जा सकता है। यदि इस रेल मार्ग के विकास के लिए उचित ध्यान दिया जाए, तो इस स्थान तक आर्थिक क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

अन्तत:, इकलाखी-बेलूरघाट परियोजना अभी भी रेल मंत्री, श्री नीतीश कुमार के विचाराधीन है। इसके लिए थोड़ी सी धनराशि आवंटित की गई है। लेकिन इकलाखी-बेलूरघाट परियोजना के लिए मशीनरी युद्ध स्तर पर दी जानी चाहिए। कृपया रेलवे बोर्ड के समक्ष विचाराधीन अन्य परियोजनाओं की भी जांच करें।

अन्तत:, मैं रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड से पुन: यह अपील करता हूँ कि सोनापुर-केनिंग लाइन का दोहरीपन बड़ी आसानी से किया जा सकता है और इन गाड़ियों की गति को ध्यान में रखते सोनापुर केनिंग में टोकन रेल व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेलिया): अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से सांसद हूं और बिहार का यह सौभाग्य रहा है कि जगजीवन राम जी से लेकर नीतीश कुमार जी तक रेल मंत्री रहे हैं। भले ही बहुत से रेल मंत्री बिहार से रहे हों, लेकिन बिहार की बहुत उपेक्षा हुई है।

जिस इलाके से मैं आता हूं, उस इलाके के बारे में किसी मंत्री ने सोचा तक नहीं। 1928 में छिलौनी-बगाह पुल ध्वस्त हो गया था। जब जार्ज फर्नाण्डीस जी थोड़े दिनों के लिए रेल मंत्री बने थे, तो उस पुल का निर्माण कराया गया। उस पुल का उद्घाटन बड़ी लाइन से होना था, लेकिन बड़ी लाइन से उद्घाटन न करके उसे छोटी लाइन से चालू किया गया। उस समय महाप्रबन्धक श्री ललित कुमार सिन्हा थे, जिन्होंने 14.6.95 को कहा था कि दिसम्बर, 1996 में नरकटियागंज-गोरखपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाएगा। अब 1998 चल रहा है, यह कार्य हो पाएगा या नहीं, कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार कन्स्ट्रक्शन इन्चार्ज, श्री गर्ग से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं, जो वहां के पुल का निर्माण कर सकें। माननीय मंत्री जी से बात करते हैं, तो महाप्रबंधक कहते हैं कि उसका कन्स्ट्रक्शन हो गया है। पता नहीं कौन सच है और कौन गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। दिसम्बर, 1996 में बड़ी लाइन से चालू होने वाला पुल आज तक चालू नहीं किया जा सका है।

श्री लालू प्रसाद: आपसे कब बात हुई?

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: मेरी हाल ही में बात हुई है। सही बात बोल रहा हूं।

श्री लालू प्रसाद: आप बात बना कर बोल रहे हैं।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: मैं माननीय मंत्री जी को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन पदाधिकारी इसके लिए कसूरवार हैं, जिन लोगों ने इसे चालू करने में ढिलाई बरती है। पूरी राशि दे देने के बाद भी कार्य पूरा नही हुआ है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर तक यू एच एफ लाइन के लिए योजना पास हुई है, लेकिन उसके लिए भी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। पिछले दो वर्षों से न इसके बारे में टैंडर किया गया और न इसे चालू किया गया।

श्री नीतीश कुमार: परसों सारी बातें कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके सामने बात की है और 1999 टारगेट है। वहां मैटीरियल इकट्ठा हो रहा है, स्लीपर इकट्ठे हो रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: महोदय, इसे दिसम्बर, 1996 में चालू होना था और यह दिसम्बर, 1998 तक चालू हो पाएगा, मुझे आशंका है। मैंने मंत्री जी से चम्पारण के बारे में भी चाहूंगा कि वहां जो काम हो रहे हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। मेरा एक और अनुरोध है, नरकटियागंज में एक डिवीजन बनाया जाए, क्योंकि वहां आमान परिवर्तन के जो काम हैं, वे चालू हो सकें।

महोदय, एक अनुरोध और करना चाहता हूं। सिग्नलिंग, टैलीकम्युनिकेशन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम करता है, लेकिन इसके लिए रेलवे बोर्ड में एडिशनल मैम्बर बनाए गए हैं। मेरा सुझाव है कि उनको फुलफ्लैज्ड पद दिया जाए। रेल मंत्री जी से मेरा अंतिम अनुरोध है कि वे सिग्नलिंग, टैलीकम्युनिकेशन के एडिशनल मैम्बर को रेलवे बोर्ड में मैम्बर का दर्जा दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): महोदय, मैं भी बिहार से आता हूं। बिहार के मारे पूर्व रेल मंत्री जी के बारे में, मौजूदा रेल मंत्री जी नहीं, क्योंकि अभी उनके बारे में एसैसमेंट करना कठिन है, उन्हें काम करते हुए बहुत कम दिन हुए हैं, कहा जा रहा है कि यह पास हो गया और वह पास हो गया, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा है। मैं भी बिहार सरकार के कार्य को जानता हूं। बिहार सरकार के पास कोई भी सम्पर्क जमीन एक्वायर करने के बारे में प्रस्ताव भेजा नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि योजना पास हो गयी है।

अपराह्न 6.00 बजे

यह सब काम जबरदस्ती हो रहा है। मंत्री जी, जो काम सचमुच में हुआ है, सोनपुर से, हाजीपुर से लेकर जो बीजी लाईन का निर्माण हुआ है उसकी आप जांच करवा दीजिए कि कौन सा मेटल लेना था और आप वहां कौन सा मेटल सप्लाई करवा कर रेल चलवा रहे हैं। आप जब तक पुरानी कमियों को नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यहां जो बिहार के बारे में बोला जा रहा है, बिहार के बाहर के माननीय सांसद जानते हैं कि रेल का कितना बजट बिहार में आया है, हमें भी वहां का पता है। माननीय सदस्य रेल लाईन के मामले में, ब्रिज के मामले में और दीघा-पटना के बारे में जो कह रहे हैं कि वहां रेलवे के डिब्बे में लाइट नहीं है, यह बात ठीक कह रहे हैं। हर तरफ लोग एयर कंडीशन में बैठ कर जाते हैं और बिहार को बेवजह ब्लेम किया जाता है कि बिहार में रेल का सारा बजट जा रहा है। रेल मंत्री जी को इन सारी बातों को यहां उजागर करना चाहिए, बताना चाहिए। बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में कुछ नहीं मिला है। अगर बिहार का कोई आदमी नाराज होता है तो कहते हैं कि तुम रेल मंत्री बन जाओ। इस तरह उसे रेल मंत्री बना देते हैं, बाकी कुछ भी वहां के लिए नहीं दे रहे हैं। अब नीतीश जी के पीछे दूसरे मंत्री रिमोट कंट्रोल लेकर बैठे रहते हैं, वे इनको काम ही नहीं करने देते। इस तरह वे कैसे काम करेंगे। इन सब चीजों को देखना आपका काम है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि बिहार पर एक अलग सत्र बुलाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कल कार्य मंत्रणा समिति में नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सभा रात्रि 8.00 बजे तक चलेगी।

श्री वैको (शिवकाशी): अध्यक्ष महोदय, जब मुझे यह पता चला कि श्री नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया गया है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं अपने साथी श्री नीतीश कुमार जोकि एक कर्मठ मंत्री हैं, को बधाई देने वाला था। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, मुझे भारी निराशा हुई है। हमें तमिलनाडु के लिए नये कार्यक्रमों की उम्मीद थी लेकिन हमें केवल निराशा ही मिली है।

समयाभाव के कारण मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। साथ ही, मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं और बेरोजगार युवाओं की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अब युवाओं को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर रेल यात्रा पर धन व्यय नहीं करना पड़ता।

[श्री वैको]

जहां तक तमिलनाडु राज्य के लिये धन के आवंटन का संबंध है, हमारे माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने रेल बजट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन (पृष्ठ 45) के अनुसार धनराशि आवंटित की है। इस वर्ष चैन्नई बीच सेलुजा तक रेपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 19,65,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना पर कई वर्ष लगेंगे। इस परियोजना का कुल अनुमानित लागत 259.89 लाख रुपये है और केवल 19.61 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। एम.आर.टी.एस. के लुज-विलाचेरी विस्तार के लिए केवल 20 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। चेन्नई बीच-तम्बरम-चेंगलपेट लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये 135.61 लाख रुपये की अतिशेष राशि की तुलना में केवल एक लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

यदि हम आमान परिवर्तन पर चर्चा करें तो हमारे माननीय मंत्री कहेंगे कि उन्होंने डिंडुगल-त्रिची लाइन अर्थात 98 किलोमीटर लम्बे मार्ग के लिए उन्होंने 61.52 लाख रुपये आवंटित किये हैं। यह परियोजना कई वर्षों से निर्माणाधीन है। यह लाइन चेन्नई बरास्ता चेंगलपेट, विल्लुपुरम, त्रिची से डिंडुगल तक एक प्रमुख लाइन है। दक्षिणी जिलों से आने वाले यात्रियों को बरास्ता करूर-इरोड एक परिक्रमा करनी पड़ती है। आपने किसी नई परियोजना के लिये भी अधिक धनराशि आवंटित नहीं की है।

उदाहरण के लिए, त्रिवेन्द्रम से क्विलोन तक बड़ी लाइन है। विरुदुनगर से मदुरै तक भी बड़ी लाइन है। लेकिन विरुदुनगर-तेंकासी-क्विलोन के बीच मीटर लाइन है। अत: विरुदुनगर से क्विलोन तक आमान परिवर्तन के लिए कई वर्षों से मांग की जा रही है। विरुदुनगर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। विरुदुनगर-तेंकासी, तेंकासी-क्विलोन अथवा तेंकासी-तिरुनेलवेली और तिरुनेलवेली-तिरुचेंदूर एक ऐसी परियोजना है जिसकी कुल अनुमानित लागत 280 लाख रुपये है। महोदय, माननीय मंत्री जी यहां हैं। मुझे आशा है कि वे इस पर ध्यान देंगे। आपने इस वर्ष केवल 10,000 रुपये आवंटित किये हैं। यह धनराशि बहुत ही कम है। इतनी राशि तो लाइन के सर्वेक्षण पर ही व्यय हो जाती है। सर्वेक्षण आदि का कार्य पूरा हो चुका है। वे यह कह सकते हैं कि योजना आयोग है। यदि इरादा पक्का हो तो ऐसा निश्चित तौर पर हो सकता है और माननीय रेल मंत्री मामले को योजना आयोग के साथ उठा सकते हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस परियोजना विशेष के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करें क्योंकि विरुदुनगर से क्विलोन तक बड़ी लाइन बिछाना अत्यावश्यक है। तिरुचेंदूर भी रामेश्वरम की तरह एक धार्मिक स्थल है। यह एक प्रसिद्ध स्थल है। लाखों लोग यहां पर आते हैं। अत: इस परियोजना को आरंभ किया जाना चाहिए।

कन्याकुमारी से त्रिवेन्द्रम तक बड़ी लाइन है। लेकिन अब यह लाइन विशेष त्रिवेन्द्रम डिवीजन के अंतर्गत आती है। इस बारे में हाल ही के वर्षों में एक जन आंदोलन हुआ था। मैंने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया था। उन्हीं दिनों हम यहां आये थे। हमें यह बताया गया था कि समूचे मदुरै डिवीजन में मीटर लाइन हैं। यह बड़ी लाइन परियोजना त्रिवेन्द्रम डिवीजन के अंतर्गत आती है। अब चूंकि मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है इसलिए ऐसा प्रश्न पैदा ही नहीं होता। मदुरै को भी बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा चुका है। अत:, कन्याकुमारी बरास्ता नागरकोइल से त्रिवेन्द्रम के बीच की लाइन त्रिवेन्द्रम डिवीजन के अंतर्गत आती है। इसे त्रिवेन्द्रम डिवीजन से हटाकर मदुरै डिवीजन के अंतर्गत कर दिया जाए।

मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री तमिलनाडु के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करेंगे और तमिलनाडु के लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। *...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: आपने यह कहा था कि यह अंतिम वक्ता होंगे।

अध्यक्ष महोदय: दो अथवा तीन वक्ता और हैं क्योंकि इस विषय पर सभी बोलना चाहते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नम्बर भी आयेगा। श्री वारकला राधाकृष्णन केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मुझे जो रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है, उससे मैंने यह देखा है कि रेलवे संकट का सामना कर रहा है क्योंकि यह विभाग अवनति की ओर अग्रसर है। जब हमारा सकल घरेलू उत्पाद छ: से सात प्रतिशत है, रेलवे की विकास दर केवल 3.5 प्रतिशत है।

अत:, यह अवनति की ओर अग्रसर है। ऐसा किस लिये हो रहा है? मैंने कहा है कि रेलवे संकट का सामना कर रहा है क्योंकि रेलवे में दूरसंचार और सिग्नल के मामले में अवसंरचनात्मक विकास नहीं हुआ है। इसका परिणाम यह है कि हर रोज रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमें प्रतिदिन यह सुनने को मिलता है कि रेलगाड़ियां मिनटों से नहीं अपितु घंटों से विलम्ब से चल रही हैं। भविष्य में हमें यह सुनने को मिलेगा कि लम्बी दूरी की गाड़ियां एक अथवा दो दिन विलम्ब से चलेंगी। ऐसी स्थिति बनी हुई है। परिणाम यह है कि माल यातायात 89 प्रतिशत से कम होकर 40 प्रतिशत और यात्री यातायात 80 प्रतिशत से कम होकर 20 प्रतिशत रह गया है। रेलवे की यह तस्वीर है।

अनुदानों की मांगों का अध्ययन करते समय मैंने यह देखा कि कुछ खर्च ऐसे हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ विविध कार्यसाधक व्यय का प्रावधान रखा है। यह व्यय 896.34 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,275.94 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसा कैसे हुआ? माननीय मंत्री ने इस व्यय के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया है। मैं नहीं जानता कि बजट में कितने विविध प्रकार के व्यय का प्रावधान हो सकता है। एक अन्य प्रकार के व्यय का भी प्रावधान किया गया है जिसे यात्रा व्यय का नाम दिया गया है, जो 423.6 करोड़ रुपये है। यह विमान-यात्रा हेतु है। रेल मार्ग पर रेलवे के सैलून की बात तो मेरी समझ में आती है लेकिन मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास वायुयान सैलून भी हैं। तो यह खर्च किसलिए दर्शाया गया है? हमें यह समझना चाहिये कि रेलवे की माल भाड़े में की गई कमाई लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई है। इन लोगों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि करोड़ों रुपये बिना किसी लेखे के व्यय करें। इसलिए रेलवे का अंशदान कम हो गया है।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, ई.डी.पी. 67 है जबकि रेलवे की वृद्धि दर मात्रा 3.5 प्रतिशत है। इस विभाग की यह स्थिति है। इन्होंने अनेक बातें कही हैं। लेकिन रेलवे के पास इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। इस सभा द्वारा बार बार सिफारिश किए जाने के बावजूद, कदाचार में लिप्त दलालों को रेलवे रोक नहीं सका। टिकट आरक्षण के मामले में दलाल अभी भी इन कार्यों में लिप्त हैं रेलवे इस समस्या से कैसे निपटेगा? इस तथ्य के बावजूद कि रेलवे ने बहुत सी पद्धतियाँ शुरू की हैं, समस्या वैसी ही है।

अन्य बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि यात्री सुविधाओं में कमी आई है। माल डिब्बा निर्माण के संबंध में कठिनाइयाँ आती हैं यह कार्य ठेके के आधार पर दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ रेलवे स्वयं ही माल डिब्बे क्यों नहीं बनाता? रेलवे द्वारा माल डिब्बे बनाने में क्या कठिनाई है? इसके साथ-साथ रेलवे योजना आयोग से बहुत अधिक धन की मांग करता रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि योजना आयोग उनके लिए इतना धन कहां से ला सकता है।

रेल संबंधी स्थायी समिति ने 9,300 करोड़ रुपये की सिफारिश भी की है और योजना आयोग ने केवल 4784 करोड़ रुपये दिये है। योजना आयोग ने केवल इतना ही आवंटन किया था और रेलवे ने इतनी अधिक माँग की थी। यह आवंटन कैसे किया जाए इसका पता लगाना योजना आयोग का काम है। इस बात का पता लगाना सरकार का भी कार्य है कि इसमें किस प्रकार की वृद्धि की जाए। लेकिन धन की कमी है मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। रेलवे की कार्यवाही द्वारा इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। वह मैं नहीं जानता। उन्हें व्यय में कमी करनी होगी।

रेलवे अन्य बातों के लिए अनावश्यक खर्च कर रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। व्यय के बारे में कठोर नियम होने चाहिए। व्यय कम होना चाहिए और यात्री सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड ने 65,000 करोड़ की माँग की है।

लेकिन योजना आयोग ने केवल 47,000 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी थी। प्रश्न यह है कि क्या रेलवे लोगों की आवश्यकता को पूरा कर पायेगा अथवा नहीं। रेलवे को वाणिज्यिक और सामाजिक दोनों आवश्यकताएं पूरी करनी है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बजटीय सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन भारत में बजटीय सहायता, जैसाकि आशा की जाती है, विकसित देशों के स्तर की नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा जाँच किये जाने वाले मामलों के बारे में कतिपय कठिनाइयाँ हैं। अब पुलिस राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। रेलवे का पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। रेलवे सुरक्षा पुलिस राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है, और रेलवे बोर्ड का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन क्या उन पर दोहरा नियंत्रण रखना संभव है? क्या आपका रेलवे सुरक्षा पुलिस जो रेलवे में कार्यरत है पर अलग से नियंत्रण होना चाहिए। रेलवे बोर्ड का रेलवे परिसर में होने वाली लूटमार और डकैती की जाँच से संबंधित मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उनके पास उनके बारे में कोई आँकड़े नहीं होते। अत: इस मामले से निपटा जाना चाहिए।

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, मेरी कुछ मांगे हैं। यद्यपि मैंने समूचे देश के बारे में कहा है। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आपको कुछ बताना है। पहली बात यह है कि त्रिवेन्द्रम सैन्ट्रल रेलवे स्टेशन का विकास एक बहुत जरूरी आवश्यकता है। त्रिवेन्द्रम सैन्ट्रल रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव था लेकिन उस प्रस्ताव को रोक दिया गया था और इस पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके बाद एक अन्य मुद्दा त्रिवेन्द्रम क्विलोन लाइन के दोहरीकरण का है। जैसाकि आप जानते हैं, यदि इस तरह होता रहा तो 40 वर्षों में भी हम रेलवे परियोजना को पूरा नहीं कर पायेंगे। इसका वास्तविक कारण बहुत कम धनराशि का दिया जाना है जिससे 40 वर्षों में सभी परियोजनाएँ पूरी नहीं हो सकती। 40 वर्षों तक सब कुछ बदल जायेगा।

आपकी दोहरीकरण परियोजना को 10 से 15 वर्षों का समय लग सकता है। यदि यही स्थिति रही, तो कहाँ जाकर परियोजना खत्म होगी। अतः मैं रेल मंत्री से यथासंभव त्रिवेन्द्रम-क्विलोन लाइन के दोहरीकरण का कार्य शुरू करने तथा इसे पूरा करने का अनुरोध करूंगा। क्योंकि रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना रोज का काम हो गया है।

इसके अतिरिक्त, एक अन्य मुद्दा मेरे निर्वाचन क्षेत्र वारकला के बारे में है। लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां वहाँ नहीं रुकती। लेकिन आप बता रहे हैं कि केरल में कोवलम के बाद वारकला सबसे प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र है रेलवे स्टेशनों पर वारकला के महत्व और पर्यटक आकर्षण का प्रचार भी किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से, लम्बी दूरी की गड़ियों वहाँ रुकती नहीं हैं। उस शहर में पर्यटन का विकास कैसे हो सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया आप रेल मंत्री को वारकला ले जायें।

श्री वारकला राधाकृष्णन: अतः मैं आपसे वारकला में लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करने के लिए तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ। ऐसा न करने पर मुझे आन्दोलन छेड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा। वहाँ कुछ अन्य स्टेशन भी हैं जहाँ लम्बी दूरी की रेलगाड़ियाँ नहीं रुकती है। इन सब मामलों पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: एक अन्य प्रस्ताव त्रिवेन्द्रम को कोट्टारकारा के साथ जोड़ने का है जिसे बरास्ता त्रिवेन्द्रम सेंटर से कोट्टायम होते हुए जोड़ा जाना है। उस लाइन पर भी विचार किया जाना चाहिए। हाल ही में ऐरणाकुलम जंक्शन अर्थात् साऊथ स्टेशन पर रेलगाड़ियाँ न रोकने के प्रस्ताव के कारण विद्रोह हुआ था। यह एक विकासशील केन्द्र है। यह कोचीन शहर के बीच में है। अतः आप कृपया देखिये कि सभी रेलगाड़ियां, रुकें और ऐरणाकुलम स्टेशन से होकर जायें। मुझे एक मुद्दा और उठाना है।

अध्यक्ष महोदय: और कोई मुद्दा नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस को अपनी एसोसिएशन बनाने की अनुमति क्यों नहीं देते? आप समाजवाद में विश्वास रखने वाले हैं। अब आप बी.जे.पी. के साथ है। मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आपके पिछले इतिहास से मुझे पता लगता है कि आपने भी संयुक्त रूप से सौदाबाजी करने में विश्वास किया। समूहवाद आपका एक नारा रहा है। अतः कृपया आर.पी.एफ. को अपनी एसोसिएशन बनाने की अनुमति देने पर विचार कीजिए। यह संविधान के अधीन मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ, अनुशासन भी बनाये रखा जाना चाहिए। यदि उनकी एसोसिएशन होगी तो वे रेलवे के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अतः मैं आपसे उस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। इन शब्दों के साथ, मैं रेल बजट का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली): माननीय अध्यक्ष जी, इस रेल बजट के पेश होने से पहले हम बड़े हर्षोल्लासित थे कि रेल बजट पेश करने वाले नीतीश कुमार जी हैं जिनकी बिहार के लिए रेल बजट में कम प्रावधान करने के लिए 1996 में हमने वाकआउट करते हुए देखा था, अपनी मांगों के लिए, अपनी हठधर्मिता के लिए जो विख्यात थे, ऐसे राम नाईक जी को राज्य मंत्री के रूप में पाकर महाराष्ट्र के लोग भी बड़े खुश थे। मुम्बई उपनगरी सैल के लिए उनका जो योगदान है, मुम्बई और कौंकण में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें भूल नहीं सकता है। लेकिन जब रेल बजट पेश किया गया तो हमारी खुशी पर पानी फिर गया।

1996 में बिहार के प्रावधान को लेकर वाकआउट करने वाले मेरे पड़ोसी नीतीश कुमार जी से हमें लगा था कि पड़ोसी होने के नाते कम से कम मराठवाड़ा को याद रखेंगे।

मैं ऐसे पिछड़े क्षेत्र से आती हूं जिस इलाके के इस देश से ज्यादा एक साल आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई 1947 में खत्म हुई लेकिन मराठवाड़ा को एक साल अधिक लड़ना पड़ा था। 1948 में मराठवाड़ा निजाम के रूल से स्वतंत्र हुआ और अपनी इस लड़ाई को आजादी की लड़ाई का हिस्सा बनाने के लिए हमें 1998 तक लड़ना पड़ा। तब जाकर भारत सरकार ने हमारी उस लड़ाई को और योगदान को, हजारों हुतात्माओं के बलिदान को आजादी की लड़ाई का हिस्सा मानना मंजूर किया।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र पहले वाला नांदेड़ और आज हिंगोली एक तरफ तो आंध्र का मुख्य द्वार है और हम आपके पड़ोसी हैं। दक्षिण का महाद्वार कहलाने वाला नांदेड़ सिखों का काशी कहलाता है। सिख समाज के दसवें गुरू, गुरू गोविन्द सिंह जी का वह स्थान रहा और पुरी दुनियां से सिख धर्म के लोग अपनी आस्था प्रकट करने के लिए यहां आते हैं। यहां रेल विभाग ने एक डिविजन दिया। लेकिन वह डिविजन आज तक कार्यान्वित नहीं हुआ है। जब रेल विभाग रेल स्टेशन से हटकर बहुत दूर रेल डिविजन बना रहा था, वहां की सांसद होने के नाते रेल विभाग को बार-बार मैं कह रही थी कि यह रेल डिविजन सही जगह पर नहीं बनाने की वजह से कोई भी कर्मचारी वहां पर काम करने के लिए नहीं जाएगा। मान्यवर, हम लोगों के बीच से चुनकर आते हैं और इस सदन में बैठते हैं। लाखों लोगों की आस्था हममें और इस सदन में होती है, लेकिन यहां पर कहने वाली बात को जब मंत्री सुनकर अनसुना कर देते हैं या किसी रिमोट कंट्रोल की वज़ह से नहीं कर पाते हैं तो वह लाखों लोग जो हमें चुनकर प्रतिनिधि के रूप में यहां भेजते हैं, यह उनका अपमान समझा जाना चाहिए। आज नांदेड़ का रेल डिविजन पूर्व रूप से कार्यान्वित नहीं है। वहां आने वाला हर डी.आर.एम. नॉर्थ या साउथ का होता है। जैसे इस देश में रहने वाला हर आदमी कोई मुसलमान होता है, कोई हिन्दू होता है और कोई ब्राह्मण होता है, पर हिन्दुस्तानी कोई नहीं होता, उसी तरह से नांदेड़ के रेल डिविजन में काम करने वाला डी.आर.एम. दिल रखता है बंगलौर में, रहता है नांदेड़ में और उसका शरीर हैदराबाद में होता है। इस तरह से नांदेड़ का रेल डिविजन चल रहा है।

पूर्णा में लोको शेड था, वहां पर 2000 कर्मी काम करते थे। वह लोको शेड बंद कर दिया गया। पूर्णा के 2000 कर्मी पता नहीं कहां-कहां घूम रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि उन 2000 कर्मियों को ध्यान में रखकर पूर्णा का लोको शेड वापस कार्यान्वित किया जाए।

नांदेड़ से मुम्बई जाने के लिए एक रेलगाड़ी देवगिरि मेरे ही कार्यकाल में दसवीं लोक सभा में कार्यान्वित हुई थी।

यह रेलगाड़ी नांदेड़ से पांच बजे चलकर मुम्बई सवेरे साढ़े पांच बजे पहुंचती है। लेकिन जब यही रेल मुम्बई वी.टी. से नांदेड़ के लिए रात को 9 बजकर 20 मिनट पर चलती है तो इसके पहुंचने का कोई समय नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हम बिहार में विहार कर रहे हैं। इसलिए मेरी श्री राम नाईक जी और श्री नीतीश कुमार जी से प्रार्थना है कि जिस समय हम मुम्बई से निकलते हैं, ठीक उसी समय हम अपने घर पहुंचे, नहीं तो आप इसे 9.20 के बजाय 8.20 पर चलाइये, ताकि हम साढ़े आठ बजे घर पहुंच जाए और अपने क्षेत्र की सेवा कर सकें।

नांदेड़ से दिल्ली के लिए जो सचखंड एक्सप्रेस चलती है, उसका समय निर्धारण ठीक से होना चाहिए। उसके रख-रखाव के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम राजधानी से चलने वाले लोग, हम शताब्दी एक्सप्रेस और पिंक सिटी एक्सप्रेस से चलने वाले लोग, मराठवाड़ा में चलने वाली इस ट्रेन का अगर रख-रखाव देखें तो हमें शर्म आती है, हम अपना सिर शर्म से नीचे झुका लेते हैं। ऐसी ट्रेन में सफर करना बहुत मुश्किल नजर आता है। मुम्बई, दिल्ली से चलने वाली ट्रेन के रख-रखाव की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। मनमाड-दांड-पुणे जाने वाली एक ही ट्रेन है, इस ट्रेन में न बिजली है, न पंखा है, न बैठने के लिए कोई कुर्सी है। इस ट्रेन के रख-रखाव की मिसाल तो पूरे देश में देनी चाहिए। यह ट्रेन किस तरह से पहुंचती है, आज तक न बैठने वाला जान पाया है और न चलाने वाला जान पाया है।

मैं अंत में नीतीश जी और श्री नाइक जी से एक प्रार्थना करूंगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नई ट्रेन के चलाने की बात नहीं कर रही हूं, नई रेल लाइनों की बात नहीं कर रही हूं। दसवीं लोक सभा की अवधि में जिस लाइन का आपने सर्वे किया था उस पूर्णा-अकोला लाइन की बात मैं कहना चाहती हूं। पिछड़े इलाकों से गुजरने वाली तीन सौ किलोमीटर की कम अंतर से दिल्ली तक पहुंचने वाली लाइन का सर्वे किया गया था, लेकिन आज तक उस सर्वे का क्या हुआ, हमें पता नहीं है। यदि वह सर्वे किया गया था तो उसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान रेल मंत्री जी को करना चाहिए था। एक लातुर-मिरज हमारी इकलौती लाइन है जिसके लिए आपने सिर्फ 25 करोड़ रुपये रखे है। 360 करोड़ रुपये की योजना अगर 5 करोड़ रुपये में चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे नाती-पोते भी इस ट्रेन में कभी बैठ पायेंगे। नीतीश जी, थोड़ा सा प्यार पिछड़े इलाकों के लिए जताइये। मराठवाड़ा को हालत

[श्रीमती सूर्याकान्ता पाटील]

बिहार से कम खराब नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि नांदेड़-आदिलाबाद लाइन 1999 तक आपने पूरी करनी है, लेकिन उसके लिए आपने बहुत कम प्रावधान किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बी.एम. मेनसिंकाई।

आप कन्नड़ में बोल रहे हैं। क्या आपने भाषान्तरकार शाखा को नोटिस दिया है?

श्री बी.एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण) महोदय, मैंने नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): भाषान्तरण के लिए आपको भाषान्तरकार शाखा में नोटिस देना है। *...(व्यवधान)*

श्री बी.एम. मेनसिंकाई: फिर, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री मेनसिंकाई, आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। यही बेहतर है।

श्री बी.एम. मेनसिंकाई: अध्यक्ष महोदय, रेलवे के विकास के संबंध में कर्नाटक के इतिहास में दो नाम लिखे गये हैं। एक नाम श्री जार्ज फर्नान्डीज का और दूसरा श्री जाफर शरीफ का है। श्री जार्ज फर्नान्डीज का नाम मंगलौर से मुम्बई तक रेल लाइन बिछाए जाने हेतु याद किया जाता है। श्री जाफर शरीफ को मिराज से बंगलौर तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन रेल लाइन में परिवर्तित किए जाने के लिए याद किया जाता है। इसी तरह, श्री नीतीश कुमार का नाम भी याद किया जाता बशर्ते कि वे हुबली को रेलवे का जोनल आफिस बनाते क्योंकि हुबली के लोग लम्बे अर्से से इस बात की मांग करते आ रहे हैं ब्रिटिश शासन के दौरान जोनल आफिस बनाया गया और उस समय भवन ही बनाया गया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भवन कर्नाटक सरकार को कॉलेज के लिए दे दिया गया था। अत: हुबली में वहां बुनियादी ढांचा है, कार्यशाला भी है लेकिन उसका विकास किया जाना है। यदि माननीय मंत्री हुबली में जोनल आफिस बनाने की पहल करते हैं तो मेरे विचार से उन्हें इस कार्य के लिए याद किया जाता रहेगा और उनका नाम कर्नाटक के इतिहास में लिखा जायेगा। अत: मैं उनसे ऐसा करने का अनुरोध करता हूं।

ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी विचार करें। एक मुद्दा ऊपरि पुलों के निर्माण का है। पुणे से बंगलौर के मध्य दो ऐसे स्थान हैं जहां उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता है। एक स्थान नेलोगल है और दूसरा हनुमानमट्टी। उपरिपुल ऐसे स्थानों पर बनाए जाने की आवश्यकता है जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहे हों।

बेल्लारी से कुमरा तक एक चौराहा है। अत: वहां एक नई रेलवे लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता है। हुबली से कारबार के मध्य भी एक रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता है। गदाग से बीजापुर के मध्य एक मीटर गेज लाइन है। इसे भी बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना है।

मिराज से बीजापुर के मध्य मीटर गेज लाइन है। उस क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं कि इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए।

कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये मुद्दे गाड़ियों के ठहरने और प्लेटफार्मों के निर्माण के संबंध में है क्योंकि विशेष रूप से जब दो गाड़ियां साथ-साथ आती है। तो वृद्ध और महिलाएं गाड़ी में नहीं चढ़ पाते हैं। अत: यह कार्य भी किया जाना है।

ब्रिटिश शासन के दौरान जो कुछ भी विकास कार्य हुआ है वह अभी भी चल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत सरकार ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया है। हमें आशा है कि माननीय रेल मंत्री जी के माध्यम से यह सरकार कर्नाटक में रेलवे की दशा में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. नटवर सिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट से भी कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी की परेशानियों को समझता हूं। अत: मैंने उनके पास लिखित रूप में कई प्रस्ताव भेजे हैं। परन्तु, अभी मेरा अनुरोध है कि वे आगरा बांदी चुई के बीच 152 कि.मी. लम्बे, रेल मार्ग को मीटर गेज लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने पर विचार करें। इसे बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है परन्तु 1997-98 के वित्त वर्ष में बहुत ही कम धनराशि स्वीकृत की गई है जोकि नगण्य थी।

अत: यदि आगरा से बांदी कुई के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने का कार्य आरम्भ हो सके, तो मैं मंत्री जी का आभारी होऊंगा।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकरझार): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1998-99 की अनुदानो की मांगों (रेलवे) के संबंध में मुझे कुछ कहने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैंने कुछ उचित मांगों के संबंध में माननीय रेल मंत्री जी को बहुत से अभ्यावेदन दिए और उनके समक्ष मांगें रखी थी परन्तु आज तक माननीय रेल मंत्री जी ने मेरी उन उचित मांगों पर विचार नहीं किया है। मेरी मांगें कोई बड़ी नहीं है। ये सब बहुत छोटी हैं, उदाहरण के लिए, राजधानी एक्सप्रेस के कोकराझार रेलवे स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था।

[हिन्दी]

भारत सरकर इतनी छोटी-छोटी चीजें स्वीकार नहीं कर पाएगी तो बड़ी चीज क्या होगी।

[अनुवाद]

अत:, महोदय, मैं केन्द्र सरकार से और विशेषरूप से केन्द्रीय रेल मंत्री जी से राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी के कोकराझार रेलवे स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक प्रबंध किये जाने की अपील कर रहा हूं। इसके अलावा, दक्षिण और पश्चिम दिशा को जाने वाली एक भी रेलगाड़ी कोकराझार रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है। इसके कारण हमारे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अत: मैं भारत सरकार और विशेष रूप से नीतीश कुमार जी से अपील करना चाहता हूं कि वे दक्षिण और पश्चिम दिशा को जाने वाली सभी गाड़ियों के कोकराझार रेलवे स्टेशन पर रुकने और नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस गाड़ी के बिजली रेलवे स्टेशन पर रुकने और कामरूप एक्सप्रेस के गोसाईगौहट रेलवे स्टेशन पर रुकने तथा मुरखोंगसलेक से नई दिल्ली तक बोडोलैण्ड-अरुणाचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह एक नई रेलगाड़ी आरम्भ करने की व्यवस्था करें। ...*(व्यवधान)* यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वे मेरी बात को सुन भी नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: वे लिख रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर सीमांत रेल सेवाओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवकों का आरक्षण कोटा 80% किया जाए क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवक सेवाओं में अपने उचित हिस्से से सदैव वंचित रहते हैं। अत: भारत सरकार को उत्तर सीमांत रेल सेवाओं में आरक्षण कोटा 80% करने के लिए विशेष प्रबंध करना चाहिए।

मैं श्री नीतीश कुमार जी से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर सीमांत रेल लाइनों को कोकराझार, सपराकाट, गौसाई गौहट इत्यादि जैसे कई स्थानों पर फ्लाईओवरों और रेलवे उपरिपुलों के निर्माण के लिए कुछ कार्य शुरू करने चाहिए। इन फ्लाईओवरों और उपरिपुलों के अभाव में बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। यद्यपि ये सब बहुत छोटे मामले हैं, फिर भी ये सभी बहुत गम्भीर और उचित मामले है।

मैं श्री नीतीश कुमार जी से रांगिया जंक्शन से मुरखोंग सलेक तक और पकीरग्राम रेलवे स्टेशन से डुबरी तक वर्तमान मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की अपील करता हूं। मैं इस समय चलने वाली शिफूंग रेलगाड़ी कोपकीरग्राम से न्यू अली पुरकार तक बढ़ाये जाने का अनुरौध करता हूं। गुवाहाटी और पकीरग्राम के मध्य केवल एक रेलगाड़ी चलती है। इस रेलगाड़ी को भी अलीपुरद्वार तक बढ़ाया जाए।

मैं पुन: माननीय रेल मंत्री जी से गुवाहाटी और न्यूजलपाईगुड़ी के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने का अनुरोध करता हूं। यदि बोडोलैण्ड-अरुणाचल सुपरफास्ट रेलगाड़ी आरम्भ की जाय तो हम लोगों को बहुत लाभ होगा।

महोदय, मैं माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री जी से राजधानी एक्सप्रेस को कोकराझार रेलवे स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था किये जाने हेतु अविलम्ब आवश्यक प्रबन्ध करने की अपील करना चाहता हूं ताकि

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

मुझे संसद के सत्र में भाग लेने के बाद कोकराझार पर उतरने का अवसर प्राप्त हो। बहुत से यात्री इस सुविधा की मांग कर रहे हैं।

महोदय, मैं अपना भाषण लम्बा नहीं करना चाहता। इन शब्दों के साथ, मैं भारत सरकार से रेलगाड़ियों में चौकसी बनाए रखने और हमारी सुरक्षा और विकास का ध्यान रखने का विनम्र निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय रेल मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया इस बात को समझें कि पिछले महीने की 4, 5 और 8 तारीख को हम रेल बजट पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और 108 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था। आज भी 24 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। अत: अब मंत्री जी उत्तर देंगे। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने अब श्री बसुदेव आचार्य को बोलने की अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल): अध्यक्ष महोदय, सबको दो-दो मिनट का समय दे दें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सभा की बैठक आज अपराह्न 8.00 बजे तक बढ़ा दी गई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया आप पहले नियम उद्धृत करें और तत्पश्चात् अपना व्यवस्था का प्रश्न बताएं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वाद-विवाद 8 बजे तक समाप्त हो जाने दें। *...(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): अध्यक्ष महोदय, वे पूरे दिन तो उपस्थित नहीं थे और अब व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। हम यहां सुबह से बैठे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सभा की बैठक आज अपराह्न 8.00 बजे तक बढ़ा दी गई है। कुछ अन्य सदस्यों को वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति दिये जाने में क्या कठिनाई है?

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, हमने पिछले महीने रेलवे बजट पर तीन दिन चर्चा की थी। अभी हमें कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा करनी है। कृपया परिस्थिति समझिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: हमारा यहां बैठने का क्या फायदा, अगर हम अपने क्षेत्र की बात नहीं कहेंगे। *...(व्यवधान)* हम आदिवासी क्षेत्र से चुनकर आते हैं। *...(व्यवधान)* आजादी के 50 साल हो गए। आज तक सभी कुछ होता रहा, लेकिन आज तक हमें कुछ मिला ही नहीं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय रेल मंत्री जी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: आपको तो कोई मतलब ही नहीं, आप तो आराम से बैठे रहो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय रेल मंत्री जी उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया: आप तो करोड़पति की पैरवी करने वाले हो, आप लोग तो करोड़पति की वकालत करने वाले हो। ...*(व्यवधान)* गरीबों की बात हम लोग करते हैं। आप बड़े उद्योगपतियों की गोद में खेलो। आप गरीबों की बात मत करिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रेल मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक-एक मिनट दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): आपने मंत्री जी का नाम पुकार लिया है...

अध्यक्ष महोदय: आपको भी मौका दूंगा। श्री मित्रसेन यादव।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी समता पार्टी के लीडर हैं। समता का मतलब होता है विषमता को समाप्त करना। रेल विभाग में जो विषमता है मैं उसी दृष्टिकोण से इनसे निवेदन करूंगा कि रेल विभाग हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है और सबसे ज्यादा दौलत अर्जित करता है तथा इसके पास सबसे ज्यादा सम्पत्ति है, लेकिन सबसे ज्यादा सम्पत्ति का दुरुपयोग भी इसी विभाग में हो रहा है। इसके पास भू-सम्पत्ति और दूसरी सम्पत्तियां इतनी हैं कि उससे लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। सारे देश में इस साधन का कोई विकल्प नहीं है। करोड़ों लोगों को इस कोने से उस कोने तक पहुंचाने के लिए हिन्दुस्तान में यही सबसे बड़ा उपक्रम है। अयोध्या-फैजाबाद एक पवित्र और ऐतिहासिक नगरी है। वहां सरयू नदी पर पुल बनाने की घोषणा पिछली सरकार ने की थी। उसका उद्घाटन भी हो गया और शिलान्यास भी हो गया। लेकिन इस बार उसके लिए कितना बजट दिया गया है और उसकी प्रगति क्या है, उसके बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा? यदि आप वह पुल बनवा दें तो गोरखपुर से लेकर त्रिवेन्द्रम तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत के तमाम धार्मिक स्थान और औद्योगिक शहरों का मेल हो जायेगा। गोंडा, बस्ती और बहराइच की लकड़ी दक्षिण भारत जाएगी और वहां से फल-फूल यहां आएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वह पुल बनाने का प्रयास करें।

अयोध्या से मुम्बई, सूरत, अहमदाबाद और अन्य किसी औद्योगिक शहर के लिए कोई ट्रेन नहीं है। वहां से किसी भी औद्योगिक शहर या धार्मिक स्थल को ट्रेन नहीं जाती, इसको भी आप देखें और कोशिश करें कि लखनऊ से जो पुष्पक गाड़ी जाती है उसमें वहां से दो बोगी जोड़ी जाएं। पूरे हिन्दुस्तान की आबादी और ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। हमारी ट्रेनें बहुत से शहरों को क्रॉस करती हुई जाती है। फैजाबाद में आज से पांच साल पहले प्रयाग से आती हुई ट्रेन से कटकर 19 लोग मर गए थे। जहां पर ऐसे ट्रेनें गुजरती है, उन शहरों में आप ऊपरगामी ब्रिज बना दें।

इन संशोधनों को रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अयोध्या के विकास के लिए हर तरीके की रेल सुविधा प्रदान की जाए।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं झाबुआ-रतलाम क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आजादी को पचास साल बीत चुके हैं। दाहोद-झाबुआ-धार वाया

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कांतिलाल भूरिया]

इन्दौर-मकसी होते हुए, रेल की व्यवस्था का बजट में प्रावधान किया जा चुका है, लेकिन यह योजना खटाई में पड़ी हुई है। इस लाइन का सर्वे हो चुका है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस लाइन को चालू करें। आपके मामा बालेश्वर दयाल बामनिया के रहने वाले हैं। इतना समय हो जाने के बाद भी वहां कोई कार्य नहीं हो पाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि अवंतिका गाड़ी को बामनिया में रोका जाए। इसी प्रकार राजधानी और मेल एक्सप्रैस को मेगानगर में रोकने की व्यवस्था की जाए।

महोदय, मैं 28 तारीख को भोपाल जा रहा था। जिस कोच में मैं था, उस कोच में सारी तारे खुली पड़ी थी। मुझे वहां करन्ट भी लगा। डिब्बों में सारी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। डिब्बों में जो गन्दगी हैं, उसकी सफाई करने के लिए कोई देखने वाला नहीं है। अटेंडेंट्स तक नहीं होते हैं। महोदय, आप आदिवासी क्षेत्रों से काफी हमदर्दी रखते हैं। इसलिए झाबुआ-रतलामपुर में जो वर्षों से समस्यायें चली आ रही हैं, उनको दूर करने की ओर ध्यान दे। मैगानगर में जो शैड बना हुआ है, उसका भी विस्तार करें। रतलामपुर स्टेशन की हालत बहुत ही दयनीय है। इस स्टेशन के विकास की ओर भी ध्यान दें। सफाई की व्यवस्था करें। आजादी के पचास साल होने के बाद भी गरीब लोगों के लिए गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी गरीब लोगों के लिए है और अंतिम व्यक्ति को आजादी का लाभ मिलना चाहिए। आज हो यह रहा है कि मुट्ठी भर लोग आजादी का सुख भोग रहे हैं और जो व्यक्ति रेल की पटरी बना रहा है, उसको गाड़ी में बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। मंत्री महोदय बड़े दयालु है, कृपालु है। उन्होंने दावीत-मकसी लाइन के लिए बजट में जो पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उस कार्य को शुरू करायें।

अंत में, महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार): महोदय, मैं अधिक समय न लेते हुए, केवल दो बातें मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं जिस जगह से चुनकर आता हूं, उस क्षेत्र में दो विश्व विख्यात दो तीर्थ स्थल हैं-एक कलीयरशरीफ और दूसरा हरिद्वार। इस क्षेत्र में रेल की सुविधा का होना बहुत ही जरूरी है।

हमारे यहां उज्जियनी ट्रेन एक सप्ताह में तीन दिन चलती है उसको नियमित किया जाए, क्योंकि वहां यात्रियों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। वहां यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनाया जाए। हमारे यहां लाहोरी गाड़ी वहां से चलती थी उसको एक्सप्रेस बना दिया है, उसको हरिद्वार से सहारनपुर तक पैसेंजर ही रखा जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में, आवाजाही में सुविधा हो। हमारे यहां दिल्ली से सहारनपुर तक एक गाड़ी डीएमयू चलती है, जिसको बीच में शामली तक ही दो बार उलट-फेर किया जाता है, इस कारण हमारे सहारनपुर के लोग यात्रा से वंचित रह जाते हैं, इसलिए डीएमयू गाड़ी सहारनपुर तक जाए और वापस दिल्ली आए, इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। हरिद्वार और रुड़की जो कलियर शरीफ के नजदीक है वहां हमारे यात्री श्रद्धालु बहुत आते हैं, वहां यात्रियों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है कि वर्षा और सर्दी में वे अपना बचाव कर सके। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तीर्थ यात्रियों के लिए एक ऐसा स्थान बनाया जाए, जिससे उनको आराम मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए रेल मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि रेलवे में जो गैंगमैन, खलासी काम करते हैं उनका बहुत ज्यादा शोषण होता है। उनकी लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है उनमें सुधार हो। गर्मी के दिनों में पानी बांटने का काम हमारे बहुत से कर्मचारी टेम्परेरी बेसेस पर करते हैं, उनको कई सालों तक काम करने के बाद भी रेगुलर नहीं किया गया उनको परमानेंट किया जाए। डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस को रेलवे से जोड़ा जाए। अभी थोड़े दिन पहले रेलवे के टैक्नीकल स्टाफ ने आंदोलन किया, उनका टीयर और ईयर नाम का संगठन है, उनके कर्मचारियों ने एक दिन का टूल डाउन आंदोलन किया, जिसमें हमारे सारे देश भर के टीयर और ईयर के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने आंदोलन किया लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। नागपुर के एस.ई. रेलवे के डीआरएम और सेंट्रल रेलवे के डीआरएम ने वहां के कर्मचारियों को एक दिन का सर्विस ब्रेक देकर उनके ऊपर अन्याय किया और कुछ कर्मचारियों का तबादला किया गया। मैं इस तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नागपुर के इन दोनों डी.आर.एम. पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नागपुर से उमरेड, चिमूर, बरोरा तक रेल लाइन डाली जाएं तथा नागभीड़ और नागपुर जो नैरोगेज लाईन है उसको ब्रोजगेज बनाया जाए, वहां करीब 105 किलोमीटर का अंतर है। जो अनमैन रेलवे लेवल क्रासिंग है वहां दर्शनार्थियों को रोकने के लिए रेलवे गेट और चौकीदार रखा जाए।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 12 नयी ट्रेनें चालू करने की घोषणा की है। जो कुर्ला और नागपुर डीलक्स ट्रेन का ऐलान किया है, वह नागपुर से सिकंदराबाद तक एक्सटेंड की जाए। दिल्ली बंगलौर मंगला एक्सप्रेस, जो वाया नागपुर जाती है उसको दिल्ली बंगलौर वाया न्यू मुंबई ले जाने का जो प्रस्ताव है, उसका हम विरोध करते हैं। उसको वैसे ही चलाया जाए और दिल्ली बंगलौर वाया न्यू बाम्बे एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए। ...*(व्यवधान)* जो दिल्ली से बंगलौर नागपुर होते हुए जाती है उसको कायम रखा जाए और दिल्ली से बंगलौर जाने वाली नयी एक्सप्रेस गाड़ी को वहां से शुरू किया जाए, यही मेरी मांग है। एससी एसटी और ओबीसी के जो संगठन रेलवे में हैं उनको ट्रेड यूनियन का दर्जा दिया जाए और उनकी समस्याओं का हल किया जाए, उनके आरक्षण के और प्रमोशन के मसले हल किए जायें। एससी, एसटी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उनको ठीक तरीके से भरा जाए, उनका प्रमोशन सही तरीके से हो। कुलियों के लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको रेल कर्मचारियों की सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी, जितने रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशंस हैं उनको ट्रेड यूनियन का दर्जा दिया जाए और उनको बाकायदा सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, यही मेरी आपसे गुजारिश है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सायं 7.00 बजे

श्री हीरालाल राय (छपरा): अध्यक्ष जी, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान उस बात की ओर दिलाना चाहता हूं जो बात मैंने बजट के समय बोली थी। आज भी उसकी महत्ता कम नहीं हुई है। रेल मंत्री जी, आपने कहा था कि 56 हजार कैजूअल लेबर्स को हम बहाली कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सोनपुर में इस बहाली के क्रम में जो कैजूअल लेबर्स चार महीने से हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और कल 8 तारीख को आत्मदाह करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। जब रेल मजदूर जलकर मरने के लिए तैयार हैं तो उनकी समस्या की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

रेल मंत्री जी, छपरा का एस.एस. का कोटा दो का था। उसको खत्म करके उसे डी.आर.एम. कोटा में बदल दिया गया। आपके डी.आर.एम. कहते हैं कि मैं एम.पी. की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। हम लोग जब किसी लेबर के बारे में उनको लिखते हैं तो वह उससे पैसा लेता है। ...*(व्यवधान)* आपने रेल के इतिहास को सुना कि यहां रेल चलनी चाहिए, वहां रेल बननी चाहिए। मैं आपको मुल्क का और सोनपुर का इतिहास बताता हूं। जो सोनपुर किसी जमाने में और आज भी विश्व के आकर्षण का केन्द्र रहा है, उसका किस तरह से विनाश किया गया है। आज वहां की रेल के बहुत से लोको-शेड को उठा करके, बरौनी लोको-शेड को उठा करके और वहां के ट्रैफिक को उठा करके समस्तीपुर और दूसरी जगह ले जाया गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि जो पैसा आपका बेकार पड़ा हुआ है उससे वहां डीजल शेड लगाइये।

रेलवे ने एक रेलवे कालेज खोल रखा है जिसका उद्घाटन 1978 में हुआ था। उसके टेक-ओवर में पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई, पहले वाली मिनिस्टरी में उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सोनपुर में पढ़ने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए उस कालेज की जिसकी फाइल रेलवे बोर्ड में पड़ी हुई है, उसे ध्यान से देखकर उस पर काम कराइये।

41 वर्ष पहले जब राजेन्द्र सिंह जी इस पार्लियामेंट में थे तब से सोनपुर ब्रिज की आवाज उठाई जा रही है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1996 में जा करके देवगौड़ा जी ने रेल पुल का शिलान्यास किया। उस समय रेल मंत्री जी मौजूद थे और वह रेल पुल मैंने निवेदन किया था और रेल मंत्री जी से कहा था कि साहब उसके लिए बजटरी प्रोविजन कीजिए। लेकिन मैं नहीं जानता कि उनकी क्या दिक्कतें हैं। वहां लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय रेल मत्री उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

डा. रवि मल्लू (नगर कुरनूल): महोदय, कृपया मुझे एक-दो बात कहने की अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

मैं चाहता हूं कि नगर कुरनूल से होकर मचेरला और रायचूर के बीच एक नई लाइन बिछाई जाये। माननीय मंत्री ने पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने संबंधी विचार व्यक्त किया है। मैं उनके इस विचार से बहुत प्रसन्न हूं ...*(व्यवधान)*

[डा. रवि मल्लू]

मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता है। यह मांग काफी समय से लंबित है। पिछले दिनों रेल बजट पर हुई आम चर्चा के दौरान मैंने इस नई रेल लाइन के बारे में पूरा ब्यौरा दिया था। अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस नई लाइन का भी उल्लेख करे ताकि इसका भी शुभारम्भ हो सके। धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रेल मंत्री के अतिरिक्त किसी और को बोलने की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री जी, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्य चाहें तो अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष पहोदय: मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए एक मिनट का समय दूंगा। अब श्री रवि प्रकाश वर्मा बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, आपने रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। बरेली से लखनऊ के बीच मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की बात चल रही है लेकिन वह कार्य अभी तक नहीं हो सका है। मैं तराई के इलाके से आता हूं. वह मूलत: रेलवे के विकास पर निर्भर रहता है। एक पुराना सर्वे फर्रूखाबाद से लिंकुनिया के लिए किया गया था। इसका कुछ पता नहीं लगा है। यह बहुत सामरिक महत्व का रेल मार्ग है। आप इस पर विचार करें। मेरे क्षेत्र में एक पुल है जिसकी उम्र बीत चुकी है। वहां बड़ा ट्रैफिक चलता है। उसको बदलना बहुत आवश्यक है। हमारे क्षेत्र में एक दुधवा नैशनल पार्क है। वहां राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक आते हैं लेकिन वहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी जब रेल से उतरता है तो जंगल में खड़ा होता है। हम चाहते हैं कि वहां यात्री निवास का निर्माण किया जाए। लखीमपुर सिटी जो कि मुख्य हैड क्वार्टर है, वहां बड़ा ट्रैफिक जाम रहता है। मेरा निवेदन है कि वहां फ्लाई ओवर बने। मैंने अपने यहां कम्प्यूटर से रिजर्वेशन कराने के लिए कई बार लिखा। वह प्रस्तावित भी था लेकिन वह आज तक बन नहीं सका है। हमारे यहां जो ट्रेन चलती है, उनके कोचिस की हालत खराब है। अगर उनमें पीने के पानी की व्यवस्था रहे और रख-रखाव रहे तो बहुत अच्छा होगा।

रेलवे के कुलियों पर बड़ा भार है। लेबरर्स बड़ी मेहनत से रेल लाइन बिछाते हैं। उनके फ्यूचर के लिए ऐसे प्रावधान करे जिससे उनके बच्चे अच्छा जीवन जी सके और आगे बढ़ सकें।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): मान्यवर, पहले इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। मैं माननीय मंत्री जी के अच्छा बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं। मैं कुछ चीजों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनके पूर्ववर्ती मंत्री ने आगरा में रेलवे का डिविजनल हैडक्वार्टर स्थापित करने का फैसला किया था। मैं चाहूंगा कि वह अपने वायदे को पूरा करें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): यह मामला अभी विवादास्पद है। ...*(व्यवधान)*

श्री भगवान शंकर रावत: आगरा में यमुना ब्रिज से टुंडला तक रेलवे के दोहरीकरण का मामला था। उस परियोजना को बजट में रखा गया था लेकिन पिछली लोक सभा के अंतिम चरण में उसे योजना में रखने के बाद भी समाप्त कर दिया गया। केवल टुंडला-इकबालपुर सैक्शन के अंतर्गत उसे समाप्त किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आगरा के लिए टुंडला से यमुना ब्रिज तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना को पुनर्जीवित किया जाए। आगरा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है। उस हिसाब से वहां सभी रेलगाड़ियां और अति द्रुतगामी यात्री गाड़ियां रोकी जाएं। शासन का आगरा में जोनल डिविजनल हैडक्वार्टर बनाने का जो कमिटमेंट है, किसी प्रकार के राजनीतिक या क्षेत्रीय दबाव में न आकर उसे स्थापित किया जाए।

आगरा में पर्यटक बहुत आते हैं। अत: सभी गाड़ियों में पर्यटकों के लिए रिजर्वेशन का कोटा आगरा से फिक्स किया जाए। धन्यवाद।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, मैंने बोलने के लिए एक मिनट इसलिए मांगा कि मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बड़ा काम यह किया कि मरते उद्योगों को जिन्दा कर दिया। ये उद्योग दलितों और पिछड़ी जातियों से जुड़े उद्योग थे। पर्यावरण को नुकसान न हो, इसको ध्यान में रखा गया। पत्तल बनाने के काम का ठेका पिछड़ी जाति के लोगों को दिया। यह आदिवासियों और दलितों का काम है। इन्होंने दूसरा काम कुम्हारों के लिए किया है। कुल्हड़ का रोजगार मरता जा रहा था जिसकी जगह प्लास्टिक ने ले ली थी। इन्होंने गरीब लोगों को कुल्हड़ का काम देकर उनको रोजगार दे दिया है।

तीसरी बात यह है कि राज्य सरकारों द्वारा पत्तल का काम आधुनिक तरीके से किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उन्हें मशीनें मुहैया करें। कुम्हारों के लिये सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती मिट्टी निकालने के लिए करें। मैं उन सारे कामों के लिए माननीय रेल मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गरीबों को रोजगार देकर इस देश में एक रोजगार का साधन पैदा किया है।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र का एक बड़ा मसला इन्होंने हल कर दिया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से आश्वासन देने के बाद भी माननीय रेल मंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कहा है और रेलवे क्रासिंग खोलने के लिए 66 लाख रुपये का कांसैंट लैटर भेज दिया है।

[अनुवाद]

इस संबंध में सहमति पत्र मंत्रालय को पहले ही भेज दिया गया है। माननीय मंत्री को इसके बारे में जानकारी मिल जायेगी। लेकिन, सम्भवत: गत 15 वर्षों से यह मामला आपके मंत्रालय में लम्बित है।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): क्या यह रेल फाटक के संबंध में है?

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव): इसकी स्वीकृति आप पहले ही दे चुके हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहमति पत्र पहले ही भेजा जा चुका है। इसके लिए चार लाख रुपये जमा करवा दिए गए हैं और इस रेल फाटक को चालू करने हेतु 56 लाख रुपये देने का वायदा किया जा चुका है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में अब विशिष्ट आदेश जारी करें। माननीय रेल मंत्री ने इस संबंध में मुझे पत्र भेजा है और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इसमें जो लिखा है, मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> "मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि इस रेल फाटक को पुन: चालू करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं....।"

यह दिनांक 2 जून, 1998 का पत्र है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री का आभारी हूं।

अत:, मंत्री महोदय, मैं आपको यह स्मरण कराना चाहता हूं कि कृपया आप अपने रेलवे अधिकारियों को इसे चालू करने के लिए निर्देश दें क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 56 लाख रुपये की राशि से संबंधित सहमति पहले ही भेजी जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय रेल मंत्री उत्तर देंगे।

श्री मोतीलाल वोरा: महोदय, मुझे एक बात और कहनी है। मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से यह कहूंगा कि बिलासपुर-कोचीन गाड़ी को रामेश्वरम तक कर दिया जाये। रामेश्वरम एक पवित्र स्थान है। वहां के लोगों की यह मांग भी है, इसलिए मैं यह बात बोल रहा हूं। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राधाकृष्णन जी, कृपया बैठ जाइए। अनेक माननीय सदस्यों द्वारा लगभग सभी विषयों पर चर्चा की जा चुकी है। अब माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. रामकृष्ण कुसमरिया, यदि आप अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।

अब, माननीय रेल मंत्री उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): अध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर सामान्य चर्चा पहले ही सम्पन्न हो चुकी है और मैं उस पर विस्तार से उत्तर दे चुका हूं। इसके बाद जो डिमांड्स थीं, बजट के प्रस्ताव थे, उनको रेल की स्थायी समिति में भेजा गया। समिति ने उस पर विचार किया और पूरी समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट सिफारिशों सहित दे दी हैं। मैं इस संबंध में रेलवे से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं। समिति ने मोटे तौर पर बजट प्रस्तावों का समर्थन किया है। समिति की सभापति सुश्री ममता बनर्जी और समिति के तमाम सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि समय की तंगी के बावजूद उन्होंने लगातार प्रयत्न किया और पूरी चर्चा की। कई दिन अधिकारियों को बुलाकर उनका साक्ष्य भी लिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिपोर्ट उन्होंने सदन में रखी है।

रिपोर्ट में मोटे तौर पर बजट में जिन नीतियों को हमने प्रतिपादित किया था, उनका समर्थन किया गया है। पिछड़े इलाकों के विकास के लिए रेल परियोजनाएं ली जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं, लेकिन उन परियोजनाओं से रेलवे को मुनाफा नहीं होता है। वैसी स्थिति में स्टैण्डिंग कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि रेलवे का दायित्व समाज का दायित्व है और समाज के दायित्व को निभाने के लिए रेल को ज्यादा बजटीय सहायता मिलनी चाहिए, इसकी उन्होंने अनुशंसा की हैं। योजना के आकार के लिए रेल विभाग ने योजना आयोग के समक्ष मांग की थी, उसका मोटे तौर पर समर्थन किया है और योजना आयोग से भी अनुरोध किया है कि वह रेलवे की योजना का आकार बढ़ाएं। इस प्रकार से जो क्रॉस सब्सिडी की बात थी, उसके बारे में भी स्टैण्डिंग कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं। इसके अलावा सिक्युरिटी को लेकर जो चिन्ता होती है, आर.पी.एफ. और जी.आर.पी. पर जो कुछ कहा है, स्टेटस पेपर में और बजट भाषण में कहा है, उसके बारे में भी सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। अन्य कई मसलों पर भी उन्होंने सुझाव दिये हैं। कहीं-कहीं स्टैण्डिंग कमेटी ने आलोचनाएं भी की हैं। जो कुछ भी स्टैण्डिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन सिफारिशों पर सरकार विचार करेगी और उन सिफारिशों पर विचार करके जो उचित कदम उठाने हैं, जरूर उठाएगी। स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी मिसलेनियस ऐक्सपेण्डीचर को लेकर या अदर मिसलेनियस ऐक्सपेन्सेज को लेकर कुछ चर्चा हुई और माननीय सदस्य राधाकृष्णन जी ने अपने भाषण में इसकी चर्चा भी की है। स्टैण्डिंग कमेटी ने इस पर विस्तार से जांच की और इस बारे में पूरी रिपोर्ट मंगाई, तथ्य मंगाए और उस पर अपनी राय भी रखी है, लेकिन राधाकृष्णन जी ने जो सवाल उठाया था, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो मिसलेनियस ऐक्सपेन्सेज हैं, उसमें दो डिमाण्ड्ज के अंतर्गत ये बातें आती है और उसमें उन्होंने खासकर ट्रैवलिंग ऐक्सपेन्स के बारे में चर्चा की है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि एक तो रेलवे के अंदर कई प्रकार के काम हैं जिनको देखना है और ऑपरेशन को भी सुपरवाइज करना है। इसमें ट्रैवलिंग ऐक्सपेन्सेज ज्यादा होते ही हैं और ऐसा होना स्वाभाविक ही है। जो ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसका कारण पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें हैं। इसके अलावा कुछ एरियर्स का भुगतान करना था। इस प्रकार से लगभग 123 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी लेकिन 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो गैर-जरूरी क्षेत्रों में यात्रा थी, उसको नियंत्रित करके जहां लगभग 123 प्रतिशत होना चाहिए था, उसे घटाकर 116 प्रतिशत रखने का प्रयास किया गया। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि किसी भी प्रकार की फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए और फिजूलखर्ची को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि हमने एक नहीं, अनेक कदम फिजूलखर्ची को रोकने के लिए उठाए हैं। किस प्रकार से ताम-झाम पर खर्च किया जाता था, किस प्रकार से समारोहों पर खर्च किया जाता था, किस प्रकार से प्रचार पर खर्च किया जाता था, उन सब चीजों पर हमने बहुत अंकुश लगाया है और इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए। हर व्यक्ति की टैम्पटेशन होती है कि हम कोई भी काम करें एक इलाके में और दूसरे इलाके में उसका प्रचार करें। आज जितने काम किये गये हैं, उनके चलते इसमें काफी कटौती की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहते हैं। संसदीय समितियां इस बात के लिए बनी हैं, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, आज हम यहां रेल मंत्रालय की चर्चा कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी को पूरी मुस्तैदी से देखना चाहिए कि कहीं भी किसी भी प्रकार की फिजूलखर्ची दिखायी पड़ती है तो उनको यह पूरा अधिकार है कि उसको सदन के सामने लाये, मंत्रालय के सामने लायें। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और अपनी तरफ से इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी जिस प्रकार से खर्चों में कटौती की जा सकती है, उसको करने का प्रयास हम करेंगे।

आपने डिमांड नंबर 12 में भी देखा होगा, जो मिसलेनियस एक्सपेंसिज में आता है, उसमें आप जो खर्च देख रहे होंगे, जिसकी आपने चर्चा भी की कि पिछले तीन वर्षों में इतना बढ़ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि उसका मुख्य खर्चा आर.पी.एफ. का है। आर.पी.एफ., और आर.पी.एस.एफ. और जी.आर.पी. का सारा खर्चा उसी में आता है, इसलिए इसमें वृद्धि हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको संतोष हो जायेगा, हर प्रकार से इन मामलों पर रोक लगनी चाहिए। रेलवे की तरफ से जो घोषणाएं हुई हैं उन घोषणाओं पर अमल होना शुरू हो गया है। इसके लिए उन योजनाओं पर नीचे तक अमल करने के लिए चाहे वह कूल्हड़ का सवाल हो, पत्तल का सवाल हो, प्लास्टिक का हटाना हो, पोलीथीन को हटाना हो, इसके बारे में दो खंड में रेलवे बोर्ड के स्तर पर पिछले सप्ताह जितने डी.आर.एम. फील्ड में हैं, उन सबको दो ग्रुप में बुलाकर निर्देश दिये जा चुके हैं। एक-एक बिंदु पर निर्देश जारी किये जा चुके हैं और उनको देखा भी जा रहा है। ये सिर्फ घोषणा नहीं है। अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है, गरीब तबके के लोगों को रोजगार देना है तो इन कदमों को उठाना पड़ेगा। बहुत लोग फैशन में प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक चाहे जितनी भी खूबसूरत लगे लेकिन वह डीग्रेडेबिल नहीं है, वह नष्ट नहीं होता है और नतीजा यह है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम प्लास्टिक का पहाड़ छोड़कर जायेंगे। पोलीथीन कहीं नष्ट नहीं होता है। आज तो कहीं-कहीं पर इन चीजों पर मजाक होता है। लेकिन उस मजाक को झेलकर हमें इन कामों को करना पड़ेगा। हम लोग अपने विभाग में, अपने मंत्रालय में जितनी भी घोषणाएं हैं, उन पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिक्युरिटी के बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने चर्चा की है, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी साल अगस्त महीने में फिर एक बार आर.पी.एफ. और जी.आर.पी. के हर राज्य में जो प्रधान है, उनकी अगस्त महीने में एक संयुक्त बैठक होने वाली है। हमने गृह मंत्री जी से दो बातों के लिए अनुरोध किया है। हर राज्य को केन्द्र की तरफ से पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पैसा जाता है। जी.आर.पी. के आधुनिकीकरण पर राज्य सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। हमने गृह मंत्री जी से अनुरोध किया है कि जी.आर.पी. का अलग कैडर बनाया जाना चाहिए, ताकि उनमें मोटीवेशन का भाव पैदा हो सके, उनमें काम करने की भावना पैदा हो सके। आमतौर पर जी.आर.पी. में उन लोगों को लगा दिया जाता है जिनसे उस समय की राज्य सरकारें खफा होती हैं और इस तरह से उनके मन में कोई भी काम करने की प्रेरणा नहीं होती है। यह एक तरह से पनिशमेंट पोस्टिंग होती है। वे कोई भी काम ठीक ढंग से दिलचस्पी के साथ करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जी.आर.पी. का एक अलग कैडर होना चाहिए। हमने गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि जितनी राज्य सरकारें हैं आपके द्वारा उनके मुख्य मंत्रियों को और गृह मंत्रालय की तरफ से डी.जी.पी. को यह सलाह और निर्देश जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार की तरफ से जो मॉडर्नाइजेशन की ग्रांट दी जाती है उसका एक हिस्सा वे जी.आर.पी. के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च करें। हमने इस प्रकार का भी अनुरोध गृह मंत्री जी से किया है कि आगामी समय में जब आप मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने वाले हों या पूरे देश के विभिन्न राज्यों के डी.जी.पीज. की बैठक बुलाने वाले हों तो उसमें रेलों में जो अपराधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है, उसको चर्चा का एक विषय रखें। इस पर मैंने गृह मंत्री जी से बात की है। आपके जो सुझाव हैं उनके बिंदुओं पर पहले से ही अमल शुरू हो चुका है। जहां तक स्टैंडिंग कमेटी का सवाल है, उस पर आपने इस सदन में चर्चा की है, दूसरे सदन में भी चर्चा हुई है और उसकी देश भर में चर्चा की शुरूआत हमने मुम्बई से कर दी है। मुम्बई से इसलिए की है क्योंकि मुम्बई वैस्टर्न और सैंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। वहां एक स्टेटस पेपर पर चर्चा शुरू की गई है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि देश भर में स्टेटस पेपर पर एक चर्चा हो जाए।

सभापति महोदय, इसके अलावा जो सबसे बड़ी चिन्ता प्रकट की जाती है वह रेलवे में सेफ्टी को लेकर की जाती है। रेलवे में सैफ्टी को लेकर हर जगह चिन्ता प्रकट की जाती रही है। हमने इस चिन्ता को ध्यान में रखकर अनेक कदम उठाए हैं। जहां कहीं भी दुर्घटनाएं होती हैं उनकी जांच होती है। उनके कारण ढूंढे जाते हैं। उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है, उसके लिए निर्देश जारी किये जाते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले दिनों में रेलवे में सेफ्टी को ध्यान में रखकर तीन रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटीज बनीं। उनकी अधिक से अधिक सिफारिशों पर अमल भी किया जा चुका है, लेकिन अब बदले समय में नए किस्म की दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसको ध्यान में रखकर सेफ्टी के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसके लिए हम रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनाना चाहते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने सरकार को इस कमेटी के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई जा रही है। इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी होगा। इसमें लोक सभा से एक सदस्य होंगे, एक सदस्य राज्य सभा से होंगे, इसमें विशेषज्ञ

[श्री नीतीश कुमार]

भी होंगे। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट छः महीने में देगी। इस कमेटी के टर्म्स एंड रैफरेंस में इस बात का जिक्र किया गया है कि पहले की जो सिफारिशें थी उनकी समीक्षा भी वह करेगी और सुझाव देगी कि उन पर और आगे बदले हुए संदर्भ में क्या किया जा सकता है। इस बारे में वे हर प्रकार की सिफारिश करेगी। अभी हमारा जो वर्तमान तंत्र है, उसमें जो व्यवहार में बातें लाई जा रही हैं क्या ये सब पर्याप्त हैं या नहीं, या इसमें कोई कमी है, उसमें सुधार लाने की सलाह वह समिति देगी। इसके अलावा रेलवे प्रोजैक्ट में सेफ्टी को लेकर जो धन आबंटित किया जाता है, रेलवे सेफ्टी प्रोग्राम जो वर्तमान में प्रभावी है उसमें क्या कमी है, या उसमें किस प्रकार से और सुधार किया जा सकता है, इस बारे में भी सुझाव देगी। इसके अलावा नई टैक्नालोजी के बारे में, नए इक्विपमेंट के बारे में, भारतीय रेलवे में सेफ्टी के संदर्भ वर्तमान उपाय कितने उपयोगी और प्रभावी हैं, इसके बारे में भी वह कमेटी सिफारिश देगी। इसकी अवधि छः महीने रखी गई है। सेफ्टी के मामले में हमारी एक लौंग रेंज कंसर्न है।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (मछलीपटनम): इसके लिए समय सीमा क्या है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: कमेटी को अपना काम पूरा करने के लिए छः महीने की अवधि दी गई है। इसमें एक्सपर्ट्स रखे गए हैं। यह एक ब्राड बेस्ड कमेटी है। यह सेफ्टी के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि रेलवे में यात्री के साथ कोई घटना घट जाती है, तो अमूमन वह रेल से उत्तर कर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराता है और इस प्रकार से अनेक घटनाएं अनरिपोर्टेड रह जाती हैं क्योंकि एफ.आई.आर. दर्ज कराने में कठिनाई पेश आती है। हमने पहले की स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया है। अब यात्री अपनी एफ.आई.आर. प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थित आर.पी.एफ. को बूथ पर भी दे सकता है। वह वहां से जी.आर.पी. के थाने में दर्ज होगी। यह जिम्मेदारी ड्यूटी बूथ पर उपस्थित व्यक्ति की होगी कि वह थाने में उस एफ.आई.आर. को दर्ज कराए। हमने फैसला लिया है कि अब यह काम कामर्शयल स्टाफ भी करेगा और एफ.आई.आर. रिसीव करके एक प्रोफार्मा होगा जिसमें वह रिसीट देगा।

श्री लालू प्रसाद : यदि एफ.आई.आर. सिविल आदमी को देगा, तो उसकी लीगल पोजीशन क्या होगी, इसको जरा देख लीजिएगा।

श्री नीतीश कुमार: वे दर्ज नहीं करेंगे। उनको सिर्फ रिसीव करनें और उसकी रिसीट जारी करने का अधिकार होगा।

श्री लालू प्रसाद: तो फिर यह कहिए कि वह कैरीयर होगा।

श्री नीतीश कुमार: जी हां, वह कैरीयर होगी। चूंकि आदमी रेल से उतर कर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाते हैं और घटनाएं नोटिस में नहीं आ पाती हैं, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आर.पी.एफ. की बूथ पर एफ.आई.आर. दे सकते हैं। वह रिसीट देगा। गार्ड को भी आप दे सकते हैं। जो कमार्शयल स्टाफ है, उसको भी आप दे सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद: गार्ड तो गाड़ी से साथ चला जाएगा, वह कैसे देगा।

श्री नीतीश कुमार: आप सब जगह बिहार की तरह मत चलाइए। गार्ड की ड्यूटी जहां खत्म होती है वहां वह हैंडओवर करता है, वह वहीं दर्ज होती है। इसलिए तो कई जगह अनरिपोर्टेड रहती है। आर.पी.एफ. को भी अधिकार दिया गया है कि वे ले लेंगे और जी.आर.पी. में दर्ज कराएंगे। इसे देखते हुए फैसला लिया गया कि अब कमर्शियल स्टाफ के लोग रनिंग ट्रेन में लेंगे और अगली जगह जहां उतरेंगे, वहां उसे रजिस्टर करवा देंगे। इस प्रकार से कोई एफ.आई.आर. अनरिपोर्टेड नहीं रहेगी। एक बात जान लीजिए कि जी.आर.पी. के यहां से आर.पी.एफ. को पूरे क्राइम की फिगर भी नहीं मिलती। इसलिए पिछली बार हमने कहा था कि उनके बीच कोआर्डिनेशन होना चाहिए और स्टेट्स पेपर में इस बात को इसलिए रखा है ताकि ज्यादा अवेयरनैस हो। कोई घटना घट जाती है तो बदनामी रेल विभाग की होती है लेकिन कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसलिए जितना संभव हो, कोआर्डिनेशन की बात की जानी चाहिए। ये कुछ मेजर्स हम उठा रहे हैं।

कुछ बातें बहस के दौरान आई हैं। पाल साहब चले गए। उन्होंने दो चीजों की चर्चा की। ...*(व्यवधान)* आपका मिसलेनियस एक्सपैंडीचर तो हमने बोल दिया। राधाकृष्णन जी, कृपया बैठ जाइये। ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि रेलवे लैंड के कमर्शियल यूटीलाईजेशन में फौरेन इन्वैस्टमेंट आ रहा है। पहली बात यह है कि रेलवे लैंड के कमर्शियल यूटीलाइजेशन के बारे में सरकार को

निर्णय लेना है। यह अपेक्षित निर्णय अभी नहीं लिया गया है। यदि सरकार निर्णय लेगी, उसके बाद रेलवे लैंड के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बात आ सकती है। रेलवे की इच्छा है कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो और उसके बारे में कई कमेटियों की सिफारिशें भी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): यह मामला गत सात वर्षों से लम्बित है।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): रेल संपत्ति के बारे में क्या स्थिति है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: वर्तमान सरकार सिर्फ 104-105 दिन पुरानी है लेकिन यह विचारणीय मुद्दा सरकार के समक्ष है। यदि इसकी इजाजत मिलती है तो फौरेन इन्वैस्टमैंट की बात रेलवे लैंड के यूटीलाईजेशन में कहीं नहीं है, किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं है और इस तरह की कोई बात कहीं नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि रेलवे के होटल्स को फौरेनर्स के हवाले किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। रेलवे के दो होटल्स-एक भुवनेश्वर में और दूसरा रांची में है। उन्हें किसी भी हालत में फौरेनर्स के हवाले करने का सवाल नहीं है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है और न ही इस तरह का कोई विचार हो सकता है। इसलिए उनकी आशंका निर्मूल है।

एक बात का उल्लेख पिछली बार बजट में था जो हमने प्रस्ताव दिया था। कई चीजों के भाड़े कुछ बढ़ाए गए थे, पार्सल के रेट्स भी कुछ बढ़ाए गए थे जिससे मैग्जीन्स के लिए 20 प्रतिशत पार्सल दर की वृद्धि की गई लेकिन समाचार पत्रों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई थी। वृद्धि के बारे में नोटीफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन इसके बारे में मांग उठती रही है इसलिए हमने फैसला लिया है कि समाचार पत्रों में कोई वृद्धि न की जाए और मैग्जीन्स में भी जो वृद्धि की गई है, उसे वापिस ले लिया जाएगा। अगले पन्द्रह दिनों में उनके बारे में संशोधन जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए मैं स्टैंडिंग कमेटी को पुन: धन्यवाद देता हूं। पिछली बार जब चर्चा हुई थी तो उसमें 108 लोगों ने पार्टीसिपेट किया था और आज भी बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है। ...*(व्यवधान)* लालू जी, आप एक बार पार्टीशिपेट करते तो ज्यादा अच्छा था लेकिन आपने तो अनेक बार पार्टीसिपेट किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: मुझे इसमें संदेह है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: मैं तमाम माननीय सदस्यों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि अनुदान मांगों को स्वीकृति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: महोदय, माननीय रेल मंत्री ने दिनांक 20 मई, 1991 के इकॉनोमिक टाइम्स में दिए गए अपने एक साक्षात्कार में कहा था:

> "मैं किरायों में तत्काल भारी वृद्धि कर सकता था लेकिन यह वृद्धि धीरे-धीरे करूंगा।"

अध्यक्ष महोदय: कृपया स्पष्टीकरण मत मांगिए।

श्री के.एस. राव: नीतीश कुमार जी, कृपया हमें आश्वासन दीजिए कि आप किरायों में और वृद्धि नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा संघ बनाये जाने के अधिकारों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* विद्यमान अधिनियम के अंतर्गत आप रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों पर संघ बनाये जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इस अधिनियम में फेरबदल किया गया है। इसके एक उपबंध का लोप किया गया है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह हमें यह बताएं कि क्या उस फेरबदल को ठीक कर लिया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: मैंने यह मुद्दा उठाया है।

अध्यक्ष महोदय: राधाकृष्णन जी, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बसुदेव आचार्य जी प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाये थे, जिसको हर पक्ष के लोगों से वाइड स्प्रैड समर्थन मिला था। हम लोग उस समय उस तरफ थे। हमने समर्थन किया था और जो आर.पी.एफ. के लोग धरने पर बैठे थे, मेरी जहां तक जानकारी है, आज के इस सरकार के गृह मंत्री, आज की सरकार के वित्त मंत्री, ये सब लोग उस धरने पर बैठे थे। पावर मिनिस्टर तो उस यूनियन में शामिल ही रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: हाउस में धरने पर बैठे थे।

श्री नीतीश कुमार: हम लोगों ने भी आपका समर्थन किया था, लेकिन आपने यह बात की है तो हम लोग इस मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और इस मामले में समुचित निर्णय लेंगे। जब मैं कह रहा हूं कि इस मामले में यह सिर्फ आपकी मांग नहीं है, इधर बैठे हुए जो लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोगों का इस बात पर समर्थन प्राप्त था।

श्री बसुदेव आचार्य: यह वाजपेयी जी की भी मांग है, उनके भी मैमोरेण्डम पर सिगनेचर्स हैं। आपने भी समर्थन किया था।

श्री नीतीश कुमार: इस मामले पर मैं बहुत जल्दी बैठक बुलाने वाला हूं।

श्री लालू प्रसाद: ठीक है, जो करना है, करिये, लेकिन पुलिस पर्सोनेल को और पुलिस के लोगों को एसोसिएशन बनाने का निर्णय कर देते हैं तो ये चारों तरफ हड़ताल करेंगे, यह आप देख लीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: इस मामले में, इस विषय पर अगले कुछ दिनों में गम्भीरतापूर्वक चर्चा करके समुचित निर्णय लिया जायेगा। मैं आपसे अभी की स्थिति में इतना ही कह सकता हूं।

श्री मोतीलाल वोरा: माननीय रेल मत्री जी, नीतीश कुमार जी, आपने नये जोन बनाने के बारे में कुछ नहीं कहा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों ने 1998-99 की अनुदानों की मांगों (रेलवे) के संबंध में अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा: महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री मोती लाल वोरा, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूं? अथवा क्या कोई माननीय सदस्य यह चाहता है कि किसी कटौती प्रस्ताव विशेष को अलग से रखा जाए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: माननीय रेल मंत्री जी, मैं नहीं बोला, मैंने आपको सहयोग किया, मैंने आपको टाइम का एक्सटेंशन दे दिया। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए प्रस्तावित पुल दीघा और पहलेजा के बीच में बनाने के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या करना चाहते हैं, इस पर भी कुछ कहें? मैं तो आज ही बोल रहा हूं, इस पर कुछ तो बोलिए।

श्री नीतीश कुमार: अलग से बोल देंगे।

श्री लालू प्रसाद: उठकर बोलिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य यह चाहता है कि उसके कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए अलग से रखा जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 283 और 284 बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक प्रस्ताव कलकत्ता मैट्रो का टालीगंज से गरिया और दमदम से बैरकपुर तक विस्तार न कर पाने और दूसरा कलकत्ता सर्कुलर रेलवे को प्रिंस घाट से मजेरहाट तक पूरा न कर पाने के बारे में है। मैं चाहता हूं कि इन दो कटौती प्रस्तावों को अलग से रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं सभा के मतदान हेतु प्रस्तुत किए गए अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं 1998-99 की अनुदानों की मांगें (रेलवे) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग सख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.44 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (रेलवे) संख्यांक 3 विधेयक*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 13 को लेगी।

श्री नीतीश कुमार: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, जब रेल मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी भाषण दे रहे थे, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक्सटैंशन आफ कलकत्ता मैट्रो से गड़िया और बैरकपुर ...*(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 7.7.98 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। इस संबंध में नियम बिल्कुल स्पष्ट है। यदि सभा में बहस के दौरान कोई विशेष मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है, तो उसे इस चरण पर पुनः नहीं उठाया जा सकता। यह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने आज 10.00 बजे से पहले सूचना दी थी और मुझे बोलने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

हम उम्मीद कर रहे थे कि मैट्रो रेल के एक्सटैंशन का जो सवाल है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मैंने इस बारे में पहले ही मंत्री महोदय से बात कर ली है और उन्होंने इस संबंध में कुछ करने की सहमति जताई है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम उम्मीद कर रहे थे कि मैट्रो रेल के एक्सटैंशन का जो सवाल है, उसके लिए बजट में प्रावधान रहेगा, लेकिन एक पैसे का भी प्रावधान रेल मंत्री जी ने नहीं किया। स्टैंडिंग कमेटी की जो बात है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, कृपया बैठ जाइये।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने समय पर पूर्वसूचना दी थी। आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने अपनी पूर्वसूचना में उन चार बातों का उल्लेख किया था, जिन्हें मैं उठाना चाहता था। मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहता था, लेकिन मेरी बात के बीच में लगातार व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है।

[हिन्दी]

महोदय, हम उम्मीद कर रहे थे कि बजट में प्रावधान रहेगा, लेकिन एक पैसे का भी कलकत्ता मैट्रो रेल के लिए प्रोवीजन नहीं किया गया है। कलकत्ता की समस्या दूसरी तरह की है।

[अनुवाद]

मुम्बई में सड़क हेतु 18 प्रतिशत स्थान है; दिल्ली में यह 16 प्रतिशत है; चेन्नई में 12 प्रतिशत है; लेकिन कलकत्ता में यह केवल छह प्रतिशत है।

[हिन्दी]

यह मांग हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इसका सर्वे भी कम्पलीट हो चुका है। ...*(व्यवधान)* एनुअल प्लान में 521 करोड़ रुपया रखा गया। ...*(व्यवधान)* उसका एस्टीमेंट भी किया गया, लेकिन बजट में एक भी पैसा नहीं रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, कृपया बस कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं महोदय। मुझे एक ओर बात कहनी है। जिस बात का यहां उल्लेख किया जा चुका है, मैं उसे नहीं दोहरा रहा हूं ...*(व्यवधान)* राम नाईक जी, किसी ने भी बांकुरा-दामोदर नदी घाटी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने 1000 रुपये प्रदान किये हैं।

[हिन्दी]

हम उनको इसको सैंक्शन करने का धन्यवाद देते है। इसके रेस्टोरेशन के लिए भी पिंक बुक में पैसा रखा गया है। नैरोगेज रेल बस भी आ गई है, इस रेल बस का क्या होगा? हम चाहते हैं कि

जो पैसा पिंक बुक में नैरोगेज लाईन के रेस्टोरेशन के लिए रखा गया है, जो तीन-साढ़े तीन करोड़ रुपया रखा गया है, इस पैसे को ब्रोडगेज कनवर्शन के लिए खर्च किया जाए और जल्दी से जल्दी इसका क्लियरेंस हो जाए।

मेरी तीसरा प्वाइंट यह है कि जो पांचवें पे कमीशन का रिकमेंडेशन है। ...*(व्यवधान)* जो पांचवें पे कमीशन का रिकमेंडेशन में एनोमली हुआ है, जो रेलवे में आपके टेलीफोन ऑपरेटर्स है, टैक्नीकल स्टाफ है, जिसका आपने मेंशन किया है, इनके ऊपर अन्याय हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक जी मैं उस बात को दोहरा नहीं रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री नीतीश कुमार: यह आपका विषय नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह उनका विषय नहीं है। मुझे विसंगति के संबंध में आपकी पूर्वसूचना नहीं मिली है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री महोदय, आपने मेरी आज की पूर्व सूचना नहीं देखी है।

[हिन्दी]

मेरा आज का नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुझे यह तीन बातें कहनी थी। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन तीनों बातों का उत्तर दें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): महोदय, इन्होंने जब नोटिस नहीं दिया तो यह कैसे बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: जब यह बिना नोटिस के बोल रहे हैं तो लालू जी को भी बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: महोदय, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए पूर्व प्रधान मंत्री जी और पूर्व रेल मंत्री जी का रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के मामले में पर्दाफाश हो चुका है। मैं रेल मंत्री से आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब ठोक बजा कर दीजिए कि दीघा-पहलेजा गंगा के ऊपर उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और उत्तर-दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए गंगा पर पुल का निर्माण कब करने जा रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक नीयत से बताइए, हम यह आपसे जानना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: महोदय, हम रेसपोंड करने के लिए तैयार हैं। आचार्य जी का जो पहला और दूसरा प्वाइंट है उसका नोटिस हमें मिला है, लेकिन इन्होंने जो तीसरी बात कही है उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली है इसलिए इनके तीसरे बिन्दु का मैं जवाब नहीं दूंगा। जहां तक पहले और दूसरे बिन्दु का सवाल है-एक्सटेंशन ऑफ कलकत्ता मेट्रो रेलवे, यहां आचार्य जी बहुत जोर-शोर से यह सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन होना चाहिए। अब जो सरकार इनके समर्थन के बल पर चल रही थी, जिस सरकार के यह अंग थे उस सरकार में इन्होंने क्या किया। ...*(व्यवधान)* आपके बल पर ही वह सरकार चल रही थी। यह सरकार में बैठे हुए लोगों में से ज्यादा पावरफुल थे।

समूचा रिमोट कंट्रोल इनके पास था, यही सर्टिफाइड करते थे और समूचा लाइसेंस देने की पावर आपके पास थी, उस समय आपने इस विषय पर क्या किया?

श्री बसुदेव आचार्य: उस समय भी हम लोग इस विषय पर बोले थे। अगर उस समय नहीं हुआ तो क्या अब भी नहीं होगा?

श्री नीतीश कुमार: मैंने आपकी बात सुन ली है, अब आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस सरकार को सुश्री ममता बनर्जी समर्थन दे रही हैं और उनके अनुरोध पर न्यू गरिया की जगह पर गरिया तक का सर्वेक्षण हम लोगों ने पूरा कर दिया है। आपके जमाने में न्यू गरिया तक हो रहा था, जिसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिलता। ममता जी के अनुरोध पर यह हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य: पांच किलोमीटर हुआ है।

श्री नीतीश कुमार: लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक मेरी समझदारी है सब्जैक्ट टू करैक्शन न्यू गरिया तक जाएगा तो वह

[श्री नीतीश कुमार]

स्टैंड अलोन सिस्टम हो जाएगा और गरिया जाएगा तो उसको कान्टीन्यूटी मिल जाएगी। इसलिए दोनों में फर्क है और यह ममता जी के अनुरोध पर किया गया है। ...*(व्यवधान)* आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हमारे साथ पुराना हथियार चलाने का क्या फायदा है, हम और आप तो एक ही राह के राही रहे हैं। आप मेरी पूरी बात सुनिये। आपने कहा कि इसके लिए क्या काम हो रहा है। आपके जमाने में और आपके पहले भी यह तय हो गया कि जो महानगरीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको अब रेलवे नहीं देखेगा, उसको अर्बन अफेयर मिनिस्टरी देखेगी। दिल्ली में भी सारा काम मैट्रोपोलिटन सिस्टम का अर्बन अफेयर मिनिस्टरी करने जा रही है। रही बात कलकत्ता की तो वहां का मैट्रो-सिस्टम पूरा का पूरा रेलवे का है, रेलवे अपने फंड से उसको पूरा करना चाहे तो अभी जो अपडेट सर्वेक्षण हुआ है उसके हिसाब से 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की जरूरत है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारें शेयर करने के लिए आगे आ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कितना शेयर करने के लिए तैयार हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: 30 प्रतिशत।

श्री नीतीश कुमार: आपका अब तक का प्रस्ताव 15 प्रतिशत शेयर करने का है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री बजट से पहले आये थे और 25 करोड़ रुपया देने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो उत्तर बंग एक्सप्रेस ट्रेन हमने चलाई है उसको दैनिक कर दिया जाए और इसके लिए हम पैसा देना चाहते हैं। मैंने कहा कि दो दिन तो ट्रेन चल रही है और इसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। कालांतर में वह दो दिन से प्रतिदिन हो जाएगी क्योंकि इसके लिए कोचिज की उपलब्धता के आधार पर फ्रीक्वेंसी निर्धारित होगी। अभी दो दिन की फ्रीक्वेंसी हैं और इसको बढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप पैसा न दें। हमने उनको सुझाव दिया कि सबर्न सिस्टम में पैसा लगाइये। उन्होंने पत्र लिखा कि वे इस बार 25 करोड़ रुपया देना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप सही राशि जानना चाहते हैं तो इस परियोजना की कुल लागत 656.48 करोड़ रुपये होगी। इसका अगर दो-तिहाई ले लीजिए तो आपको चार सौ करोड़ से ज्यादा देना पड़ेगा और आप 25 करोड़ की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु दो-तिहाई दे रहा है, महाराष्ट्र में आधे-आधे पर कारपोरेशन बनाने की बात आ रही है, आपको ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। रेलवे अपने सिस्टम से जो कुछ कर सकता है वह अपना कदम पीछे नहीं हटाएगा। यह हम आपको बताना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: कलकत्ता मैट्रो रेलवे का अभिन्न अंग है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: कलकत्ता रेलवे तो होगा, आप इसके लिए ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: भाड़ा देने से रेलवे प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। आचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके राज्य में आपकी पार्टी की सरकार है और आप अपनी सरकार को तैयार कराइये कि वह अधिक से अधिक पैसा इसमें महाराष्ट्र या तमिलनाडु पैटर्न पर लगाए।

[अनुवाद]

रात्रि 08.00 बजे

श्री बसुदेव आचार्य: यह केवल पश्चिम बंगाल का पैटर्न है। महाराष्ट्र का ही पैटर्न क्यों? तमिलनाडु का पैटर्न ही क्यों? यह केवल पश्चिम बंगाल का पैटर्न है। आप राज्य सरकारों के साथ चर्चा कीजिए। राज्य सरकार निरपवाद रूप से 20 अथवा 30 प्रतिशत अंशदान करती हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: आप वैस्ट बंगाल पैटर्न नया लागू करना चाहते हैं तो बढ़-चढ़ कर 75 परसैंट लगा दीजिए, 100 परसैंट लगा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: क्यो? 25 प्रतिशत ही क्यों? क्योंकि मैट्रो रेलवे भारतीय रेल का अभिन्न अंग है। यह आपकी जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अगर जिम्मेदारी रेलवे की है तो आपने पिछले डेढ़-पौने दो वर्षों में उस जिम्मेदारी का एहसास करके जो

काम कराया, उसे दुनिया जानती है ...*(व्यवधान)* आपके वित्त मंत्री की चिट्ठी पर रेल मंत्रालय विचार कर रहा है। हम उसका उचित रिस्पौंस देंगे। आपने बांकुरा-दामोदर रेल लाइन का जिक्र किया। आपको इसके लिए दिल खोलकर धन्यवाद देना चाहिए था। आप कई हजार रुपए की बात कर रहे हैं। इसके बारे में सर्वे रिपोर्ट आनी है। वह आ जाएगी। आज बजट पास हो चुका है। यह संसद में सैंक्शन हो गया। हम रिक्विजिट क्लीयरैंसेज लेने के लिए कदम बढ़ाएंगे। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद प्रोजैक्ट बना कर देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वह कब तक आ जाएगी?

श्री नीतीश कुमार: यह हम से पूछ रहे हैं। आप जिस सरकार में थे, क्या उससे कभी आपने पूछा कि वह कब तक आएगी?

श्री बसुदेव आचार्य: उस सरकार ने एक प्राइवेट लाइन को नैशनलाइज किया। ...*(व्यवधान)* बीडीआर एक निजी कंपनी से संबंधित है। उस सरकार ने उसे नेशनलाइज किया।

श्री नीतीश कुमार: वह हमारी सरकार ने किया। ...*(व्यवधान)* वह कर दिया और छोड़ दिया। हम उसे टेक-अप करके गेज कनवर्शन करना चाहते हैं। हमने इस प्रस्ताव को अपने बजट में रखा। आपको इसकी खुले दिल से प्रशंसा करनी चाहिए थी।

श्री बसुदेव आचार्य: हमने इसकी प्रशंसा की और धन्यवाद दिया। क्या पैसा रैस्टोरेशन के लिए रखा है? ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: ये दोनों काम मुनासिब नहीं। ...*(व्यवधान)* जब गेज कनवर्शन का काम लिया जाएगा तो उसे चलाना ठीक नहीं होगा। आपका विचार उचित है। हम लोगों के मन में भी यही विचार है। इस मामले में जो सैंक्शन हुआ है, हम उसके आधार पर कदम उठाएंगे।

अपने स्वभाव के अनुकूल और नियम के प्रतिकूल श्री लालू प्रसाद जी ने सवाल उठाया। इन्होंने पुन: एक बार ...*(व्यवधान)* हम जवाब दे रहे हैं। कैसे जवाब नहीं देंगे? यह जनहित का सवाल है। इस कारण हम इसका उत्तर देना मुनासिब समझते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: जब से आप और सोमपाल जी इधर से एक्सपोर्ट हुए, बहुत होशियार और चालाक हो गए हैं।

श्री नीतीश कुमार: आप भी यहां आ जाइए। आपको कोई नहीं रोकेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

जब बजट पर सामान्य चर्चा हो रही थी तो उस समय इस सवाल को माननीय लालू प्रसाद जी ने और कतिपय अन्य सदस्यों ने उठाया था। इससे पहले अंतरिम बजट में भी इस सवाल को उठाया था। आज पुन: इस सवाल को उठाया है। मैं इसकी स्थिति एक बार फिर साफ कर देना चाहता हूं। पटना में गंगा नदी पर पुल कार्य के लिए सर्वे का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। सर्वे का पूरा काम होने के बाद मॉडल टैस्ट होगा क्योंकि वह बहुत बड़ी नदी है और पटना बहुत बड़ा शहर है। वह टैस्ट इसलिए होता है कि बरसात के दिनों में पानी पटना शहर में कटाव न ला दे या उसे बहा कर न ले जाए। यह तकनीकी आवश्यकता है। इसके बिना कोई पुल स्वीकृत नहीं हो सकता। राइट्स को इसका जिम्मा दिया गया है। रुड़की में मॉडल टैस्ट की बात तय हो गई है। बरसात के दिनों में डेटा कलैक्ट किए जाएंगे। और उसके आधार पर माडल टैस्ट होगा। यह तकनीकी आवश्यकता है। मैंने अन्य कार्यों को रिव्यू किया। मैंने पटना और मुंगेर में गंगा नदी पर पुल के कार्यों की समीक्षा की। सर्वेक्षण कार्य तेज गति से हो रहा है। अब बार-बार कहा जा रहा है कि इन कार्यों का उद्घाटन हुआ। इन उद्घाटनों के लिए मैंने कार्ड देखें हैं। इनविटेशन कार्ड में सर्वे का शिलान्यास छपा हुआ था और सर्वे पर व्हाटनर लगाया गया और कार्य का शिलान्यास हुआ जो तत्कालीन प्रधानमंत्री के कर-कमलों से कराया गया। उस कार्यक्रम में माननीय लालू प्रसाद जी थे जो उस समय मुख्यमंत्री थे। उनको उस समय सोचना चाहिए था कि वे कार्य का शिलान्यास करवा रहे हैं या सिर्फ सर्वे का शिलान्यास करवा रहे हैं। अब यह सरकार अपनी जवाबदेही से मुकरना नहीं चाहती और उस काम को तेजी से करवाना चाहते हैं। इस बार पटना और मुंगेर में भी.....

श्री लालू प्रसाद: जिसने फ्रॉड किया, उसको सजा मिलेगी या नहीं?

श्री नीतीश कुमार: इसमें फ्रॉड कहां है?

श्री लालू प्रसाद: आपका नहीं।

श्री नीतीश कुमार: हमने फ्रॉड शब्द का प्रयोग नहीं किया।

श्री लालू प्रसाद: चूंकि आपने मेरा नाम लिया। माननीय रेल मंत्री जी, आप ठीक बोल रहे हैं। यह मामूली बात नहीं है

[श्री लालू प्रसाद]

...*(व्यवधान)* आप मेरा बात सुनिये। हम आप लोगो को पीसफुल सहयोग दे रहे हैं ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ठीक बोल रहे हैं। हमें सूचना मिली कि पुल के सर्वेक्षण का शिलान्यास होगा. सोनपुर के लोग बहुत चालाक निकले। वे बोले कि यह धोखा हो रहा है तो फिर हमने रेलमंत्री से सम्पर्क किया कि प्रधान मंत्री सर्वे का शिलान्यास करने आयें तो बोला गया कि पब्लिक को कल कैसे फेस किया जाये। फिर हमें बताया गया कि सर्वेक्षण का शिलान्यास हटाकर रातों-रात इन लोगों ने बोर्ड बदल दिया और लिख दिया कि प्रधान मंत्री द्वारा पुल का शिलान्यास हो रहा है।

एक माननीय सदस्य: यह चुनाव में था।

श्री लालू प्रसाद: नहीं, चुनाव हो या कोई चीज हो। प्रधानमंत्री तो प्रधान मंत्री हुआ करते हैं, मंत्री मंत्री हुआ करते हैं। यह हम लोगों के साथ धोखाधड़ी है। इस सब में जो पदाधिकारी या अधिकारी जिम्मेदार है या जो पैसा खर्चा मंत्रालय की तरफ से हुआ है, इस मामले पर कार्यवाही करायेंगे या नहीं, यह बतायें।

श्री नीतीश कुमार: आप बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में एकाध हजार काम किये हुए हैं।

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है, मंत्री जी आप गलत बोल रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। जो हुआ, उन्होंने भी पूरी बात बता दी और हमने भी क्या हुआ क्या नहीं, देख लिया। अब इसको यही छोड़ दीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस काम को आगे बढ़ाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री नीतीश कुमार: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब सभा गुरुवार, 9 जुलाई, 1998 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 9 जुलाई, 1998/18 आषाढ़, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।